



राजस्व क्षेत्र पर
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष



मध्य प्रदेश सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन क्र. 5

राजस्व क्षेत्र पर
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिये

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन क्र. 5



भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

2014

www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in

विषय—सूची

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
	प्रस्तावना	v
	विहंगावलोकन	vii से xi
अध्याय—1 : सामान्य		
1.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1
1.2	राजस्व के बकाया का विश्लेषण	4
1.3	निर्धारण का बकाया	5
1.4	कर अपवंचन	6
1.5	वापसियों के लंबित प्रकरण	7
1.6	लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन का प्रत्युत्तर	8
1.7	लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों के निराकरण हेतु प्रणाली का विश्लेषण	12
1.8	विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई	14
1.9	लेखापरीक्षा योजना	15
1.10	लेखापरीक्षा परिणाम	16
1.11	यह प्रतिवेदन	16
अध्याय—2 : वाणिज्यिक कर		
2.1	कर प्रशासन	17
2.2	आंतरिक लेखापरीक्षा	17
2.3	लेखापरीक्षा के परिणाम	17
2.4	“मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत इनपुट टैक्स की छूट” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	18
2.5	अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	39
2.6	गलत दर से कर का आरोपण	39
2.7	टर्न ओवर का गलत निर्धारण	43

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
2.8	प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण	46
2.9	अमान्य आगत कर रिबेट की स्वीकृति	49
2.10	वस्तुओं को कर मुक्त मानते हुए विक्रय पर कर का अनारोपण	53
2.11	शास्ति का अनारोपण	54
2.12	ब्याज का अनारोपण	55
2.13	प्रान्तीय विक्रय को गलत ढंग से अंतर्राज्जीय विक्रय मानकर कर का कम आरोपण	56
2.14	गलत कटौती की अनुमति दिए जाने के कारण कर का कम आरोपण	57
2.15	खरीद कर का अनारोपण	58
अध्याय-3 : राज्य उत्पाद शुल्क		
3.1	कर प्रशासन	59
3.2	आन्तरिक लेखापरीक्षा	59
3.3	लेखापरीक्षा के परिणाम	60
3.4	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	61
3.5	विभाग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों को दिया गया अनुचित लाभ	61
3.6	निर्यात/परिवहन की गई विदेशी मदिरा/बीयर और मदिरा की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना	63
3.7	शास्ति की वसूली न होना ।	64
3.8	स्पिरिट और विदेशी मदिरा का निराकरण न होने के कारण आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना ।	65
3.9	स्पिरिट और विदेशी मदिरा/बीयर की कमी पर शुल्क/शास्ति जमा न करना ।	66
3.10	अधिक नुकसान/कमी पर शास्ति का अनारोपण ।	68
3.11	परिवहन/आयात शुल्क की गैर वसूली	70
3.12	आसवनी में निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध न बनाये रखने पर शास्ति का अनारोपण	73

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
अध्याय-4 : वाहनों पर कर		
4.1	कर प्रशासन	75
4.2	आंतरिक लेखापरीक्षा	75
4.3	लेखापरीक्षा के परिणाम	76
4.4	“मंजिली गाडी/ठेका गाडी अनुज्ञापत्र पर चलित लोक सेवा वाहनों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	77
4.5	अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	89
4.6	वाहनों पर कर व शास्ति की वसूली न होना	89
4.7	अर्थमूवर एवं हार्वेस्टर पर कर एवं शास्ति की वसूली न होना	91
4.8	व्यापार फीस की वसूली न होना/कम वसूली होना	92
4.9	आधिक्य भार ले जाने वाले वाहनों से शमन शुल्क की कम वसूली	93
अध्याय-5 : भू-राजस्व		
5.1	कर प्रशासन	95
5.2	आंतरिक लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण	95
5.3	लेखापरीक्षा परिणाम	96
5.4	लेखापरीक्षा प्रेषण	97
5.5	प्रीमियम एवं भू-भारक का अवनिर्धारण	97
5.6	भू-राजस्व एवं उपकर का शासकीय खाते में प्रेषण न किया जाना	98
5.7	अस्थायी पट्टे की नवीनीकरण में प्रीमियम एवं भू-भाटक का अवनिर्धारण	98
5.8	व्यपवर्तन लगान, प्रीमियम और उपकर का अवनिर्धारण	99
अध्याय – 6 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस		
6.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	101
6.2	“मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण एवं संग्रहण” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	102

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
अध्याय-7 खनन प्राप्तियां		
7.1	कर प्रशासन	129
7.2	आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	129
7.3	लेखापरीक्षा परिणाम	129
7.4	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	130
7.5	उत्खनि मदों में अनिवार्य किराये की वसूली न होना/कम वसूली	131
7.6	खनन पट्टे के अनिवार्य किराये की वसूली न होना	132
7.7	संविदा राशि की वसूली न होना/कम होना	133
7.8	राज्यांश की कम वसूली	134
7.9	विलंबित भुगतानों पर ब्याज का वसूल न होना/कम होना ।	137
7.10	अनाधिकृत उत्खनन पर खनिजों के मूल्य का अनारोपण/ वसूली न होना ।	139
7.11	ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर का आरोपण एवं संग्रहण ।	139
7.12	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण/संग्रहण ।	141
परिशिष्ट		145 से 194

अध्याय – 6

मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013-14 के दौरान मुद्रांक एवं पंजीयन फीस से सम्बंधित 233 इकाइयों में से 97 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 3,139 प्रकरणों में ₹ 356.46 करोड़ से अंतर्निहित प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली, गलत छूट तथा अन्य प्रेक्षणों का पता चला, जिन्हें तालिका 6.1 में निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

तालिका 6.1

(₹ करोड़ में)			
क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2	3	4
1	“मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण एवं संग्रहण ” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	85.46
2	प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलंब के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना	874	10.58
3	संपत्तियों के अवमूल्यांकन/गलत छूट के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति	590	11.88
4	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान से गलत छूट	131	94.00
5	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की कम प्राप्ति	68	17.54
6	अन्य प्रेक्षण	1475	137.00
योग		3139	356.46

वर्ष के दौरान, विभाग ने 1,794 प्रकरणों में ₹ 41.43 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हे वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया था। जिसमे से 462 प्रकरणों में ₹ 3.35 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित की गई।

“मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण एवं संग्रहण” पर निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसमें ₹ 85.46 करोड़ की राशि अनर्निहित है, का उल्लेख आगामी कण्डिकाओं में किया गया है।

6.2 "मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण एवं संग्रहण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य विशेषतायें

खदानो की औसत वार्षिक रायल्टी के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण ₹ 40.13 करोड़ के मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण किया गया।

(कण्डिका 6.2.10)

विभाग की निष्क्रियता के कारण मोबाइल टावरों के पट्टा विलेखों का पंजीयन नहीं कराया गया जिससे 44 प्रकरणों में ₹ 13.92 लाख के मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण किया गया।

(कण्डिका 6.2.11)

विभाग द्वारा भूमि के विकास के लिये अनुबंध गलत दर पर निष्पादित किये गये जिसके कारण ₹ 33.63 लाख के मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(कण्डिका 6.2.12)

बाजार मूल्य के गलत निर्धारण एवं संदर्भित प्रकरणों के निराकरण नहीं किये जाने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 13.69 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(कण्डिका 6.2.13)

मुख्तारनामा विलेखों एवं दस्तावेजों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण ₹ 1.22 करोड़ का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण किया गया।

(कण्डिका 6.2.14 एवं 6.2.15)

आदिवासी व्यक्तियों की ₹ 11.24 करोड़ की भूमि को गैर आदिवासी व्यक्तियों को ₹ 3.60 करोड़ में बेचने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 21.49 लाख का कम आरोपण हुआ। विभाग आदिवासियों के हितों को सुरक्षित रखने में भी विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप उन्हें ₹ 7.64 करोड़ के भूमि के मूल्य की भी हानि हुई।

(कण्डिका 6.2.17)

भूमि विकास अनुबंधों के 24 प्रकरणों का पंजीयन नहीं कराने के परिणामस्वरूप ₹ 9.69 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण किया गया।

(कण्डिका 6.2.18)

विकास के 99 प्रकरणों में विकास व्यय पर बंधक विलेखों के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप ₹ 10.23 करोड़ के मुद्रांक शुल्क पंजीयन फीस का कम आरोपण/अनारोपण किया गया।

(कण्डिका 6.2.19)

6.2.1 प्रस्तावना

मुद्रांक शुल्क न्यायिक मुद्रांको के माध्यम से संग्रहित किये जाने वाले अन्य शुल्क या फीस से अलग है जो भारत के संविधान के सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 तथा राज्य अधिनियम विभिन्न लिखितों पर उनमें निर्धारित दरों पर शुल्क आरोपित करता है। ऐसा शुल्क निष्पादकों द्वारा उपयुक्त मात्र के अग्रदाय मुद्रांक पत्रों द्वारा अथवा उपयुक्त मात्र के चिपकाने वाले मुद्रांको द्वारा चुकाया जाता है। राज्य शासन द्वारा उनमें निहित अधिकारों के आधार पर अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियम बनाये जाते हैं। यह नियम मुद्रांक शुल्क के निर्धारण एवं संग्रहण हेतु विस्तृत प्रक्रिया को तय करते हैं। भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 तथा उसके अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों में पंजीयन फीस के निर्धारण एवं संग्रहण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से उल्लेखित किया गया है। उप पंजीयक या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों की यह देखने हेतु जांच करते हैं कि वे स्वीकृत समय अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं तथा लिखित भारतीय स्टाम्प अधिनियम अनुसार उपयुक्त रूप से मुद्रांकित हैं।

विभाग का राजस्व वर्ष 2009-10 में ₹ 1783.15 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 3389.99 करोड़ रहा। प्राप्तियों में यह वृद्धि के कारण ही इस निष्पादन लेखापरीक्षा को करने का निर्णय लिया गया।

6.2.2 संगठनात्मक संरचना

मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन कार्यरत है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश (आई.जी.आर.) विभाग प्रमुख हैं। दो संयुक्त महानिरीक्षक, पंजीयन (जे.आई.जी.आर.), एक उप महानिरीक्षक पंजीयन (डी.आई.जी.आर.), एक वरिष्ठ जिला पंजीयक (एस.डी.आर.), एक जिला पंजीयक (डी.आर.) और एक लेखा अधिकारी (ए.ओ.) मुख्यालय पर कार्यरत हैं। राज्य में 50 पंजीयन जिले अधिसूचित हैं। पन्द्रह पंजीयन जिलों में से प्रत्येक में एक वरिष्ठ जिला पंजीयक, शेष जिलों में से प्रत्येक में 35 जिला पंजीयक है तथा राज्य में 233 उप पंजीयक कार्यालय हैं। उप पंजीयक कार्यालय वह स्थान है जहां पंजीयन से संबंधित जनसाधारण के समस्त पंजीयन कार्यों का निर्वहन किया जाता है। जिला स्तर पर कलेक्टर पंजीयन प्रशासन का प्रमुख होता है। जिला पंजीयक का कार्य उप पंजीयकों को उनके दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों में दिशा निर्देश देना, वांछित मुद्रांको के मूल्यांकन के प्रकरणों में आदेश पारित करना, शासकीय, वापसी तथा उप पंजीयक एवं लोक कार्यालयों का जहां मुद्रांक शुल्क शामिल होता है, का निरीक्षण करना होता है।

6.2.3 लेखापरीक्षा का विस्तार एवं प्रणाली

“ मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण एवं संग्रहण” पर निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल एवं जुलाई 2014 के मध्य 233 में से 45¹ चयनित उप पंजीयक कार्यालयों की अवधि 2009-10 से 2013-14 को समाहित करते हुये सम्पादित की गई। इकाइयों का चयन सामान यादृच्छिक नमूना चयन पद्धति के आधार पर किया गया। लेखापरीक्षा उद्देश्य, परिक्षेत्र तथा प्रणाली की चर्चा महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश से मार्च 2014 में हुये

¹ भीकनगाव, भोपाल-I, भोपाल-II, भोपाल-III, बिना, चाचोड़ा, छिन्दवाड़ा, डबरा, दीपालपुर, धार, गुना, गुन्नौर, ग्वालियर-I, ग्वालियर-II, होशंगाबाद, इन्दौर-I, इन्दौर-II, इन्दौर-III, इन्दौर-IV, जबलपुर-I, जबलपुर-II, कासरवाद, कटनी, खचरोद, खरगौन, खुरई, महेश्वर, माहीदपुर, मैहर, महाव, नागदा, नरसिंहपुर, पाण्डुरा, पन्ना, राघोगड़, सागर, सनवीर, सतना, सिवनी, मालवा, सीहोर, सिंगरौली, सोहागपुर, तराना, उज्जैन, और विदिशा।

प्रवेश सम्मेलन में की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रारूप को शासन एवं विभाग को अगस्त 2014 में अग्रेषित किया गया तथा अगस्त 2014 में सम्पन्न हुये निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के साथ चर्चा की गई। शासन के दृष्टिकोण को संबंधित कंण्डिकाओं में उपयुक्त रूप से समाविष्ट किया गया है।

6.2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का सम्पादन यह निर्धारित करने के लिये किया गया कि:

- विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावशील है तथा पर्याप्त प्रक्रिया यह जांच करने के लिये विद्यमान है कि विलेखों को निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किया गया है तथा अभिलेख पंजीयन से पूर्व उचित रूप से मुद्रांकित है जिससे विलेख पर शुल्क तथा फीस के उपयुक्त संग्रहण को सुरक्षित किया जा सके।
- अधिनियम/नियमों के प्रावधानों तथा विलेखों के पंजीयन, लिखितों के वर्गीकरण तथा बाजार मूल्य के निर्धारण के संबंध में विभागीय निर्देश पर्याप्त है तथा राज्य के राजस्व को सुरक्षित रखने हेतु उपयुक्त रूप से उन्हें लागू किये गये हैं।
- निर्धारित रोस्टर अनुसार विभागीय निरीक्षण नियमित रूप से संपादित किये गये हैं।

6.2.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड में निम्न को शामिल किया गया है—

- भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899;
- पंजीयन अधिनियम, 1908;
- भारतीय मुद्रांक (मध्य प्रदेश विलेखों के न्यून मूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 1975;
- मध्य प्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शिका को तैयार करना एवं पुनरीक्षण नियम, 2000;
- मध्य प्रदेश मुद्रांक नियम, 1942;
- मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956;
- मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961;
- मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993; तथा
- मध्य प्रदेश पंचायत उपकर अधिनियम, 1982

- मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश एवं परिपत्र
- संबंधित कण्डिकाओं के परिपेक्ष में सुसंगत अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को दर्शाया गया है।

6.2.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग पंजीयन विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में किये गये सहयोग को स्वीकार करता है।

6.2.7 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान मुद्रांक एवं पंजीयन फीस की वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि से संबंधित कुल कर प्राप्तियों सहित तालिका 6.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.2

(₹ करोड़ में)						
वर्ष	पुनरीक्षित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिकता (+)/कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक कर प्राप्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
2009-10	1560.00	1783.15	(+) 223.15	(+) 14.30	17272.77	10.32
2010-11	1900.00	2514.27	(+) 614.27	(+) 32.33	21419.33	11.74
2011-12	2000.00	3284.41	(+) 1284.41	(+) 64.22	26973.44	12.18
2012-13	3200.00	3944.24	(+) 744.24	(+) 23.26	30581.70	12.90
2013-14	4000.00	3389.99	(-) 610.01	(-) 15.25	32342.12	10.52

(स्रोत: मध्य प्रदेश शासन का बजट अनुमान एवं वित्त लेखे)

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013-14 में विभाग बजटीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। यद्यपि वर्ष 2012-13 में भिन्नता का प्रतिशत (+) 23.26 प्रतिशत रहा, किन्तु वर्ष 2013-14 में यह ₹ 610.01 करोड़ कम हुआ जो कि बजट अनुमान का 15.25 प्रतिशत था। विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण में कमी का कारण विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण में कमी का कारण माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (ग्वालियर बेंच) के जनहित याचिका

(जुलाई 2010) पर जारी आदेश तथा विश्वव्यापी मंदी के कारण कम संख्या में दस्तावेजों के पंजीयन को बताया।

उक्त राजस्व संग्रहण में कमी के कारण को मान्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसे कई अन्य कारण हैं जिन्हें इस प्रतिवेदन में प्रक्रिया और अनुपालन के मुद्दों में सम्यक रूप से प्रमुखता से दर्शाया गया है।

6.2.8 राजस्व का बकाया

पंजीयन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के बकाया की स्थिति तालिका 6.3 में दी गई है।

तालिका 6.3

(₹ करोड़ में)					
वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	योग	वर्ष के दौरान वसूली	अंतः शेष
1	2	3	4	5	6
2009.10	62.74	19.99	82.73	15.63	67.10
2010.11	67.10	23.35	90.45	18.28	72.17
2011.12	72.17	19.46	91.63	19.25	72.38
2012.13	72.38	33.44	105.82	20.50	85.32
2013.14	85.32	60.27	145.59	30.68	114.91

(स्रोत: विभाग से प्राप्त जानकारी)

बकाया राशि को कम करने के लिये विभाग के पास कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं था।

हम अनुसंशा करते हैं कि विभाग द्वारा सभी मैदानी इकाइयों द्वारा वसूली हेतु लक्ष्य निर्धारित कर बकाया राशि को कम करने के लिये उचित कार्यवाई की जानी चाहिये।

6.2. 9 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

निष्पादन लेखापरीक्षा में अधिनियम के प्रावधानों, नियमों के अनुपालन एवं प्रक्रियाओं के अनुसरण में कई कमियां पाई गईं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

6.2.10 खनन पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

6.2.10.1 औसत वार्षिक राज्यांश का गलत निर्धारण

मध्य प्रदेश शासन, खनिज संसाधन विभाग के अनुदेशों (मार्च 1993) के अनुसार, नये खनिज पट्टों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस पर औसत वार्षिक राज्यांश पर आरोपणीय है जिसकी गणना, खनिज पट्टे हेतु आवेदन में दर्शायी गई मात्रा या माइनिंग प्लान में दी गई उत्पादन मात्रा जो भी अधिक हो, के आधार पर की जायेगी।

उप पंजीयक कार्यालय, सतना तथा सिंगरौली के पंजीकृत विलेखों की नमूना जांच में एवं संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालयों से एकत्रित जानकारी के अनुसार हमने देखा कि 20 से 30 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टों को स्वीकृत करते समय पट्टा विलेख उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार सम्पूर्ण पट्टा अवधि हेतु प्रस्तावित उत्पादन के औसत के बजाय माइनिंग प्लान में दर्शाये गये प्रथम पांच वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर निष्पादित/पंजीकृत किये गये थे (सितम्बर 2011 तथा मार्च 2014 के मध्य) चूनापत्थर और कोयला के पट्टेदारों ने आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 85.97 करोड़ के विरुद्ध ₹ 54.23 करोड़ का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.74 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम आरोपण/वसूली हुई। उप पंजीयक कार्यालय सोहागपुर के अन्य प्रकरण में यह पाया गया कि मुद्रांक शुल्क पर उपकर पांच प्रतिशत की दर से आरोपित नहीं किया गया। जिससे राजस्व ₹ 16.04 लाख की कम वसूली हुई। (परिशिष्ट –XIV)

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, उप पंजीयक सोहागपुर तथा सिंगरौली द्वारा बताया गया (फरवरी एवं मार्च 2014 के मध्य) कि वसूली के लिये कार्यवाही की जायेगी एवं उप पंजीयक सतना ने बताया (जून 2014) कि प्रकरण का निराकरण कलेक्टर आफ स्टाम्पस द्वारा किया गया, तदनुसार विलेख पंजीकृत किया गया था।

उप पंजीयक सतना का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि कलेक्टर आफ स्टाम्पस को प्रथम पांच वर्षों के औसत उत्पादन के स्थान पर सम्पूर्ण पट्टा अवधि के औसत उत्पादन पर शुल्क की गणना की जानी थी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि निर्धारित मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस के आरोपण हेतु खनिज विभाग तथा मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड से चर्चा की जायेगी।

6.2.10.2 रेत खदानों के उप पट्टेदारों द्वारा ठेका पट्टों का पंजीयन न कराया जाना

मध्य प्रदेश शासन, खनिज संसाधन विभाग द्वारा मार्च 1993 जारी अनुदेशों के अनुसार, मुद्रांक शुल्क के आरोपण हेतु संविदा राशि की सम्पूर्ण राशि को प्रीमियम माना जायेगा। आगे, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 33(ब) के अनुसार जब पट्टा प्रीमियम पर दिया जाता है तो हस्तांतरण के समान शुल्क प्रभार्य है। इसके अतिरिक्त, भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के अनुसार, मुद्रांक शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस प्रभारित की जायेगी।

जिला खनिज कार्यालयों ग्वालियर एवं होशंगाबाद में मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड (म.प्र.रा.ख.नि.लि.) को स्वीकृत पट्टों की एकत्रित जानकारी में पता चला कि मार्च 2013 में निगम ने छ: ठेकेदारों से ₹ 94.09 करोड़ में दो वर्षों के लिये खनिज पट्टों का अनुबंध किया। इस संविदा में, मुद्रांक शुल्क ₹ 4.70 करोड़ तथा पंजीयन फीस ₹ 3.53 करोड़ आरोपणीय एवं वसूली योग्य था। तथापि, म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर संविदा निष्पादित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.23 करोड़ की कम वसूली हुई। (परिशिष्ट – xv)

यह एक रोचक तथ्य है कि खनिज निगम एक शासकीय उपक्रम होते हुये भी निजी ठेकेदारों से उप पट्टा अनुबंध में शासन के राजस्व हितों की सुरक्षा करने में असफल रहा।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि निर्धारित मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस के आरोपण हेतु खनिज विभाग तथा मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड से चर्चा की जायेगी।

हम अनुशांसा करते हैं कि शासन ऐसी आवधिक विवरणियाँ निर्धारित करे जिसके द्वारा लोक कार्यालय, जिला पंजीयको को उन दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध करायें जिसके द्वारा जिसमें मुद्रांक शुल्क नहीं दिया गया है, जिससे कि मुद्रांक शुल्क की हानि को रोका जा सके।

6.2.11 मोबाइल टावर के पट्टा विलेखों का निष्पादन एवं पंजीयन न होना।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 33 में निर्धारित दरों के अनुसार पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क आरोपित करने के प्रावधान है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार एक वर्ष से अधिक की किसी भी अवधि के पट्टा विलेखों का पंजीयन अनिवार्य है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 में प्रावधान है कि

प्रत्येक लोक अधिकारी का यह दायित्व है कि वह ऐसे प्रकरणों को जो सम्यक रूप से मुद्रांकित नहीं है को परिबद्ध करें और अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करें। पंजीयन विभाग के कार्यकारी अनुदेश की कंडिका 469 के अनुसार, जिला पंजीयक को चाहिए कि वह लोक कार्यालयों के अभिलेखों की जांच करें कि क्या उनमें मुद्रांक शुल्क सही प्रकार से चुकाया गया है तथा जिन दस्तावेजों का पंजीयन अनिवार्य है वे उपपंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं।

चार नगर निगमों/नगर पालिकाओं² से जानकारी एकत्रित करने पर पाया गया कि कुल 455 प्रकरणों में नगर निगम/नगरपालिका द्वारा मोबाइल टावरों की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये। इन प्रकरणों में मोबाइल कंपनी द्वारा भूस्वामियों से मोबाइल टावर स्थापित करने हेतु एक वर्ष से लेकर 30 वर्ष की अवधि हेतु भूमि पट्टे पर ली गई। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अंतर्गत इन पट्टा विलेखों का पंजीयन अनिवार्य था। हमने पाया कि ये पट्टा अनुबंध प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 के मुद्रांक पत्रों पर निष्पादित किये गये थे तथा उनका पंजीयन भी नहीं कराया गया था। कुल 455 प्रकरणों में से लेखापरीक्षा द्वारा 44 प्रकरणों की नमूना जांच की गई जो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये जिसके परिणाम स्वरूप इन प्रकरणों में ₹ 13.92 लाख के मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण तथा पंजीयन फीस का अनारोपण हुआ। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जिला पंजीयक, होशंगाबाद द्वारा नगरपालिका निगम होशंगाबाद का निरीक्षण किया परंतु मोबाइल टावरों के पट्टा अभिलेखों के पंजीयन बावत् कोई आपत्ति नहीं ली। जिला पंजीयक छिंदवाड़ा ने बताया (जून 2014) कि नगरपालिकाओं का निरीक्षण जिला पंजीयक के निरीक्षण रोस्टर में सम्मिलित था, किन्तु कोई निरीक्षण नहीं किया गया, जबकि जिला पंजीयक, जबलपुर द्वारा लोक कार्यालयों के निरीक्षण सम्बन्धी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा बताया गया (अगस्त 2014) कि विषय नगर निगमों/नगरपालिकाओं की सलाह से सुलझाया जायेगा।

हम अनुशंसा करते हैं कि राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए अन्य निकायों/विभागों द्वारा समय पर सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु आवश्यक सामंजस्य स्थापित किया जाये।

² छिन्दवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर, और पाण्डुरना

6.2.12 गलत दर का लागू करना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 5(घ) के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2011 तक भूमि के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न व्यक्ति द्वारा भूमि के विकास या उस भूमि पर भवन निर्माण से संबंधित अनुबंध की लिखितों पर ऐसी भूमि के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत दर प्रभाय था। अनुच्छेद 5(घ) को दिनांक 1 अप्रैल 2011 से संशोधित किया गया, जिसके अनुसार अनुबंध में उल्लेखित प्रस्तावित निर्माण या विकास के अनुमानित मूल्य के बराबर बाजार मूल्य पर तीन प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क प्रभाय है। आगे राज्य शासन द्वारा आवासीय कालोनी के विकास के प्रयोजन के संबंध में अनुबंध की लिखितों पर मुद्रांक शुल्क की दर दिनांक 1 अप्रैल 2012 से घटाकर एक प्रतिशत की गई।

हमने उप पंजीयक कार्यालय छिंदवाड़ा तथा ग्वालियर-1 में कुल 16483 लिखितों में से 1650 लिखितों की नमूना जांच की तथा पाया कि निर्माण अनुबंधों की अगस्त 2012 और नवम्बर 2013 के बीच पंजीकृत पांच लिखितें भू-स्वामी तथा बिल्डर के मध्य निष्पादित की गई, अनुबंधों में निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 16.81 करोड़ उल्लेखित थी तथा उस पर तीन प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क ₹ 50.44 लाख आरोपणीय था। फिर भी हमने पाया कि अनुबंध में उल्लेखित निर्माण की अनुमानित लागत पर एक प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क ₹ 16.81 लाख आरोपित किया गया। गलत दर के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 33.63 लाख के मुद्रांक शुल्क की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर उप पंजीयक छिंदवाड़ा द्वारा एक प्रकरण के बारे में बताया गया (जून 2014) कि विकास अनुबंध पर एक प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है। जबकि शेष चार प्रकरणों के बारे में उप पंजीयक ग्वालियर द्वारा बताया गया (जुलाई 2014) कि प्रकरणों को मुद्रांक संग्राहक को सम्पत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण तथा उस पर देय शुल्क अवधारण हेतु संदर्भित किया जायेगा।

उप पंजीयक छिंदवाड़ा का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि यह अनुबंध निर्माण कार्य हेतु निष्पादित थे जिन पर तीन प्रतिशत की दर शुल्क आरोपणीय था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि विस्तृत जांच कर कार्यवाही की जायेगी।

6.2.13 बाजार मूल्य का गलत निर्धारण।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47-ए के अंतर्गत, यदि पंजीयन अधिकारी किसी विलेख या पंजीयन करते समय यह पाता है कि उल्लिखित संपत्ति का बाजार मूल्य उस बाजार मूल्य से कम है जो बाजार मूल्य गाइडलाइन में दर्शाया गया है, तो उसे ऐसे विलेख या पंजीयन के पूर्व ऐसी संपत्ति के सही बाजार मूल्य और उस पर आरोपणीय शुल्क के निर्धारण के लिए कलेक्टर को संदर्भित कर देना चाहिए। जुलाई 2004 में जारी विभागीय अनुदेशों के अनुसार उप पंजीयक कार्यालयों द्वारा संपत्तियों के सही बाजार मूल्य एवं उस पर आरोपणीय शुल्क के निर्धारण हेतु कलेक्टर को संदर्भित किए गये प्रकरणों के निवारण हेतु तीन माह की अधिकतम अवधि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, संपत्ति के बाजार मूल्य की गणना बाजार मूल्य गाइडलाइन में निर्धारित दरों एवं प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इसके अतिरिक्त, संपत्ति के बाजार मूल्य, मूल्य के दिशा निर्देशों में निर्धारित दरों और प्रावधानों के अनुसार गणना की जाती है।

6.2.13.1 हमने अप्रैल 2009 और मार्च 2014 के मध्य 13 उप-पंजीयक कार्यालयों³ में उप पंजीयकों द्वारा संदर्भित प्रकरणों की पंजी से अवलोकित किया कि संपत्तियों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए उप पंजीयकों द्वारा 668 प्रकरण मुद्रांक संग्राहक को संपत्तियों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए संदर्भित किये गये। इनमें से 353 प्रकरण को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, हालांकि निर्धारित अवधि के बाद 57 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात भी निराकृत नहीं किये गये थे। इन प्रकरणों में, उप पंजीयकों द्वारा आंकलित बाजार मूल्य के आधार पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस राशि ₹ 12.30 करोड़ वसूली योग्य था।

हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने पर, उप पंजीयकों ने मार्च तथा जुलाई 2014 के मध्य बताया कि प्रकरणों के शीघ्र निवारण हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प से अनुरोध किया जायेगा।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि विस्तृत जांच की जायेगी।

हम अनुशांसा करते हैं कि शासन को निगरानी तंत्र विकसित करने हेतु विचार किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रांक संग्राहक द्वारा धारा 47-ए के अधीन निर्णीत प्रकरणों में कोई भी अनुचित विलम्ब नहीं होना चाहिए।

³ भोपाल-I, भोपाल-II, बिना, छिन्दवाड़ा, दिपालपुर, गुन्नौर, ग्वालियर-I, इन्दौर-II, इन्दौर-III, जबलपुर-I, खुरड, सतना, और सोहागपुर

6.2.13.2 हमने जून 2010 तथा मार्च 2014 के मध्य आठ उप पंजीयक⁴ कार्यालयों में कुल 81,895 लिखतों में से 8,247 लिखतों की नमूना जांच कर अवलोकित किया कि उक्त अवधि में पंजीबद्ध हुए 47 विलेखों में, पंजीकृत मूल्य ₹ 38.03 करोड़ के विरुद्ध गाइडलाईन के अनुसार बाजार मूल्य ₹ 56.32 करोड़ था। उप पंजीयक ने संपत्तियों का सही बाजार मूल्य तथा उस पर आरोपणीय शुल्क के निर्धारण हेतु इन विलेखों को कलेक्टर को संदर्भित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.32 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का तालिका 6.4 में दर्शाये अनुसार कम आरोपण हुआ।

तालिका 6.4

(₹ लाख में)					
सं.	उपपंजीयक कार्यालयों/ विलेखों की संख्या।	पंजीयन अवधि	अनियमितताओं की प्रकृति	आरोपणीय/आरोपित मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण
1	2	3	4	5	6
1.	7/25	06/2010 तथा 02/2014 के मध्य	गाइडलाईन में भू-सम्पत्ति जो कि नगरनिगम सीमा/शहरी विशिष्ट ग्रामों से संबंधित निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना।	252.86/174.67	78.19
2.	4/9	04/2013 तथा 03/2014 के मध्य	गाइडलाईन में सम्पत्ति जो सड़क किनारे अथवा कार्नर प्लेटों पर निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना।	88.22/56.75	31.47
3	6/13	01/2010 तथा 2/2014 के मध्य	गाइडलाईन में मकान/भू-खण्ड सम्पत्तियों के सम्बंध में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना।	87.20/64.78	22.42
योग	17/47			428.28/296.20	132.08

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, तीन उप पंजीयकों⁵ ने (अप्रैल तथा जुलाई 2014 के मध्य) नौ विलेखों के संबंध में बताया कि सम्पत्तियों का मुल्यांकन सही किया गया था और उप पंजीयक इन्दौर-III ने बताया (मई 2014) कि चार विलेखों के संबंध शुल्क का

⁴ भोपाल-I, भोपाल-III, ग्वालियर-I, इन्दौर-III, नरसिंहपुर, पन्ना, सतना एवं सोहागपुर (शहडोल)

⁵ भोपाल-I, भोपाल-III तथा ग्वालियर-I

नियमानुसार सही आरोपण किया गया था। उत्तर अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों तथा बाजार मूल्य मार्गदर्शिका (गाइडलाइन)के प्रावधानों के विरुद्ध था चूंकि कुछ प्रकरणों में गाइडलाइन में दर्शित दरों के अनुसार भूमि का मूल्यांकन नहीं किया था। अथवा अन्य विचारणीय तथ्य जो कि भूमि का मूल्यांकन जैसे कि भू-खण्ड जो कि कार्नर पर स्थित था अथवा नलकूपों का मूल्य तथा बाउंड्री बॉल की भूमि के मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया गया था। शेष 34 विलेखों के संबंध में संबंधित उप पंजीयकों ने (मार्च तथा जुलाई 2014 के मध्य) बताया कि प्रकरणों को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को संदर्भित किया जायेगा एवं आवश्यक कार्यवाई की जायेगी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि विस्तृत जांच की कार्यवाही की जायेगी।

6.2.13.3 अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य के निर्धारण के संबंध में पंजीयन विभाग प्रतिवर्ष गाइडलाइन जारी करता है। जिला पंजीयक, छिन्दवाड़ा द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, शहरी क्षेत्र एवं ग्रामों के समीप क्षेत्र की कृषि भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के प्रावधान में पैराग्राफ 4 में दिये गये थे।

उप पंजीयक, पाण्डुरना, वर्ष 2009-10 से 2013-14 के अतिरिक्त बुक-I से संबंधित अभिलेखों (अचल सम्पत्ति के अंतरण से संबंधित मुद्रित विलेखों/स्थायी प्रकार के अभिलेख सन्निष्ठित) की जांच के दौरान यह देखा गया कि ऐसे दस्तावेज जो कि विशिष्ट ग्रामों के अन्तर्गत थे, वह उचित रूप से गाइड लाइन के पैराग्राफ 4 में निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्पित नहीं थे। नमूना जांच लेखा परीक्षा में 215 प्रकरणों में से 15 प्रकरणों में उपर्युक्त प्रावधानों को लागू नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.61 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयक फीस की कम प्राप्ति हुई। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के मध्य पंजीकृत किये गये सभी प्रकरण जो कि विशिष्ट ग्रामों से संबंधित थे, की पुनः जांच की जानी चाहिए तथा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली नियमानुसार की जानी चाहिए थी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि उपयुक्त कार्यवाही की जावेगी।

6.2.14 मुख्तारनामा के विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची-I के अनुच्छेद 45 (घ) के अनुसार जब मध्य प्रदेश में स्थित किसी अचल सम्पत्ति का एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए विक्रय, दान विनिमय या स्थायी रूप से संक्रांत करने हेतु बिना प्रतिफल के किसी अभिकर्ता को प्रधिकृत करते हुए मुख्तारनामा दिया जाता है तो ऐसे विलेखों पर ₹ 1000 का शुल्क (मार्च 2011 तक ₹ 100) प्रमाणीय है। पुनश्च, जब ऐसे अधिकार प्रतिफल सहित या बिना प्रतिफल के एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रदान किये जाते हैं या जब यह अप्रतिसंहरणीय आशायित नहीं हो तो ऐसे विलेखों पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण के समान शुल्क प्रभारणीय है।

हमने उप-पंजीयक के पांच कार्यालयों में⁶ 42,525 प्रकरणों में से 4,325 प्रकरणों की नमूना जांच तथा पंजीकृत/निष्पादित के 13 विलेखों में पाया कि जुलाई 2010 तथा मार्च 2014 के मध्य अचल सम्पत्ति जिसकी मूल्य ₹ 4.44 करोड़ संबंधित वर्षों की गाइडलाईन के अनुसार या कोई स्थायी रूप से संक्रांत करने का अधिकार प्रदान किया गया था। 6 प्रकरणों में मुख्तारनामा अनिश्चित अवधि के लिए दिया गया था, दो प्रकरणों में सम्पत्ति पहले से ही विकृति थी एवं शेष 5 प्रकरणों उपरोक्त में मुख्तारनाम अप्रतिसंहरणीय था। इन प्रकरणों में, उपरोक्त प्रावधान के अनुसार ₹ 28.71 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपणीय था। लेकिन हमने इन सभी प्रकरणों में पाया कि विलेखों में शुल्क एवं फीस के रूप में ₹ 0.13 लाख आरोपित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.58 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

⁶ भोपाल-I, भोपाल-III, गुन्नौर, पन्ना, एवं सोहागपुर (शहडोल)

हमारे द्वारा अप्रैल तथा जुलाई 2014 के मध्य प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद संबंधित उपपंजीयकों ने बताया कि प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को सम्पत्तियों का बाजार मूल्य के अनुसार निर्धारण तथा उस पर देय शुल्क अधिरोपित करने हेतु संदर्भित किये जायेंगे।

आगे निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग ने बताया कि उपयुक्त कार्यवाई की जायेगी।

6.2.15 गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, के अंतर्गत विलेखों पर उनके उपवर्णनों के अनुसार अनुसूची-1-क या शासन द्वारा अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित दरों पर मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है। विभागीय अनुदेशों (सितम्बर 2005) के अनुसार, विक्रय अनुबंध निर्मुक्ति तथा व्यवस्थापन के रूप में लिखे गये विलेखों पर हस्तांतरण विलेख की दर से शुल्क प्रभार्य होगा, यदि अनुदेशों में वर्णित शर्तों की पूर्ति नहीं की गयी है तथा विलेखों में निर्धारित प्रविष्टियों का उल्लेख नहीं किया गया है।

हमने नौ उप पंजीयक कार्यालयों⁷ में पंजीकृत विलेखों में से कुल 79,273 विलेखों में से 7,988 विलेखों की नमूना जाच में पाया कि 25 प्रकरणों में दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण किये जाने के परिणामस्वरूप तालिका 6.5 विवरणानुसार ₹ 93.33 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

तालिका 6.5

(₹ लाख में)				
सं.	प्रकरणों की संख्या/ अवधि जिसके मध्य पंजीबद्ध हुए	अनियमितताओं की प्रकृति	आरोपणीय/आरोपित मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	कम आरोपित मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस
1	2	3	4	5
1.	09 /जुलाई 2011 तथा मार्च 2014	कब्जे के उल्लेख के बिना विक्रय अनुबंध को कब्जा रहित विक्रय अनुबंध माना जाना	60.94/9.11	51.83

⁷ भोपाल-I, भोपाल-III, ग्वालियर-I, इन्दौर-II, खरगौन, महेद्वर, नागदा, सोहागपुर तथा विदिशा।

2.	04 /जून 2010 तथा मार्च 2013	योग बंधक विलेख ⁸ को सामान्य बंधक माना गया।	20.12/5.09	15.03
3	07/ अप्रैल 2013 तथा मार्च 2014	दान विलेख को सह-स्वामित्व विलेख माना गया	22.61/6.00	16.61
	05/ अप्रैल 2013 तथा मार्च 2014	दान विलेख करे निर्मुक्त विलेख माना गया।	25.36/15.50	9.86
योग	25 प्रकरण		129.03/35.70	93.33

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, उप-पंजीयक, खरगौन ने बताया प्रकरणों के उचित मूल्यांकन हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को संदर्भित किये जायेगे। तदोपरांत जून 2014 में बताया कि पांच प्रकरणों को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के द्वारा पंजीबद्ध किया जा चुका था तथा अग्रिम निर्णय प्रतिक्षित है जबकि एक प्रकरण में राशि ₹ 2.78 लाख की वसूली मार्च 2014 में की चुकी थी। उप पंजीयक भोपाल-I, भोपाल-II, इन्दौर-II, तथा सोहागपुर में 12 प्रकरणों के संबंध में बताया कि सम्पतियों के बाजार मूल्य के निर्धारण तथा शुल्क की वसूली हेतु प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को संदर्भित किये जायेंगे, जबकि दो प्रकरणों में उप पंजीयक नागदा एवं विदिशा ने बताया कि आवश्यक कारवाई की जायेगी। एक प्रकरण में उप पंजीयक भोपाल ने बताया कि कार्य की अधिकता के कारण कमियां पाई गई। उप पंजीयक भोपाल के दो प्रकरणों के संबंध में मुद्रांक संग्राहक ने उप पंजीयक को उपर्युक्त प्रकरणों को उनके जांच हेतु प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया। एक प्रकरण में उप पंजीयक महेश्वर ने बताया कि शुल्क का प्रभार्य सही था। शेष एक प्रकरण के संबंध में उप पंजीयक ग्वालियर ने बताया कि निष्पादक सह-स्वामी थे।

उपपंजीयक, महेश्वर के उत्तर स्वीकारयोग्य नहीं है, क्योंकि दान विलेख को निर्मुक्त विलेख माना जा कि सही नहीं था, क्योंकि निर्मुक्त केवल शेष सभी सह-स्वामियों के पक्ष में ही की जा सकती है। इस प्रकरण में चार सह-स्वामी थे, जिनमें से एक सह-स्वामी द्वारा अपने अंश की सम्पत्ति को एक सह-स्वामी के पक्ष में त्याग किया गया। चूंकि सम्पत्ति शेष सभी सह-स्वामियों के पक्ष में निर्मुक्त नहीं की गई, अतः सम्पत्ति के अंतरण को दान मानकर

⁸ भोगबंधक वह बंधक है जिसमें हितग्राही सम्पत्ति पर कब्जा किए रहता है और वह सभी लाभ को प्राप्त करने का बंधक के वैध रहने तक के लिए हकदार है।

मुद्रांक शुल्क आरोपणीय था। उपपंजीयक, ग्वालियर के उत्तर स्वीकारयोग्य नहीं है क्योंकि दस्तावेज में यह उल्लेख नहीं किया गया कि दोनों निष्पादक सह-स्वामी नहीं थे।

यद्यपि, निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2014) के दौरान प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग ने बताया कि उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

6.2.16 विलेखों के पंजीयन में विलंब के कारण शासन का राजस्व अवरूद्ध

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 में प्रावधान है कि प्रत्येक लोक अधिकारी का यह दायित्व है कि वह ऐसे प्रकरणों को जो सम्यक रूप से मुद्रांकित नहीं हैं को परिबद्ध करें और अधिनियम की धारा 38 के अधीन के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करें आगे, अधिनियम की धारा 35 (च) में प्रावधान है कि कोई ऐसी लिखित जो विनिमयपत्र का वचनपत्र नहीं है सभी अपवादी के अधीन रहते हुए, प्रभार्य शुल्क का भुगतान किये जाने पर या अपर्याप्त मुद्रांकित लिखत के प्रकरण में, आवश्यक शुल्क राशि चुकाये जाने पर प्रमाणिकृत या पंजीकृत किये जायेंगे। महानिरीक्षक पंजी के परिपत्र (जनवरी 2013) के अनुसार असम्यक मुद्रांकित लिखतों को अगले दिन के लिए लंबित नहीं रखा जायेगा।

हमने चार उपपंजीयक कार्यालयों⁹ में जून एवं जुलाई 2014 में अवलोकित किया कि कुल 78,098 लिखतों में से 7,817 लिखतों की नमूना जांच की और नवम्बर 2008 तथा दिसम्बर 2013 में पंजीकृत 47 लिखतों में पाया कि इन प्रकरणों में ₹ 6.84 करोड़ मुद्रांक शुल्क आरोपणीय था। फिर भी यह प्रकरण मात्र ₹ 37.39 लाख के मुद्रांक पत्र पर प्रस्तुत किये गये। उपपंजीयक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह या तो धारा 35 (च) के अधीन कम शुल्क के मुद्रांक संलग्न कराने हेतु सहमत हो या अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत लिखत को परिबद्ध करें। हमने पाया कि इन प्रकरणों को अवधि एक माह से लेकर पांच वर्ष की अवधि हेतु अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया। जिसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के लिए मुद्रांक शुल्क ₹ 6.46 करोड़ एवं पंजीयन फीस ₹ 78.76 लाख कुल ₹ 7.25 करोड़ के रूप में शासकीय राजस्व अवरूद्ध रहा।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर उप पंजीयक इंदौर-I द्वारा बताया गया कि पंजीयन फीस अप्राप्त होने पर विलेख लंबित रखे गये, जबकि उप पंजीयक भोपाल-1 एवं ग्वालियर-1

⁹ भोपाल-I, ग्वालियर-I इन्दौर - I और इन्दौर-III

द्वारा बताया गया कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 (च) के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क की वसूली की कोई समय सीमा निष्पादित नहीं है।

उप पंजीयक इन्दौर-I का उत्तर स्वीकारयोग्य नहीं है क्योंकि उप पंजीयक को पंजीयन फीस के बिना विलेखों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, जबकि उप पंजीयक भोपाल-I एवं ग्वालियर-I के उत्तर भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों के विपरीत होने से स्वीकारयोग्य नहीं है। तथा महानिरीक्षक पंजीयक के आदेश (जनवरी 2013) में भी यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अपर्याप्त मुद्रांकित या न्यून मुद्रांकित विलेखों को अगले दिन के लिए भी लंबित न रखा जाये।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा बताया (अगस्त 2014) गया कि उपयुक्त कार्यवाही की जावेगी।

6.2.17 मुद्रांक शुल्क का कम अधिरोपण तथा आदिवासियों की हितों की रक्षा में विफलता

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) के अनुसार आदिमजाति के भू-स्वामी के अधिकार खंड (एक) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऐसी जनजाति का न हो कलेक्टर की पद श्रेणी से अभिन्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की ऐसी अनुज्ञा के बिना, जो कि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, विक्रय द्वारा या अन्यथा किसी सव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अंतरित किया जायेगा और न ही अंतरणीय होगा।

हमने विभाग के कुल 61,583 प्रकरणों में से कुल 6,165 प्रकरणों की नमूना जाँच की और पाया कि तीन उप-पंजीयक कार्यालयों¹⁰ में चार प्रकरणों में आदिवासी व्यक्ति की जमीन गैर आदिवासी व्यक्ति को बेची गई। संबंधित जिला कलेक्टरों ने आदेश दिये थे कि जमीन का विक्रय प्रतिफल विद्यमान बाजार मूल्य मार्गदर्शिका से कम नहीं होगा एवं क्रेता जमीन का मूल्य का भुगतान उप-पंजीयक के समक्ष, चेक/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा करेंगे। लेकिन, उप-पंजीयकों ने इन प्रकरणों में कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना की जिसके परिणामस्वरूप आदिवासी व्यक्तियों की ₹ 11.24 करोड़ के मार्गदर्शिका मूल्य की जमीन

¹⁰ भोपाल-I, ग्वालियर-I इन्दौर - I

₹ 3.60 करोड़ के प्रतिफल में विक्रय की गई। इससे न केवल ₹ 21.49 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम अधिरोपण हुआ अपितु उप-पंजीयक मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 165 में निहित आदिवासी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के अपने दायित्व में विफल रहे जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासी व्यक्तियों को ₹ 7.64 करोड़ की वित्तीय हानि हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर उप-पंजीयक भोपाल-I एवं ग्वालियर-I प्रत्येक दो प्रकरणों के संबंध में बताया कि प्रकरण सम्पत्तियों के बाजार मूल्य एवं उस पर शुल्क की गणना के लिये मुद्रांक कलेक्टर के पास भेजे जायेंगे। जबकि एक प्रकरण पर उप-पंजीयक ग्वालियर ने उत्तर दिया कि दस्तावेजों के लिखत के आधार से अन्यथा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता तथा इस उद्देश्य से अन्य दस्तावेजों की जांच नहीं कि जा सकती है। उप-पंजीयक इन्दौर-I ने उत्तर दिया कि जमीन का मूल्यांकन 2010-11 के लिये जारी मार्गदर्शिका के आधार पर किया गया है।

उप-पंजीयक ग्वालियर का उत्तर अमान्य है क्योंकि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 165 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। यद्यपि उप-पंजीयक, ग्वालियर ने एक प्रकरण, मुद्रांक कलेक्टर को संदर्भित किया था तब यही मापदण्ड दूसरे प्रकरण में भी अपनाया जाना चाहिये था। उप-पंजीयक, इन्दौर-I का उत्तर अमान्य है, क्योंकि, दस्तावेजों का पंजीयन 2012-13 में हुआ था लेकिन उप-पंजीयक ने उन्हें 2010-11 की मार्गदर्शिका के आधार पर मूल्यांकित किया था।

निर्गम समागम के दौरान प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग ने कहा (अगस्त 2014) कि प्रकरण में कार्यवाही की जायेगी।

6.2.18 विकासकर्ता अनुबंध विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण।

मुद्रांक शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 5(घ) के अंतर्गत निर्धारित दर से विलेख में उल्लिखित प्राक्कलित विकास एवं निर्माण व्यय के आधार पर प्रभारित किया जाता है। मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम तथा मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत निगम के नियम 2 में प्रावधान है कि विकास व्यय वह व्यय है जो समक्ष प्राधिकारी (नगर निगम कमिश्नर/अनुविभागीय अधिकारी) के अनुमोदन से उसमें निर्धारित मानको के अनुसार भूमि को विकसित करने में किया जाता है। इस तरह के मानदण्ड भोपाल और इन्दौर नगर पालिका निगम में ही उपलब्ध थे। अप्रैल 2013 में जारी एक विभागीय निर्देश के अनुसार, जहाँ

भूमिविकसित करने के अधिकार डेवलपर के दिये गये है, विकास अनुबंध के लिखत पर हस्तांतरण मानकर शुल्क वसूला जायेगा।

6.2.18.1 पांच कार्यालयों¹¹ के अभिलेखों की समीक्षा में हमने ₹ 53,086 विलेखों में से 5,314 विलेखों की जांच में पाया किया 24 विकास अनुबंध विलेख भूमि स्वामी एवं भूमि विकासकर्ता के मध्य फरवरी 2013 एवं मार्च 2014 के दौरान पंजीकृत हुए। इन विलेखों की नगर निगम/एम.पी.एच.बी. की दरों के अनुसार अनुमानित विकास व्यय की राशि ₹ 337.11 करोड़ थी। तदनुसार ₹ 8.41 करोड़ मुद्रांक शुल्क एवं ₹ 2.70 करोड़ की राशिकर्ता/कालोनाइजर्स के विलेखों में दी गई विकास व्यय की राशि के आधार पर मुद्रांक शुल्क ₹ 1.35 करोड़ एवं पंजीयन शुल्क ₹ 41.95 लाख की ही वसूली की गई। परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में ₹ 9.33 करोड़ की राशि का कम आरोपण हुआ।

6.2.18.2 जून 2014 में उप पंजीयक जबलपुर के अभिलेखों में हमने पाया कि भूमि के विकास हेतु एक संयुक्त उपक्रम विलेख फरवरी 2014 में निष्पादित हुआ। विलेख के उपबन्धों के अनुसार भूमि के विक्रय का अधिकार विकासकर्ता को अंतरिक किये गये थे। यह विलेख को हस्तांतरण विलेख मानते हुए ₹ 15.67 लाख मुद्रांक एवं पंजीयन फीस आरोपणीय था। हमने पाया कि इस विलेख पर ₹ 2.95 लाख की राशि मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की गई। परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में ₹ 12.72 लाख की राशि कम आरोपित की गई।

हमारे द्वारा इंगित करने पर उप पंजीयक (जून 2014) ने बताया कि मुद्रांक संग्राहक को संदर्भित किये जाएंगे।

6.2.18.3 विकास अनुमति प्रकरणों की समीक्षा में एक प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सतना (जून 2014) में हमने पाया कि भूमि के विकास की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सतना द्वारा अगस्त 2013 में दी गई थी। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड (एम. एच.बी.) की दरों के अनुसार अनुमानित विकास व्यय की राशि ₹ 12.80 करोड़ आंकलित की गई। हमने पाया कि विकास एवं निर्माण से संबंधित विलेख न तो निष्पादित और न ही पंजीकृत किये गये परिणामस्वरूप ₹ 23.05 लाख की राशि का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में आरोपित नहीं की गई।

¹¹ भोपाल-I, जबलपुर-I, खरगोन, सतना और विदिशा

हमारे द्वारा इंगित करने पर उप पंजीयक ने (जून 2014) में बताया कि विलेख पंजीयन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला पंजीयक ने (जून 2014) में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सतना को अनुबंध विलेख को पंजीकरण कराने हेतु निर्देशित किया।

आगे निर्गम सम्मेलन में प्रधान सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग ने (अगस्त 2014) में बताया कि प्रकरण इस तरह से हल किया जावेगा। जिससे कि शासकीय राजस्व के हितों की रक्षा की जा सके।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन द्वारा मुद्रांक शुल्क के आरोपण के उद्देश्य विकास विलेखों के लिए दरे निर्धारित करने हेतु विचार किया जाना चाहिए था इस उद्देश्य हेतु म.प्र. हाउसिंग बोर्ड की प्रचलित दरों को पूरे राज्य में मान्य की जाए।

6.2.19 कालोनाइजर्स/विकासकर्ताओं द्वारा निष्पादित बंधक विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्राप्ति न होना। कम प्राप्ति।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1(क) के अनुच्छेद 38(ख) सहपठित शासन की अधिसूचना (सितम्बर 2007) तथा म.प्र. पंचायत राज्य अधिनियम, 1993 की धारा 75 में बंधक विलेख (कब्जा रहित) पर ऐसे विलेख द्वारा प्रत्याभूति राशि के एक प्रतिशत की दर से शुल्क के आरोपण का प्रावधान है। इसके पंचायत नियमों के नियम 12 के अंतर्गत प्रत्येक कालोनाइजर को उपरोक्त नियमों निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि को विकसित करना होता है। तथा भूमि के विकास पर व्यय के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में बंधक रखना होते हैं। ऐसे प्रकरणों में विकास व्यय जिस पर 25 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार विकासकर्ताओं से वसूल किया जाता है, प्रत्याभूति राशि होगी। साथ ही पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17 में प्रावधान है कि ऐसे बंधक विलेख का पंजीयन अनिवार्य है।

6.2.19.1 नौ उप पंजीयक कार्यालयों¹² की लेखापरीक्षा के दौरान अनुविभागीय कार्यालयों, से प्राप्त जानकारियों में हमने पाया कि 30 प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा भूमि विकास की अनुमति प्रदान की गई थी। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड (एम पी एच बी) में भूमि विकास की प्रचलित दरों के अनुसार इस भूमि के विकास का अनुमानित व्यय ₹ 249.06

¹² दीपालपुर, धार, इन्चौर, खरगौन, कासरवाद, नरसिंहपुर, सतना, सिहोर और तराना।

करोड़ था । यद्यपि कालोनाइजरोँ द्वारा इस अवधि में भू-खण्डों के 25 प्रतिशत को बंधक किया गया परन्तु न तो प्रचलित दरों पर कालोनाइजरोँ शुल्क अदा किया गया और न ही इन विलेखों को पंजीकृत कराया गया परिणामस्वरूप ₹ 3.29 करोड़ की राशि का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की अवसूली/अनारोपण हुआ ।

हमारे द्वारा ध्यान में लाये जाने पर उप पंजीयक खरगौन एवं तराना ने बताया (जून एवं जुलाई 2014) कि दो प्रकरण मुद्रांक संग्राहक को भेजे जावेंगे तथा दो प्रकरणों में उप पंजीयक कसरावद एवं सिहोरा ने (जून 2014) में बताया कि उपयुक्त कार्यावाही की जावेगी । 13 प्रकरणों में उप पंजीयक धार, इन्दौर –IV नरसिंहपुर एवं सतना ने (मई एवं जुलाई 2014 के मध्य) बताया कि विलेख प्राप्त होने पर पंजीकृत किये जावेंगे ।

6.2.19.2 हमने 18 उप पंजीयक कार्यालय¹³ की लेखापरीक्षा में 1,59,177 विलेखों में से जांच किये गये 16,028 विलेखों में पाया कि वर्ष 2013–14 में कालोनाइजरोँ द्वारा 84 बंधक विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत किये गये । इन विलेखों में उल्लिखित अनुमानित विकास व्यय औचित्यपूर्ण नहीं थी । क्योंकि मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड में भूमि विकास व्यय की प्रचलित दरों पर आधारित विकास व्यय एवं विलेख में उल्लिखित अनुमानित विकास व्यय की राशि में काफी भिन्नता थी । जिसके कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अपवंचन हुआ । मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड में प्रचलित दरों के आधार पर गणना विलेख में उल्लिखित विकास व्यय की राशि ₹ 615.47 थी जबकि विलेखों में उल्लिखित अनुमानित विकास व्यय की राशि 136.85 करोड़ थी । परिणामस्वरूप ₹ 6.94 करोड़ की मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की अवसूली/कम प्राप्ति हुई ।

निर्गम सम्मेलन में प्रधान सचिव वाणिज्यिक कर विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि प्रकरण इस तरह से हल किया जावेगा कि शासकीय राजस्व के हितों की भी रक्षा की जा सके ।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार विचार कर सकती है ऐसी प्रणाली विकसित करें कि आवधिक विवरणियां मुद्रांक संग्राहक को प्रस्तुत की जाएं जिनमें कुल पंजीयन के लिए आए विलेखों एवं उनमें वे प्रकरणों का भी उल्लेख हो जो सम्यक रूप मुद्रांक शुल्क अदा नहीं किये गये जिससे मुद्रांक शुल्क की हानि को रोका जा सके । संबंधित अफसरों को भी मुद्रांक शुल्क के कम भुगतान हेतु जिम्मेदार बनाया जा सकता है ।

¹³ भोपाल-I, भोपाल-II, भोपाल-III, छिन्दवाड़ा, दीपालपुर, गुना, इन्दौर-III, इन्दौर-IV, जबलपुर-II, कटनी, खरगौन, माहीपुर, महोब, राघोगढ़, सागर सानवेर, सिवनीमालवा और विदिशा ।

6.2.20 मार्गदर्शिका में संशोधन के कारण राजस्व की हानि

महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा जारी की गई बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 4 में वर्ष 2012-13 तक की अवधि के लिये शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि के मूल्यांकन के लिये और शहरी क्षेत्र के आस-पास की परिधि में निर्दिष्ट गावों के लिये दर निर्धारित है। वर्ष 2013-14 में अनुच्छेद 4 में एक संशोधन कर "कृषि भूमि" के बाद शब्द "नजूल भूमि" जोड़ा गया। नजूल भूमि वह शासकीय भूमि होती है जो निर्माण या सार्वजनिक सुविधाओं जैसे बाजार या मनोरंजन स्थलों के लिये उपयोग की जाती है।

उप-पंजीयक, इन्दौर-4 के यहाँ हमने 7,761 प्रकरणों में से 780 प्रकरणों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया कि दो प्रकरणों में जिला कलेक्टर ने दो पक्षों को नजूल भूमि आवंटित की और नजूल भूमि का मूल्यांकन वर्ष 2013-14 की मार्गदर्शिका के आधार पर किया गया। बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में "कृषि भूमि" के साथ "नजूल" शब्द जोड़ने के कारण गलत वर्गीकरण की स्थिति निर्मित हुई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.57 करोड़¹⁴ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम अधिरोपण हुआ।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि वर्ष 2014-15 से इस संशोधन को वापस ले लिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त संशोधन बिना किसी उचित कारण के केवल वर्ष 2013-14 में किये गये थे जिनके लिये वित्त विभाग की सहमति भी प्राप्त नहीं की गई थी। मार्गदर्शिका में "नजूल" शब्द जोड़ना न केवल अनियमित था अपितु इससे मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम अधिरोपण भी हुआ।

6.2.21 मुख्तारनामा के माध्यम भूमि निर्माण एवं विकास हेतु अधिकारों का अंतरण

वर्ष 2011 में महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा परिपत्र के अनुसार, यदि मुख्तारनामा के द्वारा भूमि विकास एवं निर्माण का अधिकार भूमिस्वामी के अलावा दूसरे व्यक्ति को अंतरित किया जाता है तो ऐसी मुख्तारनामा पर अनुच्छेद 5(डी), अनुच्छेद 1(अ) में प्रचलित दरों से मुद्रांक शुल्क

14

वसूली योग्य मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस	वसूला गया मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस	कम वसूली मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस
₹ 3.03 करोड़/₹2.14 करोड़	₹1.50 करोड़/₹1.10 करोड़	₹1.50 करोड़/₹ 1.07 करोड़

आरोपणीय होगा। वर्तमान में यह दर निर्माण एवं विकास की प्रस्तावित अनुमानित व्यय की तीन प्रतिशत है।

अतिरिक्त प्रस्तक— (जिसमें चल सम्पत्ति के अंतरण की स्थायी एवं गोपनीय जानकारी रहती है) की पाँच उप पंजीयक कार्यालयों¹⁵ में जांच कुल 51,213 प्रकरणों में से 5,195 प्रकरणों की जांच में हमने पाया कि 46 प्रकरणों में मुख्तारनामा के आधार पर निर्माण एवं विकास के अधिकार भू-स्वामी के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को अंतरित किये गये जो केवल ₹ 100/1000 के स्टाम्प पेपर्स पर अंतरित किये गये थे जबकि इन पर निर्माण अथवा विकास व्यय की राशि पर 3 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय था। छूटी हुई राजस्व विलेखों में भूमि के विकास अथवा निर्माण की अनुमानित व्यय की राशि के अभाव में गणना नहीं की जा सकती।

हमारे द्वारा इंगित करने पर (अगस्त 2014), महानिरीक्षक पंजीयन ने बताया (अगस्त 2014) कि ऐसे प्रकरण मुद्रांक संग्राहक एवं उप महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा जांच कर नियमानुसार राजस्व वसूली की जावेगी।

6.2.22 कोषालय द्वारा जारी मुद्रांको का पुर्नमिलान न किया जाना।

शासन के द्वारा विकसित पद्धति (जून 2014) के अनुसार, कोषालय अधिकारी एक सीलबन्द लिफाफे में पंजीयक कार्यालय को एडवाइस जारी करेंगे जिसमें गैर न्यायिक मुद्रांको के अंकित क्रमांको तथा डिस्पेच तिथि की सम्पूर्ण जानकारी होगी। उप पंजीयक इन मुद्रांको अंकित संख्या पंजीयन में प्रयोग किये गये मुद्रांको की संख्या का पुर्नमिलान करेंगे। यह प्रक्रिया फर्जी मुद्रांको के प्रयोग को पता लगाने एवं जांच करने के लिए बनायी गई है।

45 उप पंजीयक कार्यालयों की लेखा में देखा गया कि यह एडवाइस न तो कोषालय अधिकारियों द्वारा उप पंजीयक कार्यालयों को भेजी गई और न ही उप पंजीयकों द्वारा उपरोक्त एडवाइस प्राप्त कर अनुबंधों/विलेखों में प्रयुक्त मुद्रांको के पुर्नमिलान हेतु कोई कार्यवाही की गई। कोषालय द्वारा जारी मुद्रांको के पुर्नमिलान न किये जाने के कारण फर्जी मुद्रांको के प्रयोग की सम्भावना हो इन्कार नहीं किया जा सकता।

¹⁵ भोपाल-III, गुन्नौर, इन्दौर-II, महु और उज्जैन

निर्गम सम्मेलन में प्रधान सचिव, राजस्व विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि विभाग ई-मुद्रांक पद्धति अपनाए जाने की ओर है, जिसके उपरांत मामला स्वतः ही सुलझ जाएगा ।

6.2.23 अप्रभावी स्थल निरीक्षण व्यवस्था

महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा (जनवरी 2013) जारी परिपत्र के अनुसार यादृक्षित स्थल सत्यापन की नीति अपनायी गई । विलेखों का चयन, भोपाल, इन्दौर ग्वालियर एवं जबलपुर उप पंजीयक कार्यालयों के लिए मुख्यालय द्वारा किया जावेगा तथा अन्य उप पंजीयक कार्यालयों के प्रकरण संबंधित क्षेत्रिय उप पंजीयको द्वारा किया जावेगा । यादृक्षित स्थल सत्यापन पद्धति उप पंजीयको के लिए आवश्यक बनाती है कि वो सम्पत्ति का स्थल सत्यापन कर सुनिश्चित करें कि संबंधित सम्पत्ति का विवरण सही है ।

मार्च से जून 2014 में दो उप पंजीयक कार्यालयों (भोपाल-1 एवं डबरा) में हमने देखा कि उप पंजीयकों ने यादरक्षित सत्यापन हेतु 6,976 में 653 विलेखों संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा चयनित किये गये । सत्यापन उपरांत 81 प्रकरण कम मूल्यांकन के पाये गये जिनमें 10 से 26 प्रतिशत का कम मूल्यांकन किया गया था । दूसरे उप पंजीयक कार्यालयों, स्थल सत्यापन के आंकड़े संधारित नहीं किये गये जिसके कारण ये लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये जा सके । चूँकि विलेखों के कम मूल्यांकन पर शास्ति आरोपण का प्रावधान न होने के कारण स्थल सत्यापन नीति अपनाए न जाने से कर अपवंचन की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

निर्गम सम्मेलन में प्रधान सचिव, राजस्व विभाग ने बताया (अगस्त 2014) भारतीय स्टाम्पस अधिनियम में अवमूल्यांकन पर शास्ति के लिए संशोधन अग्रेषित किया है क्योंकि उपरोक्त अधिनियम केन्द्रीय अधिनियम है ।

6.2.24 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा आमतौर पर इसे सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के तौर पर परिभाषित किया जाता है । यह संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायक है कि निर्धारित प्रक्रिया सुचारू रूप से कार्य कर रही है ।

इस शाखा द्वारा वर्ष 2009-10 से 2013-14 के मध्य की गई लेखापरीक्षा की संक्षिप्त स्थिति निम्न तालिका 6.6 में दर्शायी गई है ।

तालिका 6.6

अवधि	इकाइयों की कुल संख्या	आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु योजना में शामिल इकाइयों की संख्या	वास्तविक रूप से लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या	योजना में शामिल इकाइयों के संदर्भ में कमी	
				संख्या	प्रतिशत
2009.10	226	40	—	40	100
2010.11	226	18	13	5	28
2011.12	226	81	30	51	63
2012.13	226	72	28	44	61
2013.14	233	96	26	70	73
योग	1137	307	97	210	68

उपरोक्त तालिका इन वर्षों में निरीक्षण में 28 प्रतिशत से 100 प्रतिशत कमी को दर्शाती है। हमने पाया कि महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा किसी भी स्तर पर निरीक्षण के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं। हमने आगे पाया कि जिला पंजीयक के कार्यालय का मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने की कोई भी प्रक्रिया अस्तित्व में नहीं है। कम्प्यूटरीकरण एवं ई-स्टाम्प को लागू करने का कार्य प्रगति पर है तथा राज्य में कहीं भी वर्ष 2013-14 तक लागू नहीं किया गया है। प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र के अभाव में, विलेखों के गलत वर्गीकरण, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस के कम आरोपण आदि पाये गये जिनकी पूर्ववर्ती कंडिकाओं में उपयुक्त रूप से व्याख्या की गई है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि पर्याप्त स्टाफ की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

हम अनुशांसा करते हैं कि शासन आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के आंतरिक नियंत्रण तंत्र के सुदृढ़िकरण हेतु तत्काल कदम उठाये जिससे राजस्व की समय पर वसूली तथा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की अवसूली/कम वसूली को दूर किया जा सके।

6.2.25 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा में अनुपालन एवं प्रणाली आधारित कमियों का पता चला जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती कण्डिकाओं में की गई है तथा इन पर शासन/विभाग का विशेष ध्यान अपेक्षित है। हमने देखा कि

- विभाग अन्य विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित कर पंजीयन योग्य दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने में विफल रहा।
- जिला पंजीयक को संदर्भ प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक एवं अत्यन्त विलम्ब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप शासकीय धन अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रहा।
- विभाग अधिनियम/नियमों के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप अवनिर्धारण/कम निर्धारण हुआ एवं मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति हुई।
- बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में नजूल भूमि के कृषि भूमि में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम अधिरोपण हुआ।
- आंतरिक लेखापरीक्षा के अभाव एवं अपर्याप्त निरीक्षण एवं जिला पंजीयक/उप पंजीयक द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण के कारण नियंत्रण प्रणाली अपूर्ण रही।

अध्याय – 5

भू-राजस्व

5.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव राजस्व विभाग का प्रमुख होता है । प्रधान राजस्व आयुक्त विभाग प्रमुख होता है जिसकी सहायता के लिए आयुक्त, बंदोबस्त एवं भू-अभिलेख होता है । संभागीय आयुक्त संभाग के अंतर्गत सम्मिलित जिलों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखते हैं । प्रत्येक जिले में विभाग की गतिविधियों पर कलेक्टर का प्रशासनिक नियंत्रण होता है । जिले के उप-संभाग के प्रभार हेतु एक या अधिक सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर की पदस्थापना करने का दायित्व जिला कलेक्टर का होता है । किसी उप-संभाग के प्रभार में इस प्रकार पदस्थापित अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी कहलाते हैं । वे कलेक्टर की उन शक्तियों का उपयोग करते हैं जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्देशित की जाएं । राजस्व अभिलेख एवं बंदोबस्त के संधारण हेतु कलेक्टर कार्यालय में अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (एस.एल.आर./ए.एस.एल.आर.) की पदस्थापना की जाती है । तहसीलदारों/अपर तहसीलदारों को तहसीलों में राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है । राज्य में दस राजस्व संभाग हैं जिनमें प्रत्येक का प्रमुख आयुक्त होता है, 50 जिले जिनमें प्रत्येक का प्रमुख कलेक्टर होता है तथा 341 तहसीले हैं । भू-राजस्व प्राप्तियों का विनियमन निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाता है :

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (एम.पी.एल.आर.सी.), 1959;

- मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम (एम.पी.पी.आर.ए.), 1993;
- मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम, 1982;
- मध्य प्रदेश लोकधन (शोधय राशियों की वसूली) अधिनियम (एम.पी.एल.ए.), 1987; तथा
- राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.)

5.2 आंतरिक लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण

आंतरिक लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली है कि विभागीय क्रियाकलाप लागू कानून, विनियमों तथा अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययता एवं निपुणता के साथ प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किये जाते हैं, अधीनस्थ कार्यालय विभिन्न अभिलेख, रजिस्टर/अकाउन्ट बुक उचित तरीके से एवं सही-सही संधारित कर रहे हैं और राजस्व का संग्रहण न होने/कम संग्रहण या अपवंचन की रोकथाम के लिए समुचित रक्षोपाय किये जा रहे हैं ।

हमने अवलोकित किया कि विभाग में कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है। इसके अभाव में विभाग की नियंत्रण प्रणाली कमजोर थी।

प्रणाली की कमजोरियों, दोषपूर्ण कार्यप्रणाली और परिणामतः राजस्व के रिसाव को समाप्त करने के लिए नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन किया जा सकता है।

5.3 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2013-14 के दौरान भू-राजस्व की 68 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 76,322 प्रकरणों में ₹ 154.44 करोड़ के राजस्व अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जिन्हें तालिका 5.1 अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जा सकता है :

तालिका 5.1

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	प्रीमियम एवं भू-भाटक का अवनिर्धारण	77	0.75
2.	नजूल भूमि के पट्टे का नवीनीकरण न होना	13	0.76
3.	व्यपवर्तन लगान/प्रीमियम का अवनिर्धारण	150	0.42
4.	व्यपवर्तन लगान/प्रीमियम तथा शास्ति की मांग सृजित न करना	10,660	0.77
5.	प्रक्रिया व्यय का अनारोपण/वसूली न होना	36	3.07
6.	राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों का पंजीयन न होना	06	0.48
7.	अन्य प्रेक्षण	65,380	148.19
योग		76,322	154.44

वर्ष के दौरान, विभाग ने वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किये गये 76,154 प्रकरणों में ₹ 96.63 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान (वर्ष 2011-12 से वर्ष 2012-13 के लिए) संबंधित 90 प्रकरणों में ₹ 3.33 करोड़ की वसूली भी की गई।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमुखता से दर्शाते हुए ₹ 94.83 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

5.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने भू-राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बंधित अभिलेखों की जांच की जिससे प्रीमियम एवं भू-भाटक के कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जैसा कि इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लेखित किया गया है। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं और ये हमारे द्वारा की गयी नमूना जांच पर आधारित हैं। निर्धारण प्राधिकारियों की ओर से पायी गयी इस प्रकार की कमियां विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गयी हैं। परन्तु न केवल ये अनियमितताएं निरंतर बनी हुई हैं, बल्कि इनका लेखापरीक्षा होने तक पता नहीं चला था। अतः शासन को ऐसी कमियों को दूर करने के लिए आंतरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

5.5 प्रीमियम एवं भू-भाटक का अवनिर्धारण

राजस्व परिपत्र पुस्तक (आर.बी.सी.) IV-(i) में किसी विकास प्राधिकरण को आवंटित नजूल भूमि या आवासीय उद्देश्य हेतु भू-खण्ड क्षेत्रफल के 60 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के बाजार मूल्य पर प्रीमियम के आरोपण का प्रावधान है। राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी अप्रैल 2003 के परिपत्र के अनुसार नजूल भूमि का मूल्यांकन विकास व्यय घटाने के बाद कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइन के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

कलेक्टर कार्यालय (नजूल), ग्वालियर में भूमि के आवंटन की प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच के दौरान हमने अवलोकित किया (जनवरी 2012) कि ग्राम डोगरपुर में नगर निगम की सीमा में स्थित 24.658 हेक्टेयर भूमि आवासीय उद्देश्य हेतु ₹ 8.79 करोड़ प्रीमियम तथा ₹ 43.94 लाख के भू-भाटक पर मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल पट्टे पर दी गई। हमने देखा कि विभाग ने वर्ष 2010-11 के लिये आवासीय उद्देश्यों हेतु आवंटित भूमि के लिये लागू दरों के बजाय कृषि भूमि के लिये वर्ष 2011-12 के लिये लागू दरों से भूमि को मूल्यांकन किया गया। प्रीमियम एवं भू-भाटक के अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹ 91.75 करोड़ के राजस्व का कम आरोपण प्राप्त हुआ।

तालिका 5.2

ग्राम/क्षेत्रफल वर्गमीटर (प्रति वर्गमीटर विकास शुल्क)	प्रीमियम/ वार्षिक भू-भाटक आरोपणीय ¹	प्रीमियम/ भू-भाटक आरोपित	प्रीमियम/भू-भाटक का कम आरोपण
डोगरपुर/24.658 हेक्टेअर 2,46,580 वर्गमीटर (8000-1500=₹ 6500)	96.17/4.81	8.79/0.44	87.38/4.37
योग			₹ 91.75

¹ आरोपणीय प्रीमियम= ₹ 6500 प्रति मीटर की दर से 1,47,948 व. मीटर पर ₹ 96.17 करोड़ (2,46,580 का 60%=1,47,948 वर्ग मीटर)

आरोपणीय भू-भाटक= ₹ 4.81 करोड़ प्रति वर्ष (₹ 96.17 करोड़ का 5%)

हमारे द्वारा प्रकरण को इंगित किये जाने के बाद, अतिरिक्त कलेक्टर, ग्वालियर में बताया (मार्च 2014) कि अनुविभागीय अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर अनुपालन लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

हमने मामले को विभाग और शासन को मई 2014 में प्रतिवेदित किया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। (दिसम्बर- 2014)

5.6 भू-राजस्व एवं उपकर का शासकीय खाते में प्रेषण न किया जाना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (भाग एक) के नियम 7 (i) सहपठित नवम्बर 2001 में जारी शासन की अधिसूचना के अनुसार, तहसील कार्यालयों द्वारा संग्रहीत भू-राजस्व एवं उपकर कोषालय को प्रेषित कर शासकीय खाते में मुख्य शीर्ष "0029" भू-राजस्व के अन्तर्गत जमा किया जाना चाहिये।

हमने अगस्त 2012 एवं मार्च 2014 के मध्य 21 तहसील कार्यालयों² के मांग एवं वसूली के विवरण पत्रक तथा चालानों की नमूना जांच के दौरान अवलोकित किया कि तहसील कार्यालयों द्वारा 2006 तथा 2013 के मध्य संग्रहीत ₹ 2.26 करोड़ का भू-राजस्व एवं उपकर कोषालय में मुख्य शीर्ष "0029" भू-राजस्व के अंतर्गत जमा करने के बजाय पंचायत निधि में जमा किया गया। इस प्रकार प्रेषण की निर्धारित प्रणाली का पालन नहीं करने से राजकोष ₹ 2.26 करोड़ के राजस्व से वंचित रह गया। यह त्रुटि विभाग द्वारा इंगित नहीं की गयी यद्यपि विभाग के उच्च प्राधिकारियों द्वारा 12 तहसीलों³ का निरीक्षण मार्च 2009 तथा जनवरी 2014 में किया गया था जो कि अप्रभावी निरीक्षण का द्योतक है।

हमारे द्वारा मई 2014 में इसे इंगित किये जाने के बाद, सम्बंधित तहसीलदारों ने बताया कि भू-राजस्व तथा उपकर मुख्य शीर्ष '0029' भू-राजस्व के अंतर्गत जमा किया जायेगा।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को मई 2014 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

5.7 अस्थायी पट्टे की नवीनीकरण में प्रीमियम एवं भू-भाटक का अवनिर्धारण

राजस्व परिपत्र पुस्तक IV-I कण्डिका 32 (2) के अनुसार व्यावसायिक उद्देश्य हेतु तीन वर्ष के पट्टे पर दी गई शासकीय भूमि पर 30 प्रतिशत प्रीमियम तथा पूरे प्रीमियम का 7.5 प्रतिशत भू-भाटक के रूप में देय है। अस्थायी पट्टे के नवीनीकरण में भी यही दरें लागू होती हैं। इन प्रकरणों में प्रीमियम निर्धारण के लिये भूमि का बाजार मूल्य, संबंधित जिले के ही बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

² आमला (बैतुल), बड़वाहा (खरगौन), भंडेर (दतिया), बिछिया (मण्डला), बुरहानपुर, छीनोर (ग्वालियर), डबरा (ग्वालियर), हुजुर (भोपाल), इन्दौर, करहल (शिवपुर), कटनगी (बालाघाट), खुरई (सिवनी), लौडी (छत्तरपुर), माहिदपुर (उज्जैन), मानपुर (उमरिया), मुल्ताई (बैतुल), पिपरीया (होशंगाबाद), परसिया (छिन्दवाड़ा), सिहोर, उचेरा (सतना), विदिशा

³ आमला (बैतुल), बड़वाहा (खरगौन), भंडेर (दतिया), छीनोर (ग्वालियर), डबरा (ग्वालियर), हुजुर (भोपाल), इन्दौर, करहल (शिवपुर), खुरई (सिवनी), लौडी (छत्तरपुर), माहिदपुर (उज्जैन), मुल्ताई (बैतुल), सिहोर, विदिशा

कलेक्टर कार्यालय (नजूल), धार में भूमि के अस्थायी पट्टों के आवंटन के प्रकरणों की नमूना जाँच के दौरान अवलोकित किया (नवम्बर 2012) कि 1,740 वर्गमीटर भूमि के अस्थायी पट्टे का नवीनीकरण मार्च 2012 में किया गया। भूमि धरमपुरी तहसील के ग्राम एकलरा खुर्द में स्थित थी तथा इस पर एक पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा था। वर्ष 2011-12 के लिये धार जिले की बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के अनुसार उस क्षेत्र में जमीन की दर ₹ 7000 प्रति वर्ग मीटर थी। अतः इस पर 30 प्रतिशत प्रीमियम तथा वार्षिक भू-भाटक की गणना क्रमशः ₹ 36.54 लाख एवं ₹ 9.13 लाख की गई। हमने देखा कि कलेक्टर ने कृषि भूमि पर लागू दरों के आधार पर 30 प्रतिशत प्रीमियम तथा वार्षिक भू-भाटक की गणना क्रमशः ₹ 1.04 एवं ₹ 0.26 लाख निर्धारित किया। अस्थायी पट्टे का नवीनीकरण ₹ 1.04 लाख के प्रीमियम एवं तीन वर्ष के भू-भाटक ₹ 0.78 लाख (कुल ₹ 1.82 लाख) पर किया गया। अवनिर्धारण के परिणाम स्वरूप प्रीमियम तथा भू-भाटक पर ₹ 62.16 लाख के राजस्व का कम आरोपण/प्राप्ति हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर राजस्व निरीक्षक (नजूल) ने बताया (नवम्बर 2012) कि, प्रीमियम एवं भू-भाटक, बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि मार्गदर्शिका में कही भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि पेट्रोल पम्प के लिये कृषि भूमि की दरें लागू होंगी, व्यवसायिक भूमि की नहीं हमने मामले को विभाग और शासन को मई 2014 में प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

5.8 व्यपवर्तन लगान, प्रीमियम और उपकर का अवनिर्धारण

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 एवं 172 के अंतर्गत, जब एक उद्देश्य के लिये निर्धारित भूमि किसी अन्य उद्देश्य हेतु व्यपवर्तित की जाती है तो ऐसी भूमि पर देय भू-राजस्व, एसेसे व्यपवर्तन जो दिनांक से शासन द्वारा निर्धारित दरों पर उस उद्देश्य के अनुसार जिसके लिये उसे व्यपवर्तित किया गया है, संशोधित एवं पुनर्निर्धारित किया जायेगा इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र में व्यपवर्तन लगान के प्रत्येक रूपये पर 50 पैसे की दर से पंचायत उपकर भी आरोपणीय है।

हमने एक तहसील कार्यालय⁴ और तीन कलेक्टर कार्यालयों⁵ में अवलोकित किया कि नवम्बर 2012 और फरवरी 2014 के मध्य निर्णीत व्यपवर्तन के 20 प्रकरणों में व्यपवर्तन लगान और प्रीमियम का अवनिर्धारण किया गया था। हमने देखा कि व्यवसायिक उद्देश्य हेतु व्यपवर्तन को आवासीय माना गया, गलत दरे लगायी गई या निर्धारण कम रकबे पर किया गया। हमने अवलोकित किया कि इन 20 प्रकरणों में से 13 प्रकरणों में पंचायत उपकर का निर्धारण नहीं किया गया जबकि यह भूमि ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही स्थित थी। इसके परिणाम स्वरूप

⁴ तहसीलदार बदरवास (शिवपुरी)

⁵ भोपाल, बुरहानपुर और देवास

अनुलग्नक XIII में दिये गये विरणानुसार ₹ 19.75 लाख का प्रीमियम, व्यपवर्तन लगान और उपकर की कम प्राप्ति हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी, भोपाल, बुरहानपुर और तहसीलदार बदरवास (शिवपुरी) ने मई एवं दिसम्बर 2013 के मध्य बताया कि वसूल कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा। अधीक्षक, भू-अभिलेख (व्यपवर्तन) देवास ने नवम्बर 2012 में तीन प्रकरणों के संबंध में बताया कि व्यपवर्तन आवेदन में दिये गये रकबे के आधार पर किया गया। उत्तर में यह नहीं बताया गया कि/नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत रकबा/नक्शे के आधार पर प्रीमियम और व्यपवर्तन लगान का निर्धारण क्यों नहीं किया गया। इन प्रकरणों में समीक्षा एवं सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को मई 2014 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

अध्याय 4 वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग पूर्ण रूप से प्रमुख सचिव (परिवहन) के अधीन कार्य करता है। चालक अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना एवं वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति का आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता है। जिसकी सहायता के लिए मुख्यालय स्तर पर एक अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), दो संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन/वित्त), तीन उप परिवहन आयुक्त एवं एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा है। मैदानी स्तर पर 10 संभागीय परिवहन उपायुक्त, 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (क्षे.प.का.), 10 अपर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (अ.क्षे.प.का.) एवं 30 जिला परिवहन कार्यालय (जि.प.का.) हैं। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) विभाग में कम्प्यूटरीकरण कार्यकलापों का परिवीक्षण करते हैं। वाहनों पर कर का संग्रहण निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत किया जाता है :

मोटरयान अधिनियम, 1988

केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम(अधिनियम) 1991, तथा

मध्यप्रदेश मोटरयान नियम(नियम), 1991

4.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना 1992 में परिवहन आयुक्त के सीधे नियंत्रण में की गई थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा सभी अधीनस्थ कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादित करने तथा ऐसे परीक्षण के दौरान संसूचित अनियमितताओं पर उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु अनुदेश जारी करने के उद्देश्य के साथ संयुक्त परिवहन आयुक्त (वित्त) के पर्यवेक्षण में निष्पादित की जा रही है।

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी संगठन को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है कि निर्धारित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा 38 इकाइयों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी जिसके विरुद्ध केवल तीन इकाइयों की लेखापरीक्षा निष्पादित की गई। वर्ष 2013-14 के दौरान इकाइयों के निरीक्षण का कम प्रतिशत(योजना इकाइयों का आठ प्रतिशत) विधानसभा व

लोकसभा चुनाव के कारण था। इसके अलावा, पिछले पाँच वर्षों¹ के दौरान निरीक्षण के प्रतिशतता की कमी दर्शाता है कि विभाग द्वारा इकाईयों की लेखापरीक्षा की समुचित योजना नहीं बनाई जाती है एवं आंतरित लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013-14 के दौरान वाहनों पर कर से सम्बंधित 51 में से 21 इकाईयों के अभिलेखों, जिनमें ₹ 312.15 करोड़ का कुल राजस्व अन्तर्निहित था, की नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 36.82 करोड़ के 4,17,423 प्रकरण प्रकट हुए जो तालिका 4.1 में निम्न श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं :

तालिका 4.1

(₹ करोड़ में)			
क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	“मंजिली गाडी/ठेका गाडी के रूप में चलित वाहनों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा	1	16.83
2.	लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	963	11.33
3.	माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	1,114	3.09
4.	अन्य	4,15,345	5.57
	योग	4,17,423	36.82

वर्ष के दौरान, विभाग ने 22,564 प्रकरणों में ₹ 11.74 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य प्रकार की कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था तथा 7 प्रकरणों में ₹ 1.16 लाख की राशि वसूल की गई।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमुखता से दर्शाते हुए “मंजिली गाडी/ठेका गाडी अनुज्ञापत्र पर चलित लोकसेवा वाहनों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण” की कार्यप्रणाली पर ₹ 16.83 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं ₹ 10.17 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रकरणों की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

¹ 2009-10 से 2013-14 के बीच 274 इकाईयों के लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई जिसमें से केवल 108 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई, जो लगभग 39 प्रतिशत था।

4.4 मंजिली गाडी/ठेका गाडी अनुज्ञापत्र पर चलित लोक सेवा वाहनो पर कर का आरोपण एवं संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य विशेषतायें

- अपने विनिर्माण वर्ष से 15 का जीवनकाल पूरा कर चुके 75 वाहनों को मंजिली गाडी अनुज्ञापत्र पर चलने से प्रतिबंधित करने में विभाग असफल रहा।

(कंडिका 4.4.7.1)

- चूककर्ता वाहन स्वामियों के विरुद्ध कोई कार्यवाई न करने के परिणामस्वरूप 270 वाहनों से ₹ 3.73 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 7.28 करोड़ के कर का कम आरोपण विभाग द्वारा किया गया।

(कंडिका 4.4.7.3)

- कर की गलत दर लागू किये जाने के बारे में पता लगाने में कराधान प्राधिकारी विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप 215 वाहनों पर ₹1.22 करोड़ के कर के अलावा ₹1.28 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की जा सकी।

(कंडिका 4.4.7.4)

- ऐसे वाहन जिनके उपयुक्तता प्रमाणपत्र कालातीत हो चुके थे, के पंजीकरण रद्द करने के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाई नहीं की गई।

(कंडिका 4.4.7.7)

- 115 वाहनों के विरुद्ध जारी किये गये ₹ 1.52 करोड़ के राजस्व वसूली मांग पत्रों के प्रकरणों में विभाग अनुवर्ती कार्यवाई करने में असफल रहा।

(कंडिका 4.4.7.8)

4.4.1 प्रस्तावना

परिवहन विभाग वाहनों पंजीकरण, वाहनों के लिए परमिट की मंजूरी के लिए जिम्मेदार है तथा राज्य में चलने वाले वाहनों पर नियंत्रण रखता है। विभाग मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम(अधिनियम),1991 व मध्यप्रदेश मोटरयान नियम(नियम),1991 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के तहत वाहनों पर कर का आरोपण तथा वसूली, शास्ति तथा वाहनों को उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करता है।

परिवहन विभाग लोक सेवा वाहनों जिसमें "मंजिली गाडी" व "ठेका गाडी" शामिल हैं, के माध्यम से जनता के लिए सेवा प्रदान करता है।

“मंजिली गाडी” से तात्पर्य ऐसे वाहन से है जो भाडे या पारिश्रामिक पर छह से अधिक यात्रियों के, जिसमें वाहन चालक शामिल नहीं है, पूरी यात्रा अथवा यात्रा की मंजिलों तक के लिए, अलग अलग यात्रियों द्वारा या उनकी और से दिये गये अलग अलग किरायों पर वहन करने के लिए, निर्मित या अनुकूलित है। तथा “ठेका गाडी” से तात्पर्य ऐसे वाहन से है जो भाडे या पारिश्रामिक पर पूर्णतः यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है, या ऐसा कोई वाहन जो निर्मित या अनुकूलित न हो पर यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 72, 74 व 88 (9) के तहत मंजिली गाडी और ठेका गाडी के परमिट पाँच वर्ष के लिए जारी किये जाते हैं। ठेका गाडी के परमिट के संबंध में आवधिक नवीनीकरण आवश्यक है।

पिछली लेखापरीक्षाओं के दौरान मंजिली गाडी/ठेका गाडी के रूप में प्रचलित लोक सेवा वाहनों पर करों के निर्धारण व आरोपण के संबंध में नियमित रूप से अनियमिततायें पाये जाने के फलस्वरूप, “मंजिली गाडी/ठेका गाडी के रूप में चलित वाहनों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण” के विषय को निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चुना गया।

4.4.2 संगठनात्मक ढांचा

परिवहन विभाग पूर्ण रूप से प्रमुख सचिव (परिवहन) के अधीन कार्य करता है। चालक अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना एवं वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति का आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण परिवहन आयुक्त(पआ) द्वारा किया जाता है। जिसकी सहायता के लिए मुख्यालय स्तर पर एक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), दो संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन/वित्त), तीन उप परिवहन आयुक्त एवं एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा है। मैदानी स्तर पर 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (क्षेपका), 10 अपर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (अक्षेपका) एवं 30 जिला परिवहन कार्यालय (जिपका) हैं। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) विभाग में कम्प्यूटरीकरण कार्यकलापों का परिवीक्षण करते हैं।

4.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने यह सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा निष्पादित की थी कि क्या :

- कर का निर्धारण, आरोपण, संग्रहण तथा छूट अधिनियमों और नियमों के अनुसार थे,
- अनुज्ञापत्रों/अनापत्ति प्रमाणपत्र /उपयुक्तता को जारी करने के लिए अधिनियमों/नियमों में प्रावधानित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है,
- विभाग द्वारा जारी किये गये माँग पत्रों, जब्त किये गये वाहनों के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाई की गई है।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा के निष्पादन के दौरान, लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्न पर आधारित थे :

- मोटरयान अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989;
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम), 1991;
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान नियम (नियम), 1991;
- मध्य प्रदेश मोटरयान नियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी अधिसूचनाएं/अनुदेश; एवं
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मई 2010 में अधिसूचित केन्द्रीय मोटरयान (संशोधित) नियम 2010

4.4.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

विषय के अध्ययन के लिए हमने जनवरी 2014 से अगस्त 2014 के बीच 51 कार्यालयों में से चुने गये 17² कार्यालयों के अवधि 2009–10 से 2013–14 के अभिलेखों(अनुज्ञापत्र पंजी,अनापत्ति प्रमाणपत्र पंजी, वाहन/अनुज्ञापत्र समर्पण पंजी तथा पंजीकरण,कर,उपयुक्तता तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र से संबंधित कम्प्यूटर डाटा बेस) नमूना जाँच की, जिन्हे यादृच्छिक प्रतिदर्श द्वारा नोडल अधिकारी ने अनुमोदित किया था।

लेखापरीक्षा क्षेत्र में “वाहन”³ पर, वाहनों के पंजीयन, करों के निर्धारण,आरोपण तथा संग्रहण के आनलाइन उपलब्ध डाटा की परीक्षा शामिल है। इस डाटा को वेब साइट www.mptransport.org.in यानि ई-सेवा पर इंटरनेट के माध्यम से जा सकता है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्यविधि पर चर्चा करने के लिए 06 मार्च 2014 को एक प्रवेश सम्मेलन प्रमुख सचिव,परिवहन विभाग के साथ आयोजित किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्ष अगस्त 2014 में शासन को सूचित किये गये तथा 05 सितम्बर 2014 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में चर्चा की गई। शासन/विभाग के उत्तरों को समुचित रूप से कंडिकाओं में समाविष्ट किया गया है।

4.4.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग परिवहन विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में किए गए सहयोग को स्वीकार करता है।

² क्षेत्र – भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर शहडोल तथा उज्जैन, जिपअ – बालाघाट, भिंड, बुरहानपुर, दतिया, मंडला, राजगढ़, श्योपुर तथा टीकमगढ़

³ वाहन – वाहनों के पंजीयन तथा सड़क कर निकासी के लिए, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (रासूके) द्वारा मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग के लिए विकसित किया गया अनुप्रयोग (एपलीकेशन) साफ्टवेयर है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रणाली और अनुपालन के साथ ही अधिनियमों और नियमों में कमियों का पता चला। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा आगामी कड़िकाओं में की गई है :

4.4.7 नियमित रूप से मंजिली गाडी अनुज्ञापत्र पर चलने वाले लोकसेवा यानों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण

4.4.7.1 अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए निर्धारित शर्तों का पालन न करना

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 24 नवम्बर 2010 को जारी अधिसूचना के अनुसार, यात्रियों को सुरक्षित, निरापद तथा सुविधाजनक परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनुज्ञापत्र मंजूर करने वाला प्राधिकारी, किसी मंजिली गाडी का अनुज्ञापत्र मंजूर करते समय निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा।

कोई भी मंजिली गाड़ी का अनुज्ञापत्र न जारी किया जाये:

(1) ऐसे वाहन जिन्होंने अपने विनिर्माण वर्ष से 15 वर्ष पूरे कर लिये हैं, उन्हें राज्य के भीतर साधारण मार्ग के लिए

(2) साधारण बस जिसकी बैठक क्षमता कम से कम 50+2 हो को, एक एकल यात्रा में 150 किमी या इससे अधिक लंबी दूरी के मार्ग पर चलने की अनुमति होगी।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) सत्रह कार्यालयों के अप्रैल 2009 और मार्च 2014 के मध्य के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि 4,279 वाहनों में से 75 वाहनो पर विभाग अधिसूचना में निर्देशित दिशा निर्देशों को लागू करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप, ऐसे वाहन जो अपने विनिर्माण वर्ष से 15 वर्ष से पूर्ण कर चुके थे, वे अभी सडकों पर प्रचलित थे तथा नियमित रूप से कर अदा कर रहे थे। हमने यह भी देखा कि कराधान अधिकारी को इन वाहनों को उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने में कोई हिचक महसूस नहीं हुई, जिससे शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ साथ ही यात्रियों की जान का जोखिम भी था।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा सामान्यतः नियमों का पालन किया जा रहा है परन्तु कुछ मामलों में अनियमितताओं या लापरवाही हो सकती है जिसका ध्यान रखा जायेगा तथा शीघ्र ही सुधारात्मक कार्यवाई की जायेगी।

4.4.7.2 लोक सेवा वाहनों की बैठक क्षमता के गलत निर्धारण से कम कर का आरोपण

म.प्र. मोटर यान नियम, 1994 के नियम 158(3) एवं परिवहन आयुक्त द्वारा दिनांक 31.05.2005 को जारी निर्देशों के अनुसार वाहन का पंजीकरण करने वाला अधिकारी वाहन की बैठक क्षमता का

निर्धारण विभिन्न वाहन मेक के व्हील बेस/माडल के आधार पर मोटर यान अधिनियम के अनुसार करेगा।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) सात⁴ कार्यालयों के अप्रैल 2009 और मार्च 2014 के मध्य के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि वाहनों के मॉडल टाटा एल पी 1109/42 जिसका की व्हील बेस 4200 मिमी है तथा मॉडल टाटा एल पी 709/42 जिसका की व्हील बेस 3800 मिमी है, को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा वाहन के माडल के अनुसार निर्धारित बैठक क्षमता की तुलना में कम बैठक क्षमता के लिए पंजीकृत किया गया था। वाहनों को उनकी बैठक क्षमता से दो से 10 सीट कम बैठक क्षमता में पंजीकृत करने से शासन को ₹ 9.84 लाख के राजस्व का नुकसान सहना पड़ा।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन(सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने कहा कि संबंधित क्षेपअ/जिपअ को इस मामले पर ध्यान देने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

पुराने और नये वाहनों की बैठक क्षमता नियमों के अनुसार संशोधित की जाना चाहिए।

4.4.7.3 वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम), 1991 की धारा 3(1) व 13 के अनुसार, राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग के लिये रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों (मासिक/त्रैमासिक) के अनुसार किया जायेगा। यदि वाहन स्वामी कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह कर की असंदत्त राशि पर चार प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति के भुगतान का दायी होगा/होगी, जो कर की राशि के दुगुने से अनधिक होगी। कराधान अधिकारी जारी किये गये अनुज्ञापत्रों के अनुसार करों की वसूली और संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार है, तथा कर की वसूली पर निगरानी रखने के लिये एक मांग एवं वसूली पंजी संधारित करेगा।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) सत्रह कार्यालयों के अप्रैल 2009 और मार्च 2014 के मध्य के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि 4,279 वाहनों में से 270 वाहनों पर कर की राशि ₹ 3.55 करोड़ का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया था। कराधान प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के वाहनों का पता लगाने व कर की वसूली किये जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.73 करोड़ की शास्ति, यद्यपि आरोपणीय थी, आरोपित नहीं की गई। परिणामस्वरूप ₹ 7.28 करोड़ के राजस्व की शासन को प्राप्ति नहीं हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन(सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि संबंधित क्षेपअ/जिपअ को बकाया करों की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

⁴ क्षेपअ – भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तथा सागर, जिपअ – बालाघाट, भिंड तथा मंडला

प्रवर्तन शाखा को वाहन कर एवं शास्ति का भुगतान किये बिना चल रहे वाहनों का पता लगाने के लिए सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

4.4.7.4 यानकर का कम आरोपण एवं शास्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम की धारा 3(1) के तहत राज्य में उपयोग के लिये लायी गई या राज्य में उपयोग के लिये रखी गई प्रत्येक लोक सेवा यान पर यानकर कर का उद्ग्रहण प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से किया जावेगा। लोक सेवा वाहनों के मामले में कर की गणना, वाहन की बैठक क्षमता और अनुमति दिये गये मार्ग के आधार पर की जायेगी। यदि कर का संदाय निश्चित समयावधि में नहीं किया जाता है तो स्वामी शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त कर की असंदत्त राशि पर अधिनियम की धारा 13 में विनिर्दिष्ट दर से शास्ति का दायी होगा।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) सत्रह कार्यालयों के अप्रैल 2009 और मार्च 2014 के मध्य के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि 4,279 वाहनों में से 215 वाहनों पर गलत दर से कर जमा करने के कारण कम कर का भुगतान किया गया। कराधान प्राधिकारियों द्वारा गलत दर के अनुप्रयोग को संसूचित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.22 करोड़ के वाहन कर की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.28 करोड़ की शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने बताया कि संबंधित क्षेपअ/जिपअ को बकाया करों की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

4.4.7.5 वाहन कर के विलम्बित भुगतान पर शास्ति का अनारोपण

अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी मोटर वाहन के कर का भुगतान धारा 5 में उल्लेखित नियत तिथि पर नहीं किया जाता है तो वाहन स्वामी देय कर के भुगतान के अतिरिक्त कर की असंदत्त राशि पर चार प्रतिशत की दर से शास्ति का भी दायी होगा।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) 17 कार्यालयों के अवधि अप्रैल 2009 से मार्च 2014 के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि 4,279 वाहनों में से 158 वाहनों पर वाहन कर का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा एक माह से लेकर 46 माह तक के विलम्ब से किया गया था। किन्तु वाहन स्वामियों द्वारा न तो शास्ति का कर के साथ भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.68 लाख की शास्ति की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि संबंधित क्षेपअ/जिपअ को बकाया करों की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

4.4.7.6 कर के भुगतान से छूट की अनियमित स्वीकृति

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 11(5) तथा मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर 2004 के अनुसार, किसी वाहन को एक कलेण्डर वर्ष में 45 दिवस से (एक साथ या टुकड़ों में) अधिक समय के समर्पण की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। उक्त अवधि से अधिक समय के समर्पण के लिये विशेष परिस्थितियों में केवल परिवहन आयुक्त(प आ) द्वारा लिपिबद्ध कारणों सहित अनुमति दी जा सकेगी और यदि कोई वाहन बिना इस प्रकार की पूर्व अनुमति लिये उक्त अवधि से अधिक समय के लिये समर्पित रहता है तो उसका पंजीयन और अनुज्ञा पत्र स्वमेव समाप्त माना जावेगी तथा मालिक को पुनः वाहन का पंजीयन कराना होगा व अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना होगा।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) 17 कार्यालयों के अवधि अप्रैल 2009 से मार्च 2014 के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि इकाई कार्यालयों तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय के बीच समन्वय के अभाव में 4,279 वाहनों में से 140 वाहनो को निर्धारित अवधि से, दो से 12 माह की अवधि के लिए परिवहन आयुक्त की अनुमति लिये बिना समर्पण की अनुमति दी गई, परिणामस्वरूप वाहन मालिकों को अनियमित रूप से ₹ 22.32 लाख कर के भुगतान की छूट प्राप्त हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन(सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा सामान्यतः नियमों का पालन किया जा रहा है परन्तु कुछ मामलों में अनियमिततायें या लापरवाही हो सकती है जिसका ध्यान रखा जायेगा तथा शीघ्र ही सुधारात्मक कार्यवाई की जायेगी।

सभी इकाई कार्यालयों तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जाना चाहिए ताकि राजस्व के क्षरण को रोका जा सके।

4.4.7.7 वाहनों की उपयुक्तता प्रमाण पत्र का सत्यापन

- उपयुक्तता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न किया जाना

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 56 के अनुसार, किसी परिवहन यान को तभी विधिमान्यतः पंजीकृत समझा जायेगा, जब उसके पास ठीक हालत में होने का विहित प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र हो। केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 62 के अनुसार, परिवहन यान के संबंध में ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जायेगा। इसके अतिरिक्त धारा 190(1) के प्रावधानों के तहत यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में मोटरयान या ट्रेलर जिसमें कि कोई दोष है, और जिसे वह व्यक्ति जानता है या जिसे साधारण प्रयास द्वारा जाना जा सकता है तथा ऐसे वाहन का चालन दुर्घटना का कारण बन सकता है, तब उसे ₹ दो सौ पचास तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है, यदि इस तरह के दोष के परिणामस्वरूप किसी दुर्घटना में शारीरिक चोट या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो तीन माह के कारावास या ₹ एक हजार के अर्थदण्ड या दोनों का दण्ड दिया जा सकता है।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) 17 कार्यालयों के अवधि अप्रैल 2009 से मार्च 2014 के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि 4,279 वाहनों में से 50 वाहनों के उपयुक्तता प्रमाणपत्र जो तीन से 57 माह से अतिदेय थे, नवीनीकृत नहीं कराये गये थे, जबकि वाहन मालिक द्वारा कर का भुगतान नियमित रूप से किया गया था। सात⁵ कार्यालयों में पंजीकृत 38 मैक्सीकेब वाहनों द्वारा वर्ष 2026 तक के लिए जीवनकाल कर की अदायगी की गई थी, परन्तु वाहन मालिकों द्वारा उपयुक्तता प्रमाणपत्र छह से 30 माह की अवधि व्यतीत जाने के बाद भी नवीनीकृत नहीं कराये गये, जो कि लोक जीवन के लिए खतरनाक था अतः इन वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र मान्य नहीं समझा जाना चाहिए था। विभाग द्वारा न तो उपयुक्तता प्रमाणपत्र अतिदेय हो गये वाहनों के पंजीयन रद्द करने के लिए के लिए कोई कार्यवाई की गई न ही चूककर्ता वाहन मालिकों पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। यात्रियों के जीवन को जोखिम में डालने के अलावा इसके अलावा राजस्व की हानि भी हुई। ऐसे सभी वाहन जिनके उपयुक्तता प्रमाणपत्र देय हो चुके हैं को लोक सुरक्षा के हित में उपयुक्तता प्रमाणपत्र समय पर जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन(सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा सामान्यतः नियमों का पालन किया जा रहा है परन्तु कुछ मामलों में अनियमिततायें या लापरवाही हो सकती है जिसका ध्यान रखा जायेगा तथा शीघ्र ही सुधारात्मक कार्यवाई की जायेगी।

शासन ऐसे समस्त वाहन जिनकी फिटनेस प्रमाणपत्र देय हो उनकी जाँच हेतु आवश्यक कदम उठाये ताकि राजस्व की हानि रोकी जा सके तथा लोक सुरक्षा हो सके।

- **उपयुक्तता प्रमाण पत्र का अनियमित रूप से जारी किया**

मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 48 के अनुसार, वाहन का उपयुक्तता प्रमाण पत्र कर चुकता प्रमाणपत्र के साथ संलग्न होंगे।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) 17 कार्यालयों के अवधि अप्रैल 2009 से मार्च 2014 के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि 4,279 वाहनों में से 84 प्रकरणों में, वाहनों को एक से 57 महिनो की अवधि का ₹ 1.16 करोड़ का कर बकाया रहते भी हुए भी उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी कर दिये गये, जो नियमों के दायरे के भीतर नहीं था।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन(सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा सामान्यतः नियमों का पालन किया जा रहा है परन्तु कुछ मामलों में अनियमिततायें या लापरवाही हो सकती है जिसका ध्यान रखा जायेगा तथा शीघ्र ही सुधारात्मक कार्यवाई की जायेगी।

⁵ क्षेपअ – ग्वालियर(5),क्षेपअ – इंदौर(5),क्षेपअ – जबलपुर(5),क्षेपअ – सागर(6),क्षेपअ – उज्जैन(7),जिपअ – बालाघाट(5) तथा जिपअ – भिंड(5)

शासन को कर की अदायगी किये बिना व उपयुक्तता प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किये बिना चल रहे वाहनों का पता लगाने की प्रणाली बनाने पर विचार करना चाहिए।

4.4.7.8 बकाया वसूली हेतु अनुपालन प्रणाली तथा निगरानी का अभाव

- राजस्व की बकाया राशि की वसूली हेतु अपर्याप्त कार्रवाई

मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार यदि कोई वाहन स्वामी कर या शास्ति या दोनों का भुगतान करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी राज्य सरकार को देय राशि की वसूली के लिये स्वामी के विरुद्ध एक माँग पत्र जारी करेगा। माँग पत्र में समाविष्ट राशि माँग पत्र की तामील के सात दिवस में भुगतान करने में असफल होने की स्थिति में कराधान प्राधिकारी द्वारा रकम की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भाँति की जायेगी।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) 17 कार्यालयों के अवधि अप्रैल 2009 से मार्च 2014 के मध्य बकायादारों को जारी माँग पत्र तथा जावक से संबंधित अभिलेखों की जाँच की। दिसम्बर 2010 से मार्च 2014 के बीच हालांकि 115 प्रकरणों में ₹ 1.52 करोड़ के बकाया कर व शास्ति की वसूली हेतु माँग पत्र जारी किये गये थे, जिसका वाहन स्वामियों द्वारा अभी भी भुगतान नहीं किया गया है परन्तु इसके पश्चात विभाग द्वारा राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी करने संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि शीघ्र ही सुधारात्मक कार्यवाई की जायेगी।

विभाग द्वारा प्रत्येक लंबित प्रकरण की वसूली कार्रवाई की नियमित रूप से निगरानी करने तथा अनुपालन के लिए एक प्रभावी प्रणाली तैयार करना चाहिए।

- जप्तशुदा वाहनों की नीलामी में विफलता

भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व प्राधिकारी देय राशि की वसूली चल सम्पत्ति की नीलामी कर भू-राजस्व के बकाया के रूप में कर सकेगा।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) क्षेपअ इंदौर तथा जबलपुर में जप्तशुदा वाहनों से संबंधित अभिलेखों की जाँच की और पाया कि विभाग द्वारा अप्रैल 2009 से मार्च 2014 के बीच छह लोक सेवा यानों को उन पर देय राशि बकाया होने के कारण जप्त कर लिया गया था। परन्तु कराधान प्राधिकारी द्वारा इन वाहनों की नीलामी के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.24 लाख के कर की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि शीघ्र ही सुधारात्मक कार्यवाई की जायेगी।

4.4.8 अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित लोक सेवा यानों पर यानकर एवं शास्ति का आरोपण

4.4.8.1 कर की प्राप्ति न होना

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88(9) के अधीन राज्य परिवहन अधिकारी (रापअ) द्वारा अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र मंजूर किये जाते हैं। तथा यानकर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से देय है। यदि वाहन स्वामी शोध्य कर का संदाय निर्धारित समयावधि में करने में असफल रहता है तो वो शास्ति का भी दायी होगा।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) सत्रह कार्यालयों के अप्रैल 2009 और मार्च 2014 के मध्य के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि 125 वाहनों में से 31 वाहनों पर कर की राशि ₹ 28.46 लाख का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया था। कराधान प्राधिकारियों द्वारा *अधिनियम* एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के वाहनों का पता लगाने व कर की वसूली किये जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त ₹ 22.54 लाख की शास्ति, यद्यपि आरोपणीय थी, आरोपित नहीं की गई। परिणामस्वरूप ₹ 51.01 लाख के राजस्व की शासन को प्राप्ति नहीं हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने बताया कि संबंधित क्षेपअ/जिपअ को बकाया करों की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

4.4.8.2 यानकर का कम आरोपण एवं शास्ति का अनारोपण

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88(9) के अधीन राज्य परिवहन अधिकारी (रापअ) द्वारा अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र मंजूर किये जाते हैं। तथा यानकर *अधिनियम* की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से देय है। लोक सेवा यान के संबंध में कर का निर्धारण वाहन की बैठक क्षमता और उसके द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर तय किया जाता है। यदि वाहन स्वामी पूर्ण कर का संदाय निर्धारित समयावधि में करने में असमर्थ रहता है तो वह *अधिनियम* की धारा-13 के अधीन शास्ति का भी दायी होगा।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) सत्रह कार्यालयों के अप्रैल 2009 और मार्च 2014 के मध्य के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि 125 वाहनों में से 44 वाहनों पर कम दर से कर जमा करने के कारण कम कर का भुगतान किया गया है। कराधान प्राधिकारियों द्वारा गलत दर के अनुप्रयोग को संसूचित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 56.60 लाख के वाहन कर की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 61.66 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने बताया कि संबंधित क्षेपअ/जिपअ को बकाया करों की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

4.4.9 ठेका गाडी के रूप में प्रचालित मैक्सी कैब यानों पर यान कर एवं शास्ति का अनारोपण

अधिनियम की धारा 3(1) के तहत, राज्य में उपयोग के लिये लायी गई या उपयोग के लिये रखी गयी प्रत्येक मैक्सी कैब यान पर यानकर का उद्ग्रहण *अधिनियम* की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से किया जावेगा, यदि स्वामी शोध कर का संदाय निर्धारित समयावधि में करने में असफल रहता है तो वह *अधिनियम* में विनिर्दिष्ट दर से शास्ति का भी दायी होगा ।

हमने (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) सत्रह कार्यालयों के अप्रैल 2009 और मार्च 2014 के मध्य के अभिलेखों की जाँच की ओर पाया कि 4,015 वाहनों में से 350 वाहनों पर कर की राशि ₹ 99.57 लाख का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया था। कर्राधान प्राधिकारियों द्वारा *अधिनियम* एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के वाहनों का पता लगाने व कर की वसूली किये जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, ₹ 90.59 लाख की शास्ति, यद्यपि आरोपणीय थी, आरोपित नहीं की गई। परिणामस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ के राजस्व की शासन को प्राप्ति नहीं हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने बताया कि संबंधित क्षेपअ/जिपअ को बकाया करों की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

4.4.10 आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना सभी अधीनस्थ कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादित करने तथा ऐसे परीक्षण के दौरान संसूचित अनियमितताओं पर उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु अनुदेश जारी करने के उद्देश्य के साथ की गई है। हमने देखा कि “ मंजिली गाडी/ठेका गाडी अनुज्ञापत्र पर चलित लोकसेवा वाहनों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण ” से संबंधित विशिष्ट पहलुओं को आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा कवर नहीं किया गया था, जो यह दर्शाता है कि राजस्व के रिसाव के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रणाली सुनिश्चित नहीं की गई थी।

इसके अलावा, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC-National Informatics Centre), नई दिल्ली के साथ राज्य में सभी क्षेपअ के बीच राष्ट्रीय डाटा बेस नेटवर्क तैयार एक योजना शुरू की थी। इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा दो सॉफ्टवेयर तैयार किये गये, वाहनों के पंजीयन, करों के संग्रहण, शास्ति आदि हेतु ‘वाहन’ साफ्टवेयर तथा शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, चालक अनुज्ञप्ति, मोटर प्रशिक्षण विद्यालय अनुज्ञप्ति आदि जारी करने हेतु ‘सारथी’ साफ्टवेयर विकसित किया गया। हांलाकि क्षेपका/अक्षेपका/जिपका के बीच डाटा बेस के इंटरलिंगिंग की कोई व्यवस्था नहीं है परन्तु परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा सेंट्रल सर्वर के माध्यम से क्षेपका/अक्षेपका/जिपका के डाटा बेस का उपयोग किया जा सकता है। डाटा बेस जोडने के तंत्र के

अभाव में कार्यालय यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है कि वाहन मालिकों द्वारा कर की अदायगी ठीक ढंग से की जा रही है।

विभाग को विशेष रूप से मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी के रूप में चलित वाहनों के लिए केंद्रीय रूप से उपलब्ध डाटा को मजबूत बनाने के लिए प्रणाली विकसित करना चाहिए ताकि कर राजस्व के रिसाव से बचा जा सके।

4.4.11 विभागीय पुस्तिका का अभाव

एक आंतरिक नियंत्रण के उपाय के रूप में यह आवश्यक है कि विभाग के विभिन्न विंग्स के कार्य सुचारू रूप से चलना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर के कर्मचारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया की रूपरेखा बनाते हुए विभागीय पुस्तिका तैयार की जाये। परिवहन विभाग में शासन/विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी श्रेणियों के अधिकारियों की कार्यप्रणाली व जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई भी विभागीय पुस्तिका नहीं है। विभागीय पुस्तिका के अभाव में विभाग द्वारा वाहनों के पंजीकरण, करों के आरोपण आदि से संबंधित प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न चेक व बैलेंस को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। आगे यह भी देखा गया कि विभाग में कम्प्यूटरीकरण के बाद कर के भुगतान या बकाया के संबंध में अभिलेखों/पंजियों का संधारण मेन्सूली रूप से नहीं किया जा रहा है। विभाग के कम्प्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर में करों के कम आरोपण, बगैर कर की अदायगी के उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने, मॉगपत्र जारी करने आदि के बारे में कोई पता लगाने के लिए कोई चेकस उपलब्ध नहीं है। इन आवश्यक चेकस के अभाव में राजस्व के रिसाव को नहीं रोका जा सकता।

शासन को राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए एक विभागीय पुस्तिका बनाने और उचित प्रणाली निर्धारित करने के लिए विचार करना चाहिए।

4.4.12 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा में विभाग के ध्यान देने योग्य अनुपालन और प्रणाली की कई कमियों का पता चला जिन्हें पूर्ववर्ती कंडिकाओं में दर्शाया गया है। हमारा निष्कर्ष है कि :

- अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए ऐसे वाहन जिन्होंने ने अपने विनिर्माण वर्ष से 15 वर्ष का जीवनकाल पूरा कर लिया था को भी मंजिली गाड़ी के अनुज्ञापत्र जारी करने के प्रकरण पाये गये;
- नियमों के अनुसार यात्री वाहनों की बैठक क्षमता संशोधित में अत्यधिक देरी ;
- करों के आरोपण, करों के कम दर से आरोपण और बकाया राशि की वसूली न होना ;
- परिवहन आयुक्त कार्यालय तथा इकाई कार्यालयों के बीच समन्वय के अभाव के कारण कर के भुगतान से छूट की अनियमित स्वीकृति ;

- वाहनों को अनियमित रूप से उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने व कर प्राप्त न करने के प्रकरण ; तथा
- माँगपत्र और जब्त वाहनों के प्रकरण में निष्क्रियता के प्रकरण भी देखे गये ।

4.5 अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

हमने विभिन्न परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा की एवं अधिनियमों/नियमों/ शासन की अधिसूचनाओं/निर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप कर, शुल्क आदि की वसूली न होना/कम होना आदि के कई प्रकरण पाए गए जैसा कि इस अध्याय की आगामी कंडिकाओं में वर्णित है। ये प्रकरण उदाहरणार्थ हैं एवं हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित हैं। परिवहन प्राधिकारियों द्वारा की गई इस प्रकार की चूकें पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई हैं। परन्तु न केवल ये अनियमितताएं निरन्तर बनी रहती हैं और लेखापरीक्षा किये जाने तक प्रकाश में नहीं आती। शासन द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार किये जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसी चूकों से बचा जा सके।

4.6 वाहनों पर कर व शास्ति की वसूली न होना

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम), 1991 की धारा 3(1) के अनुसार, राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग के लिये रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों (मासिक/त्रैमासिक) के अनुसार किया जायेगा। यदि वाहन स्वामी कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह कर की असंदत्त राशि पर धारा 13 के अनुसार चार प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति के भुगतान का दायी होगा/होगी, जो कर की राशि के दुगुने से अनधिक होगी। साथ ही, अधिनियम की धारा 22 और उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार, कराधान प्राधिकारी द्वारा कर की वसूली पर निगरानी रखने के लिये एक मांग एवं वसूली पंजी संधारित किया जाना अपेक्षित है। यह भी अपेक्षित है कि वह निश्चित कालावधि में रजिस्टर की समीक्षा करेगा और चूककर्ताओं को मांग सूचना पत्र जारी करेगा। इसके अतिरिक्त, परिवहन आयुक्त द्वारा सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/ जिला परिवहन अधिकारियों को परिपत्र क्रमांक 10/12 दिनांक 15.12.1992 द्वारा निर्देशित किया गया था कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी को अपने कार्यालय का वर्ष में दो बार निरीक्षण अवश्य करना चाहिए।

4.6.1 हमने (मार्च 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य) अभिलेखों (माँग एवं वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी पंजी, वाहन समर्पण पंजी, अनुज्ञा-पत्रों, समर्पण पंजी के साथ-साथ कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस) की जाँच की ओर पाया कि अप्रैल 2010 और मार्च 2013 के मध्य की अवधि से संबंधित नमूना जांच किये गये 16,562 वाहनों में से 1,553 वाहनों पर कर की राशि ₹ 4.18 करोड़ का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया था। अभिलेख में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि वाहनों को सड़क पर नहीं चलाया जा रहा था अथवा उन्हें किसी अन्य जिले/राज्य में स्थानान्तरित कर दिया गया था।

कराधान प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार, चूककर्ता वाहन स्वामियों से कर की वसूली किये जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त ₹ 2.69 करोड़ की शास्ति, यद्यपि आरोपणीय थी, आरोपित नहीं की गई। कराधान प्राधिकारियों द्वारा कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था, लेकिन उनके द्वारा चूक संसूचित नहीं की गई थी जो इंगित करता है कि निरीक्षण निष्प्रभावी था। इसके परिणामस्वरूप तालिका क्रमांक 4.2 में दर्शाये गये अनुसार ₹ 6.87 करोड़ के शासकीय राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई :

तालिका कं. 4.2

(₹ करोड में)						
क.सं.	कार्यालयों की संख्या	वाहनों की श्रेणी/वाहनों की संख्या	अर्न्तविहित अवधि	भुगतान न किया गया कर	आरोपित शास्ति	योग
1	19 ⁶	मालवाहन/836	4.10 से 3.13	1.62	1.10	2.72
2	19 ⁷	आरक्षित वाहनों के रूप में रखे गये लोकसेवा यान/412	4.10 से 3.13	2.00	1.14	3.14
3	13 ⁸	मैक्सी कैब/टेक्सी कैब/305	4.08 से 3.12	0.56	0.45	1.01
	योग	1,553		4.18	2.69	6.87

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर फरवरी 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य छह कराधान प्राधिकारियों⁹ ने बताया कि फरवरी 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य कि पाँच प्रकरणों में ₹ 74,000 की राशि वसूल की जा चुकी थी एवं 291 प्रकरणों में चूककर्ताओं को माँग सूचना पत्र जारी किये जा चुके थे।

4.6.2 हमने (सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2013 के मध्य) तीन जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों¹⁰ में अभिलेखों (माँग एवं वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी पंजी, वाहन समर्पण पंजी, अनुज्ञा-पत्र समर्पण पंजी के साथ-साथ कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस) की जांच की और पाया कि 375 वाहनों की नमूना जाँच में 30 मोटर वाहनों के लिये वाहन कर का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2010 एवं मार्च 2013 के मध्य की अवधि के दौरान एक माह से लेकर 25 माह तक के विलम्ब से किया गया था। किन्तु वाहन स्वामियों द्वारा न तो कर के साथ शास्ति का भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों

⁶ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी(क्षेपअ) – भोपाल,ग्वालियर,होशंगाबाद,इंदौर,जबलपुर,मुर्ना,रीवा,सागर तथा शहडोल, अति.क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी(अक्षेपअ) – छतरपुर,छिंदवाडा,गुना,कटनी तथा सतना, तथा जिला परिवहन अधिकारी(जिपअ) – बैतूल,दतिया,झाबुआ,नीमच तथा रतलाम

⁷ क्षेपअ – भोपाल,ग्वालियर,होशंगाबाद,इंदौर,जबलपुर,मुर्ना,रीवा,सागर तथा शहडोल, अक्षेपअ – छतरपुर,छिंदवाडा,गुना,कटनी तथा सतना तथा जिपअ – बैतूल,दतिया,झाबुआ,नीमच तथा रतलाम

⁸ क्षेपअ – भोपाल,होशंगाबाद,इंदौर,रीवा, तथा शहडोल, अक्षेपअ – छतरपुर,छिंदवाडा,गुना तथा सतना तथा जिपअ – बैतूल,झाबुआ,नीमच तथा रतलाम

⁹ क्षेपअ – भोपाल,इंदौर तथा सागर, अक्षेपअ – छिंदवाडा तथा सतना तथा जिपअ –दतिया

¹⁰ अक्षेपअ – गुना तथा जिपअ – बैतूल तथा रतलाम

द्वारा इसकी मांग की गई। कराधान प्राधिकारियों द्वारा सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था किन्तु उनके द्वारा चूक संसूचित नहीं की गई थी जो इंगित करता है कि निरीक्षण निष्प्रभावी था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.95 लाख की शास्ति की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा (सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2013 के मध्य) इंगित किये जाने पर कराधान प्राधिकारी, गुना ने बताया (सितम्बर 2013) कि वाहन स्वामियों को वसूली हेतु माँग पत्र जारी किये जायेंगे तथा अन्य कराधान प्राधिकारियों ने बताया कि प्रकरणों के परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी।

हमने प्रकरण शासन एवं विभाग को जून 2014 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

4.7 अर्थमूवर एवं हार्वेस्टर पर कर एवं शास्ति की वसूली न होना

दिनांक 28 दिसम्बर 2007 की अधिसूचना के अनुसार, मोटर वाहनों जैसे क्रेन, लोडर, अर्थमूवर, हार्वेस्टर इत्यादि के कर की दरों में उनके लदान रहित भार के अनुसार दरों में संशोधन किया गया था अर्थात् 7,000 किलोग्राम तक ₹ 3,700 प्रति तिमाही और तत्पश्चात् प्रत्येक 1,000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये ₹ 500 प्रति तिमाही। यदि निर्धारित समयावधि में देय कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 13 में विनिर्दिष्ट दर से शास्ति भी आरोपणीय होगी।

हमने (मार्च 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य) 18 जिला/ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों¹¹ में अभिलेखों (माँग एवं वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी पंजी, के साथ-साथ कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस) की जाँच की और पाया कि अप्रैल 2010 एवं मार्च 2013 के मध्य की अवधि से सम्बन्धित नमूना जाँच किये गये 2,596 वाहनों में से 394 वाहनों (हार्वेस्टर, अर्थमूवर, क्रेन इत्यादि) पर कर का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया था। कराधान प्राधिकारियों द्वारा सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था किन्तु उनके द्वारा चूक संसूचित नहीं की गयी थी जो कि यह दर्शाता है कि निरीक्षण निष्प्रभावी था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 61.55 लाख के कर की प्राप्ति नहीं हुई। इसके अतिरिक्त कर की असंदत्त राशि पर आरोपणीय ₹ 38.36 लाख की शास्ति भी आरोपित नहीं की गई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (फरवरी 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य), चार कराधान प्राधिकारियों¹² ने बताया (मई एवं सितम्बर 2013 के मध्य) कि दो प्रकरणों में राशि ₹ 42,000 वसूल की जा चुकी हैं एवं 73 प्रकरणों में चूककर्ताओं को माँग सूचना पत्र जारी किये गये हैं।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को जून 2014 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

¹¹ क्षेपअ – ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर तथा शहडोल, अक्षेपअ – छतरपुर, छिंदवाडा, गुना, कटनी तथा सतना, जिपअ – बैतूल, दतिया, झाबुआ, नीमच तथा रतलाम

¹² क्षेपअ – मुरैना, रीवा तथा सागर, जिपअ – छिंदवाडा

4.8 व्यापार फीस की वसूली न होना/कम वसूली होना

केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 34 के अनुसार, किसी व्यवसायी द्वारा व्यापार प्रमाण-पत्र दिये जाने या उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र-16 में उसके साथ उपरोक्त अधिनियम के नियम-81 में उल्लिखित फीस (मोटर साइकिल के लिये ₹ 50 एवं अन्य के लिये ₹ 200 प्रति वाहन) संलग्न कर प्रस्तुत किया जाएगा। व्यवसायी द्वारा बेचे गये प्रत्येक वाहन पर फीस प्रभारणीय है। इसके अतिरिक्त, परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.01.2012 के अनुसार नियमानुसार व्यापार फीस वसूलनी थी।

हमने (फरवरी 2013 और फरवरी 2014 के मध्य) 11 जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों¹³ में व्यापार फीस पंजी तथा व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों (जहाँ उपलब्ध थी) एवं कराधान प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से अवलोकित किया कि अप्रैल 2010 और मार्च 2013 के मध्य विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत 3,00,016 वाहन पंजीकृत किये गये थे, फिर भी व्यवसायियों द्वारा या तो वांछित व्यापार फीस जमा नहीं की गई थी या निर्धारित राशि से कम जमा की गई थी। कराधान प्राधिकारी बेचे गये उन वाहनों की वास्तविक संख्या भी सुनिश्चित नहीं कर सके जिनके विरुद्ध व्यापार प्रमाण-पत्र जारी किये गये और व्यापार फीस की सही राशि वसूल नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.19 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति/प्राप्ति नहीं हुई।

हमारे द्वारा (फरवरी 2013 और फरवरी 2014 के मध्य) प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कराधान प्राधिकारी, इन्दौर व छतरपुर ने बताया (मार्च 2013) कि व्यवसायियों से व्यापार कर का संग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत तृतीय अनुसूची में उल्लिखित दरों के अनुसार किया जाता है। उत्तर में केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अन्तर्गत व्यापार फीस की वसूली न होने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। जबकि कराधान प्राधिकारी, नीमच ने बताया (दिसम्बर 2013) कि भविष्य में व्यापार फीस की वसूली नियमानुसार की जायेगी। शेष कराधान प्राधिकारियों¹⁴ ने बताया (फरवरी 2013 और फरवरी 2014 के मध्य) कि मुख्यालय से निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी किये थे कि व्यापार फीस की वसूली केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के अनुसार की जायेगी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को जून 2014 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

¹³ क्षेपअ – होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, रीवा तथा शहडोल, अक्षेपअ – छतरपुर, छिंदवाडा, कटनी तथा सतना, जिपअ – बैतूल तथा नीमच

¹⁴ क्षे.प.अ. – होशंगाबाद, जबलपुर, रीवा तथा शहडोल, अ.क्षे.प.अ. – छिंदवाडा, कटनी तथा सतना, जि.प.अ. – बैतूल

4.9 आधिक्य भार ले जाने वाले वाहनों से शमन शुल्क की कम वसूली

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194 के अनुसार, मालयानों द्वारा आधिक्य भार को ले जाने के लिये शमन शुल्क न्यूनतम ₹ 2,000 और अतिरिक्त राशि ₹ 1,000 प्रथम टन के लिये और उसके बाद ₹ 500 प्रति टन या उसके भाग आधिक्य भार के लिये होगा।

हमने (अप्रैल 2010 और मार्च 2013 के मध्य) सात सीमा चैक पोस्टों¹⁵ में अवधि अप्रैल 2010 और मार्च 2013 के मध्य की अपराध पंजी के साथ मध्यप्रदेश कोषालय संहिता-6(म.प्र.को.सं.-6) की जाँच की और पाया कि 330 मालयानों द्वारा एक टन से 51 टन आधिक्य भार अपने रजिस्ट्रीकृत लदान वजन (आर.एल.डब्ल्यू.) से अधिक ले जाया गया था। प्रभारी अधिकारी ने वाहन स्वामियों से वसूली योग्य शुल्क ₹ 11.69 लाख के विरुद्ध केवल ₹ 5.09 लाख शमन शुल्क आरोपित एवं वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.60 लाख का शमन शुल्क कम प्राप्त हुआ।

हमारे द्वारा (अक्टूबर और दिसम्बर 2013 के मध्य) प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, प्रभारी अधिकारी दत्तिया व रतलाम ने बताया (नवम्बर 2013) कि चूककर्ताओं की वसूली से सूचित किया जायेगा, जबकि प्रभारी अधिकारी झाबुआ व नीमच ने बताया (दिसम्बर 2013) कि भविष्य में मोटरयान अधिनियम के अनुसार वसूली की जायेगी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को जून 2014 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

¹⁵

कैम्हा, मझगवों (सतना), मालथोन (सागर), मुरैना, पहाडीबंधा, संजय नगर (छतरपुर) तथा सेंधवा (बडवानी)

अध्याय—3

राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, शासन स्तर पर विभाग के प्रशासकीय प्रमुख है। आबकारी आयुक्त (आ.आ.) विभाग प्रमुख है, जिनकी सहायता के लिए मुख्यालय ग्वालियर पर एक अपर आबकारी आयुक्त, (अ.आ.आ.), तीन उपायुक्त आबकारी (उ.आ.आ.), सम्भागीय उड़नदस्ता, जिलों में 15 सहायक आयुक्त आबकारी (स.आ.आ.) तथा 54 जिला आबकारी अधिकारी (जि.आ.अ.) होते हैं। जिले में कलेक्टर आबकारी प्रशासन को प्रमुख होता है तथा मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के फुटकर विक्रय की दुकानों के व्यवस्थापन के लिए सक्षम है तथा आबकारी राजस्व की वसूली के लिए भी उत्तरदायी है।

आसवनियों, बोतल भराई, संयंत्र (विदेशी मदिरा) तथा यवासवनियों में कार्य संचालन का परीक्षण जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा आसवनियों/यवासवनियों तथा बोतल भराई संयंत्रों में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारियों तथा उपनिरीक्षकों की सहायता से किया जाता है।

राज्य आबकारी राजस्व में, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अधिरोपित या आदेशित किसी शुल्क, फीस, शास्ति या राजसातकरण से प्राप्तियाँ संचिन्हित होती हैं। इसमें विक्रय के लिए मदिरा का विनिर्माण आधिपत्य तथा प्रदाय, भाँग एवं पॉपी स्ट्रॉ से प्राप्त राजस्व भी सम्मिलित होता है।

3.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आबकारी आयुक्त कार्यालय से आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष (आई.ए.सी.) की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। इसका प्रमुख संयुक्त संचालक होता है, ये अन्य 6 अधिकारियों के सहयोग से विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्य का निष्पादन करते हैं।

इकाईयों की योजना, लेखापरीक्षित ली गई आपत्तियाँ, निराकृत एवं शेष आपत्तियों का विश्लेषण तालिका 3.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1

वर्ष	रोस्टर के अनुसार इकाईयां	लेखापरीक्षित इकाईयां	रोस्टर से कम लेखापरीक्षित इकाईयां	कमी का प्रतिशत	शामिल की गई कंडिकाएं	निराकृत की गई कंडिका	वर्ष के अन्त में शेष बची कंडिकाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
2009-10	48	26	22	45.83	14	—	64
2010-11	50	41	08	18.00	60	07	117
2011-12	50	16	34	68.00	64	12	169
2012-13	50	16	34	68.00	111	10	270
2013-14	35	08	27	77.14	41	00	311

विभाग द्वारा (सितम्बर 2014) में बताया गया कि इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा में वर्ष 2013-14 के लक्ष्य में कमी विधानसभा चुनाव में स्टाफ की पदस्थापना के कारण हुई।

3.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य उत्पाद प्राप्तियों से सम्बन्धित 61 इकाईयों में से 37 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 66,035 प्रकरणों में ₹ 361.90 करोड़ की राशि का अवनिर्धारण, राजस्व की हानि एवं शास्ति का अनारोपण आदि प्रकट हुआ, जिन्हें आगामी तालिका 3.2 में दर्शाये अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है।

तालिका 3.2

			(₹ करोड़ में)
क्रमांक	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	अनुज्ञापितधारियों को अनुचित लाभ	2,812	39.83
2	सत्यापन प्रतिवेदन की प्राप्ति न होने पर शुल्क की वसूली न होना	3,940	30.10
3	स्पिरिट/मदिरा की अधिक हानियों पर शास्ति/शुल्क का अनारोपण	14,059	20.51
4	मदिरा दुकानों से लायसेंस फीस की वसूली न होना/कम वसूली होना	04	0.13
5	देशी/विदेशी मदिरा का अनियमित प्रदाय	102	4.69
6	लायसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर शास्ति का अनारोपण	3,602	6.97
7	अन्य प्रेक्षण	41,516	259.67
योग		66,035	361.90

विभाग ने वर्ष के दौरान इंगित किये गये 38,689 प्रकरणों में ₹ 180.99 करोड़ के अवनिर्धारण, शास्ति का अनारोपण एवं राजस्व की हानि को स्वीकार किया। वर्ष 2013-14 में 406 प्रकरणों में ₹ 1.49 करोड़ की राशि वसूल की गई।

कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षण को जिनमें ₹ 60.43 करोड़ की राशि 28,096 प्रकरणों में अंतर्निहित है, उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है।

3.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने आबकारी आयुक्त, उपायुक्त आबकारी, सहायक आयुक्त आबकारी तथा जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में उत्पाद शुल्क, फीस एवं अन्य प्रभारों के निर्धारण अभिलेखों की जाँच की और शुल्क, फीस एवं शास्ति के अनारोपण के प्रकरण पाये और अनेक प्रकरणों में अधिनियम/नियमों तथा परिपत्रों के प्रावधानों का पालन न किये जाने सम्बन्धी कई प्रकरण पाये, जिनका उल्लेख इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया। ये प्रकरण उदाहरणात्मक है तथा हमारे द्वारा की गई नमूना जाँच पर आधारित है। ऐसी चूकों को पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया गया है, किन्तु ऐसी अनियमितताएं लगातार बनी हुई है जो कि विभाग की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावहीनता को दर्शाती है।

3.5 विभाग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों को दिया गया अनुचित लाभ

आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक तीन फरवरी 2012 को जारी अधिसूचना के तहत वर्ष 2012-13 के लिए दुकानों के माध्यम से शराब की बिक्री के लिए शर्तों के तहत दुकान का वार्षिक मूल्य, बेसिक लाईसेंस शुल्क (बी.एल.एफ) और वार्षिक लाईसेंस शुल्क (ए.एल.एफ.) की राशि होगी। बी.एल.एफ, स्थान के अनुसार दुकान के वार्षिक मूल्य की 55 फीसदी और 60 फीसदी के बीच तय की जाएगी और शेष राशि ए.एल.एफ. के रूप में वसूल की जाएगी। बी.एल.एफ और ए.एल.एफ. दोनो 24 पाक्षिक किस्तों में वसूल योग्य होगी। शराब के मुद्दे पर बी.एल.एफ के रूप में लाईसेंस धारी द्वारा जमा शुल्क की राशि की दुकान के ए.एल.एफ. की पाक्षिक मांग के खिलाफ समायोजन किया जाएगा। एक लाईसेंस किसी भी पखवाड़े के लिए निर्धारित ए.एल.एफ. की राशि से अधिक शराब खरीद करता है तब वह राशि आगामी पाक्षिक अवधि के ए.एल.एफ. के खिलाफ समायोजन होगी। इसके अलावा वर्ष के लिए निर्धारित शराब के लिए अतिरिक्त बी.एल.एफ जमा करने की कोई जरूरत नहीं होगी, शराब जमा राशि के विरुद्ध जारी की जा सकती है।

हमने अवलोकित किया कि (अगस्त 2013) के लिए ई.सी. कार्यालय में जिला आबकारी आयुक्तों द्वारा प्रस्तुत रिटर्न के अनुसार 34 जिलों¹ के ए.एल.एफ 2013 देशी शराब और 709 विदेशी शराब की दुकानों के लिए ₹ 1,230.04 करोड़ था । लाईसेंसधारियों ए.एल.एफ ₹ 1262.98 करोड़ शुल्क जमा कर शराब खरीदी जो कि ₹ 32.94 करोड़ तक सीमा से अधिक थी । इन मामलों में जमा की गई ड्यूटी ए.एल.एफ से अधिक राशि जमा की गई बजाय उसे आगामी पक्ष की ए.एल.एफ राशि में समायोजित करने के एवं उसके विरुद्ध मदिरा लेने के लिए तब तक अनुमत किया जब तक वर्ष की कुल ए.एल.एफ के बराबर मदिरा उनके द्वारा ले ली गई । ऐसा किसी प्रकार का समायोजन मदिरा विक्रय की शर्तों में शामिल नहीं था इस तरह के विक्रय पर ₹ 40.26 करोड़ बी.एल.एफ 55 प्रतिशत की दर से वसूल की जानी चाहिए थी । हमने देखा कि लाईसेंसधारियों द्वारा बी.एल.एफ के रूप में राशि ₹ 43.10 लाख जमा कराई गई शेष बची राशि की वसूली के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस तरह अनुज्ञप्तिधारियों को अनुचित लाभ के साथ बी.एल.एफ ₹ 39.83 करोड़ कम वसूली की गई ।

हमारे बताये जाने के बाद (अगस्त 2013), में आबकारी आयुक्त ने बताया (नवम्बर 2013), कि सरकार द्वारा निर्धारित नीति के तहत दुकान का वार्षिक मूल्य चुकाने के बाद लायसेंस राशि को शराब जारी करने का प्रावधान है जिसके लिए उसे अतिरिक्त बजट नहीं देना पड़ता है । हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि मदिरा का प्रदाय पूरे वर्ष की निर्धारित बी.एल.एफ की पुरी राशि चुकाने के बाद किया जा सकता है । इन प्रकरणों में लाईसेंस को शराब का निर्धारित सीमा से अधिक का क्रय करना अनुमत किया गया था परन्तु उनसे उसकी अनुपालित बी.एल.एफ की राशि वसूल नहीं की गई थी जो कि अनुचित है एवं जिसके कारण खुदरा लाईसेंसधारियों को राशि ₹ 39.83 करोड़ का अनुचित लाभ मिला ।

हमारे द्वारा मामला सरकार एवं विभाग के संज्ञान में मई 2014 में लाया गया था परन्तु दिसम्बर 2014 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

¹ अलीराजपुर, बड़वानी, बैतुल, मिण्ड, भोपाल, बुरहानपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिण्डौर, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खण्डवा, खरगौन, मण्डला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, राजगढ़, रतलाम, सागर, सतना, सिवनी, शाजापुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, उज्जैन और विदिशा

3.6 निर्यात/परिवहन की गई विदेशी मदिरा/बीयर और मदिरा की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना ।

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम एवं उसके तहत बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि कोई भी मादक द्रव्य किसी भी आसवनी, यवासवनी, मद्यभण्डागार या भण्डारण के किसी अन्य स्थान से निर्यात/परिवहन नहीं दिया जायेगा, जब तक कि अनुज्ञापतिधारी परिवहित/निर्यात किये जाने वाले मादक द्रव्य की पूरी मात्र पर आरोपणीय निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है, अथवा समान राशि की बैंक गारंटी या प्रारूप एफ. एल. 23/देशी स्पिरिट-10 में इतनी राशि के लिये पर्याप्त शोधक्षम प्रतिभूतियों के साथ बन्ध पत्र निष्पादित कर प्रस्तुत नहीं करता है। इसके साथ ही लायसेंस धारक आयातक इकाई/विदेशी मदिरा भण्डागार के प्रभारी अधिकारी से एक अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा तथा अनुज्ञापत्र की वैधता अवधि की समाप्ति के 40 दिनों के भीतर निर्यात/परिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। विफलता की स्थिति में अन्तर्निहित शुल्क की वसूली जमा की गई राशि प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी अथवा निष्पादित प्रतिभूति बन्ध पत्र से की जायेगी। आगे शासन द्वारा आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2010 में प्रावधानित है कि यदि अनुज्ञापत्र निर्धारित समय सीमा 40 दिनों के बाद प्रस्तुत की जाती है तो वसूल की गई ड्यूटी सत्यापन के बाद निर्यातक को वापस की जावेगी।

मई 2013 और मार्च 2014 के मध्य सात जिलों की 6 विदेशी मदिरा बाटलिंग इकाईयों² (विदेशी मदिरा बाटलिंग लायसेंस एफ.एल. -9) चार यवासवनियों³ (यवासवनी/मदिरा लायसेंस बी -3) दो देशी मदिरा बाटलिंग इकाई (सी.एस. 1 बी.)⁴ तथा बाह्य निर्माताओं⁵ के दो केन्द्रीय भण्डागारों जो कि सात जिलों⁶ में स्थित थे। (बाह्य निर्माताओं के केन्द्रीय भण्डागार लायसेंस एफ.एल -10 ए) की निर्यात/परिवहन अनुज्ञापत्र पंजियो एवं आबकारी सत्यापन पत्रों (ई.बी.सी.) में हमने देखा कि दिसम्बर 2013 और जनवरी 2014 के मध्य लायसेंस धारकों ने 565 अनुज्ञापत्रों पर 10,83,414.92 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा (स्पिरिट) 8,60,755.00 बल्क लीटर (बी.एल.) बीयर और 1,70,144.5 प्रूफ

² मे. युनाइटेड स्प्रिट लिमिटेड, सारवेर, भोपाल, मे. युनाइटेड स्प्रिट लिमिटेड, गोविन्दपुरा, भोपाल,

मे. ओएसीस डिसटीलरी लिमिटेड, धार, मेसर्स कोक्स इंडिया लिमिटेड नौगांव, छत्तरपुर, मेसर्स सोम डिसटीलरी प्रा. लिमिटेड सेहतगंज, रायसेन और मेसर्स सोम डिसटीलरी और ब्रिवरीज लिमिटेड रोजराचक, रायसेन

³ मेसर्स जगपीन ब्रिवरीज लिमिटेड, नौगाव, छत्तरपुर, मेसर्स एम.पी. बीयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इन्दौर, मेसर्स सबमीलर इंडिया लिमिटेड, बानमोर, मोरैना और मेसर्स सोम डिसटीलरी एण्ड ब्रिवरीज लिमिटेड, रोजराचक, रायसेन

⁴ लाइसेन्स ऑफ कन्ट्ररी स्पिरिट बॉटलिंग मेसर्स कोक्स इंडिया लिमिटेड, नौगाव, छत्तरपुर, मेसर्स सोम डिसटीलरी प्रा. लिमिटेड सेहतगंज, रायसेन

⁵ मेसर्स भाटिया वार्डन ट्रेडर्स प्रा. लिमिटेड जबलपुर एण्ड मेसर्स युनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड सारवेर भोपाल

⁶ भोपाल, छत्तरपुर, धार, इन्दौर, जबलपुर, मोरैना और रायसेन

लीटर (पी.एल.) देशी मदिरा का निर्यात/परिवहन किया, जिसमें शुल्क ₹ 14.41 करोड़ अर्न्तनिहित था। यद्यपि इस प्रकार निर्यात/परिवहन की गई मदिरा की मात्रा की प्राप्ति के सत्यापन प्रतिवेदन गन्तव्य इकाईयों से निर्धारित समय से प्राप्त नहीं हुये थे, तथापि अनुज्ञात अवधि के पश्चात् तीन से 877 दिनों व्यतीत होने के बाद भी विभाग द्वारा बैंक गारंटी अथवा बन्ध पत्र से शुल्क के समायोजन की कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.41 करोड़ का राजस्व वसूल नहीं हुआ। आगे यह भी देखा गया कि नियमों को पालन न करने से शास्ति का आरोपण करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित करने पर जिला आबकारी अधिकारी आसवानी रायसेन ने बताया (फरवरी 2014) कि अभिलेख दमोह पुलिस द्वारा मद्य भण्डागार देवास से वसूल की गई। शेष सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि सत्यापन प्रतिवेदन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद प्रस्तुत किया जावेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मदिरा का निर्यात/परिवहन बैंक गारंटी/बन्ध पत्र प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जवाब में यह नहीं दर्शाता कि शुल्क की वसूली/बन्ध पत्र/बैंक गारंटी की वसूली किये बिना मदिरा का निर्यात/परिवहन क्यों किया गया तथा शुल्क की वसूली के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

हमने मामले को शासन और विभागाध्यक्ष को मई 2014 में प्रतिवेदित किया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। (दिसम्बर 2014)

3.7 शास्ति की वसूली न होना।

आबकारी अधिनियम 1915 में प्रावधान है कि अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों के किसी प्रावधान के अनुरूप आबकारी राजस्व से सम्बन्धित शासन को देय सभी राशियां उस सशक्ति से जो प्राथमिक तौर पर भुगतान के लिये दायी है, भू-राजस्व के बकाया की भांति कर सकें।

हमने जून 2013 में 6 विनिर्माताओं⁷ पर 6 उपायुक्त आबकारी कार्यालयों⁸ के शास्ति वसूली विवरण पत्रकों से अवलोकित किया कि सम्बन्धित सम्भाग के उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता द्वारा फरवरी 2010 तथा मई 2012 के मध्य की अवधि के दौरान मदिरा के अधिक मार्ग हानि के 70

⁷ मेसर्स एसोसीएट अल्कोहल एण्ड ब्रिवरीज लिमिटेड खरगोन, मेसर्स सोम डिस्टीलरी प्रा. लिमिटेड सेहतगंज, रायसेन, मेसर्स कोक्स इडिया लिमिटेड नौगाव, छत्तरपुर, मेसर्स ग्रेट गैलन लिमिटेड सेजवाया, धार, मेसर्स ग्वालियर डिस्टीलर लिमिटेड रैरू, ग्वालियर एवं मेसर्स ओएसिस डिस्टीलरी लिमिटेड धार

⁸ भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन

प्रकरणों तथा जिला कलेक्टर धार द्वारा एक प्रकरण में राशि ₹ 3.75 करोड़ की शास्ति आरोपित की गई। आगे यह देखा कि खरगोन जिले के एक प्रकरण में राशि ₹ 62,000 की वसूली हुई, शेष 70 प्रकरणों में राशि ₹ 3.75 करोड़ की वसूली लेखापरीक्षा दिनांक (जून 2013) तक नहीं हुई। हमने यह भी देखा कि सहायक आबकारी आयुक्तों उप आबकारी आयुक्तों द्वारा भू-राजस्व के बकाया की वसूली के कोई प्रयास नहीं किये गये। इस प्रकार ₹ 3.75 करोड़ की शास्ति अधिरोपित नहीं हो सकी।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (जून 2013) आबकारी आयुक्त ने 56 प्रकरण (अगस्त 2013) में बताया कि सम्बन्धित उप आबकारी आयुक्त को शास्ति की वसूली करने को कहा गया है, तथा शेष 15 प्रकरण आबकारी आयुक्त न्यायालय में लम्बित है। 15 प्रकरणों से सम्बन्धित आबकारी आयुक्त के जवाब मान्य नहीं है। क्योंकि आबकारी आयुक्त के आदेश क्रमांक नं. /पठित/आबकारी/आयुक्त/12/488 ग्वालियर दिनांक 22.10.2012 में वसूली के सभी प्रकरण वापस ले लिये गये हैं तथा सभी सम्बन्धित उप आबकारी आयुक्त को शास्ति की वसूली के लिए निर्देशित कर दिया गया है। अतः वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

हमने प्रकरण शासन और विभाग को मई 2014 में प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (दिसम्बर 2014)

3.8 स्पिरिट और विदेशी मदिरा का निराकरण न होने के कारण आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना।

म. प्र. विदेशी मदिरा नियम 1996 में प्रावधान है कि लायसेंस या लेबलो की समाप्ति नवीनीकरण न होने तथा निरस्तीकरण होने पर लायसेंसधारक मदिरा का सम्पूर्ण संघ जिला आबकारी अधिकारी के नियंत्रणाधीन रखेगा। हालांकि उसे उक्त स्कंध को लायसेंस अथवा लेबलों की समाप्ति नवीनीकरण न होने और निरस्तीकरण के दिनांक से 30 दिनों के भीतर किसी अन्य लायसेंस धारक को बेचने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। जिसमें विफल रहने पर आबकारी आयुक्त राज्य के किसी अन्य पात्र लायसेंसधारक से ऐसे स्कंध को क्रय करने के लिए यह कह सकता है या नष्टीकरण इत्यादि के माध्यम से स्कंध के निराकरण के आदेश दे सकेगा।

हमने दिसम्बर 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य दो विदेशी मदिरा बाटलिंग इकाई⁹ जिला जबलपुर एवं विदेशी मदिरा मद्य भण्डागार (एफ.एल.डब्ल्यू.एच.) इन्दौर में विदेशी मदिरा/स्पिरिट के स्कंध

⁹ मेसर्स एस.जी. डिस्टीलरी प्रा. लिमिटेड जबलपुर एण्ड मेसर्स रेडसन डिस्टीलरी प्रा. लिमिटेड जबलपुर।

पंजी से अवलोकित किया कि बायलिंग इकाई के विनिर्माता इकाईयों के लायसेंस के समाप्ति/लेवलों के नवीनीकरण न होने, विदेशी मदिरा की बोतल भराई बन्द होने के कारण विदेशी मदिरा मद्य भण्डागार में अनिराकृत रखे हुए 24,221.75 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा एवं 50,592.1 प्रूफ लीटर एकस्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई.एन.ए.) में स्कंध का निराकरण करने हेतु, जिसमें ₹ 71.96 लाख का शुल्क शामिल था, 9 माहों का समय व्यतीत होने के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इन प्रकरणों के प्रभारी अधिकारी द्वारा स्कंध के निराकरण हेतु कोई कार्यवाही करने के निर्देश नहीं दिये गये। परिणामस्वरूप राशि ₹ 71.96 लाख राजस्व की हानि हुई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर विदेशी मदिरा मद्य भण्डागार इन्दौर तथा सहायक आबकारी आयुक्त जबलपुर (दिसम्बर 2013 तथा जनवरी 2014 के मध्य) में बताया कि प्रकरणों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आबकारी आयुक्त को भेज दिये गये है। तथा की गई कार्यवाही से लेखापरीक्षा को सूचित किया जावेगा। प्रकरणों में दी गई कार्यवाही लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुई है। (मई 2014)

हमने प्रकरण शासन और विभाग को मई 2014 में प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (मई 2014); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (दिसम्बर 2014)

3.9 स्पिरिट और विदेशी मदिरा/बीयर की कमी पर शुल्क/शास्ति जमा न करना।

आबकारी अधिनियम 1915 के तहत बनाये गये नियमों में एक लायसेंस धारक के स्टॉक में कम पाई गई स्पिरिट और विदेशी मदिरा से भरी बोतल/बीयर विनिर्माण इकाईयों एवं विदेशी मदिरा मद्य भण्डागार में मान्य करने का प्रावधान नहीं है। तदनुसार ऐसी कमियों पर आबकारी आयुक्त द्वारा लायसेंस धारक पर शास्ति आरोपित की जायेगी या कोई सक्षम प्राधिकारी विहित दरों से शास्ति आरोपित करने के लिए उनके द्वारा अधिकृत की जायेगी।

हमने मे0 सबमीलर इण्डिया लिमिटेड बनमोर (अक्टूबर 2013) के बीयर बाटलिंग रजिस्टर की नमूना जांच में पाया गया कि दिसम्बर 2012 तथा जनवरी 2013 के मध्य चार बैच में 1,61,204.36 बल्क लीटर बीयर की बाटलिंग की गई, के विरुद्ध मात्र टेबल 29,156.4 बल्क लीटर या बीयर स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की गई। इस प्रकार 1,32,047.96 बल्क लीटर या बीयर का कम लेखांकन किया गया। कमी के कोई कारण कारण का कोई अभिलेख में नहीं पाये गये। इस प्रकरण में ₹ 37.35 लाख की शास्ति आरोपित की जानी चाहिये थी। हालांकि हमने देखा कि प्रभारी

अधिकारी अपने उच्चतम प्राधिकारी को सूचित करने और वसूली की कार्यवाही करने में विफल रहें।

उसके अलावा हमने (दिसम्बर 2013 तथा फरवरी 2014) तीन विदेशी मदिरा बाटलिंग इकाई¹⁰ और विदेशी मदिरा मद्य भंडागार (एफ.एल.डब्ल्यू.एच.) इन्दौर के प्रभारी अधिकारी द्वारा स्टॉक के भौतिक सत्यापन करने के दौरान नवम्बर 2012 तथा जनवरी 2014 के मध्य ई. एन. ए. 1340.5 पूफ्र लीटर, विदेशी मदिरा, 1322.17 पूफ्र लीटर तथा बीयर का 58.01 बल्क लीटर कम पाई गई। महाकाल डिस्टिलरी उज्जैन में 101.7 पूफ्र लीटर विदेशी मदिरा स्टॉक में कम पाई गई (नवम्बर 2013)। इस कमियों पर शास्ति ₹ 2.65 लाख आरोपण की जानी चाहिये थी। इस प्रकार हमने देखा कि प्रभारी अधिकारी वसूली की कार्यवाही करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप राशि ₹ 40 लाख राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर जबलपुर तथा उज्जैन के सहायक आबकारी आयुक्तों ने प्रकरण दिसम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य शास्ति के आरोपण हेतु जिला आबकारी आयुक्त को भेज दिये। रायसेन जिला के जिला प्रभारी अधिकारी ने फरवरी 2014 में बताया कि कमी दुर्घटना के कारण हुई जिसके निराकरण के लिए प्रकरण में जनवरी 2014 में जिला आबकारी आयुक्त को भेज दिया गया है। विदेशी मदिरा मद्य भंडागार इन्दौर के प्रभारी अधिकारी ने जनवरी 2014 में बताया कि कार्यवाही की जा रही थी। जिला आबकारी अधिकारी आसवानी ने बताया कि (अक्टूबर 2013) अभिलेखों के सत्यापन के बाद लेखापरीक्षा को सूचना दी जावेगी।

हम सहायक आबकारी आयुक्तों एवं जिला आबकारी अधिकारियों के जवाबों से सहमत नहीं है। क्योंकि स्टॉक में कमी के विरुद्ध न तो विभाग द्वारा कोई प्रथम जाँच प्रतिवेदन दर्ज की गई और न ही, शास्ति की कार्यवाही के लिए कोई आदेश जारी किया। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। (मई 2014)

हमने मामलों को शासन तथा विभाग को (मई 2014) में प्रतिवेदित किया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (दिसम्बर 2014)

¹⁰ मेसर्स महाकाल डिस्टिलरी प्रा. लिमिटेड उज्जैन, मेसर्स रेडसेन डिस्टिलरी प्रा. लिमिटेड जबलपुर, मेसर्स सोम डिस्टिलरी प्रा. लिमिटेड सेहतगंज, रायसेन

3.10. अधिक नुकसान/कमी पर शास्ति का अनारोपण ।

3.10.1 स्पिरिट/देशी मदिरा के अधिक नुकसान/कमी पर शास्ति का अनारोपण ।

म. प्र. देशी स्पिरिट नियम 1995 के नियम 10 एवं 12 (6) के अनुसार बोतलों में भरी हुई देशी मदिरा के परिवहन में हानि की अधिकतम छूट प्लास्टिक बोतलों में 0.1 प्रतिशत तथा ग्लास बोतलों में 0.25 प्रतिशत होगी। म. प्र. आसवानी नियम 1995 के नियम 6 (4) एवं 8 (4) के अनुसार स्पिरिट/ई. एन.ए. का एक आसवानी/भण्डागार से दूसरे-आसवानी/भण्डागार तक परिवहन में दूरी के अनुसार यह छूट 0.1 प्रतिशत से 0.2 प्रतिशत होगी। अनुज्ञेय सीमा से अधिक मार्ग हानियों पर अनुज्ञप्तिधारी पर तत्समय देय ड्यूटी की दर से अथवा अनाधिक की दर से आबकारी आयुक्त द्वारा आरोपित शास्ति का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

हमारे द्वारा चार सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालयों¹¹ के आबकारी सत्यापन प्रमाण पत्रों की जाँच में पाया गया कि तीन बाटलिंग इकाई¹² तथा सात मद्य भण्डागार¹³ से अक्टूबर – 2013 एवं मार्च 2014 के बीच कुल 578 प्रकरणों में 14,258.95 प्रूफ लीटर अनुज्ञेय सीमा से अधिक देशी मदिरा को नुकसान हुआ और एक बाँटलिंग इकाई¹⁴ फरवरी-2014 में 5,976.0 प्रूफ लीटर देशी मदिरा कम पाई गई। आगे हमने देखा कि इन इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा किसी तरह की शास्ति आरोपित करने की कार्यवाही शुरू नहीं की गई। इस तरह कुल शास्ति ₹ 31.20 लाख की वसूली नहीं की जा सकी। आगे हमारे द्वारा डी-19 रजिस्ट्रों एवं आबकारी प्रमाण पत्रों से देखा कि एक डिस्टिलरी इकाई¹⁵, एक देशी मद्य बाँटलिंग इकाई¹⁶ एवं एक विदेशी मद्य बाटलिंग इकाई¹⁷ जो कि दो जिलों¹⁸ में स्थित थे में फरवरी-मार्च 2014 के मध्य रेक्टिफाइड स्पिरिट की

¹¹ छत्तरपुर, जबलपुर, मोरैना और रायसेन

¹² मेसर्स काक्स इण्डिया लिमिटेड नौगांव, छत्तरपुर, मेसर्स ग्वालियर अल्कोब्री प्रा0 लि0 ग्वालियर, मेसर्स सोम डिस्टिलरी प्रायवेट लिमिटेड सेहतगंज, रायसेन

¹³ अम्बाह, छत्तरपुर, जबलपुर, मोरैना, नौगांव, सबलगढ़ और विदिशा।

¹⁴ मेसर्स सोम डिस्टिलरी प्रा0 लि0 सेहतगंज रायसेन

¹⁵ सोम डिस्टिलरी प्रा0 लि0 सेहतगंज रायसेन

¹⁶ मेसर्स काक्स इण्डिया लि0 नौगांव छत्तरपुर

¹⁷ मे0 सोम डिस्टिलरी एवं ब्रेवरी लि0 रोजराचक रायसेन

¹⁸ छत्तरपुर एवं रायसेन

306.87 प्रूफलीटर एवं इ.एन.ए. की 352.74 प्रूफ लीटर के 27 प्रकरणों के परिवहन में अगस्त 2011 और दिसम्बर 2013 के बीच हानि हुई। जिस पर शास्ति ₹ 0.66 लाख की शास्ति आरोपित करने योग्य थी। हमने देखा कि इस पर कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई इस तरह से कुल शास्ति ₹ 31.86 लाख की वसूली न होने से शासन को राजस्व हानि हुई।

हमारे द्वारा यह बताये जाने पर (अक्टूबर 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य) सहायक आबकारी आयुक्त रायसेन ने बताया कि उपरोक्त राशि की वसूली कर जमा करा दिया जावेगा। सहायक आबकारी आयुक्त मुरैना एवं छतरपुर ने बताया कि प्रकरण बनाकर सक्षम प्राधिकारी को शास्ति अधिरोपित करने हेतु प्रेषित कर दिया गया है। सहायक आबकारी आयुक्त जबलपुर ने बताया कि प्रकरण कार्यालय उपायुक्त आबकारी में आवश्यक कार्यवाही हेतु लम्बित है। जिला आबकारी अधिकारी आसवानी सेहतगंज ने फरवरी-2014 बताया कि 211.5 प्रूफ लीटर बोतल बंद देशी मदिरा के नुकसान का प्रकरण निस्तारण हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किये जा चुके हैं। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि देशी मदिरा 6187.5 प्रूफ लीटर भेजा गया था उसमें से 211.5 प्रूफ लीटर का नुकसान दिखाया गया है और शेष बची 5976 प्रूफ लीटर देशी मदिरा की गणना नहीं की गई जिस पर शास्ति अधिरोपणीय है। आगे कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। (मई 2014)

स्थिति शासन एवं विभाग के ध्यान में मई 2014 में लाई गई किन्तु दिसम्बर 2014 तक उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

3.10.2 विदेशी मदिरा/बीयर के परिवहन में हुई अधिक मार्गहानियों पर शास्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 16 एवं 19 के अनुसार बोतलों में भरी हुई विदेशी मदिरा/बीयर के सभी निर्यातों पर दूरी का विचार किये बिना छीजन को अधिकतम छूट 0.25 प्रतिशत होगी। यदि क्रेता और विक्रेता के एक ही जिले के होने की स्थिति में बोतलों में भरी विदेशी मदिरा/बीयर के समस्त परिवहनों में छीजन की अधिकतम छूट 0.1 प्रतिशत होगी। यदि वे भिन्न-भिन्न जिलों के हैं तो 0.25 प्रतिशत होगी। विहित सीमा से अधिक मार्ग हानियों पर निर्यातक अनुज्ञापिधारी पर तय समय देय ड्यूटी की दर से अथवा अनाधिक की दर से शास्ति का आरोपण आबकारी आयुक्त अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाकर वसूली की जावेगी।

हमारे द्वारा आबकारी सत्यापन प्रमाण पत्रों की जाँच में पाया गया कि एक विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाई¹⁹, (एफ.एल.-9) तीन आसवानी²⁰, तथा दो विदेशी मद्य भण्डागार²¹, और एक कैंटीन स्टोर

¹⁹ मै. सोम डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड रोजराचक रायसेन,

²⁰ मै. माउण्ट एवरेस्ट ब्रेवरीज लि. इन्दौर मै. सबमीलर इण्डिया लिमिटेड मुरैना एवं मै. सोम डिस्टिलरीज एण्ड ब्रेवरीज प्रा. लि. रोजराचक रायसेन

²¹ इन्दौर एवं जबलपुर

डिपार्टमेंट²² (एफ.एल.-6) चार जिलों²³ में अक्टूबर-2013 से फरवरी-2014 के बीच कुल 1860 प्रकरणों में 2,911.77 प्रुफ लीटर विदेशी मदिरा (स्पिरिट) की परिवहन में मार्ग हानि हुई तथा 95,728.39 बल्क लीटर बीयर अनुज्ञेय सीमा से अधिक पायी गयी। जिन पर ₹ 27.92 लाख की शास्ति वसूली योग्य थी किंतु विभाग द्वारा आरोपित नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप शास्ति 27.92 लाख की वसूली नहीं हो सकी।

हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जान पर (दिसम्बर 2013 एवं अप्रैल 2014 के मध्य) सहायक आबकारी आयुक्त ने बताया (फरवरी 2014) कि एक प्रकरण को छोड़ कर अन्य सभी प्रकरणों में शास्ति आरोपित की जायेगी तथा एक प्रकरण के विषय में बताया कि स्टॉक इकाई को वापस कर दिया था जिसका लेखा बी-12 (स्टॉक एण्ड इश्यू रजिस्टर) में कर दिया था। हम सहमत नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में लेखांकित 4,570.8 बल्क लीटर बीयर के विरुद्ध 10,920 बल्क लीटर बीयर निर्यात की गई। 6,349.2 बल्क लीटर (10920-4570.8) की कमी/छीजन पर विभाग ने न तो शास्ति की कोई कार्यवाही की न ही बीयर के कम लेखांकन पर कोई उत्तर प्रस्तुत किये। प्रभारी अधिकारी विदेशी मदिरा भण्डागार इन्दौर ने बताया कि शास्ति की कार्यवाही की गई है और वसूली की कार्यवाही प्रगति में है प्रभारी अधिकारी विदेशी मदिरा भण्डागार जबलपुर ने बताया कि वसूली कर लेखा परीक्षा को अवगत करा दिया जावेगा। सहायक आबकारी आयुक्त मुरैना ने बताया कि माह अप्रैल 2012 से मार्च 2013 के प्रकरण उप आयुक्त आबकारी कार्यालय के पास शास्ति आरोपित करने हेतु लम्बित है तथा अप्रैल 2013 से जुलाई 2013 के सभी प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को भेजे जा चुके है। सहायक आयुक्त आबकारी इन्दौर ने बताया कि शास्ति अधिरोपित होने के पश्चात वसूल की जावेगी।

प्रकरण में आगे कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए है। (मई 2014)

हमने प्रकरण शासन और विभाग को मई 2014 में प्रतिवेदित किया, उनाक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। (दिसम्बर 2014)

3.11 परिवहन/आयात शुल्क की गैर वसूली

3.11.1 देशी शराब के परिवहन पर शुल्क की गैर वसूली

म. प्र. शासन द्वारा जारी किये गये 1.4.2011 दिनांकित अधिसूचना के तहत औद्योगिक प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया गया रेक्टिफाइड स्पिरिट (आर.एस.) के परिवहन/आयात पर ₹ 2.50 बी.

²² कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जबलपुर

²³ इन्दौर, जबलपुर मुरैना और रायसेन

एल. परिवहन/आयात शुल्क का अधिरोपण प्रदान करता है। इसके अलावा सरकार ने दिनांक 04.02.2014 अधिसूचना से देशी शराब के निर्माण के लिए राज्य के भीतर आसवनी परिसर के बाहर ₹ 2.50 बी.एल. की दर से परिवहन शुल्क निर्धारित किया है।

हमने चार सहायक आबकारी आयुक्तों²⁴ के मई 2013 से फरवरी 2014 के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ₹ 59816.2 बी.एल. आर.ए./ई.एन.ए. का परिवहन कुल 119 अनापत्ति प्रमाण पत्रों/परिवहन और 37,000 बी.एल. रेक्टिफाइड स्पिरिट का आयात पाँच आयात परमिटों पर औद्योगिक प्रयोग के लिए एल 2 (ड्रग्स के खिलाफ निर्माण के लिए प्रयोगशाला) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तीन जिलों²⁵ में अप्रैल से फरवरी 2014 के मध्य किया गया, उपरीलिखित अधिसूचना के अनुसार परिवहन/आयात फीस के कुल राशि ₹ 22.42 लाख इनके परिवहन/आयात पर देय थी, परन्तु हमने देखा कि न तो अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा कराई गई और न ही विभाग द्वारा इस राशि को वसूलने के लिए कोई कार्यवाही की गई। अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं परिवहन/आयात परमिटों बिना किसी परिवहन/आयात फीस की वसूली के बिना जारी किए गए। इसके अलावा नमूना जांच (फरवरी 2014) में पाया गया कि मेर्सस सोम डिस्ट्रिलरी प्रा0 लि0, सेहतगंज, रायसेन द्वारा ₹ 1,52,000 बी.एल. आर.एस. का परिवहन और परमिटों के माध्यम से दो बोतल भराई इकाईयों (सी.एस.1 बी.)²⁶ ने देशी मदिरा बनाने हेतु किया गया था, इस पर परिवहन फीस राशि ₹ 3.80 लाख आरोपण योग्य थी, परन्तु हमने देखा कि न तो यह राशि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा कराई गई ना ही विभाग द्वारा मांगी गई, इस तरह कुल राजस्व ₹ 26.22 लाख²⁷ वसूल नहीं किया जा सका।

हमारे द्वारा उपरोक्त प्रकरण बताये जाने पर (मई 2013 एवं फरवरी 2014) सहायक आबकारी आयुक्त रायसेन द्वारा (फरवरी 2014) बताया गया कि ₹ दो लाख की वसूली करा ली गई है। सहायक आबकारी आयुक्त, धार (मई 2013) द्वारा बताया गया कि सहायक आबकारी आयुक्त, इंदौर को में. ग्रेट गेलिओन लिमिटेड, धार के प्रकरण में शास्ति वसूली हेतु पत्र गया है। इसी तरह उनके द्वारा बताया गया कि में. ओएसिस डिस्टिलरी धार से नियमानुसार परिवहन शुल्क वसूल किया गया है, हम सहमत नहीं है क्योंकि लाईसेंसी द्वारा मात्र ₹ 50 जमा किए गए है जबकि उससे ₹ 0.50 लाख की वसूली करनी है, इसी तरह जिला आबकारी अधिकारी खरगौन द्वारा (मई 2013) बताया गया कि में. अग्रवाल डिस्टिलरी प्रा. लिमिटेड से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा

²⁴ धार, खरगौन, इन्दौर और रायसेन

²⁵ ब्रहानपुर, इन्दौर और रायसेन

²⁶ सोम डिस्टिलरी प्रा0 लि0 सेहतगंज, एवं मे. विन्ध्यांचल डिस्टिलरी राजगढ़

²⁷ परिवहन/आयात शुल्क ₹ 22.42 लाख (896816.2 ली. पर आर.एस./ई.एन.ए. एट द रेट 2.5 /ली.) + परिवहन शुल्क ₹ 3.80 लाख (152000 ली. देशी मद्य पर 2.5/ली.) = ₹ 26.22 लाख

रही है, जिला आबकारी अधिकारी, आसवानी, सेहतगंज, रायसेन द्वारा बताया गया (फरवरी 2014) कि आसवानी को नोटिस किया जा रहा है। आगे प्रकरण पर कोई सूचना नहीं मिली है (मई 2014)।

हमने प्रकरण शासन और विभाग को मई 2014 में प्रतिवेदित किया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

3.11.2 विदेशी मदिरा/बीयर के परिवहन शुल्क की वसूली न होना।

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियमों के नियम 14(1) के अनुसार एफ.एस. 9, एफ.एल. 9 ए तथा बी-3 (विदेशी मदिरा/बीयर बॉटलिंग इकाई एफ.एल.10 ए, एफ.एल. 10 बी (केन्द्रिय भंडागार) का अनुज्ञापतिधारक विदेशी मदिरा भण्डागार में भंडारण के लिए विदेशी मदिरा का परिवहन कर सकता है। इस उद्देश्य के लिये वह विदेशी मदिरा भण्डागार के प्रभारी अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित मात्रा के लिए परिवहन अनुज्ञापत्र बोटल भराई इकाइयों/भाण्डगारों के प्रभारी अधिकारी द्वारा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 के लिए टैंडर के माध्यम से मदिरा दुकानों का नवीनीकरण/आवंटन करने के लिए आबाकारी आयुक्त द्वारा जारी दिनांक 18 जनवरी 2012 के अनुदेशों के अनुसार जारी किये गये प्रत्येक अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा/या परिवहन अनुज्ञापत्र के लिए ऐसी स्थिति को छोड़कर जहाँ परिवहन फीस परिवहित की जाने वाली विदेशी मदिरा की मात्रा पर विचार किये बिना पूर्व में ही निर्धारित की जा चुकी है, ₹ 100 की दर से परिवहन फीस प्रभारित की जायेगी।

हमने मई 2013 और फरवरी 2014 के मध्य चार सहायक आबाकारी आयुक्तों²⁸ तथा जिला आबकारी अधिकारी शाजापुर के अनापत्ति प्रमाण पत्र और परिवहन अनुज्ञापत्रों से संबंधित अभिलेखों से अवलोकीत किया कि अप्रैल 2012 और जनवरी 2014 के मध्य पांच जिलों²⁹ के अनुज्ञापतिधारी द्वारा 24,702 अनुज्ञापत्रों पर विदेशी मदिरा का परिवहन किया गया था, तथापि अनुज्ञापतिधारियों द्वारा ₹ 24.70 लाख की परिवहन फीस जमा नहीं की गई थी। विभाग ने राशि को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की और परिवहन फीस प्रमाणित किये बिना परिवहन के लिए अनुज्ञापत्र जारी किये। परिणामस्वरूप ₹ 24.70 लाख का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को (मई 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य) इंगित किये जाने के बाद सहायक आबकारी आयुक्त भोपाल तथा धार ने बताया (क्रमशः मई 2013 तथा जून 2013 में) कि परिवहन

²⁸ भोपाल, धार, इन्दौर और रायसेन

²⁹ भोपाल, धार, इन्दौर, रायसेन और शाजापुर

फीस की वसूली मद्य भाण्डागार अधिकारी द्वारा एन. ओ.सी. जारी करते समय की गई थी। जिला आबकारी अधिकारी मै. सोम डिस्टिलरी प्रा.लिमिटेड सेहतगंज ने बताया (फरवरी 2014) कि एन. ओ.सी. के ₹ 100 प्रति अनुज्ञप्तिधारी जमा की गई। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि एन. ओ.सी. जारी करने तथा परिवहन अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए अलग अलग परिवहन फीस जमा की जानी थी। सहायक आबकारी आयुक्त इन्दौर ने बताया (जनवरी 2014) कि वरिष्ठ कार्यालय से दिशानिर्देश प्राप्त होने पर वसूली पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। सहायक आबकारी आयुक्त रायसेन, ने मै. सोम डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड रोजराचक के संबंध में बताया कि (फरवरी 2014) वसूली की कार्यवाही की जायेगी। जिला आबकारी अधिकारी शाजापुर ने बताया (दिसम्बर 2013) कि परिवहन फीस, अभिलेखों के परीक्षण के बाद जमा की जायेगी।

हमने प्रकरण शासन और विभाग को मई 2014 में प्रतिवेदित किया, उनाक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। (दिसम्बर 2014)

3.12 आसवनी में निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध न बनाये रखने पर शास्ति का अनारोपण।

म. प्र. देशी स्पिरिट नियम 1995 के अनुसार आसवानी के लाइसेन्स धारक द्वारा आसवनी में स्पिरिट की निर्धारित न्यूनतम स्टाक बनाये रखना अपेक्षित है। इसमें विफल रहने पर इस तथ्य पर विचार किये बिना कि शासन को वास्तव में कोई हानि हुई है अथवा नहीं, आबकारी आयुक्त द्वारा एक रूपये प्रति बल्क लीटर की शास्ति निर्धारित न्यूनतम स्टाक से कम पायी गयी मात्रा पर आरोपित की जा सकेगी। आसवनी अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कारगर निगरानी हेतु ऐसे विफलता के प्रकरणों को प्रत्येक तीन माह में शास्ति आरोपण आबकारी आयुक्त को प्रकरण बनाकर आबकारी आयुक्त को भेजे।

मे. अग्रवाल डिस्टिलरी प्रा. लिमिटेड बड़वाह, खरगौन के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया (मई 2013) कि जून 2012 एवं अप्रैल 2013 के मध्य 90 अवसरो पर आसवनी ने निर्धारित न्यूनतम स्टॉक को नहीं बनाये रखा। जिला आबकारी अधिकारी, निर्धारित न्यूनतम स्टॉक 19,14,199 बल्क लीटर से कम स्पिरिट पाये जाने पर आबकारी आयुक्त को शास्ति आरोपित करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप ₹ 19.14 लाख की शास्ति आरोपित नहीं हो सकी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) ने (मई 2014) उत्तर में बताया कि निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध के प्रकरण बनाकर आबकारी आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये जायेंगे।

हमारे द्वारा प्रकरण शासन एवं विभागाध्यक्ष के संज्ञान में मई 2014 में लाया गया उत्तर (दिसम्बर 2014) तक अप्राप्त है।

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत निष्पादित की जाती है। यह मध्य प्रदेश सरकार की वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, की प्राप्तियों, अन्य कर एवं भिन्न प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करती है ।

इस प्रतिवेदन में वर्णित प्रकरण उनमें से हैं जो अवधि 2013–14 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के समय दृष्टिगत हुए तथा जो विगत वर्षों में दृष्टिगत हुए थे लेकिन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके थे; वर्ष 2013–14 के पश्चात् की अवधि से सम्बन्धित प्रकरण भी, जहां आवश्यक हैं, सम्मिलित किए गए हैं ।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार निष्पादित की गई है ।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 37 कंडिकार्यें सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 368.07 करोड़ की राशि अंतर्निहित है। विभागों/शासन ने ₹ 54.64 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें से ₹ 5.94 लाख की वसूली की जा चुकी है। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

विगत वर्ष में ₹ 70,427.28 करोड़ के विरुद्ध, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 74,593.01 करोड़ थीं। इस राशि का 54 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा कर राजस्व (₹ 32,342.12 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 7,704.93 करोड़) के रूप में वसूल किया गया। शेष 46 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹ 22,715.14 करोड़) तथा सहायक अनुदान (₹ 11,776.82 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ।

(कंडिका 1.1.1)

वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, तथा खनन प्राप्तियों की 376 इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2013-14 के दौरान की गई नमूना जाँच में 5,64,313 प्रकरणों में ₹ 1267.93 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों द्वारा 1,39,791 प्रकरणों में ₹ 526.24 करोड़ के कम आरोपण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया गया जो कि वर्ष 2013-14 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये थे। विभागों द्वारा इस वर्ष के लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर 1,042 प्रकरणों में ₹ 10.03 करोड़ की वसूली भी की गई।

(कंडिका 1.10)

II. वाणिज्यिक कर

“मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत इनपुट टैक्स की छूट” पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि :

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम और नियम, आगत कर रिबेट के प्रावधानों की कमियों और प्रावधानों के उल्लंघन के कारण 115 मामलों में ₹ 16.97 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनियमित छूट।

(कंडिका 2.4.8.1 से 2.4.8.4)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्देशों का अनुपालन किये बिना छह डीलरों के छह मामलों में खरीद के ब्योरे के बिना पुष्टि किये राशि ₹ 3.69 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनुमति प्रदान की।

(कंडिका 2.4.8.5)

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14(क) के दिशा निर्देशों के अनुरूप रिटर्न दाखिल किये बिना 26 डीलरों के 28 मामलों में ₹ 2.28 करोड़ का अमान्य आगत कर रिबेट ।

(कंडिका 2.4.8.6)

खरीद बिल/खरीद विवरण/खरीद सूची के अभाव में 77 डीलरों के 78 मामलों में ₹ 29.18 करोड़ के आगत कर रिबेट की स्वीकृति/अनुमोदन ।

(कंडिका 2.4.9)

19 डीलरों के 19 मामलों में पिछले वर्ष के आईटीआर ₹ 1.81 करोड़ अनियमित रूप से अगले वर्ष में समायोजित किये गये। हालांकि चालू वर्ष में डीलरों द्वारा अपनी पहली तिमाही की विवरणों में आईटीआर का दावा नहीं किया गया था ।

(कंडिका 2.4.10.1)

13 डीलरों के 13 मामलों में मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 14(6) के तहत आगत कर के लिए अपात्र माल की खरीद पर ₹ 2.40 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनियमित स्वीकृति ।

(कंडिका 2.4.11.1 से 2.4.11.3)

विनिर्माण प्रक्रिया में सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त कर मुक्त वस्तुओं की बिक्री पर 13 डीलरों के 13 मामलों में ₹ 26.65 लाख शास्ति सहित राशि ₹ 38.65 लाख के आगत कर रिबेट की अनियमित स्वीकृति ।

(कंडिका 2.4.11.4)

नौ डीलरों के नौ मामलों में राज्य से बाहर, बिक्री के स्थान पर, स्टॉक ट्रान्सफर के माध्यम से स्थानांतरित किये गए माल पर शास्ति राशि ₹ एक करोड़ सहित ₹ 1.34 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनियमित स्वीकृति ।

(कंडिका 2.4.11.5)

III. राज्य उत्पाद शुल्क

शासन द्वारा खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को अनुचित लाभ दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप 34 जिलों में 709 विदेशी मदिरा की दुकानों से ₹ 39.83 करोड़ के बेसिक लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 3.5)

निर्धारित शुल्क प्राप्त किये बिना/पर्याप्त बैक गारंटी प्राप्त किये बिना निर्यात/परिवहन की अभिस्वीकृति देने के परिणामस्वरूप ₹ 14.41 करोड़ की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 3.6)

शासन ने 6 विनिर्माताओं पर ₹ 3.75 करोड़ की शास्ति तो आरोपित की लेकिन भू-राजस्व की तरह बकाया की वसूली के कोई प्रयास नहीं किये गये।

(कंडिका 3.7)

स्पिरिट एवं विदेशी मदिरा के स्टॉक के निराकरण की कार्यवाही नहीं होने के कारण ₹ 71.96 लाख आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना।

(कंडिका 3.8)

IV. वाहनों पर कर

“मंजिली गाडी/ठेका गाडी अनुज्ञापत्र पर चलित लोक सेवा वाहनो पर कर का आरोपण एवं संग्रहण” पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि :

अपने विनिर्माण वर्ष से 15 वर्ष का जीवनकाल पूरा कर चुके 75 वाहनों को मंजिली गाडी अनुज्ञापत्र पर चलने से प्रतिबंधित करने में विभाग असफल रहा।

(कंडिका 4.4.7.1)

चूककर्ता वाहन स्वामियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप 270 वाहनों से ₹ 3.73 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 7.28 करोड़ के कर का कम आरोपण विभाग द्वारा किया गया।

(कंडिका 4.4.7.3)

कर की गलत दर लागू किये जाने के बारे में पता लगाने में कराधान प्राधिकारी विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप 215 वाहनों पर ₹ 1.22 करोड़ के कर के अलावा ₹ 1.28 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की जा सकी।

(कंडिका 4.4.7.4)

ऐसे वाहन जिनके उपयुक्तता प्रमाणपत्र अतिदेय हो चुके थे, के पंजीकरण रद्द करने के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(कंडिका 4.4.7.7)

115 वाहनों के विरुद्ध जारी किये गये ₹ 1.52 करोड़ के राजस्व वसूली मांग पत्रों के प्रकरणों में विभाग अनुवर्ती कार्यवाई करने में असफल रहा।

(कंडिका 4.4.7.8)

कराधान प्राधिकारियों द्वारा 16,562 वाहनों में से 1,553 वाहनों के चूककर्ता वाहन स्वामियों से कर वसूली की कार्यवाही नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.69 करोड़ शास्ति सहित ₹ 6.87 करोड़ के मोटर वाहन कर की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 4.6.1)

जारी किये गये व्यापार प्रमाण पत्रों के विरुद्ध बेचे गये वाहनों की वास्तविक संख्या सुनिश्चित नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप व्यापार फीस ₹ 2.19 करोड़ की अवसूली/ कम वसूली हुई।
(कंडिका 4.8)

V. भू-राजस्व

ग्राम डोंगरपुर (ग्वालियर) स्थित 24.658 हेक्टेअर भूमि पर गलत दर लागू करने से प्रीमियम एवं भू-भाटक का अवनिर्धारण ₹ 91.75 करोड़।

(कंडिका 5.5)

तहसील कार्यालयों द्वारा संग्रहीत भू-राजस्व एवं उपकर की राशि ₹ 2.26 करोड़ मुख्य शीर्ष "0029" भू-राजस्व के अंतर्गत कोषालय में जमा करने के बजाय पंचायत निधि में जमा की गई।

(कंडिका 5.6)

VI. मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण एवं संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि :

खदानों की औसत वार्षिक रायल्टी के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण ₹ 40.13 करोड़ के मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण किया गया।

(कण्डिका 6.2.10)

विभाग की निष्क्रियता के कारण मोबाइल टावरों के पट्टा विलेखों का पंजीयन नहीं कराया गया जिससे 44 प्रकरणों में ₹ 13.92 लाख के मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण किया गया।

(कण्डिका 6.2.11)

विभाग द्वारा भूमि के विकास के लिये अनुबंध गलत दर पर निष्पादित किये गये जिसके कारण ₹ 33.63 लाख के मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(कण्डिका 6.2.12)

बाजार मूल्य के गलत निर्धारण एवं संदर्भित प्रकरणों के निराकरण नहीं किये जाने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 13.69 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(कण्डिका 6.2.13)

मुख्तारनामा विलेखों एवं दस्तावेजों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण ₹ 1.22 करोड़ का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण किया गया।

(कण्डिका 6.2.14 एवं 6.2.15)

आदिवासी व्यक्तियों की ₹ 11.24 करोड़ की भूमि को गैर आदिवासी व्यक्तियों को ₹ 3.60 करोड़ में बेचने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 21.49 लाख का कम आरोपण हुआ। विभाग आदिवासियों के हितों को सुरक्षित रखने में भी विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप उन्हें ₹ 7.64 करोड़ के भूमि के मूल्य की भी हानि हुई।

(कण्डिका 6.2.17)

भूमि विकास अनुबंधों के 24 प्रकरणों का पंजीयन नहीं कराने के परिणामस्वरूप ₹ 9.69 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण किया गया।

(कण्डिका 6.2.18)

विकास के 99 प्रकरणों में विकास व्यय पर बंधक विलेखों के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप ₹ 10.23 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/अनारोपण किया गया।

(कण्डिका 6.2.19)

VII. खनन प्राप्ति

625 उत्खनि पट्टाधारियों में से 107 उत्खनि पट्टाधारियों से अनिवार्य किराये की कम/अवसूली ₹ 3.05 करोड़।

(कण्डिका 7.5)

107 प्रकरणों में 43 ठेकेदारों से संविदा राशि की वसूली न होना/कम वसूली होना ₹ 3.01 करोड़।

(कण्डिका 7.7)

जिला खनिज अधिकारियों द्वारा विवरणों की जाँच न किये जाने के परिणामस्वरूप राज्यांश की कम वसूली ₹ 1.30 करोड़।

(कण्डिका 7.8)

औसत वार्षिक राज्यांश के अवनिर्धारण एवं अनुबंधों को कम मूल्य के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.36 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली हुई।

(कण्डिका 7.12)

अध्याय – 2

वाणिज्यिक कर

2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/वैल्यू एडेड टैक्स कानून और नियम प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा सरकार के स्तर पर प्रशासित है। विभाग आयुक्त, वाणिज्यिक कर के समग्र नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, जिनकी सहायता के लिये संचालक होता है। विभाग चार क्षेत्रों में विभाजित है, क्षेत्रीय अपर आयुक्त प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख हैं। सभी क्षेत्र 15 संभागीय कार्यालयों में विभाजित हैं, प्रत्येक संभाग का प्रमुख संभागीय उपायुक्त होता है। इन संभागीय कार्यालयों के अंतर्गत 80 वृत्त कार्यालय एवं 33 क्षेत्रीय सहायक आयुक्त कार्यालय हैं। वाणिज्यिक कर जिसमें विक्रय कर/मूल्य वर्धित कर, केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर, व्यवसाय कर तथा विलासिता कर सम्मिलित है, का आरोपण एवं संग्रहण निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत प्रशासित किया जाता है:

2.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का आवश्यक अंग है और यह विभागीय निर्देशों, नियमों और कानून को प्रभावी बनाना सुनिश्चित करता है। आंतरिक नियंत्रण वित्तीय और प्रबन्धकीय सूचना व्यवस्था को दुरुस्त और अच्छी सेवाएं, कर अपवंचन की संभावनाएं, अधिक वापसी को रोकना तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने में मदद करता है। लेखापरीक्षा जांच में वाणिज्यिक कर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र के साथ साथ कर अपवंचन के खिलाफ निगरानी के पहलू, टैक्स की अतिरिक्त धन की वापसी और इनपुट टैक्स छूट (आईटीआर) की रोकथाम का तंत्र अनुपस्थित था। जो कि आंतरिक नियंत्रण ढांचे में एक व्यापक अंतर का संकेत दर्शाता है।

2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वाणिज्यिक कर/वैट से संबंधित 133 में से 121 इकाइयों में अंतर्निहित कर राशि ₹ 11493.59 करोड़ के अभिलेखों की नमूना जांच में 863 प्रकरणों में अंतर्निहित राशि ₹ 161.73 करोड़ के कर का अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताएँ, दृष्टिगत हुई जिन्हें निम्न श्रेणियों में तालिका 2.1 में वर्गीकृत किया जा सकता है :

तालिका 2.1

(₹ करोड़)			
क्र.सं.	श्रेणियाँ	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	“मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत “आगत कर रिबेट” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	58.84
2.	कर का अनारोपण/कम आरोपण	236	24.88
3..	कर की गलत दर का लागू किया जाना	181	8.09
4.	कर योग्य टर्न ओवर का गलत निर्धारण	97	12.42
5.	मुजराई/कटौती/कर मुक्ति की गलत स्वीकृति	129	25.08
6.	अन्य अनियमिततायें	219	32.42
	कुल	863	161.73

वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा टैक्स के आंकलन व अन्य अनियमितताओं में बताया गए ₹ 6.48 करोड़ के 262 मामलों को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया तथा उसमें से 17 मामलों में ₹ 12.00 लाख की वसूली की सूचना दी ।

“मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत “आगत कर रिबेट” पर निष्पादन लेखापरीक्षा में कुल ₹ 58.84 करोड़ की आपत्ति थी जिसमें से ₹ 15.22 करोड़ की आपत्ति के कुछ उदाहरण की चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफ में की जा रही है ।

2.4 “मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत “आगत कर रिबेट” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रमुख विशेषताएँ

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम और नियम, आगत कर रिबेट के प्रावधानों कि कमियों और प्रावधानों के उल्लंघन के कारण 115 मामलों में ₹ 16.97 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनियमित छूट ।

(कंडिका 2.4.8.1 से 2.4.8.4)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्देशों का अनुपालन किये बिना छह डीलरों के छह मामलों में खरीद के ब्योरे के बिना पुष्टि किये राशि ₹ 3.69 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनुमति प्रदान की ।

(कंडिका 2.4.8.5)

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14(क) के दिशा निर्देशों के अनुरूप रिटर्न दाखिल किये बिना 26 डीलरों द्वारा 28 मामलों ₹ 2.28 करोड़ का अमान्य आगत कर रिबेट ।

(कंडिका 2.4.8.6)

खरीद के बिल/खरीद विवरण/खरीद सूची के अभाव में 77 डीलरों के 78 मालों में ₹ 29.18 करोड़ के आगत कर रिबेट की स्वीकृति/अनुमोदन ।

(कंडिका 2.4.9)

19 डीलरों के 19 मामलों में पिछले वर्ष के आईटीआर ₹ 1.81 करोड़ अनियमित रूप से अगले वर्ष में समायोजित किया गया हालांकि चालू वर्ष में डीलरों द्वारा अपनी पहली तिमाही की विवरणों में आईटीआर का दावा नहीं किया गया था ।

(कंडिका 2.4.10.1)

13 डीलरों के 13 मामलों में मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 14(6) के तहत आगत कर के लिए अपात्र मात्र की खरीद पर ₹ 2.40 करोड़ के आगत कर रिबेट कि अनियमित स्वीकृति ।

(कंडिका 2.4.11.1 से 2.4.11.3)

विनिर्माण प्रक्रिया में सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त कर मुक्त वस्तुओं की बिक्री पर 13 डीलरों के 13 मामलों में राशि ₹ 26.65 लाख शास्ति राशि ₹ 38.65 लाख के आगत कर रिबेट कि अनियमित स्वीकृति ।

(कंडिका 2.4.11.4)

नौ डीलरों के नौ मामलों में राज्य से बाहर, बिक्री के स्थान पर, स्टॉक ट्रांसफर के माध्यम से स्थानांतरित किये गए माल पर शास्ति राशि ₹ एक करोड़ सहित ₹ 1.34 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनियमित स्वीकृति ।

(कंडिका 2.4.11.5)

2.4.1 प्रस्तावना

टैक्स प्रशासन में अधिक दक्षता, कराधान प्रणाली में व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा का समान अवसर लाने और निष्पक्षता के उद्देश्य से एक से अधिक पॉइंट्स पर टैक्सेशन के लिए वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) मध्य प्रदेश में शुरू (2006) की गई थी । वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) प्रशासन के वातावरण में आगत कर रिबेट (आईटीआर) महत्वपूर्ण घटकों में से एक है ।

आगत कर रिबेट तंत्र

आईटीआर के शास्ति प्रावधानों मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियमों की धारा 14 में निहित है । अधिनियम बिक्री के हर बिन्दु पर लेवी और मध्य

प्रदेश में वैट के संग्रह को नियंत्रित करता है। वे उपभोक्ता तक पहुँचने तक माल विनिर्माण और विवरण श्रृंखला में विभिन्न चरणों के माध्यम से गुजरती है। प्रत्येक स्तर पर, कुछ मूल्य जोड़ा गया है। वैट की बिक्री पर देय टैक्स के खिलाफ खरीद पर भुगतान कर के लिए *सेट ऑफ* या छूट देने के लिए प्रावधान है। एक पंजीकृत डीलर मध्य प्रदेश राज्य के भीतर कर योग्य वस्तुओं की बिक्री के दौरान क्रय डीलर से वैट जमा करता है। इस तरह के पंजीकृत क्रय डीलर, पहले से ही भुगतान कर की छूट के लिए पात्र हो जाता है जिसे आगत कर रिबेट कहा जाता है। आगत कर रिबेट राज्य के भीतर से की गयी खरीद के लिए निर्माताओं के साथ ही व्यापारियों दोनों के लिए दिया जाता है भले ही आगत कर रिबेट का उपयोग कब किया जाएगा। राज्य के बाहर से प्राप्त इनपुट पर भुगतान का आईटीआर के लिए पात्र नहीं है।

आईटीआर प्रासंगिक अवधि के लिए बिक्री पर कुल कर के देयता लिए छूट देना है। असमायोजित आईटीआर दो साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है और इसके बाद डीलर को वापस किया जाएगा।

2.4.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग (सीटीडी) शीर्ष स्तर पर विभाग के प्रशासनिक प्रमुख है। वाणिज्यिक कर आयुक्त विभाग के प्रमुख है तथा वाणिज्यिक कर आयुक्त के समग्र नियंत्रण में वाणिज्यिक कर विभाग काम करता है। जिन्हें निदेशक, अपर आयुक्तों, उपायुक्तों (डीसी), सहायक आयुक्त (एसी), वाणिज्यिक कर अधिकारी (सीटीओ), सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (एसीटीओ) एवं वाणिज्यिक कर निरीक्षकों द्वारा कार्यों के निष्पादन में जो अधिनियम के तहत उन्हें सौंपा जा सकता है सहायता प्रदान की जाती है।

2.4.3 लेखापरीक्षा का विस्तार एवं प्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) 2009–10 से 2013–14 के लिए पांच वर्ष की अवधि को शामिल कर 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच कर निर्धारण अधिकारी¹ द्वारा किये गए मूल्यांकन के कुल 121 इकाइयों में से 43 इकाइयों² को यादृच्छिक नमूना चयन पद्धति के आधान पर चयन किया गया था और जनवरी 2014 से जुलाई 2014 से के बीच सम्पादित किया गया था। इस दौरान कुल 4320 (100%) मामलों में लेखापरीक्षा की गई। एक प्रवेश सम्मेलन (2014 फरवरी) आयोजित किया गया था, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा की इकाइयों के चयन के साथ ही क्षेत्र और कार्यप्रणाली के बारे में सूचित किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा मसौदा अगस्त 2014 में सरकार और विभाग को भेजा गया था। अक्टूबर 2014 में आयोजित निर्गम सम्मेलन में

¹ डीसी, एसी, सीटीओ और एसीटी को कर आकलन की शक्ति के साथ निहित किया गया है।

² **सर्किल कार्यालय (24):** भोपाल (2), बुरहानपुर, देवास, धार, ग्वालियर (02), इन्दौर (05), जबलपुर (02), कटनी, खण्डवा, मण्डीदीप, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पीथमपुर, सागर, सेंधवा, वैधन। **क्षेत्रीय कार्यालय (8):** भोपाल (02), देवास, खण्डवा, सागर (02), उज्जैन। **संभागीय कार्यालय (11):** भोपाल (03), छिन्दवाड़ा, ग्वालियर (1), इन्दौर (03), सतना, सागर और उज्जैन।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के साथ चर्चा की गई । विभाग के विचारों को निष्पादन लेखापरीक्षा में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है ।

2.4.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से निष्पादित की गयी थी कि:—

- क्या मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के प्रावधानों के संदर्भ में आईटीआर के दावे की प्रणाली चाहे इसकी स्वीकृति या इसका भुगतान हो का उचित सत्यापन करने के लिए प्रभावी सक्षम तंत्र उपस्थित था;
- क्या वैट अधिनियम में विहित नियमों और क्रियाविधि एवं प्रक्रियाओं तथा उच्च अधिकारियों के निर्देशों; का विवरणी प्रस्तुत करने, आईटीआर के दावों और उसकी स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए डीलरों की बिक्री के साथ खरीद के विवरण से सत्यापन का अधिनियम में विहित नियमों और क्रियाविधि ईमानदारी से पालन किया गया और
- क्या आईटीआर के रूप में नुकसान या राजस्व का रिसाव को रोकने के लिए आईटीआर और उसके स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए बिक्री और खरीद के सत्यापन के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र मौजूद है ।

2.4.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर रहे हैं;

- मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002
- नियम और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों, परिपत्रों/छूट अधिसूचना ।

2.4.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक जानकारी और रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति में वाणिज्यिक कर विभाग के सहयोग का आभारी है । इस रिपोर्ट को विभाग के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार गया है ।

2.4.7 राजस्व की प्रवृत्ति

केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) और के तहत वास्तविक प्राप्ति वैट के साथ-साथ वर्ष 2009-10 के दौरान कर प्राप्तियाँ 2013-14 के लिए, **तालिका -2.2** निम्नलिखित में दर्शाया गया है ।

तालिका –2.2

(₹ करोड़)					
वर्ष	सीएसटी के अंतर्गत प्राप्तियां	वैट	योग	वर्ष के दौरान दावा किया आईटीआर	वर्ष के दौरान आईटीआर स्वीकार करना
2009–10	569.99	7,153.83	7,723.82	लगातार अनुरोध करने के बावजूद विभाग ने आईटीआर दावा तथा स्वीकार करने की जानकारी प्रस्तुत नहीं की	
2010–11	682.72	9,574.04	10,256.76		
2011–12	871.98	11,644.75	12,516.73		
2012–13	857.22	13,999.07	14,856.29		
2013–14	943.48	15,549.89	16,493.37		
कुल	3,925.39	57,921.58	61,846.97		

(स्रोत: मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

दावा एवं भुगतान किये गए आईटीआर पर समेकित सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी। इसलिए दावा किये गए, भुगतान किये गए एवं अगले वर्ष हेतु अग्रेषित आईटीआर के संबंध में राजस्व का तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया जा सका। इसके अलावा, विभाग द्वारा अगले वर्ष हेतु अग्रेषित आईटीआर के संबंध में सरकार की कुल देनदारी का आंकलन संभव नहीं हो सका। अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने एवं संकलन के लिए विभाग द्वारा (अक्टूबर 2014) संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

सरकार/विभाग को दावा किये गए, भुगतान किये गए एवं अगले वर्ष हेतु अग्रेषित आईटीआर के संबंध में समेकित डेटाबेस का वर्ष वार संकलन सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रणाली में अधिनियम और नियमों के प्रावधानों में कमियों और अनुपालन के लिए प्रणाली में कमियों का पता चला है। महत्वपूर्ण बिन्दुओं में से कुछ पैराग्राफ आगे बताये जा रहे हैं:

2.4.8 मध्य प्रदेश वैट अधिनियम में और आईटीआर के संबंध में नियम में कमियां

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान आईटीआर के भुगतान की व्यवस्था के संबंध में मध्य प्रदेश वैट अधिनियम में कमी और प्रावधान/नियमों के उल्लंघन के 2303 मामले में से 115 मामले परिलक्षित हुए। अप्रैल 2012 और मार्च 2014 के बीच अवधि 2008–09 से 2011–12 के दौरान राशि ₹ 16.97 करोड़ के आईटीआर का विभाग द्वारा भुगतान मध्य प्रदेश वैट अधिनियम में कमी

और प्रावधान के नियमों के उल्लंघन करने से हुआ जैसा कि परिशिष्ट –I में उल्लेखित है और आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.4.8.1 फार्म 10 में विसंगतियां

मध्य प्रदेश वैट नियम (अध्याय—VI) के नियम 21, 22 व 23 के अनुसार हर पंजीकृत डीलर, प्रत्येक तिमाही के लिए उपयुक्त सीटीओ को फॉर्म 10 में एक त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

त्रैमासिक विवरणी के प्रारूप फार्म—10 में आईटीआर दावा के सत्यापन करने के लिए, वस्तु के नाम के कॉलम का उल्लेख नहीं किया गया था, हमने सभी मामलों में आईटीआर भुगतान इस बुनियादी कमी के बिना स्वीकार किया जाना पाया।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग द्वारा बताया गया की वस्तु के नाम का उल्लेख नियमावली के अनुसार वैकल्पिक है।

विभाग के जवाब लेखापरीक्षा अवधि में इस तथ्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता, फार्म—10 में त्रैमासिक वापसी का प्रारूप में इस तरह के कॉलम नहीं है। चूंकि वैट का भुगतान वस्तु के आधार पर ही सत्यापित होता है अतः आईटीआर दावे के उचित सत्यापन हेतु वस्तु के नाम का उल्लेख करना चाहिए था। हालांकि फार्म—10 में वापसी में वस्तु के नाम का उल्लेख अप्रैल 2014 में विभाग द्वारा वैकल्पिक बनाया गया है।

विभाग द्वारा किये गए और भुगतान किये गए आईटीआर के उचित सत्यापन हेतु वस्तु के नाम को समायोजित करने के लिए त्रैमासिक वापसी के प्रारूप में संशोधन पर विचार करना चाहिए।

2.4.8.2 ₹ 25,000 / 40,000 से नीचे की खरीद के लिए सटीकता की पुष्टि करने के लिए अप्रयोज्य प्रावधान

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार, एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों और सी टी के निर्देशों के अनुपालन में, डीलर के आगत कर रिबेट के दावे के लिए आवश्यक है की यदि एक डीलर से खरीद का कुल मूल्य अगर ₹ 25,000 को पार करे तो क्रेता व्यापारी को खरीद के व्यापारी—वार ब्यौरा देना आवश्यक है।

1 अप्रैल 2013 से, लेनदेन के संबंध में डीलर वार विवरण की घोषणा के लिए संशोधन किया गया है और बिक्री और खरीद के संबंध में आगत कर रिबेट के लिए ₹ 40,000 और ऊपर के खरीद के ही ब्यौरे विवरणी में देना आवश्यक है।

क्रय डीलर द्वारा खरीद पर सृजित आगत कर रिबेट, उत्पादन पर देय करों के विरुद्ध वापसी योग्य/समायोजन होगा। मूल्य संवर्धन श्रृंखला में सभी आपूर्तिकर्ताओं से एकत्र करों का ब्यौरा केवल ₹ 25,000/40,000 ऊपर के मूल्य की खरीद के संबंध में उपलब्ध होने से डीलरों द्वारा किये गए आगत कर रिबेट की सटीकता को सत्यापित करना विभाग द्वारा संभव नहीं है। इस प्रकार, मौजूदा व्यवस्था के तहत, विभाग वास्तव में सभी लेनदेन के संबंध में आगत कर रिबेट के

संग्रह को सत्यापित करने के लिए सक्षम होने के बिना, आगत कर रिबेट की अनुमति देने के लिए बाध्य है ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगत कर रिबेट केवल एकत्र कर के विरुद्ध ही दी जाती है, यह आवश्यक हो जाता है कि, इस प्रकार के लेन देन विक्रेता व्यवसाई द्वारा घोषित बिक्री के साथ भी सत्यापित किये जाएँ । यह भी पाया गया कि आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा हो सकने वाले सभी डीलरों के सभी लेन-देन को कोई केन्द्रीकृत डाटा उपलब्ध नहीं था । यदि सभी लेन-देन का केन्द्रीकृत डाटा होता तो क्रय और विक्रय पर लेवी और टैक्स का संग्रह का सत्यापन आगत कर रिबेट प्रदाय करने के पूर्व संभव हो सकता था ।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि अधिनियम के अपर्याप्त प्रावधान के कारण विभाग द्वारा ₹ 25,000 /40,000, से कम खरीद के संदर्भित मामलों में ₹ 16.61 लाख के आगत कर रिबेट की खरीद के सत्यापन के बिना अनुमति दी गई थी ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग द्वारा कहा गया कि आगत कर रिबेट की अनुमति देने से पहले सभी बिक्री के लेनदेन और खरीद को सत्यापित करने के लिए मॉड्यूल में संशोधन (अप्रैल 2014) किया गया है ।

विभाग द्वारा एकत्र करों के अनुरूप आगत कर रिबेट प्रदाय करने एवं सत्यापन के लिए, चाहे वह किसी भी मौद्रिक सीमा का हो, के लिए मॉड्यूल में परिवर्तन के उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए ।

2.4.8.3 ₹ 40,000 से ऊपर की हर खरीद पर क्रॉसड चेक के माध्यम से किए गए भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की अनुपस्थिति ।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14 (6) (VII) के अनुसार, जहां माल के संबंध में बिल या कॅश ज्ञापन जिसकी राशि ₹ 40,000 से अधिक है और जो कि क्रॉसड चेक द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, आगत कर रिबेट प्रदाय की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

हमने पाया कि, यह अधिनियम में प्रवाधित है लेकिन अभी तक ₹ 40,000 की हर खरीद के भुगतान को क्रॉसड चेक द्वारा सुनिश्चित करने के लिए विभाग में कोई व्यवस्था नहीं है । इस कारण संदर्भित मामलों में आईटीआर की स्वीकृति की गयी जबकि ₹ 40,000 की हर खरीद के भुगतान को क्रॉसड चेक के माध्यम से नहीं किया गया था ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान, विभाग इस तथ्य से सहमत हैं एवं कहा गया कि इस कमजोरी को कम्प्यूटर आधारित मॉड्यूल के माध्यम से दूर किया जाएगा ।

2.4.8.4 बिक्री और खरीद के प्रति सत्यापन के लिए तंत्र की अनुपस्थिति

अधिनियम में निहित प्रावधानों (मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14 के साथ मध्य प्रदेश वैट नियम, 2006, के नियम 9), के अनुसार और समय-समय पर सीटीडी विभाग द्वारा जारी किए

गए परिपत्रों के अनुपालन में बिक्री और खरीद का प्रति-सत्यापन, और आगत कर रिबेट का सत्यापन किया जाना आवश्यक है ।

हमने बिक्री और खरीद के प्रति-सत्यापन की व्यवस्था की समीक्षा की और पाया कि विभाग द्वारा आगत कर रिबेट के प्रति-सत्यापन की व्यवस्था को शुरू तो किया पर कार्यान्वयन नहीं कर पाया ।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया की अधिनियम के प्रावधानों, की अनदेखी, से विभाग द्वारा संदर्भित 115 मामलों में ₹ 16.97 करोड़, बिक्री और आगत कर रिबेट का प्रति-सत्यापन नहीं किया गया था जैसा की परिशिष्ट – I में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान, सी सी टी ने चिंता के साथ सहमति व्यक्त की और बताया कि कर अनुपालन पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है और आईटीआर सत्यापन से संबंधित ऐसी कमियों की कम्प्यूटरीकृत मॉड्यूल के माध्यम से सुधारा जा रहा है ।

विभाग को हर खरीद के विवरण को बिक्री विवरण से जोड़ने/प्रति सत्यापन के लिए एक तंत्र को स्थापित करना चाहिए ।

2.4.8.5 निर्देशों के प्रतिकूल आगत कर रिबेट का सत्यापन और स्वीकृति

आगत कर रिबेट के दावे के लिए आवश्यक था कि कर निर्धारण अधिकारियों को उच्च अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार कुछ मामलों में अनुमति देने के लिए/स्वीकार करने से पहले सत्यापित किया जाना है ।

हमने एक डिवीजन कार्यालय, एक क्षेत्रीय कार्यालय और तीन सर्किल कार्यालयों के छह डीलरों के छह मामलों में अवधि 2010–11 से 2011–12 तक के लिए जनवरी 2013 और जुलाई 2014 के बीच कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रकरणों की जाँच के दौरान यह पाया कि, उच्च अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया था की आगत कर रिबेट के दावे को स्वीकार करने से पहले इसका प्रति सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करें । संदर्भित मामलों में, कर निर्धारण अधिकारी खरीद के ब्यौरा के संदर्भ में दावा किया आगत कर रिबेट के प्रति सत्यापन के बिना एवं निर्देश का पालन करने में विफल रहे हैं और आगत कर रिबेट स्वीकार किए गए /अनुमति दी गई । परिणामस्वरूप आगत कर रिबेट के अनियमित भुगतान राशि ₹ 3.69 करोड़ परिलक्षित हुई जैसा कि तालिका 2.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3

(₹ लाख में)					
क्र. न.	इकाई	डीलर, टिन, प्रकरण संख्या	मूल्यांकन की अवधि /महीना	आईटीआर की राशि का दावा और स्वीकार	आईटीआर की राशि आपत्ति
1	2	3	4	5	6
1	सीटीओ वृत्त सागर	मैसर्स बडकुल हार्डवेयर सागर 23657401775 सी.एस.000052142 (7 /2013) (धारा 21)	2010-11 22.07.13	10.64	10.64
2	सीटीओ वृत्त 3 भोपाल	मैसर्स भागवती एंड कम्पनी भोपाल 23103803038 409/12 वैट	2011-12 04.01.14	1.37	1.37
3	आरएसी डी 1 भोपाल	मैसर्स राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ भोपाल 23099004011 179/11 वैट	2010-11 17.07.13	124.54	124.54
4	सीटीओ वृत्त 2सागर	मैसर्स बटूलाल मोहन लाल नाइट्रेट प्राइवेट लिमिटेड 23656204407,	2010-11	0.98	0.98
5	डीसी सतना	मैसर्स कमल स्टील एंड पॉवर सतना 23697002889 वैट 10/2010	2010-11 30.06.2013	11.81	10.04
6	डीसी सतना	मैसर्स नॉर्दन कोल फील्ड निगाही प्रोजेक्ट सिंगरौली 23507300638 33/11 वैट	2010-11 16.01.2013	797.02	221.52
कुल				946.36	369.09

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.8.6 डीलरों द्वारा कोई रिटर्न दायर नहीं किए गए थे, फिर आगत कर रिबेट की अनुमति दी गयी ।

आगत कर रिबेट के संबंध में कोई दावा पंजीकृत व्यवसायी द्वारा धारा 14 की उप-धारा (1) के तहत किया जा सकता है कि पंजीकृत विक्रेता व्यवसायी जारी किये गए किसी देयक, बीजक या नगदी ज्ञापन से जिसमें उसके द्वारा संग्रहित किये गए धारा 9 के अधीन कर की रकम का उल्लेख पृथक से ही किया जायेगा, आगत रिबेट के संबंध में ऐसा कोई भी दावा त्रैमासिक प्रपत्र 10 में इस तरह के पंजीकृत व्यवसायी द्वारा किया जाएगा ।

हमने एक डिवीजन कार्यालय³ और आठ⁴ सर्किल कार्यालयों में अवधि 2008–09 से 2010–11 के लिए अप्रैल 2010 और सितम्बर 2013 के बीच निर्धारित कुल 1159 मामलों में से 26 डीलरों के 28 मामलों में, पाया की कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 2.28 करोड़ के आगत कर रिबेट का अनियमित भुगतान हुआ जबकि डीलरों द्वारा कोई विवरणी दायर नहीं की गए थी। इसे विस्तृत रूप में परिशिष्ट—II में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी।

विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर रिटर्न न प्रस्तुत करने के लिए कड़े दण्डात्मक उपायों को लाने पर विचार करना चाहिए।

2.4.9 खरीद के विवरण के अभाव में आईटीआर की स्वीकृति

आगत कर रिबेट के संबंध में कोई दावा पंजीकृत व्यवसायी द्वारा धारा 14 की उप-धारा (1) के तहत किया जा सकता है की पुष्टि पंजीकृत विक्रेता व्यवसायी द्वारा जारी किये गए किसी देयक, बीजक या नगदी ज्ञापन से जिसमें उसके द्वारा संग्रहित किये गए धारा 9 के अधीन कर की रकम का उल्लेख पृथक से ही किया जायेगा। आगत कर रिबेट के संबंध में ऐसा कोई भी दावा त्रैमासिक प्रपत्र 10 में इस तरह के पंजीकृत व्यवसायी द्वारा किया जायेगा। और यदि उक्त बिल बीजक या नगदी ज्ञापन में विक्रेता पंजीकृत व्यवसायी द्वारा धारा 9 के अधीन कर की राशि पृथक से नहीं दर्शाई जाती है तो ऐसा दावा नहीं किया जायेगा और न ही उसे अनुज्ञात किया जायेगा। और अधिनियम कि धारा 21 (2) के अनुसार, पुनः कर निर्धारण की स्थिति में वहाँ पुनः निर्धारित की गई कर की राशि के कम से कम तीन गुने की शास्ति अधिरोपित की जाएगी। इसके अलावा प्रमाणित ऑडिट खातों में दिखाए गए क्रय एवं उनके द्वारा प्रस्तुत रिटर्न के सत्यापन के बाद व्यापारियों को आगत कर रिबेट कि अनुमति दी जानी चाहिए।

2.4.9.1 बिल में वैट अलग से नहीं लिया, फिर भी आगत कर रिबेट कि स्वीकृति।

हमने एक डिवीजन कार्यालय⁵, दो क्षेत्रीय कार्यालयों⁶ और आठ सर्किल कार्यालयों⁷ के कुल 1320 मामलों में से 14 डीलरों के 15 मामलों में, पाया कि वैट की राशि ₹ 4.10 करोड़ की खरीद बिलों में अलग से नहीं दर्शायी गयी थी फिर भी डीलरों को आगत कर रिबेट की स्वीकृति दी गई। परिणामस्वरूप आगत कर रिबेट के अनियमित दावे/स्वीकृति और प्रदाय के रूप में शास्ति राशि ₹ 2.10 करोड़ सहित राशि ₹ 6.20 करोड़ हुई इसे परिशिष्ट—III में विस्तृत रूप में दर्शाया गया है।

³ सागर

⁴ भोपाल—III, इन्दौर (2), खण्डवा, मुरैना, पीथमपुर, सागर और सेंधवा

⁵ टैक्स ऑडिट विंग भोपाल

⁶ देवास एवं सतना

⁷ भोपाल V, बुरहानपुर, धार, इन्दौर X, जबलपुर II, मण्डीदीप, नरसिंहपुर एवं सागर

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.9.2 खरीद सूची/बिलों के अभाव में आगत कर रिबेट के अनियमित भुगतान ।

हमने एक क्षेत्रीय कार्यालय⁸ और तीन सर्किल कार्यालयों⁹ में अवधि 2009-10 से 2012-13 तक के लिए फरवरी 2012 और मार्च 2014 के बीच निर्धारित कुल 466 मामलों में से 32 डीलरों के 32 मामलों में पाया कि उक्त प्रावधान के विरुद्ध, राशि ₹ 20.71 करोड़ की आगत कर रिबेट की अनुमति खरीद सूची/बिलों के अभाव में डीलरों को दी गयी/स्वीकार की गई । इसका विवरण परिशिष्ट-IV में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.9.3 रिटर्न में नहीं दिखाई गयी खरीद पर आईटीआर दिया जाना ।

हमने जबलपुर-II सर्किल कार्यालय में कुल 36 मामलों में से दो डीलरों के दो मामलों में पाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा, राशि ₹ 4.03 लाख की आगत कर रिबेट की स्वीकृति दी गयी जबकि क्रय राशि प्रासंगिक रिटर्न में सत्यापित नहीं होती क्योंकि प्रासंगिक रिटर्न निरंक थे । फलस्वरूप आगत कर रिबेट की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप राशि ₹ 6.54 लाख का आगत कर रिबेट राशि ₹ 2.51 लाख शास्ति सहित स्वीकृत किया गया जैसा की तालिका 2.4 दर्शाया गया है :

⁸ भोपाल- I

⁹ धार, इन्दौर- XIII जबलपुर-II

तालिका 2.4

(₹ लाख में)						
सरल क्र.	इकाई का नाम	डीलर प्रकरण क्र. एवं टिन	कर निर्धारण अवधि/माह	कुल दावा किया गया आगत कर रिबेट (स्वीकृत)	आपत्ति किये गए आगत कर रिबेट	सेक्शन 21 के तहत शास्ति की राशि
1	सी टी ओ सर्किल-2 जबलपुर	मेसर्स केशव ट्रेडर्स जबलपुर, 23415905100 727/09 ६अ	2008.09/ 21.4.11	1.25	0.84	2.51
2	सी टी ओ सर्किल-2 जबलपुर	मेसर्स खिलवानी ब्रदर 23055902388 156/10 चैट	2009.10/ 22.11.11	7.24	3.19	0
कुल				8.49	4.03	2.51

निर्गम सम्मलेन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.9.4 पिछले साल की खरीद पर आईटीआर की अनियमित स्वीकृति

हमने दो क्षेत्रीय कार्यालयों और एक वृत्त कार्यालय में अवधि 2010-11 के लिए मार्च 2013 से अगस्त 2013 के बीच निर्धारित कुल 365 मामलों में से तीन डीलरों के तीन मामलों में पाया कि डीलर को पिछले साल की खरीद पर राशि ₹ 0.69 लाख के आगत कर रिबेट की अनुमति दी गई है । अतः राशि ₹ 2.08 लाख की शास्ति सहित राशि ₹ 2.78 लाख के आगत कर रिबेट के अनियमित दावे स्वीकृति किये गये । यह निम्न तालिका-2.5 में विस्तृत रूप दर्शाया गया है:

तालिका 2.5

(₹ लाख में)							
सरल क्र.	इकाई का विवरण	डीलर का नाम टिन, प्रकरण क्र.	अवधि/ निर्धारण का माह	आईटीआर की कुल राशि का दावा (स्वीकृत)	स्वीकृत अनियमित आईटीआर की राशि	अधिनियम की धारा 21 के अनुसार शास्ति की राशि	अतिरिक्त मांग की राशि
1	आरएसी खण्डवा	मेसर्स फतेहगुरु गोविन्द सिंह एण्ड कम्पनी 23271908001 323/ 11 (वैट)	2010-11/ 14.08.2013	0	0.25	0.74	0.99
2	आरएसी सागर	मेसर्स गाँधी रीफ्रकरीज 23627802353 193/ 11 (वैट)	2010-11/ 23.03.2013	1.52	0.23	0.68	0.91
3	सीटीओ वृत्त-II ग्वालियर	मेसर्स नमन ग्वालियर 231935404197 सी.एस.00063609 (वैट)	2010-11/ 09.7.2013	136.64	0.22	0.66	0.88
कुल				138.16	0.70	2.08	2.78

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.9.5 दावा किये गए आगत कर रिबेट के स्थान पर अतिरिक्त राशि के आगत कर रिबेट की अनुमति

हमने एक डिवीजनल कार्यालय¹⁰ और आठ सर्कल कार्यालयों¹¹ 12 में अवधि 2009-10 से 2011-12 तक के लिए जून 2011 और सितम्बर 2013 के बीच के कर निर्धारण प्रकरण के 1,344 मामलों में से 13 डीलरों के 13 मामलों में पाया की डीलरों द्वारा दावा किये गए आगत कर रिबेट की राशि ₹ 7.35 करोड़ थी जबकि डीलरों को ₹ 7.70 करोड़ की आगत कर रिबेट की स्वीकृति दी । परिणामस्वरूप राशि ₹ 35.20 लाख आगत कर रिबेट की अतिरिक्त स्वीकृति एवं शास्ति राशि ₹ 85.80 लाख सहित राशि ₹ 1.21 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित हुई जैसा कि परिशिष्ट -V में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

¹⁰ इन्दौर- I

¹¹ भोपाल-III & V, धार, ग्वालियर-II, जबलपुर-II, इन्दौर-X & XI, वैधान

2.4.9.6 प्रमाणित खरीद के परे खरीद पर अतिरिक्त आईटीआर का भुगतान

हमने दो क्षेत्रीय कार्यालयों¹² और पांच सर्किल कार्यालयों¹³ में 2008-09 में से 2010-11 तक की अवधि के लिए जून 2011 और सितम्बर 2013 के बीच कर निर्धारण प्रकरणों में कुल 836 मामलों में से 10 डीलरों के 10 मामलों में पाया कि अंकेक्षित खातों में प्रमाणित खरीद के अनुसार, डीलर राशि ₹ 2.34 करोड़ के आगत कर रिबेट के लिए पात्र थे । हालांकि डीलरों ने गलत तरीके से दावा किया है और कर निर्धारण अधिकारियों ने लेखा परीक्षित खाते में प्रमाणित की खरीद के विपरीत राशि ₹ 2.56 करोड़ की आगत कर रिबेट की अनुमति दी । जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 22.00 लाख के आगत कर रिबेट के अतिरिक्त स्वीकृति एवं उस पर राशि ₹ 61.67 लाख की शास्ति सृजित हुई जैसा कि परिशिष्ट-VI में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा की उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.9.7 खरीद पर छूट/क्रय वापसी कर आईटीआर के अनियमित अनुदान

हमने अवधि 2009-10 से 2010-11 तक के लिए अप्रैल 2013 और आगत 2013 के बीच कर निर्धारण प्रकरणों में से कुल 346 मामलों में से तीन डीलरों के तीन मामलों में पाया कि कर निर्धारण अधिकारी ने खरीद छूट की कटौती और खरीद वापसी के बिना, गलत तरीके के सकल खरीद पर आगत कर रिबेट की अनुमति दी । इस कारण राशि ₹ 6.00 लाख के आगत कर रिबेट एवं शास्ति राशि ₹ 7.56 लाख की अनियमित स्वीकृति हुई । यह तालिका 2.6 विस्तृत रूप से दर्शित है

तालिका 2.6

(₹ लाख में)							
सरल क्र.	इकाई का विवरण	डीलर का नाम टिन, प्रकरण क्र.	अवधि / निर्धारण का माह	आईटी आर की राशि दावा/ स्वीकृति	आपत्ति आईटी आर की राशि	अधिनियम की धारा 21 के अनुसार शास्ति की राशि	प्रस्तावित अतिरिक्त मांग आईटीआर की राशि
1	सीटीओ वृत्त नरसिंगपुर	मेसर्स न्यू ताज एजेंसीज नरसिंगपुर 23406404089 77/2010	2009-10 29.6.2013	10.83	0.57	0	0.57
2	सीटीओ वृत्त ग्वालियर	मेसर्स प्रमोद एजेंसीज 23355205375 , सी.एस.000053645	2010-11 26.4.2013	36.13	2.91	0	2.91

¹² भोपाल-II एवं खण्डवा

¹³ इंदौर-10, जबलपुर- II , नरसिंहपुर, पीतमपुर एवं सागर

(₹ लाख में)							
सरल क्र.	इकाई का विवरण	डीलर का नाम टिन, प्रकरण क्र.	अवधि / निर्धारण का माह	आईटी आर की राशि दावा/स्वीकृति	आपत्ति आईटी आर की राशि	अधिनियम की धारा 21 के अनुसार शास्ति की राशि	प्रस्तावित अतिरिक्त मांग आईटीआर की राशि
3	सीटीओ वृत्त भोपाल	मेसर्स बालाजी डिस्ट्रीब्यूटर 23034005564, 727/11	2010-11 6.8.2013	125.18	2.52	7.56	10.08
कुल				172.14	6.00	7.56	13.56

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

सरकार/विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खरीद दस्तावेज ठीक से प्रमाणीकृत हैं और यह कि आईटीआर से संबंधित दावों को स्वीकार करने से पहले अंकक्षित खातों के साथ पालन कराना चाहिए ।

2.4.10 अनियमित स्वीकृति और आईटीआर का समायोजन

एक पंजीकृत डीलर द्वारा मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 14 (3), उप-धारा (1) अधीन आगत कर की रिबेट ऐसी रीति में जैसे की विहित की जाये, इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन उसके द्वारा देय कर, ब्याज और शास्ति के मध्य समायोजित किया जाएगा और अंतर, यदि कोई हो, तो बाद के वर्ष में देय कर समायोजन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा । अधिनियम की धारा 21 (2) के अनुसार, पुनः कर निर्धारण की स्थिति में वहां पुनः निर्धारित की गई कर की राशि के कम से कम तीन गुने की शास्ति अधिरोपित की जाएगी । मध्यप्रदेश वैट नियम, 2006 के नियम 9 के तहत आगत कर रिबेट के संबंध में ऐसी कोई भी दावा त्रैमासिक प्रपत्र 10 में इस तरह के पंजीकृत व्यवसायी द्वारा किया जाएगा ।

2.4.10.1 पिछले वर्ष के आईटीआर की अनियमित स्वीकृति और समायोजन

हमने दो डिवीजन कार्यालयों¹⁴, एक क्षेत्रीय कार्यालय¹⁵ और सात सर्किल कार्यालयों¹⁶ में कुल 1109 मामलों में से 19 डीलरों के 19 मामलों में पाया की डीलर द्वारा पिछले वर्ष के आगत कर रिबेट को चालू वर्ष में समायोजित किया गया था जबकि डीलर द्वारा अपनी प्रथम तिमाही विवरण में पिछले वर्ष की आगत कर रिबेट का दावा नहीं किया गया था । इस प्रकार आगत कर रिबेट के अनियमित समायोजन राशि ₹ 61.56 लाख एवं शास्ति राशि ₹ 1.19 करोड़ सहित

¹⁴ इंदौर-1 और खंडवा

¹⁵ देवास

¹⁶ भोपाल-1, ग्वालियर-II, इंदौर-XIII, इंदौर-XIV, जबलपुर-1, मुरैना और वैधान

कुल राशि रू. 1.81 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित हुई जैसा की परिशिष्ट-VII में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.10.2 विवरणी के प्रतिकूल आईटीआर का अनियमित रूप से आगामी वर्ष के लिए ले जाना

हमने वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि के लिए एक डिवीजन कार्यालय¹⁷ एक क्षेत्रीय कार्यालय¹⁸ एवं पांच सर्किल कार्यालयों¹⁹ में कुल 820 मामलों में से चयनित इकाईयों के 11 डीलरों के 11 मामलों में पाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड आगत कर रिबेट राशि ₹ 42.58 लाख निर्धारित किया गया था, जबकि डीलर द्वारा अपने चौथे त्रैमासिक विवरणी में कैरी फारवर्ड आगत कर रिबेट केवल ₹ 7.31 लाख था, परिणाम स्वरूप कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आगत कर रिबेट के अनियमित कैरी फॉरवर्ड की राशि 36.24 लाख एवं शास्ति राशि ₹ 18.59 लाख सहित कुल राशि ₹ 54.83 की सृजित हुई जैसा की परिशिष्ट-VIII में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा गया कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.10.3 आईटीआर का दोगुना लाभ

हमने वर्ष 2009-10 से 2010-11 के लिए मई 2012 और सितम्बर 2013 के बीच निर्धारित वैट मामलों के मूल्यांकन के दौरान कुल 117 मामलों में से दो डीलरों के दो मामलों में पाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा असमायोजित आगत कर रिबेट को आगामी वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड किया गया था और सीएसटी मामलों में समायोजन के लिए कोई आगत कर रिबेट उपलब्ध नहीं था ।

आगे यह देखा गया की सीएसटी मामलों में मांग थी और इसे असमायोजित आगत कर रिबेट जो की आगामी वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड किया गया था से समायोजित किया गया जिससे डीलर को आगत कर रिबेट का दुगुना लाभ राशि ₹ छः लाख कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया जिसे निम्नलिखित तालिका 2.7 में दर्शाया गया है ।

¹⁷ इंदौर-1

¹⁸ देवास

¹⁹ भोपाल-V, ग्वालियर-II, ग्वालियर-III, इंदौर-XI और मंडीदीप

तालिका 2.7

(₹ लाख में)							
सरल क्र	इकाई का विवरण	डीलर का नाम, टिन नंबर एवं प्रकरण क्रमांक	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	स्वीकृत आईटीआर की राशि	सीएसटी प्रकरण में वैट प्रकरण से लाये गए आईटीआर की राशि	सीएसटी प्रकरण में समायोजित आईटीआर की राशि	आईटीआर का अनियमित समायोजन
1	सीटीओ सर्किल-I जबलपुर	मेसर्स सनपेट, प्राइवेट लिमिटेड 23426003980 102/2011 सी.एस.000000067222 (सीएसटी) सी.एस. 000000067221(स्टेट)	2010-11 25.9.2013	11.40	0	5.52	5.52
2	सीटीओ सर्किल नीमच	मेसर्स सूरजमल चांदमल नीमच 23183203146 491/2010 वैट	2009-10 25.5.2012	0.80	0	0.48	0.48
कुल				12.20	0	6.00	6.00

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा गया की उचित कार्रवाई की जाएगी ।

सरकार/विभाग अधिनियम के प्रावधान का कड़ाई से पालन करने पर विचार करना चाहिए । डीलरों का आगत कर रिबेट के दावों को रिटर्न के माध्यम से स्वीकार किये जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

2.4.11 अपात्र माल की खरीद पर आगत कर रिबेट कि अनियमित स्वीकृति

2.4.11.1 तेंदुपत्ता पर आगत कर रिबेट कि अनियमित स्वीकृति

वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अनुसार एक पंजीकृत डीलर अनुसूची द्वितीय के भाग-III में निर्दिष्ट वस्तुओं को किसी अन्य व्यवसायी से इनपुट टैक्स के भुगतान के बाद क्रय करता है तो उसे इनपुट टैक्स की राशि आगत कर रिबेट की पात्रता होगी ।

तेंदुपत्ता अधिनियम की अनुसूची II के भाग III की प्रविष्टि संख्या 5 में प्रमाणित किया गया है, जो आगत कर रिबेट के लिए पात्र नहीं है ।

हमने आईटीआर अवधि 2009–10 से 2011–12 तक, फरवरी 2012 और दिसम्बर 2013 के बीच मूल्यांकन के कुल 208 मामलों में से चार डीलरों के चार मामलों में पाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तेंदुपत्ता की खरीद की राशि ₹ 1.38 करोड़ पर अनियमित रूप से आगत कर रिबेट स्वीकार किया गया जबकि वो आगत कर रिबेट के लिए पात्र नहीं है इस प्रकार आगत कर रिबेट की राशि ₹ 1.38 करोड़ की अनियमित स्वीकृति हुई जैसा कि परिशिष्ट—IX में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा की उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.11.2 सोयाबीन और कपास पर आगत कर रिबेट के अनियमित स्वीकृति

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 26—ए (4) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल के संबंध में आगत कर की रिबेट का दावा नहीं किया जायेगा । अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी 2008 द्वारा सोयाबीन एवं सरसों को तथा अधिसूचना दिनांक 3 अगस्त 2008 द्वारा कपास का उक्त उप अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत टीडीएस के लिए अधिसूचित किया गया है ।

हमने कुल 708 मामलों में से चार डीलरों के चार मामलों में पाया की विभाग द्वारा सोयाबीन और कपास की खरीद पर डीलर द्वारा आगत कर रिबेट का दावा किया गया और विभाग द्वारा स्वीकार किये जाने से आगत कर रिबेट की अनियमित स्वीकृति एवं भुगतान राशि ₹ 21.50 लाख एवं शास्ति राशि ₹ 63.76 लाख सहित कुल राशि ₹ 85.01 लाख स्वीकृत हुई जैसा की परिशिष्ट—IX में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2014) के दौरान विभाग तथ्य को स्वीकार कर लिया है और कहा की उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.11.3 रेत, गिट्टी, संयंत्र और मशीनरी पर आगत कर रिबेट के अनियमित स्वीकृति

अधिनियम की धारा 16 (6) (ix) में निहित प्रावधानों के अनुसार धारा 9—ए के तहत अधिसूचित माल के संबंध में किसी भी आगत कर रिबेट का दावा या स्वीकृति नहीं दी जाएगी । रेत एवं (गिट्टी) को अधिनियम की धारा 9—ए के प्रयोजन के लिए अधिसूचना 35 दिनांक 27.01.2010 के द्वारा अधिसूचित किया गया है । पुनः मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14 (6) (vi) के अंतर्गत अधिसूचना क्र. ए-3-95-05-1-वी दिनांक 17 अगस्त 2007 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित माल अर्थात् निर्माण सामग्री, कार्यालय फर्नीचर, उपकरण और भागों तत्संबंधी आगत कर रिबेट के लिए पात्र नहीं है ।

हमने कुल 400 मामलों में से पांच डीलरों के पांच मामलों में पाया की विभाग द्वारा रेत और गिट्टी की खरीद के लिए और अधिसूचित माल अर्थात् संयंत्र और मशीनरी की खरीद पर, ₹ 4.24 लाख की आगत कर रिबेट स्वीकार किया गया और अनुमति दी गई जिसके

परिणामस्वरूप राशि ₹ 16.83 लाख का आगत कर रिबेट शास्ति ₹12.74 लाख सहित अनियमित स्वीकृति एवं भुगतान हुआ जैसा कि परिशिष्ट-IX में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2014) के दौरान विभाग तथ्य को स्वीकार कर लिया है और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी ।

2.4.11.4 विनिर्माण प्रक्रिया में सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त कर मुक्त वस्तुओं की बिक्री पर आईटीआर का रिवर्सल न किया जाना

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 14 (1) (क) (5 ए) के अनुसार जहाँ एक पंजीकृत डीलर अधिनियम की अनुसूची-II के, भाग-III में वर्णित वस्तुओं से भिन्न, वस्तुओं को क्रय करता है और धारा 16 के अधीन किये गये निर्माण या प्रोसेसिंग या पैकिंग के लिए/में और विक्रय के सम्बन्ध, उपभोग या उपयोग कर करमुक्त माल का विक्रय करता है तब उसे ऐसे आगत कर की राशि के अनुमति दी जायेगी जो भुगतान की राशि से चार फीसदी से अधिक है ।

हमने एक क्षेत्रीय कार्यालय²⁰ और आठ सर्कल कार्यालयों²¹ में, अवधि 2007-08 से 2010-11 तक के लिए अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2013 बीच कर निर्धारित कुल 768 मामलों, में से 13 डीलरों के 13 मामलों में पाया की डीलरों द्वारा विनिर्माण प्रक्रिया में सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त कर मुक्त माल के अनुपात में आईटीआर की अनुमति दी गई है, परिणाम स्वरूप आगत कर रिबेट के अनियमित दावे और स्वीकृति राशि ₹ 12 लाख एवं शास्ति राशि ₹ 26.65 लाख सहित कुल ₹ 38.65 लाख हुई जैसा कि परिशिष्ट-X में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग कहा कि इस प्रकार के मामलों में माननीय न्यायालय के विभिन्न फैसलें हैं तथा तथ्यात्मक स्थिति पर विचार के बाद कार्रवाई की जायेगी ।

2.4.11.5 राज्य से बाहर स्टॉक के स्थानांतरित किये जाने की स्थिति में आगत कर रिबेट की कम वापसी

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 14 (1) (क) (6) (1) के अनुसार जहाँ एक पंजीकृत डीलर अधिनियम की अनुसूची-II के भाग-III में वर्णित वस्तुओं से भिन्न उक्त अनुसूची की वस्तुओं का अन्य वस्तुओं के निर्माण में उपभोग या खपत हेतु क्रय करता है और व्यवसायी द्वारा उसके द्वारा देय कर के संबंध में आईटीआर का दावा किया जाता है तो राज्य के भीतर विक्रय को छोड़कर माल के अन्यथा निवर्तन किये जाने की स्थिति में उस राशि की सीमा तक, आईटीआर अनुमति दी जायेगी जो राज्य की भीतर भुगतान की राशि से चार फीसदी से अधिक है ।

²⁰ खंडवा

²¹ बुरहानपुर, धार, देवास और जबलपुर-I & II, खंडवा, नरसिंगपुर और नीमच

हमने दो प्रभागीय कार्यालयों²², दो क्षेत्रीय कार्यालयों²³ और तीन सर्कल कार्यालयों²⁴ के अवधि 2009-10 से 2011-12 तक के लिए, अप्रैल 2013 से जून 2011 के बीच कर निर्धारण प्रकरण में कुल 835 मामलों में से नौ डीलरों के नौ मामलों में पाया कि अंतर राज्य व्यापार के अनुक्रम में डीलरों द्वारा राज्य के भीतर बिक्री के अलावा बेचे माल के लिए राशि ₹ 34.47 लाख के आईटीआर की अनुमति दी गई । जिसके परिणामस्वरूप शास्ति राशि ₹ एक करोड़ सहित ₹ 1.34 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनियमित स्वीकृति हुई जैसा कि परिशिष्ट-XI में दर्शाया गया है ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और कहा कि उचित कार्रवाई की जायेगी ।

2.4.12 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

2.4.12.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का आवश्यक अंग है और यह विभागीय निर्देशों, नियमों और कानून को प्रभावी बनाना सुनिश्चित करता है । आंतरिक नियंत्रण वित्तीय और प्रबन्धकीय सूचना व्यवस्था को दुरुस्त और अच्छी सेवाएं, कर अपवंचन की संभावनाएं, अधिक वापसी को रोकना तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने में मदद करता है । इसके अलावा, वित्तीय मामलों पर नियंत्रण के लिए विभाग के वित्त विभाग द्वारा लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था का आवश्यक अंग है ।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग में आंतरिक नियंत्रण ढांचे में आंतरिक लेखापरीक्षा, आईटीआर के पहलू सहित अनुपस्थित थे जो कि व्यवस्था में एक व्यापक अंतर का संकेत थे ।

निर्गम सम्मेलन (2014 अक्टूबर) के दौरान विभाग अलग आंतरिक ऑडिट विंग की अनुपस्थिति के बारे में तथ्यों को स्वीकार कर लिया ।

2.4.12.2 आईटीआर सत्यापन तंत्र में कमियां ।

अधिनियम की धारा 14 में निहित प्रावधान के अनुसार, निर्धारित प्रतिबंध और शर्तों के साथ अनुरूप पंजीकृत डीलर द्वारा इनपुट टैक्स की छूट का दावा या स्वीकृति दी जा सकेगी ।

अधिनियम द्वारा विभाग को डीलरों द्वारा आईटीआर दावों की पुष्टि करने और स्वीकार करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है । विभाग को आईटीआर सत्यापन तंत्र को तैयार करने और बनाए रखने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए । लेकिन विभाग आईटीआर के सत्यापन तंत्र के समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं कर सका ।

²² इंदौर-1 और खण्डवा

²³ सतना और सागर

²⁴ इंदौर-XIII, जबलपुर और मंडीदीप

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा कि नकद वापसी के मामलों में आईटीआर की मंजूरी और सत्यापन के लिए विभाग में एक अलग आईटीआर सत्यापन इकाई थी । आगे लेखापरीक्षा प्रश्न पर, विभाग द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके द्वारा अन्य प्रकरणों में आईटीआर बाद के वर्षों में समायोजन के लिए कैरी फॉरवर्ड किया गया था ।

हालांकि, पिछली कण्डिकाओं में चर्चा में अनुपालन के मुद्दों में कमियाँ इस तथ्य की स्थापना करने के लिए पर्याप्त हैं कि विभाग में प्रचलित प्रणाली आईटीआर सत्यापन के सभी मामले पर्याप्त विश्वसनीय नहीं है । इसलिए निर्धारित प्रणाली में आईटीआर की स्वीकृति से पहले सत्यापन के संबंध में अपने कार्य के लिए उचित आश्वासन, लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।

विभाग (फरवरी 2014) ने कहा की स्टाफ की कमी की वजह के कारण आईटीआर सत्यापन नहीं किया जा सका ।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2014) के दौरान, सी.सी.टी. द्वारा तथ्य पर सहमति व्यक्त की गई और कहा कि कर निर्धारण कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है और आईटीआर सत्यापन कम्प्यूटरीकृत मॉड्यूल के माध्यम से किया जा रहा है ।

विभाग को आंतरिक ऑडिट विंग/आईटीआर सत्यापन तंत्र स्थापित करने/मजबूत करने पर विचार करना चाहिए ।

निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा में अनुपालन और प्रणालीगत कमियों के बारे में पता चला है जैसा कि पूर्ववर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गयी है, और आईटीआर के अनियमित भुगतान के कारण राजस्व का रिसाव हुआ जिस पर सरकार/विभाग के स्तर पर विशेष ध्यान अपेक्षित है ।

हमने यह निष्कर्ष निकाला कि :

- आगत कर रिबेट दावा और अनुमति की समेकित जानकारी के अभाव में विभाग आगे के वर्षों में ले जाये आगत कर रिबेट के रूप में सरकार की कुल देनदारी का आंकलन नहीं कर सका;
- त्रैमासिक विवरणी के प्रारूप फार्म-10 में वस्तु के नाम को समायोजित करने के लिए कॉलम नहीं होने से आगत कर रिबेट दावा और भुगतान करने का उचित सत्यापन संभव नहीं है;
- वैट अधिनियम, प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करना है, सीटीडी द्वारा रिटर्न को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए और क्रय विक्रय के प्रति सत्यापन के काम की निगरानी के लिए तंत्र उपस्थिति नहीं था, व

- विभाग विश्वसनीय और परिचालन आगत कर रिबेट सत्यापन तंत्र के कार्यान्वयन में निष्क्रिय रहा इसलिये विभाग पर्याप्त रूप से आगत कर रिबेट से संबंधित मुद्दे को मॉनीटर नहीं कर सका ।

2.5 अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

हमने वाणिज्यिक कर विभाग में वैट कर, केन्द्रीय कर बिक्री कर और प्रवेश कर आदि के कर निर्धारण प्रकरणों के छानबीन के दौरान प्रावधानों का पालन न करने के कई मामले, दंड/ब्याज की गैर/कम लेवी, कर की गलत दर लागू किया जाना, टर्नओवर का गलत निर्धारण, कर मुक्ति की गलत स्वीकृति और अन्य प्रकरण पाए जैसा कि इस अध्याय में आगे कण्डिकाओं में वर्णित किया गया है । ये प्रकरण उदाहरणार्थ हैं एवं हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित हैं । वाणिज्यिक कर प्राधिकारियों द्वारा की गई इस प्रकार की चूकें पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई हैं । परन्तु न केवल ये अनियमितताएं निरन्तर बनी रहती हैं और लेखापरीक्षा किये जाने तक प्रकाश में नहीं आती । शासन द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार किये जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसी चूकों से बचा जा सके ।

2.6 गलत दर से कर का आरोपण

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम तथा उनके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं में विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय वैट कर तथा वैट की दरों को निर्दिष्ट किया गया है । मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 18 (4) के अन्तर्गत यदि कोई व्यवसायी आवधिक विवरणियों में दर्शाये गये अनुसार कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज का दायी होगा और यदि व्यवसायी द्वारा त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण किया जाता है तब धारा 21 (2) के तहत निर्धारित कर की राशि के न्यूनतम 3 गुना किन्तु 3.5 गुने से अनधिक शास्ति के भुगतान का दायी होगा ।

हमने फरवरी 2011 और नवम्बर 2013 के मध्य छः संभागीय कार्यालयों²⁵, पांच रीजनल कार्यालयों²⁶ और 15 वृत्त कार्यालयों²⁷ में कर निर्धारण आदेशों अंकित लेखों, क्रय सूची आदि अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया कि 2007-08 से 2012-13 की अवधि से संबंधित एवं मार्च 2010 तथा जून 2013 के मध्य कर निर्धारित 33 व्यवसायियों के 40 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 57.01 करोड़ के विक्रय टर्नओवर पर गलत दरों से कर आरोपित किया था, इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 40000 ब्याज एवं शास्ति ₹ 28.17 लाख सहित ₹ 5.05 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ, कुछ उदाहरणों का उल्लेख तालिका 2.8 में किया गया है ।

²⁵ ग्वालियर, इंदौर टैक्स ऑडिट ए और बी, जबलपुर टैक्स ऑडिट, सतना और सतना एंटी इवेजन

²⁶ ग्वालियर (2), गुना, जबलपुर और सतना

²⁷ भोपाल (2), छिन्दवाड़ा, ग्वालियर (3), होशंगाबाद, इंदौर (3), इटारसी, कटनी, मंडीदीप, सिवनी और शिवपुरी

तालिका 2.8

(₹लाख में)							
सरल क्र.	इकाई का नाम	कर निर्धारण अवधि/कर निर्धारण माह	वस्तु का नाम	टर्नओवर	कर की लागू दर (प्रतिशत में)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कर के कम आरोपण की राशि (लाख में)
1.	सीटीओ VI इंदौर	2009-10 जून 2012	सीआरजीओ लेमिनेशन	124.50	12.5	4/5	9.70
2.	आरसी-I जबलपुर	2008-09 जून 2013	माउथ फ्रेशनर	112.31	12.5	4	9.55
3.	सीटीओ XIII इंदौर	2010-11 जून 2012	एलपीजी/ सी.एन.जी. ओटो सिलिंडर/किट	61.07	13	5	4.89

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित (फरवरी 2011 से नवम्बर 2013 के मध्य) किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने छह मामलों²⁸ में ₹ 11.54 लाख की मांग जारी की (जनवरी और मई 2013 के मध्य) 17 व्यवसायों के 23 प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापन पश्चात/परीक्षण उपरांत कार्रवाई हेतु सहमति दी गयी ।

10 व्यवसायों के 11 प्रकरणों में विभागीय उत्तर एवं उन पर हमारी टिप्पणीयाँ तालिका 2.9 के अनुसार है ।

²⁸ डीसी एन्टी इ इवेजन ब्यूरो सतना, टैक्स ऑडिट जबलपुर, आरएसी जबलपुर (2), सीटीओ भोपाल-II और छिन्डवादा

तालिका 2.9

(₹ लाख में)						
सरल क्र.	इकाई का नाम/डीलर की संख्या	आक्षेपित राशि	कर की लागू दर/आरोपित कर की दर	वस्तु का नाम	विभाग का उत्तर	हमारी टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	डीसीसीटी सतना 1	402.66	12.5 4	एक्सप्लोसिव	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि डीलर द्वारा एक्सप्लोसिव स्वयं उपयोग/उपभोग किये गए हैं।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि कर निर्धारण आदेश और गणना पत्रक में एक्सप्लोसिव सप्लाई किया जाना और वैट का संग्रह सत्यापित होता है।
2	सीटीओ होशंगाबाद 1	15.79	13 5	स्टील स्ट्रक्चर	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि डीलर सिविल वर्क, फेब्रिकेशन और ट्रेडिंग के लिए रजिस्टर्ड है परन्तु व्यवहारिक रूप से डीलर आयरन एंगल और सेक्शन का भी व्यवसाय करते हैं, अतः लागू कर की दर सीसीटी एक्ट की धारा 14 (V) के अनुसार सही है।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि डीलर द्वारा स्टील स्ट्रक्चर बेचा गया था जिस पर सीसीटी मध्यप्रदेश के निर्णय ²⁹ के अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से देयता आती है।
3	आरएसी गुना 1	4.88	12.5 4	सीमेंट	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि लेखापरीक्षा में ली गई आपत्ति का आधार असेसमेंट आर्डर और विवरणी में बिक्री की राशि में अंतर होना है, जबकि कर निर्धारण आदेश अंकित खाते, विवरणियों और कर निर्धारण आदेश के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया गया है।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि राशि में अंतर और साक्ष्य सम्बन्धित टीप विवरणों में अंकित नहीं पाई गई है।

²⁹ मेसर्स तुंगभद्र स्टील प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध सीएसटी म.प्र. (2005) 6 एसटीजे 650 (एम पी बोर्ड)

(₹ लाख में)						
सरल क्र.	इकाई का नाम/डीलर की संख्या	आक्षेपित राशि	कर की लागू दर/आरोपित कर की दर	वस्तु का नाम	विभाग का उत्तर	हमारी टिप्पणी
4	सीटीओ-II, भोपाल 1	3.41	12.5 4	इलेक्ट्रानिक सामान (सिक्यूरिटी एवं अलार्म सिस्टम)	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि 12.5 प्रतिशत की दर से किया गया है	हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि डीलर द्वारा विक्रय वस्तु का मूल्य ₹ 65.69 लाख है जबकि केवल ₹ 26.69 लाख पर 12.5 प्रतिशत की दर से कम निर्धारण किया गया है।
5	सीटीओ इटारसी 1 (2 प्रकरण)	5.84	13 5	ट्रेक्टर्स एक्सेसरीज	कर निर्धारण प्राधिकारी इटारसी एवं जबलपुर ने बताया कि - के पार्ट-की एंट्री नंबर 90 के अनुसार टैक्स का आरोपण किया गया है जबकि कर निर्धारण प्राधिकारी मंडीदीप ने बताया की बेचा हुआ माल ट्रेक्टर के पार्ट्स और अटेचमेंट्स हैं।	हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि ट्रेक्टर के पार्ट्स और अटेचमेंट्स उक्त एंट्री में समाहित नहीं है कर निर्धारण प्राधिकारी मंडीदीप का जवाब दस्तावेजों के अनुकूल नहीं है क्योंकि फॉर्म-49, ट्रेडिंग अकाउंट और क्रय सूची के अनुसार बेचा हुआ माल ट्रेक्टर के पार्ट्स और अटेचमेंट्स स्थापित होते है।
6	सीटीओ.V भोपाल 1	2.59	12.5 4	कुक्ड फूड	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि डीलर को कम्पोजीशन प्राप्त है और उसके अनुसार कर का निर्धारण किया गया है	हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि न तो कर निर्धारण अधिकारी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया न ही इस तरह के कोई प्रपत्र फाइल के साथ संलग्न पाए गए।
7	डीसीसीटी एंटी एवेसन ब्यूरो इंदौर 1	1.36	13 5	कोयर मैट्रेसस	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि डीलर को कम्पोजीशन प्राप्त है और उसके अनुसार कर का निर्धारण किया गया है	हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि दस्तावेजों के अनुकूल नहीं है। फॉर्म-49, ट्रेडिंग अकाउंट और क्रय सूची के अनुसार बेचा हुआ माल कोयर मैट्रेसस स्थापित होते है।

(₹ लाख में)						
सरल क्र.	इकाई का नाम/डीलर की संख्या	आक्षेपित राशि	कर की लागू दर/आरोपित कर की दर	वस्तु का नाम	विभाग का उत्तर	हमारी टिप्पणी
8	डीसीसीटी एंटी एवेसन ब्यूरो इंदौर-बी 1	1.25	13 5	कमर्शियल विनियर	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि कमर्शियल विनियर, अनुसूची दो के भाग दो के एंट्री नंबर 5-सी में आता है।	हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि उक्त एंट्री में कमर्शियल विनियर नहीं आता है।

हमने सरकार और विभाग को मई 2014 में मामले की सूचना दी। उनके जवाब (दिसम्बर 2014) प्राप्त नहीं किये गये हैं।

2.7 टर्न ओवर का गलत निर्धारण

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 एवं मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 2 के अनुसार किसी अवधि के टर्नओवर से तात्पर्य व्यवसाई द्वारा उस अवधि में वस्तुओं के किसी विक्रय या आरोपण के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर विक्रय वापसी को छोड़कर प्राप्त किये गए या प्राप्त करने योग्य विक्रय मूल्यों के पूर्ण योग से है कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि कर प्रदत्त वस्तुओं का विक्रय मूल्य तथा कर की राशि को विक्रय मूल्यों के कुल योग में सम्मिलित किया गया है, तो उसे टर्नओवर से घटाया जाना चाहिए।

2.7.1 हमने फरवरी 2012 और फरवरी 2014 मध्य तीन संभागीय कार्यालयों³⁰, पांच रीजनल कार्यालयों³¹ और 18 वृत्त कार्यालयों³² में कर निर्धारण आदेशों अंकित लेखों, क्रय सूची आदि अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया की 2007-08 से 2011-12 की अवधि से सम्बन्धित 33 व्यवसायियों के 34 प्रकरणों में अप्रैल 2010 तथा मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारित करते समय ₹ 24.55 करोड़ कम टर्नओवर निर्धारित किया, इस प्रकार राशि ₹ 24.55 करोड़ को कर की गणना में नहीं लिया गया इसके परिणामस्वरूप शास्ति राशि ₹ 81.76 लाख सहित ₹ 3.14 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ। कुछ उदाहरणों का उल्लेख **तालिका 2.10** में किया गया है।

³⁰ टैक्स आडिट विंग ग्वालियर, टैक्स आडिट विंग इंदौर एवं जबलपुर

³¹ ग्वालियर, इंदौर सागर सतना एवं उज्जैन

³² बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, देवास, ग्वालियर, गुना, इंदौर (2), इटारसी, मंदसौर, मंडीदीप, मंडला, नरसिंहपुर, पीथमपुर, सागर, सतना एवं उज्जैन

तालिका 2.10

सरल क्रं.	लेखापरीक्षित इकाई का	कर निर्धारण अवधि/लेखा परीक्षा माह	हमारा प्रेक्षण	विभाग का उत्तर
1.	डीसीटी-II जबलपुर	2009-10 जून-2012	कर निर्धारण अधिकारी ने प्लांट एंड मशीनरी तथा उस पर प्रॉफिट की राशि ₹ 3.36 करोड़ शामिल नहीं की। परिणामस्वरूप कम टर्नओवर निर्धारित किया गया और टैक्स राशि ₹ 41.95 लाख का कम निर्धारण हुआ।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (मई 2013) कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी।
2.	आरएसी सागर	2010-11 नवम्बर 2012	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बीडी के टर्नओवर को ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शित ₹ 24.79 करोड़ के स्थान पर ₹ 21.46 करोड़ निर्धारित किया गया। इस प्रकार कर योग्य टर्नओवर का ₹ 3.33 करोड़ कम निर्धारण करने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 15.87 लाख के कम कर का आरोपण हुआ।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (अगस्त 2013) कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी।
3.	डीसी टैक्स ऑडिट इंदौर	2010-11 जून-2012	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा डीलर के कर योग्य टर्नओवर के निर्धारण के समय अन्य आय राशि ₹ 92.88 लाख जो रूई बेल के रूप में प्राप्त हुई को शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार कर योग्य टर्नओवर के कम निर्धारण से राशि ₹ 3.71 लाख का कम कर का आरोपण हुआ।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 2013) कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी।

लेखापरीक्षा में इंगित (फरवरी 2012 और फरवरी 2014 के बीच) किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने तीन मामलों में स्वीकार कर लिया और दो मामलों में ₹ 23.27 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग को उठाया। 27 डीलरों के 28 मामलों में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने हमारी टिप्पणियों के उत्तर में बताया (मार्च 2012 और 2013 के फरवरी के बीच) कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी, शेष तीन प्रकरणों में हमारी टिप्पणियों और कर निर्धारण प्राधिकारियों के जवाब निम्न तालिका 2.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.11

सरल क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	अवधि /कर निर्धारण का माह	हमारा प्रेक्षण	विभाग का जवाब/हमारी टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आर.ए.सी सतना	2009-10 अप्रैल 2012	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य टर्नओवर का ₹ 8.73 करोड़ से कम निर्धारित करने के कारण कर का अनाआरोपण ₹ 1.09 करोड़	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि डीलर ने समेकित बैलेंसशीट/एकाउंट्स प्रस्तुत किये जिसमें छत्तीसगढ़ और झारखण्ड के विक्रय भी शामिल थे। हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि अंकेक्षित खाते में केवल म. प्र. के क्रय को शामिल किया गया था अतः विक्रय भी केवल म. प्र. राज्य से सम्बन्धित था।
2.	सीटीओ-I, ग्वालियर	2010-11 दिसम्बर 2012	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य टर्नओवर ₹ 1.28 करोड़ निर्धारित किया गया जबकि कर योग्य टर्नओवर ₹ 1.64 करोड़ था। अतः करयोग्य टर्नओवर का ₹ 36 लाख से कम निर्धारित करने के कारण कर का अनाआरोपण ₹ 3.24 लाख।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि टैक्स के गणना अंकेक्षित खाते में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस खाते में वर्णित विक्रय पर की गई है। हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि जवाब समेकित अंकेक्षित खाते में के साथ संलग्न साक्ष्य के प्रतिकूल है। अंकेक्षित खाते में राशि ₹1.64 करोड़ टर्नओवर के तौर पर निर्धारित किये गए थे।
3.	सीटीओ-II, छिन्दवाड़ा	2010-11 फरवरी 2013	कर निर्धारण अधिकारी ने गलत तरीके से क्रेडिट नोट ₹ 14.54 लाख की छूट स्वीकृत की। परिणाम स्वरूप करयोग्य कर का कम निर्धारण होने से ₹ 1.89 लाख के कर का अनारोपण हुआ।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि डीलर द्वारा इनवाइस बिल में कीमत में कमी के कारण क्रेडिट नोट जारी किये गए थे, हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि यह प्रावधानों के प्रतिकूल है जो इस प्रकार के किसी पश्च वर्ती डिस्काउंट जो कि विक्रय मूल्य पर दिए गए हो, मान्य नहीं करते है।

2.7.2 वैट अधिनियम की धारा 11-ए एवं नियमों अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को, जो उसके द्वारा की गई संकर्म संविदा के निष्पादन के अनुक्रम में पूर्णतः या भागतः माल का प्रदाय करने का कारोबार करता है उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय कर के बदले ऐसी दर से, जो विहित की जाए, तथा विहित राशि में अवधारित एकमुश्त रकम प्रशमन के रूप में भुगतान करने की अनुज्ञा दे सकेगा। नियम के अधीन प्रशमन के रूप में एकमुश्त भुगतान की जाने वाली रकम संविदा कार्य के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा अथवा प्राप्त योग्य कुल आर्थिक प्रतिफल पर अवधारित की जाएगी।

हमने फरवरी 2014 में संभागीय कार्यालय सागर में अभिलेखों जैसे कर निर्धारण आदेश, प्राप्तियों और भुगतान खातों के नमूना जाँच में अवधि 2009–10 हेतु जून 2012 में कर निर्धारित रजिस्ट्रीकृत प्रशमन व्यापारी के प्रकरण में पाया गया कि व्यापारी को कुल आर्थिक प्रतिफल राशि ₹ 48.77 करोड़ प्राप्त हुई। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सेनवेट, सर्विस टैक्स एवं वैट के रूप में प्राप्ति राशि ₹ 7.38 करोड़ को कम करते हुए कुल आर्थिक प्रतिफल राशि ₹ 41.50 करोड़ निर्धारित किया। इस प्रकार कुल टर्नओवर कम निर्धारित करने के परिणामस्वरूप चार प्रतिशत की दर से ₹ 29.52 लाख रुपये अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित (फरवरी 2014) किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने बताया की सत्यापन पश्चात् कार्रवाई की जाएगी।

हमने सरकार और विभाग को मई 2014 में प्रकरण की सूचना दी। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.8 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 तथा उसके अधीन जारी नियमों एवं अधिसूचनाओं के अंतर्गत, खपत, उपयोग अथवा विक्रय के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले माल (वस्तुओं) पर निर्दिष्ट दरों से प्रवेश कर आरोपणीय है। अधिनियम तथा मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 के अनुसार, यदि कोई व्यवसाई आवधिक विवरणियों के अनुसार उसके द्वारा देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा और कर निर्धारण में चूक व्यवसाई के कारण हुई है तो वह शास्ति के भुगतान का भी दायी होगा।

हमने मई 2014 से मार्च 2014 के मध्य सात संभागीय कार्यालयों³³ नौ क्षेत्रीय कार्यालयों³⁴ एवं 20 वृत्त कार्यालयों³⁵ में अभिलेखों जैसे कर निर्धारण आदेश, प्राप्तियों और भुगतान खातों के 48 डीलरों के 49 प्रकरणों में अवधि जून 2009 से मार्च 2009 के मध्य कर निर्धारित/पुनः कर निर्धारित प्रकरणों में अवधि 2006–07 से 2011–12 तक, की नमूना जाँच में पाया गया कि राशि ₹ 76.31 करोड़ के कुछ वस्तुओं जैसे कि आयरन और स्टील, इलेक्ट्रॉनिक आयटम, मिल्क पाउडर, एलपीजी डोमेस्टिक/कमर्शियल, फरनेंस आयल, हक्सेन, एचडीपीई/पीपी/वोवन बैग्स आदि पर वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में उनके प्रवेश कर या तो आरोपित नहीं किया गया अथवा गलत दर से आरोपित किया गया था, इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.58 करोड़ के प्रवेश कर शास्ति राशि ₹ 1.12 करोड़ सहित की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित (मई 2010 और मार्च 2014 के बीच) किये जाने पर, तीन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राशि ₹ 66.22 लाख की मांग (दिसम्बर 2012 और सितम्बर 2013

³³ भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर (2) सतना और उज्जैन

³⁴ ग्वालियर इंदौर (2) जबलपुर, खंडवा सागर और सतना (3)

³⁵ भिंड, भोपाल (3) छतरपुर, देवास, ग्वालियर (2) इंदौर (5) इटारसी, पीथमपुर, सतना (2) सेंधवा, उज्जैन और विदिशा

के बीच) जारी की गई। 36 डीलर के अन्य 37 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया (मई 2010 और जनवरी 2014 के बीच) कि सत्यापन/परीक्षा के बाद कार्यवाही की जायेगी। शेष नौ मामले में, विभाग के जवाब और हमारे टिप्पणियां तालिका 2.12 में हैं।

तालिका 2.12

(₹ लाख में)						
स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/डीलर की संख्या	कर निर्धारण अवधि/कर निर्धारण माह	वस्तु का नाम/माल का मूल्य	लागू कर की दर/आरोपित कर	विभाग का जवाब	हमारी टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	डीसीसीटी-I जबलपुर 2 डीसीसीटी-II ग्वालियर 1	2009-10 मई/जून 2012 2009-10 जून 2012	फेरनेंस आयल 1416.14	1 निरंक	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि निर्णय इंडियन आयल लिमिटेड भोपाल विरुद्ध एसटीजे 62 भोपाल एवं प्रिज्म सीमेंट एसटीजे 422 विरुद्ध सीसीटी म. प्र. (2006) के अनुसार फरनेंस आयल, लाइट डीजल आयल है। कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः बताया की इंडियन आयल के केस में फरनेंस आयल को अनुसूची -II की वस्तु मानते हुए करारोपण किया गया है।	हम जवाब से सहमत नहीं है क्योंकि उक्त जजमेंट वेट/सीएसटी प्रकरणों के लिए है, जबकि प्रवेश कर के लिए अलग अनुसूची है, जिसके अनुसार फरनेंस आयल अनुसूची-III की वस्तु है।
2.	डीसीसीटी-II जबलपुर 1	2009-10 जून 2012	आयरन एंड स्टील टिम्बर एंड लुब्रीकेंट्स 300.13	2 1	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि डीलर ने कम्पोजीशन प्राप्त किया हुआ है और प्रवेश कर देयता से नोटिफिकेशन क्र. 16 (2007) के अनुसार पेट्रोल, डीजल, कैपिटल गुड्स और व्हीकल को छोड़कर छूट प्राप्त है।	हम जवाब से सहमत नहीं है क्योंकि कर निर्धारण आदेश में कर निर्धारण अधिकारी ने स्वयं इसे कैपिटल गुड्स मानते हुए करारोपण किया है।

(₹ लाख में)						
स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/डीलर की संख्या	कर निर्धारण अवधि/कर निर्धारण माह	वस्तु का नाम/माल का मूल्य	लागू कर की दर/आरोपित कर	विभाग का जवाब	हमारी टिप्पणी
3	आरसीए-I इंदौर 2	2010-11 मार्च 2013	स्किमड मिल्क/ मिल्क पाउडर 246.77	2 1	निर्धारण अधिकारी ने बताया कि स्किमड मिल्क/मिल्क पाउडर की कोई स्पेसिफिक प्रविष्टि प्रवेश कर की अनुलग्नक में नहीं है। इसलिए प्रवेश कर अधिनियम के अनुसूची-II के पार्ट III की प्रविष्टि एक के अनुसार 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर अधिरोपित किया गया।	हम जवाब से सहमत नहीं हैं क्योंकि स्किमड मिल्क/मिल्क पाउडर प्रवेश कर अधिनियम के अनुसूची-II के पार्ट II की प्रविष्टि 31 के अनुसार 2 प्रतिशत की दर से करारोपनीय है।
4	डीसीसी-II, इंदौर 1	2009-10 जून 2012	हेक्सेन 72.37	10 1	निर्धारण अधिकारी ने बताया कि यह हैक्सानेस (एक औषधि) है न कि हैक्सन (एक कच्चा माल) जैसा की ऑडिट ने माना है।	हम जवाब से सहमत नहीं हैं क्योंकि हेक्सानेस और हेक्सन एक ही कमांडिटी है जिनका केमिकल कम्पोजीशन (हाइड्रोजेकार्बन) एक सा है जो कि कूड आयल की रिफाइनिंग से प्राप्त होता है और इंडस्ट्रियल एवं लैब दानों में उपयोग होता है।
5	सीटीओ विदिशा 1	2009-10 जून 2012	बर्न्ट आयल एंड पैकिंग मटेरियल 68.81	1 निरंक	निर्धारण अधिकारी ने बताया कि बर्न्ट आयल मग्न क पंजीकृत डीलर से क्रय कर प्रोसेसिंग उपरान्त बेचा गया है।	जवाब स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि बर्न्ट आयल अनुसूची-III की वस्तु होने के कारण कर योग्य है।
6	डीसीसीटी -I भोपाल 1	2009-10 जून 2012	फरनेस आयल 12.69	10 निरंक	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि फरनेस आयल अनुसूची-II या अनुसूची-III की वस्तु है इस सम्बन्ध में प्रकरण अपीलेंट बोर्ड/हाई कोर्ट में लंबित है, अतः बर्न्ट आयल को अनुसूची-III की वस्तु मानते हुए करारोपण नहीं किया जा सकता।	हम जवाब से सहमत नहीं हैं क्योंकि स्वयं कर निर्धारण अधिकारी ने कुल क्रय राशि ₹ 97.45 लाख में से आयतित क्रय 84.76 लाख पर 10 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया है। इसके अतिरिक्त ऑडिट आपत्ति रेट या अनुसूची की न होकर राशि की है।

हमने सरकार और विभाग को मई 2014 में प्रकरण की सूचना दी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.9 आमान्य आगत कर रिबेट की स्वीकृति

2.9.1 मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अनुसार, जहां कोई पंजीकृत व्यवसायी मध्य प्रदेश राज्य के भीतर किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी से आगत कर के भुगतान के पश्चात अधिनियम की अनुसूची-II के भाग-III में निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट किन्हीं वस्तुओं का क्रय करता है तो उसे उसी वर्ष हेतु ऐसी आगत कर की राशि के बराबर आगत कर छूट (आई.टी.आर.) प्रदान की जायेगी। मध्य प्रदेश वैट अधिनियम के नियम 9 के अंतर्गत आगत कर रिबेट का न तो दावा किया जायेगा न ही स्वीकृत किया जायेगा यदि बिल या केश मेमो में संग्रह की गई कर की राशि विक्रय करने वाले पंजीकृत डीलर ने पत्रक से नहीं दर्शायी है आगे, कथित अधिनियम की धारा 21 (1)(डी) और (2) के अनुसार, यदि कर निर्धारण के दौरान आगत कर रिबेट की गलत छूट व्यवसायी के कारण दी गई है तो निर्धारित कर की राशि के 3.5 गुना से अनधिक ऐसी शास्ति, जो तीन गुने से कम न हो, आरोपित की जायेगी।

हमने संभागीय कार्यालय टैक्स ऑडिट जबलपुर, सात क्षेत्रीय कार्यालयों³⁶ और आठ सर्कल कार्यालयों³⁷ में अप्रैल 2011 और दिसम्बर 2013 के बीच में आंकलन आदेश, अंकेक्षित खातों, खरीद सूची में 18 डीलरों के 19 प्रकरणों में दिसम्बर 2009 और जनवरी 2013 के बीच कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अमान्य आगत कर रिबेट राशि ₹ 1.01 करोड़, ₹ 0.90 लाख का ब्याज एवं शास्ति ₹ 49.24 लाख सहित की अनुमति दी।

हमारे द्वारा प्रकरणों में इंगित (अप्रैल 2011 और दिसम्बर 2013 के बीच) किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने तीन प्रकरणों में राशि ₹ 33.64 लाख की अतिरिक्त मांग को उठाया जैसा की तालिका 2.13 में विस्तृत रूप में बताया गया है।

तालिका 2.13

स. क्र.	लेखा परीक्षित इकाई का नाम/ डीलर की संख्या	कर निर्धारण अवधि कर निर्धारण माह	हमारा प्रेक्षण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आरएसी-II उज्जैन 1	2008-09 फरवरी 2011	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आगामी वर्ष 2007-08 के लिए ले जाने वाली राशि आगत की रिबेट राशि ₹ 24,198 के स्थान ने आगत कर रिबेट राशि ₹ 3.36 लाख को पर गलत रूप से समायोजित किया, परिणामस्वरूप आगत कर रिबेट राशि ₹ 3.12 लाख एवं शास्ति राशि ₹ 9.35 का अधिक भुगतान हुआ।

³⁶ ग्वालियर, जबलपुर (2), खण्डवा, मुरैना तथा उज्जैन (2)

³⁷ छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, मंदसौर, सागर, उज्जैन

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी ने (दिसम्बर 2012) कर की राशि को छोड़कर, शास्ति राशि ₹ 9.73 लाख की मांग सृजित की			
2	आरएसी-I जबलपुर 1	18/12/2008 से 31/03/2009 अप्रैल 2011	व्यवसायी के पंजीयन दिनांक से पहले धारा 17(सी) और (डी) अनुरूप मैन्यूफैक्चरर मानते हुए व्यवसायी द्वारा क्रय वस्तु पर आगत कर रिबेट की राशि ₹ 9.57 लाख गलत रूप से स्वीकृति ।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी ने (फरवरी 2012) कर की राशि को छोड़कर, शास्ति राशि ₹ 9.57 लाख की मांग सृजित की			
3	आरएसी-I उज्जैन 1	2007-08 अप्रैल 2010	डीलर द्वारा ट्रेक्टर पार्ट्स, लुब्रिकेंट्स आयल का राशि ₹ 56.93 लाख का क्रय अपनी ब्रांच से किया गया, कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त क्रय पर आगत कर रिबेट ₹ 2.28 लाख गलत स्वीकृत किया है, परिणामस्वरूप आगत कर के उक्त राशि की गलत स्वीकृति हुए ।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी ने (जून 2013) का की राशि को छोड़कर, शास्ति राशि ₹ 14.33 लाख की मांग सृजित की			

13 डीलरों के अन्य 14 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारी ने कहा (अप्रैल 2011 और दिसम्बर 2013) कि सत्यापन/परीक्षण उपरांत कार्रवाई की जायेगी । शेष दी डीलरों के दो प्रकरणों में, विभाग के जवाब और हमारी टिप्पणियां तालिका 2.14 में है ।

तालिका 2.14

सरल क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	कर निर्धारण अवधि/कर निर्धारण माह	हमारा प्रेक्षण	विभाग का जवाब/हमारा जवाब
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सीटीओ-II छिन्दवाड़ा	2009-10 जून 2012	डीलर द्वारा लुब्रिकेंट और सीमेंट पर इनपुट टैक्स राशि ₹ 41.85 लाख का भुगतान किया गया, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने राशि ₹ 46.24 लाख के आगत कर रिबेट की स्वीकृति दी, परिणामस्वरूप आगत की रिबेट राशि ₹ 4.39 लाख की अधिक स्वीकृति ।	कर निर्धारण अधिकारी ने जवाब में कहा की व्यवसायी द्वारा दवा किये आगत कर रिबेट की स्वीकृति की गयी । जवाब मान्य नहीं है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शित विक्रय पर टैक्स आरोपित किया गया है अतः आगत कर रिबेट भी ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शित राशि पर मान्य होगा ।
2.	आरएसी- मुरैना	2008-09 अप्रैल 2011	डीलर द्वारा ट्रेक्टर क्रय पर इनपुट टैक्स राशि ₹ 30.13 लाख का भुगतान किया गया, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने राशि ₹ 31.43 लाख के आगत कर रिबेट की	कर निर्धारण अधिकारी ने जवाब कहा की आगत कर रिबेट की स्वीकृति सही दर से की गयी । जवाब मान्य नहीं है क्योंकि कर ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शित राशि पर आगत कर रिबेट भी ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शित

			स्वीकृति राशि ₹ 1.30 लाख की अधिक स्वीकृति ।	राशि पर आगत कर रिबेट मान्य होगा ।
--	--	--	---	-----------------------------------

2.9.2 मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 14 के अनुसार जहाँ एक पंजीकृत डीलर अधिनियम की अनुसूची-II के भाग-III में वर्णित वस्तुओं से भिन्न उक्त अनुसूची की वस्तुओं का अन्य वस्तुओं के निर्माण में उपभोग या खपत हेतु क्रय करता है और व्यवसायी द्वारा उसके द्वारा देय कर के संबंध में आईटीआर का दावा किया जाता है तो राज्य के भीतर विक्रय को छोड़कर माल के अन्यथा निवर्तन किये जाने की स्थिति में उस राशि की सीमा तक, आईटीआर अनुमति दी जायेगी जो राज्य की भीतर भुगतान की राशि से चार फीसदी से अधिक है । पुनः मध्य प्रदेश वैट अधिनियम के अनुसार जहाँ एक पंजीकृत डीलर आगत कर का भुगतान कर माल का क्रय करता है और धारा 16 के अधीन निर्माण या प्रोसेसिंग या पैकिंग के लिए उपभोग या उपयोग कर मुक्त माल का विक्रय करता है तब उसे ऐसे आगत कर की राशि के अनुमति दी जायेगी जो भुगतान की राशि से चार फीसदी से अधिक है ।

हमने उज्जैन के दो क्षेत्रीय कार्यालयों और तीन सर्कल कार्यालयों³⁸ में अगस्त 2010 और नवम्बर 2013 के बीच, आकलन आदेश, अंकेक्षित खातों, खरीद सूची आदि अभिलेखों की जांच की और पाया है कि छह डीलरों के छः मामलों में अवधि 2006-07 और वर्ष 2009-10 के लिए जून 2009 और जून 2012 के बीच की निर्धारण प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राशि ₹ 17.70 लाख के आईटीआर अनुमति दी हालांकि डीलर द्वारा विक्रय के अलावा अन्यथा रूप से निपटारा की गयी वस्तुओं के अथवा कर मुक्त वस्तुओं की बिक्री के चार प्रतिशत से अधिक के आगत कर रिबेट की राशि ₹ 5.93 लाख की पात्रता थी । परिणामस्वरूप आगत कर रिबेट की राशि ₹ 11.77 लाख की अनियमित स्वीकृति हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों में इंगित (अगस्त 2010 और नवम्बर 2013 के बीच) किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने एक प्रकरण में शास्ति राशि सहित ₹ 4.14 लाख (मई 2013) की अतिरिक्त मांग को उठाया । शेष पांच डीलरों के पांच प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (अगस्त और नवम्बर 2013 के बीच) की, सत्यापन/परीक्षण उपरांत कार्रवाई की जाएगी ।

2.9.3 मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 26-ए के (4) के अनुसार उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित माल के संबंध में आगत कर की रिबेट का दावा नहीं किया जायेगा है, अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी 2008 द्वारा सोयाबीन एवं सरसों को उक्त अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत टीडीएस के लिए अधिसूचित किया गया है ।

हमने जुलाई 2010 और जून 2012 के बीच क्षेत्रीय कार्यालयों नीमच और शाजापुर, वृत्त कार्यालयों के छिंदवाड़ा और इन्दौर में आकलन आदेश, अंकेक्षित खातों, खरीद सूची आदि अभिलेखों की जांच की, और पाया कि जुलाई 2009 और जून 2011 के बीच कर निर्धारण के

³⁸ गुना तथा इन्दौर (2)

पांच डीलरों के पांच मामलों में अवधि वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए कर निर्धारण अधिकारी ने गलत तरीके से सोयाबीन और सरसों की खरीद मूल्य पर ₹ 6.19 लाख की आईटीआर की अनुमति दी। ये वस्तुओं टीडीएस के लिए अधिसूचित थे, अतः आईटीआर इन मामलों में स्वीकार्य नहीं था। परिणामस्वरूप राशि ₹ 6.19 लाख का आईटीआर के गलत स्वीकृति हुई।

हमारे द्वारा प्रकरणों में इंगित किये जाने पर (जुलाई 2010 और जून 2012 के बीच) कर निर्धारण अधिकारी सर्किल-I छिंदवाड़ा ने दो प्रकरणों में ₹ 1.37 लाख (मई 2013) की मांग जारी की और एक अन्य प्रकरण सर्किल-I इन्दौर में (मई 2012), लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया। शेष दो प्रकरणों में, कर निर्धारण अधिकारी ने कहा (जुलाई 2010 और फरवरी 2011) कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी।

2.9.4 मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 14 के अनुसार, जहाँ कोई पंजीकृत व्यवसायी मध्य प्रदेश राज्य के भीतर किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी से आगत कर के भुगतान के पश्चात अधिनियम की अनुसूची-II के भाग-III में निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट किन्हीं अन्य वस्तुओं का क्रय करता है तो उसी वर्ष हेतु ऐसी आगत कर रिबेट की राशि के बराबर आगत कर छूट प्रदान की जाएगी, अधिनियम की उप-धारा (6) (vi) एवं (ix) में निहित प्रावधानों के अनुसार धारा 9-ए के तहत अधिसूचित माल के संबंध में किसी भी आगत कर रिबेट का दावा या स्वीकृति नहीं दी जाएगी। पुनः मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14(6)(vi) के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त 2007 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित माल अर्थात् निर्माण सामग्री, क्रेन एवं कार तत्संबंधी आगत कर रिबेट के लिए पात्र नहीं है। रेत और गिट्टी को अधिनियम की धारा 9-ए के प्रयोजन के लिए अधिसूचना दिनांक 27.01.2010 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

हमने मई 2012 और सितम्बर 2013 के बीच तीन सर्किल कार्यालयों³⁹ में आकलन आदेश, अंकक्षित खातों, खरीद सूची आदि अभिलेखों की जांच और पाया जून 2010 और जून 2012 के बीच कर निर्धारित प्रकरणों में परीक्षण अवधि वर्ष 2007-08 और 2009-10 के लिए चार डीलरों के चार मामलों में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भवन निर्माण सामग्री, क्रेन, कार और गिट्टी की खरीद गलत तरीके से की आईटीआर राशि ₹ 3.91 लाख की अनुमति दी। ये वस्तुओं अधिसूचित थी, अतः आईटीआर इन मामलों में स्वीकार्य नहीं था। परिणामस्वरूप राशि ₹ 3.91 लाख का आईटीआर गलत स्वीकृति हुई।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों में इंगित (मई 2012 और सितम्बर 2013 के बीच) किये जाने पर एक प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी सर्किल-I इन्दौर ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और शेष तीन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने कहा (मई 2012), की सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी।

³⁹ इन्दौर (2), जावरा तथा सतना

2.9.5 मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002, धारा 73, 82(7) के साथ पठित, के अनुसार, इस अधिनियम के प्रारंभ में, एक पंजीकृत डीलर अनुसूची-II में निर्दिष्ट किसी भी सामान जो कि मध्य प्रदेश में, या अंतरराज्यीय व्यापार में बिक्री के लिए हो, का स्टॉक रखते हैं, तो ऐसे डीलर ऐसे स्टॉक किये गए माल पर अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से नौ महीने की अवधि के भीतर इस तरह के कर का भुगतान किया माल के संबंध में इनपुट टैक्स छूट की अनुमति के पात्र होंगे। इसके अलावा, आगे, कथित अधिनियम की धारा 21 (1)(डी) और (2) के अनुसार, यदि कर निर्धारण के दौरान आगत कर रिबेट की गलत छूट व्यवसायी के कारण दी गई है तो निर्धारित कर की राशि के 3.5 गुना से अनधिक ऐसी शास्ति, जो तीन गुने से कम न हो, आरोपित की जायेगी।

हमने अगस्त 2011 के सर्कल कार्यालय-I जबलपुर में निर्धारण आदेश, अंकेक्षित खातों, आदि की जांच की और पाया की अवधि 2007-08 के लिए मई 2010 में निर्धारण किये गए एक व्यापारी के प्रकरण में, कर निर्धारण अधिकारी ने 2005-06 की इन्वेंटरी से संबंधित आगत कर रिबेट राशि ₹ 72,149 को गलत तरीके से अवधि 2007-08 के लिए डीलर द्वारा दावा कर में समायोजित किया गया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.89 लाख शास्ति राशि ₹ 2.17 लाख सहित का आईटीआर की गलत स्वीकृति हुई।

हमारे द्वारा प्रकरण में इंगित किये जाने पर (अगस्त 2011), कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति राशि सहित ₹ 2.89 लाख (मई 2013) की अतिरिक्त मांग को सृजित की।

हमने सरकार और विभाग को (अक्टूबर 2010 और जनवरी 2014 के मध्य) में प्रकरण की सूचना दी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.10 वस्तुओं को कर मुक्त मानते हुए विक्रय पर कर का अनारोपण

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचनाओं में अधिनियम की अनुसूची-I में निर्दिष्ट वस्तुओं या अधिसूचनाओं के माध्यम से करमुक्त की गयी वस्तुओं को छोड़कर विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय कर की दरें निर्धारित की गयी हैं।

अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार, पुनः कर निर्धारण की स्थिति में वहाँ पुनः कर निर्धारण की स्थिति में वहाँ पुनः निर्धारित की गई कर की राशि के कम से कम 3.5 गुने की शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

हमने अप्रैल से दिसम्बर 2013 के बीच सात सर्कल कार्यालयों⁴⁰ में आकलन आदेश, अंकेक्षित खातों और सूची आदि अभिलेखों की जांच अवधि 2008-09 से वर्ष 2010-11 तक की अवधि के लिए अप्रैल 2011 और नवम्बर 2012 के बीच कर निर्धारित सात डीलरों के प्रकरणों में की और पाया की, डीलरों द्वारा राशि ₹ 5.45 करोड़ के धोने के साबुन, नोटबुक, कंबल, डीटीएच, कपास बीज आदि कर का न तो भुगतान किया गया न ही कर निर्धारित अधिकारी द्वारा कोई टैक्स

⁴⁰ बालाघाट, बैतूल, छिन्दवाड़ा, इन्दौर, जबलपुर, सागर एवं उज्जैन

अधिरोपित किया गया । परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.12 करोड़ शास्ति राशि ₹ 82.41 लाख सहित कर का अनारोपण हुआ जैसा की तालिका 2.15 में उल्लिखित है ।

तालिका 2.15

सरल क्र.	वस्तु का नाम	टर्नओवर (₹ लाख में)	लागू कर की दर (%)	अनारोपित कर की राशि (₹ लाख में)	शास्ति (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाशिंग शोप	51.92	13	6.75	20.25
2.	पीवीसी पाइप	26.64	5	1.33	4.00
3.	नोटबुक	371.00	4 और 5	16.97	50.91
4.	ब्लंकेट	36.23	4	1.45	4.35
5.	डीटीएच	7.74	12.5	0.97	2.50
6.	कॉटन सीड	38.67	4	1.55	0
7.	डाई कैल्शियम फोस्फेट	12.74	5	0.63	0
कुल		544.94		29.65	82.41

हमारे द्वारा इन प्रकरणों में इंगित किये (अप्रैल और दिसम्बर 2013 के बीच) जाने पर कर निर्धारण अधिकारियों ने सभी मामलों में सत्यापन/परीक्षण उपरांत कार्रवाई करने हेतु कहा ।

हमने सरकार और विभाग को (फरवरी और मई 2014 के मध्य) में प्रकरण की सूचना दी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014) ।

2.11 शास्ति का अनारोपण

2.11.1 मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 21(2) के अनुसार जहां उपधारा (1) के अधीन किया गया कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण, व्यवसायी की चूक के कारण हुआ हो, वहां इस प्रकार निर्धारित या पुनः निर्धारित की गई कर की राशि के 3.5 गुने से अनधिक परन्तु 3 गुने से कम नहीं की, शास्ति अधिरोपित की जायेगी। पुनः मध्य प्रदेश कमर्शियल टैक्स, 1994 की धारा 26(4)(ए) एवं मध्य प्रदेश वैट एक्ट, 2002 की धारा 18(4)(ए) के अधीन यदि कोई डीलर किसी कालावधि के लिए विवरणी के अनुसार देयकर के राशि का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसे डीलर देय के अनुसार ब्याज की राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे, धारा 18(4) के क्लॉज (बी) अनुसार यदि कोई डीलर उपधारा (1) अनुसार ब्याज का भुगतान नहीं करता है तब आयुक्त ऐसी दर से जैसी की विहित की जाए जो कि ब्याज की राशि के 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह से अधिक न हो, शास्ति की राशि के भुगतान हेतु आदेशित करेगा ।

- हमने सितम्बर 2013 में डिवीजन कार्यालय-III इन्दौर में आकलन आदेश, अंकेशित खातों की आदि के जांच की ओर पाया की एंटी एवेजन ब्यूरो (ए ई बी) के प्रस्तावों पर डीलर का अवधि

2006-07 का पुनर्कर मूल्यांकन दिसम्बर 2012 में किया गया । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनर मूल्यांकन के दौरान राशि ₹ 24.14 लाख की टैक्स चोरी का आकलन एवं ऐसे कर पर 3.5 गुना शास्ति मूल्यांकित की गयी । अपील पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यह कहते हुए कि डीलर का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था शास्ति माफ कर दी गयी । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उच्च स्तर पर अपील के बजाय अपीलीय प्राधिकार के आदेश को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप की की 3.5 गुना की दर से शास्ति राशि ₹ 72.42 लाख का अनारोपण हुआ ।

हमारे द्वारा प्रकरण में इंगित (सितम्बर 2013) किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय प्राधिकार के आदेश का बचाव किया और कहा की डीलर ने किसी भी तथ्य को छिपाना नहीं था, इसलिए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा शास्ति की राशि माफ कर दी गई । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं पुनः कर निर्धारण के समय डीलर की गलती की स्थापना के बाद शास्ति अधिरोपित की गयी थी । यहां तक कि, ए ई बी की रिपोर्ट में भी डीलर द्वारा जान बूझकर कर की चोरी होना पाया था एवं तदनुसार एवं शास्ति का प्रस्ताव रखा था । इस प्रकार, चूक डीलर के कारण है और शास्ति आकर्षित करती है ।

- हमने अप्रैल 2013 में सर्किल कार्यालय झाबुआ के आकलन आदेश, अंकेशित खातों आदि की जांच की और पाया की कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जून 2010 में धारा 20(6) में कर निर्धारित अवधि 2007-08 के लिए, एक व्यापारी के मामले में, कर योग्य टर्नओवर राशि ₹ 38.57 लाख निर्धारित कर राशि ₹ 1.54 लाख का टैक्स आंकलित किया परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 3.09 लाख जो की कर की राशि के दो गुना है नहीं आरोपित की गयी ।

हमारे द्वारा प्रकरण में इंगित (अप्रैल 2013) किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने परीक्षण उपरांत कार्रवाई करने पर सहमति दी ।

हमने सरकार और विभाग को मई और सितम्बर 2013 में प्रकरण की सूचना दी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014) ।

2.12 ब्याज का अनारोपण

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002, की धारा 20(6) के अधीन ऐसे व्यापारी ने जो किसी कालावधि के संबंध में कर चुकाने के दयित्यावाधीन है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है तो आयुक्त ऐसे व्यापारी का कर निर्धारण, ऐसी रीति में, जैसा की विहित की जाए, करने के लिए अग्रसर होगा और उसका ऐसी सम्पूर्ण कालावधि के संबंध में अपने सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण करेगा तथा उस पर शास्ति के रूप में ऐसी राशि अधिरोपित जो इस प्रकार निर्धारित की गयी रकम की दोगुनी हो ।

हमने क्षेत्रीय कार्यालयों सतना और छिन्दवाड़ा में जनवरी 2010 और नवम्बर 2012 के मध्य, अंकेशित खातों और खरीद सूची के रूप में अभिलेखों की जाँच की और पाया है कि चार डीलर के पांच प्रकरणों में मार्च 2009 और जून 2011 के बीच निर्धारण आदेश में निर्धारित अवधि

2003-04 से 2008-09 में कर राशि ₹ 2.28 करोड़ या तो जमा नहीं की गई या देरी, जो कि तीन से 99 दिनों की देरी थी, इसके अतिरिक्त डीलर द्वारा उक्त राशि पर देय ब्याज भी जमा नहीं किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में किसी प्रकार की ब्याज या पेनल्टी की राशि का आरोपण नहीं किया गया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 35.48 लाख ब्याज एवं शास्ति राशि ₹ 5,322 का कम आरोपण हुआ जैसा कि परिशिष्ट- XII में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा प्रकरणों में इंगित (जनवरी 2010 और नवम्बर 2012 के बीच) किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी, ने सभी प्रकरणों में (मार्च 2011 और जुलाई 2012 के बीच) शास्ति सहित राशि ₹ 35.53 लाख रुपये की मांग जारी की।

हमने सरकार और विभाग को मई 2014 में प्रकरण की सूचना दी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.13 प्रान्तीय विक्रय को गलत ढंग से अंतर्राज्यीय विक्रय मानकर कर का कम आरोपण

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, यदि विक्रय के माल का प्रचालन एक राज्य से दूसरे राज्य को किया जाता है अथवा इस प्रचालन के दौरान माल के अधिकार के दस्तावेजों का स्थानान्तरण एक राज्य से दूसरे राज्य को किया जाता है तो माल का विक्रय अंतर्राज्यीय माना जायेगा। यदि माल का प्रचालन किसी राज्य से प्रारंभ होकर उसी राज्य में समाप्त हो जाता है तो इसे एक राज्य से दूसरे राज्य को प्रचालन नहीं मान सकेगा।

हमने डिवीजन कार्यालय, जबलपुर में मार्च 2013 में निर्धारण आदेश, अंकक्षित खातों और खरीद सूची के रूप में अभिलेखों की जाँच की और पाया है कि दो डीलर ने, अप्रैल 2010 और जनवरी 2012 के मध्य कर निर्धारित अवधि 2007-08 एवं 2009-10 में, लोकल रजिस्टर्ड डीलर को राशि ₹ 7.72 करोड़ के बीडी, एनर्जी मीटर स्क्रैप एवं कॉपर वाइंडिंग का विक्रय किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश उक्त प्रान्तीय विक्रय को गलत ढंग से अंतर्राज्यीय विक्रय मानकर कर का कम आरोपण किया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 29.80 लाख रुपये की कर का कम आरोपण हुआ। जैसा कि तालिका 2.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.16

सं. क्र.	इकाई का नाम/डीलर की संख्या	कर निर्धारण अवधि	हमारा प्रेक्षण	विभाग का जवाब/हमारी टीप
1	डी.सी.-I जबलपुर सेंट्रल इंडिया टोबेको प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	डीलर द्वारा राशि ₹ 6.55 करोड़ की बीडी का विक्रय सी-फार्म उद्घोषण पर लोकल रजिस्टर्ड डीलर को विकृत किया गया था। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रान्तीय विक्रय को गलत ढंग से अंतर्राज्जीय विक्रय मानकर रियायती दर दो प्रतिशत से आरोपण किये जाने के परिणामस्वरूप अंतर कर की राशि 3 प्रतिशत की दर से राशि ₹ 19.64 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि सी- फॉर्म का सत्यापन करने के उपरान्त रियायती दर से कर आरोपण किया गया है। हम जवाब से सहमत नहीं है, क्योंकि प्रस्तुत सी - फॉर्म वाणिज्य कर विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी किये गये थे।
2	डी.सी.-I जबलपुर एमपीपीकेवीवी कम्पनी लिमिटेड	2007-08	डीलर द्वारा राशि ₹ 1.77 करोड़ की कॉपर वाइंडिंग और एनर्जी मीटर का विक्रय खुली निविदा पर 'जैसा है जहाँ है' आधार पर लोकल रजिस्टर्ड को विकृत किया गया था। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रान्तीय विक्रय को गलत ढंग से अंतर्राज्जीय विक्रय मानकर रियायती दर 3 प्रतिशत से कम आरोपण किये जाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 10.15 लाख रुपये की कर का कम आरोपण हुआ।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि यह केस लेखापरीक्षा की परिधि से बाहर है क्योंकि यह 2011-12 से सम्बन्धित है। हम जवाब से सहमत नहीं है क्योंकि यह लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए बिन्दुओं पर नहीं है।

हमने सरकार और विभाग को मई 2014 में प्रकरण की सूचना दी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.14 गलत कटौती की अनुमति दिए जाने के कारण कर का कम आरोपण

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 2 (x)(iii) के अनुसार, विक्रय मूल्य के योग में शामिल कर के राशि घटने के बाद करयोग्य टर्नओवर निर्धारित किया जाता है, परन्तु कटौती उस दशा में नहीं की जाएगी जबकि टैक्स की राशि विक्रय मूल्य के योग में शामिल नहीं है। अधिनियम की धारा 21 (2) के अनुसार, यदि कर निर्धारण के दौरान कोई छूट व्यवसायी के कारण दी गई तो निर्धारित कर की राशि के व्यवसायी के कारण दी गई तो निर्धारित कर की राशि के 3.5 गुना से अनधिक ऐसी शास्ति, जो तीन गुने से कम न हो, आरोपित की जाएगी।

हमने क्षेत्रीय कार्यालयों सतना और शाजापुर और छह सर्कल कार्यालयों⁴¹ में अगस्त 2011 और दिसम्बर 2013 के बीच निर्धारण आदेश, अंकेक्षित खातों और खरीद सूची के रूप में अभिलेखों की जाँच की और पाया है कि आठ डीलरों के आठ प्रकरणों में जून 2010 से दिसम्बर 2012 के मध्य कर निर्धारित अवधि 2006-07 से 2009-10 के लिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य टर्नओवर के निर्धारण में टैक्स की राशि ₹ 11.95 लाख टर्नओवर में शामिल हुआ मानकर कटौती दी गई। जबकि हमने पाया की टर्नओवर में टैक्स की राशि शामिल नहीं थी इसलिए किसी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं जानी थी। परिणामस्वरूप कर की गलत कटौती की अनुमति दिए जाने के कारण कर राशि ₹ 11.95 लाख एवं ब्याज/शास्ति राशि ₹ 9.49 लाख का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने (अगस्त 2011 और दिसम्बर 2013 के बीच) कर निर्धारण अधिकारी शाजापुर ने एक प्रकरण में राशि ₹ 75,382 की मांग नवंबर 2012 में जारी की और शेष प्रकरणों में कहा गया कि सत्यापन/परीक्षण उपरान्त कार्रवाई की जायेगी।

हमने सरकार और विभाग को मई 2014 में प्रकरण की सूचना दी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.15 खरीद कर का अनारोपण

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 धारा 10 (ए) के अधीन प्रत्येक ऐसी व्यवसायी, जो अपने व्यवसाय के अनुक्रम में किसी वर्ष में ऐसा माल क्रय करता है जिसकी कीमत 5 करोड़ से अधिक है तब वह ऐसे माल के क्रय पर कर चुकाने के दायित्वाधीन होगा। सरकार ने अधिसूचना 26 नवम्बर 2009 द्वारा गेहूँ को कर योग्य अधिसूचित किया है।

हमने अगस्त 2013 में इस तरह के आंकलन आदेश, अंकेक्षित खातों और क्षेत्रीय कार्यालय सागर की खरीद सूची आदि के रूप में रिकार्ड की जाँच की और अवधि 2010-11 के लिए अगस्त 2012 में निर्धारित एक डीलर, द्वारा क्रय किया गया गेहूँ ₹ 8.90 करोड़ मूल्य का था जो कि निर्धारित सीमा से ₹ 3.90 करोड़ अधिक था। जिस पर क्रय कर वसूली योग्य था। यद्यपि निर्धारण अधिकारी ने उसे कर मुक्त मान कर निर्धारण किया। परिणामस्वरूप ₹ 15.59 लाख का कर आरोपण नहीं किया गया।

हमारे द्वारा प्रकरणों में इंगित (अगस्त 2013) किये जाने के बाद कर निर्धारण अधिकारियों ने बताया कि परीक्षण उपरान्त कार्रवाई की जायेगी।

हमने सरकार और विभाग को मई 2014 में प्रकरण की सूचना दी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

⁴¹ ग्वालियर, इंदौर, जाओरा, जबलपुर, रीवा और सीहोर

अध्याय – 1

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2013-14 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्यों को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में से राज्य का अंश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनु रूप आंकड़े तालिका 1.1.1 में दर्शाये गये हैं :

तालिका 1.1.1

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)						
क्र. सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व					
	● कर राजस्व	17,272.77	21,419.33	26,973.44	30,581.70	32,342.12
	● कर-भिन्न राजस्व	6,382.04	5,719.77	7,482.73	7,000.22	7,704.93
	योग	23,654.81	27,139.10	34,456.17	37,581.92	40,047.05
2.	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	● विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्य का अंश	11,076.99	15,638.52	18,219.14	20,805.16	22,715.14 ¹
	● सहायक अनुदान	6,662.87	9,076.56	9,928.77	12,040.20	11,776.82
	योग	17,739.86	24,715.08	28,147.91	32,845.36	34,491.96
3.	राज्य की कुल प्राप्तियां (1 तथा 2)	41,394.67	51,854.18	62,604.08	70,427.28	74,539.01
4.	3 से 1 का प्रतिशत	57	52	55	53	54

(स्रोत: मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

¹ विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2013-14 के वित्त लेखे में विवरण पत्रक क्रमांक 11 "राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षों से" का अवलोकन करें। शीर्ष "राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश" के आंकड़ों, जो वित्त लेखे में क-कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में 'विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश' में शामिल किया गया है।

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व कुल प्राप्तियों (₹ 40,047.05 करोड़) का 54 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्तियों का शेष 46 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

1.1.2 तालिका 1.1.2 वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है :

तालिका 1.1.2

कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)								
क्र.सं.	राजस्व शीर्ष		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2012-13 की तुलना में 2013-14 में वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	बजट अनुमान	8012.11	9320.00	11830.00	14000.00	16500.00	(+) 17.85
		वास्तविक	7723.82	10256.76	12516.73	14856.30	15549.89	(+) 4.67
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	बजट अनुमान	2760.00	3400.00	4050.00	4800.00	5750.00	(+)19.79
		वास्तविक	2951.94	3603.42	4316.49	5078.06	5807.39	(+) 14.36
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	बजट अनुमान	1560.00	1900.00	2000.00	3200.00	4000.00	(+) 25.00
		वास्तविक	1783.15	2514.27	3284.46	3944.24	3389.99	(-) 14.05
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	बजट अनुमान	1460.00	1500.00	1815.00	2150.00	2640.00	(+)22.79
		वास्तविक	1332.88	1746.20	2047.46	2395.03	2578.74	(+) 7.67
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	बजट अनुमान	1000.00	1090.00	1370.00	1370.00	1600.00	(+) 16.79
		वास्तविक	2146.49	1476.32	1773.32	1477.71	1972.20	(+) 33.45
6.	वाहनों पर कर	बजट अनुमान	900.00	1050.00	1285.00	1400.00	1650.00	(+)17.86
		वास्तविक	919.01	1198.38	1357.12	1531.25	1598.93	(+) 4.42
7.	भू-राजस्व	बजट अनुमान	161.81	182.46	500.31	550.00	572.00	(+) 4.0
		वास्तविक	180.03	360.81	279.06	443.59	366.23	(-) 17.44
8.	अन्य कर	बजट अनुमान	221.08	227.54	267.69	842.00	670.00	(-) 20.42
		वास्तविक	235.45	263.17	1398.85	855.52	1078.75	(+) 26.09
योग		बजट अनुमान	16075.00	18670.00	23118.00	28312.00	33382.00	(+) 17.91
		वास्तविक	17272.77	21419.33	26973.44	30581.70	32342.12	(+) 5.76

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

सम्बन्धित विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये गये :

राज्य उत्पाद शुल्क – लम्बित प्रकरणों के निराकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

मुद्रांक एवं पंजीयन फीस – अवैध कॉलोनियों के पंजीयन न करने संबंधी लोकहित याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं वैश्विक मंदी के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी आई।

विद्युत पर कर एवं शुल्क – विगत वर्षों से संबंधित बकाया राजस्व की प्राप्ति के कारण 33.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अन्य – शीर्ष “अन्य” में राजस्व प्राप्तियों में 26.09 प्रतिशत वृद्धि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सड़क विकास कर की वसूली के कारण हुई।

अनुरोध के बावजूद अन्य विभागों द्वारा भिन्नता के कारण सूचित नहीं किये गये।

1.1.3 तालिका 1.1.3 वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि के दौरान वसूल किए गए प्रमुख कर—भिन्न राजस्व के विवरण प्रदर्शित करती है :

तालिका 1.1.3

कर—भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)								
क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2009.10	2010.11	2011.12	2012.13	2013.14	2012–13 की तुलना में 2013–14 में वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	बजट अनुमान	1566.00	1650.00	2540.00	2300.00	2220.00	(-) 3.40
		वास्तविक	1590.47	2121.49	2038.31	2443.39	2305.17	(-) 5.66
2.	ब्याज प्राप्तियां	बजट अनुमान	176.98	167.09	166.90	202.00	204.15	(+) 1.06
		वास्तविक	1284.03	298.56	1571.41	301.47	317.86	(+) 5.44
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	बजट अनुमान	850.00	1000.00	1027.32	969.04	1100.00	(+) 13.51
		वास्तविक	802.00	836.61	878.81	910.38	1035.72	(+) 13.77
4.	लोक निर्माण	बजट अनुमान	19.36	42.31	55.54	63.55	38.49	(-) 39.43
		वास्तविक	27.37	36.77	47.92	33.22	46.82	(+) 40.94
5.	विविध सामान्य सेवाएँ	बजट अनुमान	4.10	20.09	22.07	19.88	16.95	(-) 14.74
		वास्तविक	399.12	143.00	145.44	30.40	33.68	(+) 10.49
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	बजट अनुमान	106.38	113.42	117.50	93.49	184.40	(+) 97.24
		वास्तविक	80.94	85.14	106.05	239.15	380.21	(+) 58.98

7.	पुलिस	बजट अनुमान	64.03	65.00	85.00	100.00	107.04	(+) 7.04
		वास्तविक	41.98	62.55	63.19	83.59	71.82	(-) 14.08
8.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	बजट अनुमान	43.04	49.54	40.11	21.00	46.65	(+) 122.14
		वास्तविक	21.84	22.77	30.16	44.83	57.76	(+) 28.84
9.	सहकारिता	बजट अनुमान	9.96	8.60	9.01	9.59	10.06	(+) 4.90
		वास्तविक	9.08	17.05	11.65	13.02	12.24	(-) 5.99
10.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	बजट अनुमान	73.23	82.31	90.44	96.18	116.86	(+) 21.50
		वास्तविक	56.75	194.89	263.15	137.74	138.48	(+) 0.01
11.	अन्य कर.भिन्न प्राप्तियां	बजट अनुमान	1023.09	1123.64	1845.11	3452.27	3538.40	(+) 2.49
		वास्तविक	2068.46	1900.94	2326.64	2763.03	3305.17	(+) 19.62
योग		बजट अनुमान	3937.00	4322.00	5999.00	7327.00	7583.00	(+) 3.49
		वास्तविक	6382.04	5719.77	7482.73	7000.22	7704.93	(+) 10.06

(स्रोत: मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

सम्बंधित विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये गये :

वानिकी एवं वन्य जीवन – इस शीर्ष राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि, विक्रय मूल्य में वृद्धि के कारण हुई ।

लोक निर्माण – उप-शीर्ष “लो.नि.भवन” के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि हुई ।

अन्य प्रशासनिक सेवाएँ– उप-शीर्ष “दण्ड एवं राजस्व” में प्राप्तियों में वृद्धि के कारण कुल राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई ।

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य – प्राप्तियों में वृद्धि कर्मचारी राज्य बीमा योजना में प्राप्ति में वृद्धि के कारण हुई ।

अनुरोध के बावजूद अन्य विभागों द्वारा भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए गए ।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2014 को बकाया राजस्व की राशि ₹ 957.18 करोड़ थी जिसमें से ₹ 479.96 करोड़ की राशि तालिका 1.2 में दिए गए विवरण के अनुसार पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी :

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 को बकाया राशि	31 मार्च 2014 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	शासन का प्रत्युत्तर
1.	2.	3.	4.	5.
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	576.47	320.92	
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	74.61	69.13	₹ 5.67 करोड़ की राशि उच्च न्यायालय के आदेश के कारण वसूली नहीं की जा सकी तथा ₹ 47.32 करोड़ राशि की वसूली न हो पाने के कारण इसके अपलेखन की कार्यवाही की जा रही है। बकाया राशि ₹ 21.62 करोड़ पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन	114.91	62.73	
4.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	14.21	12.07	
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	176.98	15.11	आर. सी.सी की अवसूली के कारण बकाया ₹ 114.96 करोड़ एवं न्यायालय प्रकरणों के कारण बकाया ₹ 40.14 करोड़ विभागीय प्राधिकारियों से विरुद्ध बकाया ₹ 0.23 करोड़ शेष बकाया ₹ 21.65 पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
योग		957.18	479.96	

उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 479.96 करोड़ की वसूली विगत पाँच वर्षों से भी अधिक समय से बकाया थी और इसकी वसूली के लिये गंभीरतापूर्वक कोई प्रयास नहीं किये गये। ₹ 432.64 करोड़² के बकाया विभागीय प्राधिकारियों के पास शेष थे। ₹ 47.32 करोड़ के अपलेखन के प्रकरण संबंधित विभागों द्वारा भेजे जा रहे थे।

1.3 निर्धारण का बकाया

प्रत्येक वर्ष से सम्बंधित विक्रय कर, वाहन कर, वृत्ति कर, विलासिता कर, निर्माण संविदाओं पर कर के सम्बंध में, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लंबित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके अतिरिक्त प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत किए गये प्रकरण तथा वर्ष के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या का विवरण तालिका 1.3 में वर्णित है :

² पिछले पांच वर्षों की कुल बकाया राशि की स्थिति दिनांक 31.03.2014 ₹ 479.96 करोड़ में से अवसूली योग्य राशि ₹ 47.32 करोड़ का अपलेखन किया गया।

तालिका 1.3

निर्धारण का बकाया

कर का नाम	वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण किए जाने योग्य नये प्रकरण	निर्धारण के लिए शेष कुल प्रकरण	वर्ष के दौरान निराकृत किये गये प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	कालम 5 से 6 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
विक्रय कर/वैट	2011-12	1,24,088	2,94,265	4,18,353	3,30,229	88,124	78.94
	2012-13	88,124	2,32,539	3,20,663	2,00,552	1,20,111	62.54
	2013-14	1,20,111	2,78,856	3,98,967	2,30,404	1,68,563	57.75
वृत्ति कर	2011-12	67,248	1,19,154	1,86,402	1,22,991	63,411	65.98
	2012-13	63,411	89,708	1,53,119	1,05,945	47,174	69.19
	2013-14	47,174	96,790	1,43,964	89,473	54,491	62.15
प्रवेश कर	2011-12	89,361	2,27,878	3,17,239	2,55,173	62,066	80.44
	2012-13	62,066	1,93,494	2,55,560	1,64,443	91,117	64.35
	2013-14	91,117	2,28,794	3,19,911	1,87,253	1,32,658	58.53
विलासिता कर	2011-12	1,023	308	1,331	911	420	68.44
	2012-13	420	1,337	1,757	871	886	49.57
	2013-14	886	1,517	2,403	1,256	1,147	52.27
निर्माण संपिदाओं पर कर	2011-12	2,742	5,328	8,070	5,450	2,620	67.53
	2012-13	2,620	7,371	9,991	6,305	3,686	63.11
	2013-14	3,686	7,793	11,479	5,192	6,287	45.23

इस प्रकार वर्ष 2013-14 में वाणिज्य कर /वैट, प्रवेश कर और विलासिता कर के निर्धारण संबंधी प्रकरणों के निराकरण में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई किन्तु वर्ष 2011-12 की तुलना में उपलब्धि कम रही।

1.4 विभाग द्वारा पकड़े गये कर अपवंचन

विभाग द्वारा पकड़े गये कर अपवंचन के प्रकरण, अंतिम रूप दिये गये प्रकरण तथा अतिरिक्त कर के लिये जारी की गई माँगो का विवरण तालिका 1.4 में दिया गया है

तालिका 1.4

कर अपवंचन

स. क.	कर/शुल्क का नाम	31 मार्च 2013 को लंबित प्रकरण	2013-14 के दौरान पकड़े गये प्रकरण	योग	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण हो चुकी थी तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग सृजित की गई		31 मार्च 2014 का लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	253	263	516	239	44.19	277
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	00	00	00	00	00	00
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	16394	9876	26270	12694	49.43	13576
योग		16647	10139	26786	12933	93.62	13853

इस प्रकार उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के लंबित प्रकरण सबसे अधिक थे।

शासन को अंतरिक नियंत्रण प्रणाली/आंतरिक लेखा परीक्षा को मजबूत बनाना चाहिये जिससे कि कमियों एवं दोषपूर्ण व्यवस्था और इसके परिणाम स्वरूप मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के अपवंचन को रोका जा सके।

1.5 वापसियों के लंबित प्रकरण

विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार वर्ष 2013-14 के प्रारंभ में वापसियों से सम्बंधित लंबित प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत्य वापसियों तथा वर्ष 2013-14 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या का उल्लेख तालिका 1.5 में किया गया है :

तालिका 1.5
वापसियों के लंबित प्रकरण

(₹ करोड़ में)									
स.क्र.	श्रेणी	विक्रय कर/वैट		विद्युत पर कर एवं शुल्क		मुद्रांक एवं पंजीयन फीस		राज्य उत्पाद शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित दावे	660	94.68	200	2.81	1749	4.49	14	0.11
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	4422	286.72	46	4.14	654	3.73	20	1.06
3.	वर्ष के दौरान की गई वापसियां	4570	316.24	49	2.10	914	3.42	23	0.90
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	512	65.16	169	4.16	1482	4.80	11	0.27
5.	वापसी का प्रतिशत	89.92	82.91	31.30	40.14	38.32	41.60	67.64	76.92

म.प्र. वैट अधिनियम के अनुसार, यदि व्यवसाई को अतिरिक्त राशि आदेश पारित होने के 90 दिनों में वापस नहीं किये जाते हैं तो एक प्रतिशत प्रतिमाह एवं इसके पश्चात 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह का ब्याज वापसी न होने तक देय होगा।

उपरोक्त सभी प्रकरणों में वापसी के लंबित प्रकरणों के निराकरण की गति अत्यधिक धीमी थी।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन का प्रत्युत्तर

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय लेन-देन की नमूना जाँच तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करने हेतु शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें निरीक्षण के दौरान पायी गयीं एवं स्थल पर अनिराकृत अनियमितताएं सम्मिलित रहती हैं, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किये जाते हैं एवं त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही हेतु इनकी प्रतियाँ निकटतम उच्चतर प्राधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं। कार्यालय प्रमुखों/शासन से निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रेक्षणों पर त्वरित अनुपालन, कमियों एवं चूकों का सुधार तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की

तिथि से एक माह के भीतर आरम्भिक उत्तर के माध्यम से महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदित किया जाना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागों के प्रमुखों तथा शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

हमने दिसम्बर 2013 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की तथा पाया कि 3,757 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 16,280 कण्डिकाएं, जिनमें राशि ₹ 7,520.60 करोड़ अन्तर्निहित थी, जून 2014 के अन्त तक लम्बित थीं, जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूप आंकड़ों सहित तालिका 1.6 में दर्शाया गया है :

तालिका 1.6

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनो का विवरण

	जून 2011	जून 2012	जून 2013
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,465	3,695	3,757
लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	13,506	14,752	16,280
अन्तर्निहित राजस्व की राशि (करोड़ ₹ में)	6,834.02	6,783.96	7,520.60

1.6.1 30 जून 2014 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा अंतर्निहित राशियों का विभागवार विवरण तालिका 1.6.1 में दर्शाया गया है :

तालिका 1.6.1

निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	अंतर्निहित राशि
1	2	3	4	5	6
1.	वित्त	विक्रय, व्यापार आदि पर कर/वैट	1,185	6,304	1,177.29
2.	ऊर्जा	विद्युत पर कर एवं शुल्क	54	180	458.83
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	राज्य उत्पाद शुल्क	250	987	785.78
4.	राजस्व	भू-राजस्व	1,109	3,516	2,680.89
5..	परिवहन	वाहनों पर कर	456	2,592	391.74
6.	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	441	1,377	260.40
7.	खनन एवं भौमिकी	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	262	1,324	1,765.67
योग			3,757	16,280	7,520.60

यहां तक कि निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्ति हेतु अपेक्षित प्रथम उत्तर भी 2013-14 तक जारी 259 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए

प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की यह बड़ी संख्या इस तथ्य का द्योतक है कि कार्यालय प्रमुख एवं विभाग प्रमुख, महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गयी कमियों, चूकों एवं अनियमितताओं के सुधार हेतु कार्रवाई आरम्भ करने में विफल रहे।

शासन को एक प्रभावशाली व्यवस्था निर्मित करना चाहिये जिसे कि लेखा परीक्षा प्रेक्षकों पर समुचित प्रत्युत्तर शीघ्रतापूर्वक दिये जा सकें।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के कण्डिकाओं के निराकरण की प्रगति पर निगरानी रखने एवं उन पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु शासन लेखापरीक्षा समितियां गठित करता है। वर्ष 2013-14 में आहूत लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण तालिका 1.6.2 में दर्शाया गया है :

तालिका 1.6.2

विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

				(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	विभाग का नाम	बैठकों की संख्या	निराकृत कंडिकाओं की संख्या	राशि
1.	भू-राजस्व विभाग	2	195	66.42
2.	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	1	87	10.07
3.	खनन एवं भौमिकी विभाग	1	145	589.43
4.	वाणिज्यिक कर विभाग	1	56	1.19
योग		5	483	667.11

यह अनुशांसा की जाती है कि शासन द्वारा लम्बित कंडिकाओं के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण के लिए सभी विभागों द्वारा अधिक लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

1.6.3 संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना

कर/कर –भिन्न प्राप्तियों से सम्बंधित कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अग्रिम में तैयार किया जाता है तथा इसकी सूचना, सामान्यतः लेखापरीक्षा आरम्भ होने से एक माह पहले, विभागों को जारी की जाती है जिससे कि वे लेखापरीक्षा जाँच हेतु वांछित अभिलेख तैयार रख सकें।

वर्ष 2013—14 के दौरान, कुल 401 कर निर्धारण नस्तरियाँ, पंजियां एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए । सभी प्रकरणों में कर राशि की गणना नहीं की जा सकी । इस प्रकार के प्रकरणों का विभागवार विवरण तालिका 1.6.3 दिया गया है

तालिका 1.6.3

(₹ करोड़ में)			
विभाग का नाम	वर्ष जिसमें लेखापरीक्षित किया जाना था	लेखापरीक्षित नहीं हुए प्रकरणों की संख्या	अन्तर्निहित राजस्व
1.	2.	3.	5.
वाणिज्यिक कर	2013—4	—	—
उत्पाद शुल्क	2013—14	27	—
मुद्रांक एवं पंजीयन	2013—14	25	—
परिवहन	2013—14	15	—
अन्य	2013—14	334	—
योग		401	

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाएं हमारे द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने एवं छः सप्ताह के भीतर अपने प्रत्युत्तर प्रेषित करने के अनुरोध के साथ जारी की जाती हैं । विभाग से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कण्डिका के अन्त में सदैव अंकित किया जाता है ।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 40 कण्डिकाएँ (37 कण्डिकाओं में संयोजित) जिनमें तीन निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल थीं सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को अप्रैल तथा मई 2014 के मध्य प्रेषित की गयी थीं । विभागों के प्रमुख सचिव/सचिवों को अनुस्मारक जारी करने के बावजूद निष्पादन लेखापरीक्षा सहित किसी भी प्रारूप कण्डिका का जवाब नहीं भेजा । इन विभागों के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है । यद्यपि निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं उन्हें प्रतिवेदन में उचित स्थान पर शामिल किया गया है ।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन – संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) के द्वारा दिसम्बर 2002 में जारी किये गये अनुदेशों के द्वारा निर्देशित किया गया कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधान सभा में रखे जाने के बाद पश्चात संबंधित विभाग लेखापरीक्षा कण्डिकाओं पर कार्यवाही करेंगे तथा विस्तृत कार्यवाही प्रतिवेदन रिपोर्ट के विधानसभा में रखे जाने के तीन माह के भीतर पी.ए.सी. के विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी। इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों पर कार्यवाही प्रतिवेदन अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जा रहे थे। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के राजस्व क्षेत्र के 31 मार्च 2009, 2010, 2011, 2012 एवं 2013 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन जिसमें दो सौ इक्यानवे कण्डिकाएँ (एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थीं, राज्य विधान सभा के समक्ष जुलाई 2010 से जुलाई 2014 के मध्य रखा गया। 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर राज्य राजस्व विभागों (वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, तथा खनन) की 120 कण्डिकाओं पर विस्तृत कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए (मार्च 2014)।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चयनित 26 कण्डिकाओं पर चर्चा की गई तथा इन पर कोई अनुशंसा नहीं की गई।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों के निराकरण हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रमुखता से दर्शाये गये मुद्दों का विभागों/शासन द्वारा निराकरण करने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित खनन विभाग से सम्बन्धित कण्डिकाओं एवं समीक्षाओं पर की गयी कार्रवाई का मूल्यांकन कर प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाता है। अग्रलिखित कण्डिकायें 1.7.1 से 1.7.2 पिछले 10 वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में संसूचित प्रकरणों तथा वर्ष 2004-05 से 2013-14 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रकरणों के निराकरण में राजस्व शीर्ष-0853 के अधीन खनन विभाग के निष्पादन की विवेचना करती है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले नौ वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित कण्डिकाओं तथा 31 मार्च 2014 को इनकी संक्षिप्त स्थिति तालिका 1.7.1 में दर्शाई गई है :

तालिका 1.7.1
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)													
क्र. सं.	वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान शामिल			वर्ष के दौरान निराकरण			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
		नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि. प्र.	मौद्रिक मूल्य	कंडिकाएं	नि.प्र.	मौद्रिक मूल्य	कंडिकाएं
1.	2005-06	284	806	575.33	26	136	226.81	55	199	40.30	255	743	761.84
2.	2006-07	255	743	761.84	19	74	33.33	4	47	11.90	270	770	783.27
3.	2007-08	270	770	783.27	21	85	90.06	6	58	70.16	285	797	803.17
4.	2008-09	285	797	803.17	32	179	368.14	5	39	161.19	312	937	1010.12
5.	2009-10	312	937	1010.12	41	268	1824.35	61	211	181.12	292	994	2653.35
6.	2010-11	292	994	2653.35	37	208	282.36	130	313	193.73	199	889	2741.98
7.	2011-12	199	889	2741.98	33	234	174.66	30	148	1302.50	202	975	1614.139
8.	2012-13	202	975	1614.139	35	254	147.18	04	09	0.063	233	1220	1761.256
9.	2013-14	233	1220	1761.256	37	280	638.55	06	155	589.95	264	1345	1809.856

शासन द्वारा समिति विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय के मध्य पुरानी कण्डिकाओं के निराकरण के लिये तदर्थ समिति की बैठक की व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त तालिका से अवलोकित किया जा सकता है कि 2005-06 के प्रारम्भ में 284 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 806 कण्डिकाएँ लम्बित थी। वर्ष 2013-14 के अंत तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 264 एवं कंडिकाओं की संख्या 1345 थी। लंबित कण्डिकाओं का कम संख्या में निराकरण इस तथ्य का द्योतक है कि विभाग द्वारा लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कण्डिकाओं के निराकरण के पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये।

1.7.2 स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कण्डिकाओं, इनमें से विभाग द्वारा स्वीकृत कंडिकाओं तथा विभाग द्वारा प्रतिवेदित वसूल की गयी राशि की स्थिति तालिका 1.7.2 में दर्शाई गई है :

तालिका 1.7.2

(₹ करोड़ में)						
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	मौद्रिक मूल्य सहित स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरुद्ध वर्ष वसूली की गई	31.03.14 तक वसूल की गई राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2003-04	07	19.76	3	2.46	..	4.11
2004-05	04	2.95	2	2.23	0.13	1.00
2005-06	06	2.16	1	0.13	..	0.20
2006-07	08	5.20	8	5.26	0.29	3.33
2007-08	1(निष्पादन ले.प.)	395.76	1	0.11	..	63.24
2008-09	08	102.93	1	1.53	1.01	2.28
2009-10	11	447.89	3	138.24	0.32	2.31
2010-11	11	115.46	8	83.67	0.07	0.81
2011-12	12	80.34	3	23.92
2012-13	1(निष्पादन ले.प.)	46.43	1	9.44

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पिछले दस वर्षों में वसूली की प्रगति अत्यंत धीमी रही। स्वीकृत वसूली के प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही संबंधित 'पार्टियों पक्षों' से 'वसूली योग्य बकाया' के रूप में की जा रही थी। स्वीकृत वसूली के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही हेतु विभाग/शासन के पास कोई कार्यप्रणाली नहीं है

शासन के स्वीकृत वसूली के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करना चाहिये एवं इसकी निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

1.8 विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

महालेखाकार द्वारा की गई प्रारूप निष्पादन समीक्षाएं सम्बन्धित विभागों/शासन को सूचनार्थ एवं उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती हैं। इन निष्पादन समीक्षाओं पर एक निर्गम सम्मेलन में चर्चा भी की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु समीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय विभाग/शासन के दृष्टिकोण को इनमें सम्मिलित किया जाता है।

शासन के भू-राजस्व विभाग, उर्जा, वन राजस्व, परिवहन उत्खनन, मुद्रांक एवं पंजीयन एवं राज्य उत्पाद शुल्क विभाग पर पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल निष्पादन लेखापरीक्षाओं का विस्तृत विवरण तालिका 1.8 में दिया गया है

तालिका 1.8

वर्ष	निष्पादन लेखा परीक्षा का नाम	अनुसंशाओं की संख्या
2008—09	विक्रय कर से मूल्य संवर्धन कर (वेट) में परिवर्तन	08
	मध्य प्रदेश में वन राजस्व	08
	जल दरों का निर्धारण एवं संग्रहण	06
2009—10	मध्य प्रदेश में भू-राजस्व प्राप्तियाँ	07
	विद्युत शुल्क एवं अधिभार की वसूली एवं एकीकरण	04
2010—11	वाणिज्यिक कर चुंगी नाकों की कार्यप्रणाली	07
	अंतर्राज्यीय व्यापार में घोषणा प्रपत्रों का उपयोग	03
	वाहन कर विभाग में कम्प्यूटरीकरण	03
2011—12	वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया राजस्व की वसूली	04
	मदिरा पर उत्पाद शुल्क का संग्रहण	04
2012—13	मध्य प्रदेश में खनन प्राप्तियाँ	07

स्वीकृत अनुसंशाओं को लागू करने के संबंध में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। (दिसम्बर 2014)

1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाइयों को राजस्व संग्रहण पुरानी कंडिकाओं इत्यादि के आधार पर उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम वाली इकाइयों में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाते समय जोखिम का विश्लेषण करने के लिये शासन के राजस्व एवं कर प्रशासन, जैसे कि बजट भाषण राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र, राज्य एवं केन्द्र के योजना आयोग के प्रतिवेदन, कर सुधार समिति की अनुसंशाएँ पिछले पाँच वर्षों की लेखापरीक्षा एवं इनके प्रभाव को आधार बनाया जाता है।

वर्ष 2013—14 के दौरान 993 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में 380 इकाइयों की लेखापरीक्षा योजना बनाई गई तथा 376 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई जो कि कुल योजना का 99

प्रतिशत थी। विधान सभा चुनावों के कारण चार इकाइयों³ की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। कर प्रशासन की दक्षता की जाँच के उद्देश्य से उपरोक्त अनुपालन लेखापरीक्षाओं के अतिरिक्त तीन निष्पादन लेखापरीक्षा भी की गयी।

1.10 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2013-14 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस तथा खनन प्राप्तियों की 376 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 5,64,313 प्रकरणों में ₹ 1267.93 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का पता चला। वर्ष के दौरान, विभागों ने वर्ष 2013-14 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये 1,39,791 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 526.24 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया। वर्ष 2013-14 के दौरान विभागों ने वर्तमान वर्ष की लेखापरीक्षा से संबंधित 1,042 प्रकरणों में ₹ 10.03 करोड़ संग्रहीत किये।

1.11 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में तीन निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 37 कंडिकायें (उपरोक्त वर्णित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा जाँचों तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संसूचित प्रेक्षणों में से चयनित जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका) सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 368.07 करोड़ के वित्तीय प्रभाव अंतर्निहित है।

विभागों/शासन ने ₹ 54.64 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें से ₹ 5.94 लाख की वसूली की जा चुकी है। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। इनकी विवेचना अनुवर्ती अध्यायों II से VII में की गई है।

³ भू-राजस्व की तीन इकाइयों तथा राज्य उत्पाद शुल्क की एक इकाई।

अध्याय-7

खनन प्राप्तियां

7.1 कर प्रशासन

खनिज संसाधन विभाग सचिव, M0 प्र0 शासन के समग्र प्रभार के अधीन कार्य करता है। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग प्रमुख हैं, जिसकी सहायता के लिए मुख्यालय पर उप संचालक तथा जिला स्तर खनिज अधिकारी होते हैं। जिला खनिज अधिकारियों के सहायता के लिये सहायक जिला खनिज अधिकारी तथा खनन निरीक्षक होते हैं। जिला खनिज अधिकारी, सहायक जिला खनिज अधिकारी तथा निरीक्षक जिला स्तर पर कलेक्टर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहते हैं।

7.2 आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

आंतरिक लेखा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और प्रायः इसे सभी नियंत्रणों पर नियंत्रण के रूप में माना जाता है। यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि संगठन निर्धारित प्रणाली के अनुरूप कार्य कर रहा है।

हमने अवलोकित किया कि विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की विद्यमान नहीं थी। जिसके कारण वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक खनिज इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

7.3 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2013-14 में खनन प्राप्तियों से संबंधित 51 ईकाइयों में से 23 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 531 प्रकरणों में ₹ 196.58 करोड़ के राजस्व की वसूली न होना/कम वसूली होना एवं अन्य अनियमितताएं प्रकट हुई, जिन्हें तालिका 7.1 में उल्लिखित निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

तालिका 7.1

(₹ करोड़ में)			
स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	अनिवार्य किराया/राज्यांश का अनारोपण/कम आरोपण	185	12.40
2	ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर का अनिर्धारण	30	2.03
3	व्यापारिक खदानों में संविदा राशि की कम वसूली	71	3.72
4	विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण	204	0.84
5	अन्य प्रेक्षण	41	177.59
	योग	531	196.58

वर्ष के दौरान, विभाग ने 328 प्रकरणों में ₹ 188.97 करोड़ के राजस्व की वसूली न होना/ कम वसूली होना/अनारोपण तथ अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था तथा 60 प्रकरणों में ₹ 1.73 करोड़ की वसूली की गई।

कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिसमें ₹ 26.29 करोड़ की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

7.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने जिला खनिज कार्यालयों में पट्टा/अनुज्ञापत्र अनुज्ञप्ति के आवेदन शुल्क में राज्यांश, अनिवार्य किराया, देय राशियों के विलंबित भुगतानों पर ब्याज व सड़क विकास कर की संवीक्षा की, जिसमें अनिधियों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने, अनिवार्य किराया, राज्यांश/संविदा राशि/सड़क विकास कर के अनारोपण/कम आरोपण के कई प्रकरण तथा अन्य प्रकरणों का पता चला, जिसका उल्लेख इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित है। निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा की गई इस तरह की त्रुटियाँ पूर्व में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो में इंगित की गई

थी। लेकिन फिर भी ये अनियमितताएं न केवल बनी हुई हैं, बल्कि लेखापरीक्षा किये जाने तक असंसूचित रहती हैं। शासन द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है जिससे ऐसी चूकों से बचा जा सकें।

7.5 उत्खनि मदों में अनिवार्य किराये की वसूली न होना/कम वसूली

म. प्र. गौण खनिज नियम, 1966 के नियम 30 (i) (क) के अनुसार, प्रत्येक पट्टाधारक प्रथम वर्ष को छोड़कर, सम्पूर्ण वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष प्रथम माह की बीस तारीख को या उससे पूर्व अनुसूची-IV में विनिर्दिष्ट दरों पर अनिवार्य किराये का अग्रिम भुगतान करेगा। आगे, इस नियम की शर्त क्रमांक 26 में प्रावधान है कि इस नियम में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर कलेक्टर/अपर कलेक्टर, पट्टेधारक द्वारा शर्तों के उल्लंघन पर उसे लिखित में नोटिस जारी नोटिस के दिनांक से तीन दिन के भीतर उल्लंघन का सुधार करने के लिए निर्देशित करेगा और यदि उल्लंघन का सुधार नहीं किया जाता है या उचित कारण नहीं दर्शाया जाता है तो स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी पट्टे को समाप्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति जमा राशि या उसके किसी भाग को राजसात कर सकेगा या विकल्प के रूप में उल्लंघन के लिए पट्टेदार से उक्त छः माही अनिवार्य किराए की राशि के चार गुने से अनाधिक ऐसी शास्ति जो पट्टादाता नियत करें, प्राप्त कर सकेगा।

हमने 16 जिला खनिज कार्यालयों¹ के पट्टेदारों की वैयक्तिक नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (अगस्त 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य) कि नमूना जांच किये गये उत्खनि पट्टो से सम्बन्धित 625 पट्टेदारों में से 107 पट्टेदारों ने जनवरी 2007 से दिसम्बर 2013 की अवधि हेतु देय अनिवार्य राशि ₹ 3.32 करोड़ के विरुद्ध ₹ 26.53 लाख का भुगतान किया था। विभाग द्वारा भुगतान न की गई शेष शासकीय राशि को वसूल करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.05 करोड़ के अनिवार्य किराये की कम प्राप्ति हुई जैसा कि परिशिष्ट—XVI में दर्शाया गया है।

¹ बडवानी, भिण्ड, भोपाल, छिन्दवाड़ा, दतिया, धार, ग्वालियर, होशंगाबाद, झाबुआ, खरगोन, मंडला, नीमच, रीवा, शिवपुरी, सिंगरौली, और उमरिया।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य) जिला खनिज अधिकारी, भिण्ड और रीवा ने बताया कि मांग पत्र जारी कर वसूली की जावेगी। जिला खनिज अधिकारी, दतिया और शिवपुरी ने बताया कि वसूली उपरान्त लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। खनिज अधिकारी, होशंगाबाद ने बताया कि अनिवार्य किराये की वसूली नियमानुसार की जा रही है और वसूली लंबित नहीं है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि पट्टेदार (मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम) को उत्खनि पट्टा दिनांक 03.10.2005 के भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 22.09.2010 को स्वीकृत किया गया और नियमानुसार पट्टेदार, प्रथम वर्ष को छोड़कर, सम्पूर्ण वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष का अनिवार्य किराया देय था। अन्य खनिज अधिकारियों ने बताया गया कि संवीक्षा उपरान्त वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को (सितम्बर 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य) प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)

7.6 खनन पट्टे के अनिवार्य किराये की वसूली न होना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 9 (क) (प) तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार खनिजपट्टे के प्रत्येक पट्टाधारक को प्रत्येक वर्ष पट्टे में सम्मिलित सभी क्षेत्रों के सम्बन्ध में अनुसूची-III में उल्लिखित दरों से राज्य शासन को अनिवार्य किराये का भुगतान करना होगा लेकिन जहाँ पट्टाधारक निष्कासित या उपयोग किये गये किसी खनिज के लिए राज्यांश का भुगतान करने का दांयी हो जाता है तो वह उसे क्षेत्र के संबंध में ऐसे राज्यांश या अनिवार्य किराये, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा। आगे, खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 27 (शर्तों) के उपनियम (5) के अनुसार, यदि पट्टेदार राज्यांश या अनिवार्य किराये के भुगतान में कोई चूक करता है जैसा कि अधिनियम की धारा-9 में उल्लिखित है, तो राज्य शासन पट्टेदार को देय राज्यांश या अनिवार्य किराये का भुगतान करने हेतु नोटिस देगा जिसकी प्राप्ति के दिनांक से 60 दिन के भीतर उसको राज्यांश या अनिवार्य किराये का भुगतान नहीं किया जाता है तो राज्य शासन पट्टे को निरस्त कर पूर्ण प्रतिभूति जमा राशि या उसके भाग को राजसात कर सकेगा।

जिला खनिज कार्यालय छिंदवाड़ा के खनिजपट्टों से सम्बन्धित प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा में हमने पाया (अक्टूबर 2013) कि खनिजपट्टों के संबंध में नमूना जांच किये गये 18 पट्टेदारों में

से एक पट्टेदार ने वर्ष 2012 एवं 2013 हेतु देय अनिवार्य ₹ 5.23 लाख का भुगतान नहीं किया गया। जिला खनिज अधिकारी ने अनिवार्य किराये की वसूली हेतु मांगपत्र जारी नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 5.23 लाख के अनिवार्य किराये की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2013), जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि संवीक्षा उपरांत वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

हमने प्रकरण विभाग या शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2014); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

7.7 संविदा राशि की वसूली न होना/कम होना

मध्यप्रदेश गौण खनिज, 1996 के नियम 37(i) एवं व्यापारिक खदानों हेतु संविदा अनुबंध की शर्त क्रमांक 5 (i)/9 के अनुसार, प्रत्येक ठेकेदार को नियत दिनांक पर संविदा राशि का भुगतान राज्य शासन को करना होता है। तत्पश्चात् संविदा राशि का भुगतान राज्य शासन को करना होता है। तत्पश्चात् संविदा राशि या अन्य कोई बकाया का एक माह से अधिक तक भुगतान नहीं होने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं खदान की पुर्ननीलामी न होने पर, यदि शासन को कोई हानि होती है तो वह चूककर्ता ठेकेदार से भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जायेगी।

हमने 11 जिला खनिज कार्यालयों² में नमूना परीक्षित 219 व्यापारिक खदानों की प्रकरण नस्तियों, चालान, अनुबंध की संवीक्षा के दौरान (अगस्त 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य) अवलोकित किया गया कि 2011-13 में संविदा देय राशि ₹ 4.08 करोड़ देय थी जबकि ठेकेदारों द्वारा केवल ₹ 1.07 करोड़ का ही भुगतान किया गया। विभाग ने न तो वसूली की कोई कार्रवाई प्रारम्भ की और न ही ठेका निरस्त किया तथा खदानों की पुर्ननीलामी करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। परिणामस्वरूप परिशिष्ट-XVII में दिये गये विवरण के अनुसार 43 ठेकेदारों से ₹ 3.01 करोड़ की संविदा राशि की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य) जिला खनिज अधिकारी, रीवा ने बताया कि ठेकेदारों को मांग पत्र जारी कर वसूली की जायेगी। जिला

² बडवानी, भोपाल, छिन्दवाड़ा, दतिया, धार, ग्वालियर, खरगोन, मंडला, नरसिंहपुर, रीवा, शिवपुरी।

खनिज अधिकारी, भोपाल नरसिंहपुर और शिवपुरी ने बताया कि वसूली के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। जिला खनिज अधिकारी, खरगौन और मण्डला ने बताया की संवीक्षा के उपरांत कार्रवाई की जायेगी।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2014); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

7.8 राज्यांश की कम वसूली

7.8.1 खनि पट्टा

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (i) के अनुसार, खनि पट्टे से सम्बन्धित प्रत्येक पट्टे धारक को उसके द्वारा हटाये गये या उपयोग किए खनिजों के लिए अनुसूची-II में निर्धारित दरों से राज्यांश का भुगतान करना होगा। आगे, संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा सितम्बर 2005, में निर्देश जारी किये गये, प्रत्येक छःमाही जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसम्बर का कर निर्धारण क्रमशः 30 जुलाई एवं जनवरी में पूर्ण हो जाने चाहिए।

हमने तीन जिला खनिज कार्यालयों³ के खनिज पट्टों से सम्बन्धित प्रकरण नस्तियों, कर निर्धारण तथा वार्षिक विवरण की संवीक्षा के दौरान (अक्टूबर 2013) अवलोकित किया कि नमूना जांच किये गये 42 पट्टेदारों में से चार पट्टेदारों ने डोलामाईट, चूना पत्थर तथा रॉक फास्फेट के उपयोग/परिवहन हेतु अविध मई 2005 से जुलाई 2005 के मध्य में देय राशि ₹ 1.69 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1.14 करोड़ का भुगतान किया। जिला खनिज अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा दिनांक तक राज्यांश की बकाया राशि की वसूली हेतु कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 55.12 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई। यदि जिला खनिज अधिकारी द्वारा विवरणियों की संवीक्षा समय से की गई होती जैसा कि संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा निर्देश दिये गये थे, तो राज्यांश की वसूली में विलम्ब से बचा जा सकता था।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2013); जिला खनिज अधिकारी, नरसिंहपुर ने बताया कि ठेकेदारों को मांग पत्र जारी कर, लेखापरीक्षा को सूचित किया

³ छिन्दवाड़ा, झाबुआ, नरसिंहपुर।

जायेगा। जिला खनिज अधिकारी, झाबुआ ने बताया कि प्रकरणों की संवीक्षा उपरांत मांग पत्र जारी किया जायेगा और जिला खनिज अधिकारी, छिंदवाड़ा ने बताया कि संवीक्षा के बाद वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2014); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

7.8.2 उत्खनि पट्टा

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 30 (1) (ब) में उल्लिखित उत्खनित पट्टे की सामान्यशर्तों के अनुसार पट्टेदार को प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में, अनिवार्य किराया या राज्यांश में जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा लेकिन दोनों का नहीं। पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से उपयोग या परिवहन किये जाने हेतु खनिज अभिप्रेत की मात्रा के सम्बन्ध में राज्यांश का भुगतान करेगा, यदि उसके द्वारा पूर्व में भुगतान की गई अनिवार्य किराये की राशि उपयोग या परिवहित किये गये खनिज पर राज्यांश के बराबर हो जाती है। आगे, इस नियम की शर्त क्रमांक 26 में प्रावधान है कि इस नियम में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर कलेक्टर/अपर कलेक्टर पट्टेधारक द्वारा शर्तों के उल्लंघन पर उसे लिखित में नोटिस जारी कर नोटिस के दिनांक से 30 दिन के भीतर उल्लंघन का सुधार करने के लिए निर्देशित करेगा और यदि उल्लंघन का सुधार नहीं किया जाता है या उचित नहीं दर्शाया जाता है तो स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी पट्टे को समाप्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति जमा राशि या उसके किसी भाग को राजसात कर सकेगा या विकल्प के रूप में उल्लंघन के लिए पट्टेदार से उक्त छः माही अनिवार्य किराये की राशि के चार गुने से अनधिक ऐसी शास्ति, जो पट्टादाता नियत करें, प्राप्त कर सकेगा।

हमने नौ जिला खनिज कार्यालयों⁴ के उत्खनि पट्टों से सम्बन्धित प्रकरण नस्तियों तथा विवरणियों से ज्ञात हुआ (अगस्त 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य) कि नमूना जांच किये गये 229 पट्टेदारों में से 13 पट्टेदारों ने अवधि जनवरी 2009 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य हटाये गये खनिजों के सम्बन्ध भुगतान योग्य राशि ₹ 3.55 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2.87 करोड़ के राज्यांश

⁴ बडवानी, भिन्ड, दतिया, ग्वालियर, होशंगाबाद, नरसिंगपुर, नीमच, शिवपुरी एवं सिंगरौली

का भुगतान किया, विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-XVIII** में दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 67.84 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य) जिला खनिज अधिकारी, भिण्ड, नीमच एवं सिंगरौली ने बताया कि वसूली बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। जिला खनिज अधिकारी दतिया, नरसिंहपुर और शिवपुरी ने बताया कि वसूली हेतु मांग पत्र जारी किये जायेंगे। जिला खनिज अधिकारी, बड़वानी और होशंगाबाद ने बताया कि संवीक्षा बाद वसूली की जायेगी।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया था (मई 2014), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (दिसम्बर 2014)

7.8.3 व्यापारिक खदान

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 37 की शर्त क्रमांक 5 (2) के अनुसार, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्र से अधिक खनिज का उत्खनन करता है अथवा बाहर ले जाता है तो वह ऐसी अधिक उत्खनित या हटाई गई मात्र के लिए प्रचलित दर से राज्यांश का भुगतान करने का दायी होगा। यदि, संविदा राशि या अन्य कोई बकाया का एक माह से अधिक तक भुगतान नहीं होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं खदान की पुर्ननीलामी की जायेगी। परिणामस्वरूप खदान की पुननीलामी होने पर, यदि शासन को कोई हानि होती है तो वह चूककर्ता ठेकेदार से भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जायेगी।

हमने जिला खनिज कार्यालय नरसिंहपुर में व्यापारिक खदानों से संबंधित ठेकेदारों की नस्तियों एवं चालानों की संवीक्षा के दौरान (अक्टूबर 2013) अवलोकित किया कि 20 ठेकेदारों में से एक ठेकेदार द्वारा (अप्रैल 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य) परिवहन किये गये खनिज की मात्रा हेतु देय संविदा राशि ₹ 53.33 लाख के विरुद्ध ₹ 46.59 लाख का भुगतान किया। जिला खनिज अधिकारी ने बकाया राशि की वसूली हेतु ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। परिणामस्वरूप ₹ 6.74 लाख राज्यांश की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी, नरसिंहपुर ने बताया (अक्टूबर 2013) कि ठेकेदार से वसूली की जायेगी।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को मई 2014 में प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

7.9 विलंबित भुगतानों पर ब्याज का वसूल न होना/कम होना ।

- उत्खनि पट्टों में विलंबित भुगतानों पर ब्याज का कम आरोपण/कम वसूली ।

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 30(1)(डी) के अनुसार, उत्खनि के प्रत्येक पट्टाधारी द्वारा वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख को या इससे पूर्व राज्य शासन को अनिवार्य किराये का भुगतान किया जाना अपेक्षित है जिसमें विफल रहने की स्थिति में पट्टाधारी को नियमों के अंतर्गत उसके विरुद्ध की जाने वाली किसी दायित्वकारी कार्रवाई के अतिरिक्त भुगतान न किये जाने तक 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा ।

हमने 10 जिला खनिज कार्यालयों⁵ में उत्खनि पट्टों से संबंधित अनिवार्य किराये तथा राज्यांश की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया । (सितम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य) कि नमूना परीक्षित किये गये उत्खनि पट्टों से संबंधित 453 पट्टेदारों में से 65 पट्टेदारों द्वारा अनिवार्य किराये का भुगतान 20 से 1,415 दिनों तक विलम्ब से किया और देय ब्याज ₹ 11.58 लाख के विरुद्ध केवल ₹ 0.66 लाख का भुगतान किया । खनिज अधिकारी ने विलंबित भुगतानों पर देय ब्याज की वसूली की कोई कार्रवाई नहीं की गई । परिणामस्वरूप ₹ 10.92 लाख ब्याज की कम वसूली हुई ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2013 और जनवरी 2014 के मध्य) 05 जिला खनिज अधिकारियों⁶, ने बताया कि ब्याज की वसूली के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा । अन्य जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि प्रकरणों की संवीक्षा बाद वसूली की जायेगी ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2014) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014) ।

⁵ बडवानी, भोपाल, छिन्दवाड़ा, दतिया, धार, ग्वालियर, झाबुआ, नरसिंहपुर, रीवा, शिवपुरी ।

⁶ भोपाल, दतिया, झाबुआ, नरसिंहपुर, रीवा

- व्यापारिक खदानों में विलंबित भुगतानों पर ब्याज की वसूली न होना/कम होना

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम, 37(1) एवं संविदा अनुबंध की शर्त क्रमांक 5(i) के तहत व्यापारिक खदानों के ठेकेदारों को उनके संविदा अनुबंध में दर्शित दिनांक को या उसके पूर्व संविदा राशि का भुगतान करना आवश्यक है । जिसमें विफल रहने की स्थिति में ठेकेदार संविदा राशि के अतिरिक्त, भुगतान न किये जाने तक 24 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के भुगतान हेतु दायी होगा ।

हमने 11 जिला खनिज कार्यालयों⁷ की व्यापारिक खदानों से संबंधित प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान (सितम्बर 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य) अवलोकित किया गया कि नमूना जाँच किये 220 ठेकेदारों में से 49 ठेकेदारों ने संविदा राशि का भुगतान पाँच से 530 दिनों के विलम्ब से किया था एवं देय ब्याज ₹ 31.12 लाख के विरुद्ध ₹ 0.18 लाख का भुगतान किया । जिला खनिज अधिकारी ने विलंबित भुगतान पर ब्याज के आरोपण की कार्रवाई नहीं की गई । इसके परिणाम स्वरूप ₹ 30.94 लाख ब्याज की वसूली हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों के इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य), जिला खनिज अधिकारी, नरसिंहपुर, सिंगरौली एवं शिवपुरी ने बताया कि मांग पत्र जारी कर वसूली की जायेगी । अन्य जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि संवीक्षा के बाद वसूली की जायेगी ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2014) उनका उत्तर प्राप्त नहीं है (दिसम्बर 2014) ।

⁷ बडवानी, भोपाल, छिन्दवाड़ा, दतिया, धार, ग्वालियर, मंडला, नरसिंहपुर, सिंगरौली, शिवपुरी, उमरिया ।

7.10 अनधिकृत उत्खनन पर खनिजों के मूल्य का अनारोपण/वसूली न होना ।

खनिज संरक्षण तथा विकास निगम, 1988 के नियम खनन योजना के अनुसार खनन संक्रियाओं को संचालित करेगा । यदि खान योजना के अनुसार खनन संक्रियाएँ संचालित नहीं की जाती है तो क्षेत्रीय नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) अथवा प्राधिकृत अधिकारी समस्त या किन्हीं खनन संक्रियाओं के विलम्ब का आदेश दे सकते हैं । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(5) के अनुसार जब कभी भूमि से कोई व्यक्ति बिना प्राधिकार के खनिज उठाता है तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से, ऐसा उठाया गया खनिज बरामद कर सकेगी या जहां ऐसा खनिज पहले से निराकृत कर दिया गया हो, राज्यांश के साथ उनका मूल्य वसूल कर सकेगी ।

हमने जिला खनिज अधिकारी झाबुआ एवं मण्डला में खनि पट्टों से खतौनी प्रकरण नस्तियों चालानों में देखा (अक्टूबर एवं नवम्बर 2013 के मध्य) कि 48 खनि पट्टाधारकों में से दो खनि पट्टाधारकों द्वारा वर्ष 2010 से 2012 के दौरान पुनरिक्षित के पूर्व खनन योजना अनुमोदन के बिना अनुमादित खनन योजना में निर्धारित सीमा से अधिक खनियों को उत्खनन किया । आगे, अवलोकित किया कि निर्धारित आवधिक विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना अभिलेखों में नहीं पाया गया । इसके आगे, विभाग द्वारा न तो खनिजों के मूल्य का आंकलन किया गया और न ही मांगा गया । इस प्रकार, अनुमत्य सीमा से अधिक खनन अवैध था जिस पर खनिज की लागत ₹ 99.08 लाख वसूली योग्य थी, जैसा कि परिशिष्ट –XIX में दिया गया है ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (अक्टूबर एवं नवम्बर 2013 के मध्य) खनिज अधिकारी झाबुआ एवं मण्डला द्वारा बताया गया कि संबंधित पट्टेदारों को मांग पत्र जारी कर, वसूली की कार्यवाही की जावेगी ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदन किया (मई 2014) उनका प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)

7.11 ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर का आरोपण एवं संग्रहण ।

7.11.1 ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर कर वसूल न किया जाना ।

मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों एवं अधिसूचना (सितम्बर 2005) उत्पादित मुख्य खनिजों के बाजार मूल्य में से पट्टाधारक द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गई राज्यांश की राशि घटाने के बाद शेष राशि के पांच प्रतिशत वार्षिक दर से किया जावेगा । अधिनियम में आगे प्रावधानित है कि पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों/लेखाओं के आधार पर सक्षम प्राधिकारी खनिजों के विक्रय मूल्य का निर्धारण

करेगा तथा प्रति वर्ष गई माह के अंत में कर का निर्धारण कर उसकी मांग करेगा । कर का भुगतान न होने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी धारा 4(2) के तहत शास्ति का आरोपण करेगा जो देय कर राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी । किन्तु इसके पूर्व पट्टेदार को अपना पक्ष रखने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा । उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 5 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी कर एवं शास्ति की राशि यदि उसका भुगतान नहीं किया गया है, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी ।

हमने जिला खनिज अधिकारी कार्यालय शिवपुरी में खनन पट्टों के संबंध में संघारित मुख्य खनिज प्रकरण नस्तियों की संमीक्षा के दौरान अवलोकित किया (अक्टूबर 2013) कि एक पट्टेदार ने देय सड़क विकास कर ₹ 8.36 लाख के विरुद्ध ₹ 2.29 लाख का भुगतान किया । इसके परिणामस्वरूप नियम के अधीन आरोपणीय शास्ति के अतिरिक्त ₹ 6.07 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई जैसा कि परिशिष्ट XX में विवरण दिया गया है । जिला खनिज अधिकारी, शिवपुरी ने न तो मांग पत्र जारी किया और न ही प्रावधान के अधीन कर की वसूली हेतु कोई कार्रवाई प्रारंभ की ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी, शिवपुरी ने बताया (अक्टूबर 2013) कि मांग पत्र जारी कर वसूली की जायेगी ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2011) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014) ।

7.11.2 शिथिल खदानों पर ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर का भुगतान न किया जाना ।

मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 के प्रावधानों एवं सितम्बर 2005 की अधिसूचना के अनुसार, ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर का आरोपण, उत्पादित मुख्य खनिजों के बाजार मूल्य में से पट्टाधारक द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गई राज्यांश की राशि घटाने के बाद शेष राशि के पाँच प्रतिशत वार्षिक दर से एवं शिथिल खदानों पर ₹ 4000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से खनि पट्टों के पट्टाधारकों पर किया जायेगा ।

हमने चार जिला खनिज कार्यालयों⁸ में मुख्य खनिजों के खनि पट्टों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (सितम्बर 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य) कि 86 पट्टेदारों में से 14

⁸ बडवानी, छिन्दवाड़ा, दतिया, मंडला

पट्टेदारों ने अक्टूबर 2005 से मार्च 2013 की अवधि हेतु शिथिल खदानों पर सड़क विकास कर ₹ 5.16 लाख का भुगतान नहीं किया। खनिज अधिकारियों ने न तो मांग पत्र जारी किया और न ही नियमों के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ की। इसके परिणामस्वरूप नियम के अधीन आरोपणीय शास्ति के अतिरिक्त, ₹ 5.16 लाख कर की वसूली नहीं हुई जैसा परिशिष्ट— XXI में विवरण दिया गया है।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी दतिया ने बताया (सितम्बर 2013) कि शिथिल खनन पट्टों को निरस्त करने एवं बकाया वसूली हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया है। जबकि जिला खनिज अधिकारी, मण्डला ने बताया (नवम्बर 2013) की मांग पत्र जारी कर वसूली की जायेगी। अन्य जिला अधिकारियों ने बताया कि संवीक्षा के बाद कार्रवाई/वसूली की जायेगी।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2014) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

7.12 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण/संग्रहण।

7.12.1 औसत वार्षिक राज्यांश के गलत निर्धारण के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का व्यय आरोपण।

म.प्र. शासन खनिज संसाधन विभाग के अनुदेशों (मार्च 1993) के अनुसार नये खनि पट्टों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, औसत वार्षिक राज्यांश पर आरोपणीय है जिसकी गणना, खनि पट्टे हेतु आवेदन में दर्शायी गई मात्र या माइनिंग प्लान में दी गई उत्पादन मात्र जो भी अधिक हो, के आधार पर की जायेगी। आगे, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा – 33 के अनुसार, 20 से 30 वर्ष तक अवधि के पट्टे के लिए मुद्रांक शुल्क की राशि औसत वार्षिक राज्यांश के बाजार मूल्य के पाँच गुने पर आरोपणीय होगी।

जिला खनिज कार्यालय, मण्डला और नीमच के खनन पट्टों की प्रकरण नस्तियों के परीक्षण के दौरान हमने देखा कि 20 से 30 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टों की स्वीकृत करते समय पट्टा विलेख उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार सम्पूर्ण पट्टा अवधि हेतु प्रस्तवित उत्पादन के औसत के बजाय बजाय माइनिंग प्लान में दर्शाये गये प्रथम पाँच वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर (दिसम्बर 2010 से जून 2011 के मध्य)निष्पादित/पंजीकृत किये गये थे डोलामाइट और चूना पत्थर के पट्टेदारों ने आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 7.02 करोड़ के विरुद्ध ₹ 47.48 लाख का भुगतान किया जिसका विवरण परिशिष्ट—XXII में दर्शाया

गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.54 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/वसूली हुई जिला पंजीयक तथा उप पंजीयक ने भी पट्टा अनुबंध पंजीयन के समय सही मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली सुनिश्चित नहीं की। वर्ष 2012-13 की प्रतिवेदन में समान प्रकृति की कंडिका शासन के ध्यान में लाई गई थी, फिर भी विभाग द्वारा अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी, नीमच ने बताया (जनवरी 2014) कि शासन द्वारा निर्देश प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी, जबकि जिला खनिज अधिकारी, मण्डला ने बताया (नवम्बर 2013) कि संवीक्षा के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2014) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (दिसम्बर 2014)

7.12.2 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली।

म.प्र. शासन, खनिज संसाधन विभाग द्वारा मार्च 1993 में जारी अनुदेशों के अनुसार, मुद्रांक शुल्क के आरोपण हेतु संविदा राशि की सम्पूर्ण राशि को प्रीमियम माना जायेगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के अनुसार, मुद्रांक शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस प्रभारित की जायेगी।

जिला खनिज कार्यालयों भिण्ड एवं दतिया में मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड (म.प्र. रा.ख.नि.लि.) को स्वीकृत पट्टों से संबंधित प्रकरण नस्तियों से पता चला (सितम्बर से अक्टूबर 2013 के मध्य) कि मार्च 2013 तथा मार्च 2015 के मध्य निगम के सात ठेकेदारों से ₹ 123.77 करोड़ में दो वर्ष के लिए अनुबंध किया। इस संविदा में, मुद्रांक शुल्क ₹ 6.18 करोड़ तथा पंजीयन फीस ₹ 4.64 करोड़ आरोपणीय एवं वसूली योग्य था। तथापि, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड ने प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 के स्टांप पेपर पर अनुबंध निष्पादित किये। जिसके परिणामस्वरूप परिशिष्ट –XXIII में दिये गये विवरण के अनुसार ₹ 10.82 करोड़ राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी भिण्ड ने बताया (अक्टूबर 2013) कि आवश्यक कार्रवाई के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। जबकि खनिज अधिकारी, दतिया ने बताया (सितम्बर 2013) कि कंडिका मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड से संबंधित है इसलिए आक्षेप स्वीकार नहीं था। हम जिला खनिज अधिकारी, दतिया के उत्तर से

सहमत नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड खनिज संसाधन विभाग का एक पट्टेदार था और शासन के समस्त देय का नियमानुसार भुगतान करना पट्टेदार का दायित्व था ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2014) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014) ।

भोपाल

(दीपक कपूर)

दिनांक

महालेखाकार

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) म.प्र

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली

शशि कान्त शर्मा

दिनांक

(भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक)

परिशिष्ट-I

कंडिका क्र. 2.4.8 (मध्य प्रदेश वैट अधिनियम में और आईटीआर के संबंध में नियम में कमियां)

स. क्र	इकाई का नाम / प्रकरण की संख्या/वितरक	अवधि	आई.टी.आर. दावा		स्वीकृत आई.टी.आर.		₹ 25000/40000 से अधिक के क्रय		₹ 25000/40000 से कम के क्रय		आपत्ति का संक्षिप्त विवरण*	विभाग का उत्तर
			क्रय मूल्य	वैट	क्रय मूल्य	वैट	क्रय मूल्य	वैट	क्रय मूल्य	वैट		
1	वाकअ- वैद्वन /5/5	09-10 से 10-11	11534235	655308	11348497	657020	5520595	335713	2580590	147081	1,2,3	जांच उपरान्त कार्रवाई की जायेगी
2	आर.ए.सी. सागर/2/2	10-11	191076849	9376424	191076849	9376424	2210531	287369	366800	47684	1,2,3	जांच उपरान्त कार्रवाई की जायेगी
3	वाकअ- V भोपाल/7/7	10-11 से 11-12	17144309	1342749	17144309	1357372	15249313	1089104	3277601	236899	1,2,3	डीलरवार क्रय का सत्यापन क्रय बिलों एवं VATIS द्वारा किया जाता है।
4	वाकअ- II, ग्वालियर /4/4	10-11	8518094	957233	8518094	957233	4020237	457357	5509258	512180	1,2,3	जांच उपरान्त कार्रवाई की जायेगी
5	वाकअ- III, ग्वालियर /4/4	10-11	19791109	997964	1971109	997964	19271954	961494	521256	118650	1,2,3	जांच उपरान्त कार्रवाई की जायेगी
6	वाकअ-XI, इन्दौर / 8/7	10-11	14428532	691785	14428532	691785	13891794	622701	1193624	53823	1,2,3	जांच उपरान्त कार्रवाई की जायेगी
7	वाकअ-XIV, इन्दौर/8/8	09-10 से 10-11	27979412	1203352	24536179	990917	19940341	871732	2556616	180756	1,2,3	जांच उपरान्त कार्रवाई की जायेगी
8	वाकअ-मण्डीदीप / 2/2	10-11	7801253	362816	7253959	362687	5605613	272435	2011163	96415	1,2,3	जांच उपरान्त कार्रवाई की जायेगी
9	डी.सी.-सागर/ 4/4	10-11	1630379518	74826999	144679457	71058896	6481209	840037	0	0	1,2,3	डीलरवार क्रय का सत्यापन क्रय बिलों एवं VATIS द्वारा किया जाता है।
10	डी.सी टैक्स ऑडिट इन्दौर -I/2/2	10-11 से 11-12	8240620	678008	9023372	747949	6649632	0	0	0	1,2,3	जांच उपरान्त कार्रवाई की जायेगी
11	वाकअ-XII, इन्दौर /14/14	09-10 से 10-11	192988923	13531073	127296614	14546962	24627969	1572203	910897	55565	1,2,3	डीलरवार क्रय का सत्यापन क्रय बिलों एवं VATIS द्वारा किया जाता

												है।
12	वाकअ खण्डवा /12/12	08-09 से 10-11	59785454	4947472	100367815	8150980	0	0	0	0	1,2,3	जांच उपरान्त कार्रवाई की जायेगी
13	वाकअ मोरैना / 10/10	09-10 से 10-11	14892491	875320	106793867	8588618	0	0	0	0	1,2,3	जांच उपरान्त कार्रवाई की जायेगी
14	आर.ए.सी - II भोपाल /10/10	07.08 से 09-10	28968610	21370193	57914375	32838340	0	0	0	0	1,2,3	जांच उपरान्त कार्रवाई की जायेगी
15	वाकअ-XII, इन्दौर /8/8	09-10 से 11-12	325044006	18268449	341135748	14160601	50754447	1929686	4824543	7789	1,2,3	जांच उपरान्त कार्रवाई की जायेगी
16	वाकअ- III भोपाल /3/3	10-11 से 11-12	4420511	263211	4776285	473523	1284795	17391	167830	203699	1,2,3	जांच उपरान्त कार्रवाई की जायेगी
17	वाकअ कटनी / 12/12	09-10 से 11-12	83268092	6163611	81221978	3774723	79744919	98407	0	0	1,2,3	जांच उपरान्त कार्रवाई की जायेगी
योग			2646262018	156511967	1249487039	169731994	255253349	9355629	23920178	1660541		

*1 माल का प्रकार नहीं बताया, 2.₹ 40000 एवं अधिक के माल के बिलों का भुगतान कास चेक के बिना किया गया 3 आई.टी. आर. के साथ पुनर्मिलान नहीं किया।

परिशिष्ट-II
कंडिका क्रमांक 2.4.8.6

डीलरों द्वारा कोई रिटर्न दायर नहीं किए गए थे, फिर भी आगत कर रिबेट की अनुमति दी गयी

क्र. सं.	नि.प्रा. का नाम	वितरक का नाम (टिन सहित)	प्रकरण की संख्या, निर्धारण की तिथि	आई.टी.आर. दावा		स्वीकृत आई.टी.आर.		विभाग का उत्तर	लेखपरीक्षा टिप्पणी
				क्रय मूल्य	वैट	क्रय मूल्य	वैट		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	डी.सी., सागर	मे. वी आर सी कन्सट्रक्शन प्रा. लि., बीना 23497304191	258/2010 12.5.2012 09-10	-	-	891560	52518		
2	वाकअ-XII, इन्दौर	मे. अरोरा टेडर्स, इन्दौर 23711203636	374/10 30.6.12 09-10	-	-	23684775	2605900	आयकर छूट म.प्र. वैट अधिनि यम की धारा 14 (1) के अंतर्गत स्वीकृत की गई है।	किसी पंजीकृत डीलर द्वारा धारा 14 की उप धारा 1 के अंतर्गत आई.टी.आर. के संबंध में कोई भी दावा पंजीकृत विक्रेता द्वारा जारी किये गये बिल, रसीद या कैंश मेमो जिसमे धारा 9 के अंतर्गत वसूले गये कर की राशि पृथक से दर्शायी गई हो द्वारा ही मान्य होगा। आगत कर छुट से संबंधित सभी दावे पंजीकृत डीलरो द्वारा प्रपत्र 10 में विवरिणी द्वारा किये जायेंगे।
3	वाकअ-XII, इन्दौर	मे. हरिकिशन पैकेजिंग, इन्दौर 235612000857	813/10 26.6.12 09-10	-	-	4572979	220206		
4	वाकअ, खण्डवा	मे. यश इलेक्टानिक्स खण्डवा 23042005952	384/10 09-10	0	0	11737514	1005016		
5	वाकअ, खण्डवा	मे. ओझा कन्सट्रक्शन खण्डवा 23782006030	458/09 30.6.11 08-09	0	0	1727284	144894	जांच उपरान्त कार्रवाई की जायेगी	अन्तिम कार्यवाही की जानकारी अप्राप्त। (दिसम्बर 2014)
6	वाकअ, खण्डवा	मे. अनिल श्रीवास्तव, कान्टेक्टर, खण्डवा 23772006375	444/09 30.6.11 08-09	0	0	1564905	148020		
7	वाकअ, खण्डवा	मे. श्रीराम चौधरी कान्टेक्टर, खण्डवा 23462004654	446/09 30.6.11 08-09	0	0	3000788	314286		

क. सं.	नि.प्रा. का नाम	वितरक का नाम (टिन सहित)	प्रकरण की संख्या, निर्धारण की तिथि	आई.टी.आर. दावा		स्वीकृत आई.टी.आर.		विभाग का उत्तर	लेखपरीक्षा टिप्पणी
				क्रय मूल्य	वैट	क्रय मूल्य	वैट		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	वाकअ, खण्डवा	में सेवा कन्सट्रक्शन, खण्डवा 23882003395	450/09 8.8.2011 08-09	0	0	20664351	1668394		
9	वाकअ, खण्डवा	में तालिब हुसैन एण्ड सन्स, खण्डवा 23082003505	334/09 25.4.11 08-09	0	0	3701327	356469		
10	वाकअ, खण्डवा	में तालिब हुसैन एण्ड सन्स, खण्डवा 23082003505	274/10 29.3.12 09-10	0	0	5920493	588982		
11	वाकअ, खण्डवा	मे. ओझा कन्सट्रक्शन खण्डवा 23782006030	1039/10 16.2.12 09-10	0	0	1001550	99656		
12	वाकअ, खण्डवा	में जितेन्द्र सिंह सावनेर, खण्डवा 23622006312	782/09 30.6.11 08-09	0	0	1950448	230330		
13	वाकअ मोरैना	में मधु वॉच क., मुरैना 23055601494	62/10 10.4.12 09-10	0	0	13314828	1263654	जांच उपरान्त कार्रवाई की जायेगी	
14	वाकअ मोरैना	में. गौरव इन्टर., मुरैना 23865502060	240/10 16.4.10 09-10	0	0	15384352	1911317		अन्तिम कार्यवाही की जानकारी अप्राप्त। (दिसम्बर 2014)
15	वाकअ मोरैना	मे. श्रीराम टेडर्स, मुरैना 23565601767	61/10 4.6.12 09-10	0	0	40394814	1976985		

क. सं.	नि.प्रा. का नाम	वितरक का नाम (टिन सहित)	प्रकरण की संख्या, निर्धारण की तिथि	आई.टी.आर. दावा		स्वीकृत आई.टी.आर.		विभाग का उत्तर	लेखपरीक्षा टिप्पणी
				क्रय मूल्य	वैट	क्रय मूल्य	वैट		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	वाकअ मोरैना	में. न्यू मनीस मेडिकल स्टोर, मुरैना 23555601523	63/10 14.6.12 09-10	0	0	21265769	1103650		
17	वाकअ मोरैना	में. न्यू मनीस मेडिकल स्टोर, मुरैना 23345605457	1014/11 11.1.13 10-11	0	0	16661603	1886965		
18	वाकअ-XIII, इन्दौर	में. जे.एम.फार्मा, इन्दौर 23971304179	CS00000000 67373/11 3.8.13/10.11	0	0	37537062	2376931	जांच उपरान्त कार्रवाई की जायेगी	अन्तिम कार्यवाही की जानकारी अप्राप्त। (दिसम्बर 2014)
19	वाकअ- III भोपाल	में. जे.के. इन्टरप्राइसेस, भोपाल 23423802086	719/11 19.9.13 10-11	0	0	1301044	149855		
20	वाकअ- III भोपाल	में. नेक्सटेक कम्प्यूटर, भोपाल 23303805256	947/13 28.9.13 10-11	0	0	7573872	411143		
21	वाकअ- III भोपाल	में. अमरलाल टाकुर कॉन्टेक्टर, भोपाल 23963806057	375/11 24.7.13 10-11	0	0	1839893	148199	जांच उपरान्त कार्रवाई की जायेगी	अन्तिम कार्यवाही की जानकारी अप्राप्त। (दिसम्बर 2014)
22	वाकअ- III भोपाल	में. मेघदूत मार्केटिंग, भोपाल 23403804425	721/11 23.9.13 10-11	0	0	1671038	92591		
23	वाकअ-वृत्त, पीथमपुर	में. शुभम् स्टील, धामनोद 23071701889	39/2011 2010-11 10.6.2013	0	0	13636480	1515570	अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विवरिणी में दावा किये बिना आई. टी.	किसी पंजीकृत डीलर द्वारा धारा 14 की उप धारा 1 के अंतर्गत आई.टी.आर. के संबंध में कोई भी दावा पंजीकृत विक्रेता द्वारा जारी किये गये बिल, रसीद या कैंश मेमो जिसमे धारा 9 के अंतर्गत वसूले गये कर की राशि पृथक से दर्शायी गई हो द्वारा ही मान्य होगा। आगत कर छुट से संबंधित सभी दावे

क. सं.	नि.प्रा. का नाम	वितरक का नाम (टिन सहित)	प्रकरण की संख्या, निर्धारण की तिथि	आई.टी.आर. दावा		स्वीकृत आई.टी.आर.		विभाग का उत्तर	लेखपरीक्षा टिप्पणी
				क्रय मूल्य	वैट	क्रय मूल्य	वैट		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	वाकअ-वृत्त, पीथमपुर	में. मोहनलाल कल्याणमल, धार 23121703656	67/2011 2010-11 11.6.2013	0	0	5140275	344672	आर.छूट स्वीकृत नहीं की जा सकती।	पंजीकृत डीलरो द्वारा प्रपत्र 10 में विवरिणी द्वारा किये जायेंगे।
25	वाकअ-वृत्त, पीथमपुर	में. आशियाना पेन्ट्स प्रा. लि. सेक्टर II पीथमपुर 23531604636	205/2011 2010.11.31. 8-2013	0	0	4425678	221779		
26	वाकअ-वृत्त, पीथमपुर	में. आदिमजति सेवा सहकारी समिति, धरमपुरी, 23801703864	70/2011 2010.11.16. 9-2013	0	0	8388970	419449		
27	वाकअ, सेंधवा	में. बाम्बे वॉच क. बड़वानीए 23282201275	213/2011 2010.11.22. 8-2013	0	0	10231542	1325826	जांच उपरान्त कार्रवाई की जायेगी	अन्तिम कार्यवाही की जानकारी अप्राप्त। (दिसम्बर 2014)
28	वाकअ, सेंधवा	में. बल्लुजी चीतरमल वर्मा, कसरावद 23112204618	2337/2011 2010.11.22. 5-2013	0	0	1964498	214495		
						योग	22797752		

परिशिष्ट-III

कंडिका क्रमांक 2.4.9.1 के सन्दर्भ में

कर पृथक से नहीं लगाये जाने के पश्चात भी आईटी आर की स्वीकृति

स. क्र	इकाई का नाम	वितरण, टिन, प्रकरण संख्या	अवधि/निर्धारण का माह	क्रय मूल्य (₹)	आईटीआर की राशि (₹)	धारा 21 के अनुसार शक्ति की राशि (₹)	आईटीआर की प्रस्तावित अतिरिक्त मांग की राशि (₹)	लेखापरीक्षा आलेप	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सीटीओ सागर	मेसर्स सागर कॉर्पोरेटिव कृषि एवं प्रचार समिति, सागर 23677500025 सी.एस./6604 3/11 वेट	2010.11 05. 09-2013	15190254	759512	2278536	3038048	कर निर्धारण प्राधिकारी ने स्वीकार किया कि क्रय सूची में वेट शामिल है लेकिन क्रय बिलों में वेट पृथक से नहीं लगाया गया था।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
2	सीटीओ मण्डल नरसिंगपुर	मेसर्स नन्हेलाल श्रीराम नेमा, नरसिंगपुर 23796400367 14/2008 वेट	2007-08 08.4.2010	17394699	2160419	0	2160419	वैट अधिनियम 2002 की धारा 14 नियम 9 के अनुसार बिलों में वेट पृथक से नहीं दर्शाया गया है।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
3	सीटीओ मण्डल नरसिंगपुर	मेसर्स नन्हेलाल श्रीराम नेमा, नरसिंगपुर 23796400367 23/2007 वेट	2006-07 18.5.2009	17173708	2121422	0	2121422	वैट अधिनियम 2002 की धारा 14 नियम 9 के अनुसार बिलों में वेट पृथक से नहीं दर्शाया गया है।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
4	सीटीओ मण्डल-II जबलपुर	मेसर्स ग्रोवर मैकेनिकल वर्क, जबलपुर 23265902767 516/10 वेट	2009-10 13.6.2012	1109916	53441	0	53441	वैट अधिनियम 2002 की धारा 14 नियम 9 के अनुसार बिलों में वेट पृथक से नहीं दर्शाया गया है।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
5	सीटीओ मण्डल	मेसर्स ईमगरीद सेवा सहकारी समिति बुरहानपुर 23601904279	2009.10 20. 03-2012	3309624	140394	0	140394	वैट अधिनियम 2002 की धारा 14 नियम 9 के	जांच उपरान्त कार्यवाही की	कार्यवाही अपेक्षित है

	बुरहानपुर	292/2010 वेट						अनुसार बिलो में वेट पृथक से नहीं दर्शाया गया है ।	जायेगी	
6	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स एन.एस.इंटरप्राइजेज, 23961601247 96/2010 वेट	2009-10 23.4.2012	53527232	6938694	0	6938694	वैट अधिनियम 2002 की धारा 14 नियम 9 के अनुसार बिलो में वेट पृथक से नहीं दर्शाया गया है ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
7	सीटीओ मण्डल-II जबलपुर	मेसर्स ईलाईट अभियांत्रिकीय कंपनी, 23135808933 756/2011 वेट	2010-11 28.9.2013	2375789	237558	0	237558	क्रय सूची तथा बिल केस फाईल में नहीं लगाये गये है ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
8	आर.ए.सी., सतना	मेसर्स सौरभ सेल्स कॉरपोरेशन, सतना 23137101555 14/2012 वेट सी.एस.000000093870	2011-12 22.3.2014	1.58*08	19815553	0	19815553	क्रय सूची में वेट पृथक से नहीं दर्शाया गया है ।	बिलो में वेट कर निर्धारण के समय दर्शाया गया था अतः आगत कर छूट को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता, कि क्रय सूची में वेट नहीं दर्शाया गया है ।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारण प्राधिकारी अपने उत्तर के समर्थन में एक भी क्रय बिल की प्रति प्रस्तुत नहीं कर सकें ।
9	आर.ए.सी., देवास	मेसर्स एम.पी. एग्रो बी.आर.के. नरसिंगपुर, 23472302487, सी.एस.000076264 (वेट)	2010.11 30. 09-2013	6950000	903500	0	903500	अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि क्रय पंजीकृत डीलरों से नहीं की गई थी ।	निर्धार. प्राधिकारी ने क्रय का विस्तृत विवरण दिया तथा बताया कि पंजीकृत वितरकों से ही क्रय किया गया था तथा वेट का भुगतान बिलो में पृथक से दर्शाया गया था ।	उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं है क्योंकि पुनरीक्षित क्रय सूची या क्रय बिल जिसमें टिन या वेट पृथक से लगाया गया है, प्रस्तुत नहीं किये गये ।

10	सी.टी.ओ. मण्डल 10 इंदौर	मेसर्स एच.आर. जॉनसन पी.बी.के. लिमिटेड, 23831004138, 610/10 (वैट)	2009.10 14. 05-2012	10208975	1276122	3828366	5104488	अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि टाइल्स का क्रय ऐसे वितरक से किया गया था जिसके पास टिन नहीं था ।	छूट को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि क्रय सूची में वैट नहीं दर्शाया गया है ।	कार्यवाही अपेक्षित है
11	सीटीओ मण्डल 10 इंदौर	मेसर्स तलाटी मार्केटिंग, 23971001539 185/10 (वैट)	2009-10 7.5.2012	818759	36005	108015	144020	क्रय सूची/बिलों में वैट पृथक से नहीं लगाया ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
12	डी.सी. टेक्स ऑडिट भोपाल	मेसर्स द्रोपदी कन्स्ट्रक्शन, 23584003855, 23/10 (वैट)	2009.10 30. 04-12	13727645	1113430	0	1113430	क्रय सूची /बिलों के बिना भी आई टी आर स्वीकृति	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
13	सी.टी.ओ. मण्डल 5 भोपाल	मेसर्स ए.जे.एम. मार्केटिंगए 23164004668, 295/11 (वैट)	2010.11 27. 09-13	31070438	3422974	10268922	13691896	क्रय सूची के अनुसार डीलर ने बिना टिन वाले अपेक्षीकृत डीलर से माल खरीदा	नि.प्रा. ने कहा कि समस्त क्रय एक ही वितरक में सोनी इण्डिया, 23511201612 से किया गया एवं आई.टी.आर. जाँच उपरान्त स्वीकार किया गया ।	नि. प्रा. अपने उत्तर के समर्थन में एक भी क्रय बिल प्रस्तुत नहीं कर सके, अतः आपत्ति यथावत
14	सीटीओ मण्डल 5 भोपाल	मेसर्स आर.बी.एस. बिल्डर्सए 23684007486, 763/11 (वैट)	2010-11 27.09.13	6511762	513504	0	513504	क्रय सूची /बिलों के बिना भी आई टी आर स्वीकृति	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
15	सीटीओ मण्डलीदीप मण्डल रायसेन	बालकिशन हरप्रसाद, 23804100055, 04/11 (वैट)	2010-11 26.09.13	14413577	1521211	4563633	6084844	क्रय सूची /बिलों के बिना भी आई टी आर स्वीकृति	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
योग					41013739	21047472	62061211			

परिशिष्ट-IV

कंडिका क्रमांक 2.4.9.2 के सन्दर्भ में

क्रय सूची/ बिलों के अभाव में आई टी आर की अनियमित स्वीकृति

स. क्र	इकाई का नाम	वितरण, टिन, प्रकरण संख्या	अवधि/ निर्धारण का माह	आईटीआर की अनियमित स्वीकृत राशि (₹)	आईटीआर की कुल राशि (₹)	आईटीआर की अतिरिक्त मांग की राशि (₹)	लेखापरीक्षा आक्षेप	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सीटीओ 13 इन्दौर	मेसर्स ए. व्ही. इन्टरप्राइसेस इंदौर 23411302838 सी. एस. 3231/11 वेट	2010-11 20.06.13	603511	1533041	603511	आई.टी.आर. दावों से सम्बन्धित साक्ष्य (दावा किये गये आई.टी. आर. से क्रय विवरण) अभिलेखों में नहीं पाया गया।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत नहीं किये गये तथा प्रावधानों के विरुद्ध स्व कर निर्धारण किया गया।
2	आर.ए.सी. डिविजन 1 भोपाल	मेसर्स सत्यनारायण एवं कम्पनी भोपाल 23393701368 96/13 वेट	2012-13 29.03.14	5979865	5979865	5979865	आई.टी.आर. दावों से सम्बन्धित साक्ष्य (दावा किये गये आई.टी. आर. से क्रय विवरण) अभिलेखों में नहीं पाया गया।	उन प्रकरणों में जहाँ क्रय 25000 से कम के हैं पुनर्मिलन के लिये प्रभावी प्रणाली का अभाव है	अंकेक्षित खाते प्रस्तुत नहीं किये गये तथा प्रावधानों के विरुद्ध निर्धारण किया गया,
3	आर.ए.सी. डिविजन 1 भोपाल	मेसर्स लक्ष्मी टेर्डस भोपाल 23883706191 109/13 वेट	2012-13 29.03.14	1882173	1882173	1882173	आई.टी.आर. दावों से सम्बन्धित साक्ष्य (दावा किये गये आई.टी. आर. से क्रय विवरण) अभिलेखों में नहीं पाया गया।	उन प्रकरणों में जहाँ क्रय 25000 से कम के हैं पुनर्मिलन के लिये प्रभावी प्रणाली का अभाव है	अंकेक्षित खाते प्रस्तुत नहीं किये गये तथा प्रावधानों के विरुद्ध निर्धारण किया गया,
4	आर.ए.सी. डिविजन 1 भोपाल	मेसर्स समीर इन्टरप्राइसेस भोपाल 23093706286 139/13 वेट	2012-13 (स्वनिर्धारण)	672222	672211	672211	आई.टी.आर. दावों से सम्बन्धित साक्ष्य (दावा किये गये आई.टी. आर. से क्रय विवरण) अभिलेखों में नहीं पाया गया।	प्रावधानों के अनुसार प्रकरण स्वनिर्धारित हैं। क्रय बिल प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है तो भी 25000 से अधिक क्रय के विवरण दिये गये है।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार वेट के भुगतान तथा इससे संबंधित आई टी आर दावे के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।
5	आर.ए.सी. डिविजन 1 भोपाल	मेसर्स कुलवंत आटोमोबाईल भोपाल 23233605620 3/13 वेट	2012-13 (स्वनिर्धारण)	603998	603998	603998	आई.टी.आर. दावों से सम्बन्धित साक्ष्य (दावा किये गये आई.टी. आर. से क्रय विवरण) अभिलेखों में नहीं पाया गया।	प्रावधानों के अनुसार प्रकरण स्वनिर्धारित हैं। क्रय बिल प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है तो भी 25000 से अधिक क्रय के विवरण दिये गये है।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार वेट के भुगतान तथा इससे संबंधित आई टी आर दावे के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	आर.ए.सी. डिविजन 1 भोपाल	मेसर्स राजीव सेल्स एजेंसी भोपाल 23033702245 100/13 वेट	2012-13 (स्वनिर्धारण)	20659802	20659802	20659802	आई.टी.आर. दावों से सम्बन्धित साक्ष्य (दावा किये गये आई.टी.आर. से क्रय विवरण) अभिलेखों में नहीं पाया गया।	प्रावधानों के अनुसार प्रकरण स्वनिर्धारित हैं। क्रय बिल प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है तो भी 25000 से अधिक क्रय के विवरण दिये गये हैं।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार वैट के भुगतान तथा इससे संबंधित आई टी आर दावे के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।
14	आर.ए.सी. डिविजन 1 भोपाल	श्री राम डिस्ट्रीब्यूटर भोपाल 23133902301 11/13 वेट	2012-13 (स्वनिर्धारण)	21638013	21638013	21638013	आई.टी.आर. दावों से सम्बन्धित साक्ष्य (दावा किये गये आई.टी.आर. से क्रय विवरण) अभिलेखों में नहीं पाया गया।	प्रावधानों के अनुसार प्रकरण स्वनिर्धारित हैं। क्रय बिल प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है तो भी 25000 से अधिक क्रय के विवरण दिये गये हैं।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार वैट के भुगतान तथा इससे संबंधित आई टी आर दावे के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।
15	आर.ए.सी. डिविजन 1 भोपाल	मेसर्स महेश ट्रेडिंग कम्पनी भोपाल 23573902544 14/13 वेट	2012-13 (स्वनिर्धारण)	118212	118212	118212	आई.टी.आर. दावों से सम्बन्धित साक्ष्य (दावा किये गये आई.टी.आर. से क्रय विवरण) अभिलेखों में नहीं पाया गया।	प्रावधानों के अनुसार प्रकरण स्वनिर्धारित हैं। क्रय बिल प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है तो भी 25000 से अधिक क्रय के विवरण दिये गये हैं।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार वैट के भुगतान तथा इससे संबंधित आई टी आर दावे के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।
16	आर.ए.सी. डिविजन 1 भोपाल	मेसर्स आपूर्ति शापिंग माल लिमिटेड भोपाल 23893903912 23/13 वेट	2012-13 (स्वनिर्धारण)	19345958	19345958	19345958	आई.टी.आर. दावों से सम्बन्धित साक्ष्य (दावा किये गये आई.टी.आर. से क्रय विवरण) अभिलेखों में नहीं पाया गया।	प्रावधानों के अनुसार प्रकरण स्वनिर्धारित हैं। क्रय बिल प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है तो भी 25000 से अधिक क्रय के विवरण दिये गये हैं।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार वैट के भुगतान तथा इससे संबंधित आई टी आर दावे के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।
17	सीटीओ मण्डल-II जबलपुर	मेसर्स अरोरा चप्पल स्टोर्स 23295403211 626/10 वेट	2009-10 18.6.2012	15921	15921	15921	क्रय सूची तथा बिल, केस फाइल में नहीं लगाये गये।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित
18	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित खंडलोईए 23491601069 339/2010 वेट	2009-10 23.2.2012	196259	196259	196259	क्रय सूची तथा बिल, केस फाइल में नहीं लगाये गये।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित
19	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स नवकर आटोमोबाइलस, बदनावर 23821602197 252/12	2011-12 (स्वनिर्धारण)	1482296	1482296	1482296	क्रय सूची तथा बिल, केस फाइल में नहीं लगाये गये।	स्वनिर्धारण प्रकरणों में क्रय सूची की आवश्यकता नहीं।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार पत्रक/बिल में कर पृथक से दर्शाया जाना चाहिये।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स कामदार टेडर्स निसारपुर 23741602338 100/12	2011-12 (स्वनिर्धारण)	597319	597319	597319	क्रय सूची तथा बिल, केस फाइल में नहीं लगाये गये।	स्वनिर्धारण प्रकरणों में क्रय सूची की आवश्यकता नहीं।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार पत्रक/बिल में कर पृथक से दर्शाया जाना चाहिये।
21	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स किशन कृषि सेवा केन्द्र 23211602969 269/12	2011-12 (स्वनिर्धारण)	847561	847561	847561	क्रय सूची तथा बिल, केस फाइल में नहीं लगाये गये।	स्वनिर्धारण प्रकरणों में क्रय सूची की आवश्यकता नहीं।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार पत्रक/बिल में कर पृथक से दर्शाया जाना चाहिये।
22	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स ललित कुमार बाबूलाल बदनावर 23031601904 245/12	2011-12 (स्वनिर्धारण)	270002	270002	270002	क्रय सूची तथा बिल, केस फाइल में नहीं लगाये गये।	स्वनिर्धारण प्रकरणों में क्रय सूची की आवश्यकता नहीं।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार पत्रक/बिल में कर पृथक से दर्शाया जाना चाहिये।
23	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स जवाहर एजेन्सी, बदनावर 23441601339 234/12	2011-12 (स्वनिर्धारण)	1797333	1797333	1797333	क्रय सूची तथा बिल, केस फाइल में नहीं लगाये गये।	स्वनिर्धारण प्रकरणों में क्रय सूची की आवश्यकता नहीं।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार पत्रक/बिल में कर पृथक से दर्शाया जाना चाहिये।
24	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स आर. के. सेल्स कोरपन 23481601317 58/12	2011-12 (स्वनिर्धारण)	4358631	4358631	4358631	क्रय सूची तथा बिल, केस फाइल में नहीं लगाये गये।	स्वनिर्धारण प्रकरणों में क्रय सूची की आवश्यकता नहीं।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार पत्रक/बिल में कर पृथक से दर्शाया जाना चाहिये।
25	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स आशीष ट्रेडर्स घाटबिल्लोद 23501601306 56/12	2011-12 (स्वनिर्धारण)	2912230	2912230	2912230	क्रय सूची तथा बिल, केस फाइल में नहीं लगाये गये।	स्वनिर्धारण प्रकरणों में क्रय सूची की आवश्यकता नहीं।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार पत्रक/बिल में कर पृथक से दर्शाया जाना चाहिये।
26	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स रंगील चांद पन्नालाल धार 23431700042 310/12	2011-12 (स्वनिर्धारण)	92738	92738	92738	क्रय सूची तथा बिल, केस फाइल में नहीं लगाये गये।	स्वनिर्धारण प्रकरणों में क्रय सूची की आवश्यकता नहीं।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार पत्रक/बिल में कर पृथक से दर्शाया जाना चाहिये।
27	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स कमल ट्रेडर्स धार 23421700096 594/12	2011-12 (स्वनिर्धारण)	426205	426205	426205	क्रय सूची तथा बिल, केस फाइल में नहीं लगाये गये।	स्वनिर्धारण प्रकरणों में क्रय सूची की आवश्यकता नहीं।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार पत्रक/बिल में कर पृथक से दर्शाया जाना चाहिये।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स गुलाब चंद ओमकारलाल, मनावर 23021700413 319/12	2011-12 (स्वनिर्धारण)	731778	731778	731778	क्रय सूची तथा बिल, केस फाइल में नहीं लगाये गये।	स्वनिर्धारण प्रकरणों में क्रय सूची की आवश्यकता नहीं।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार पत्रक/बिल में कर पृथक से दर्शाया जाना चाहिये।
29	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स अम्बिका कृषि एवं बीज विकास सहकारिता मर्यादित धार 23691704070 495/12	2011-12 (स्वनिर्धारण)	513146	513146	513146	क्रय सूची तथा बिल, केस फाइल में नहीं लगाये गये।	स्वनिर्धारण प्रकरणों में क्रय सूची की आवश्यकता नहीं।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार पत्रक/बिल में कर पृथक से दर्शाया जाना चाहिये।
30	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स शैलेन्द्र आटोमोबाइल्स, मनावर 23701703240 458/12	2011-12 (स्वनिर्धारण)	3209803	3209803	3209803	क्रय सूची तथा बिल, केस फाइल में नहीं लगाये गये।	स्वनिर्धारण प्रकरणों में क्रय सूची की आवश्यकता नहीं।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार पत्रक/बिल में कर पृथक से दर्शाया जाना चाहिये।
31	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स भांजा इन्टरप्राइसेस धार 23561703899 482/12	2011-12 (स्वनिर्धारण)	513519	513519	513519	क्रय सूची तथा बिल, केस फाइल में नहीं लगाये गये।	स्वनिर्धारण प्रकरणों में क्रय सूची की आवश्यकता नहीं।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार पत्रक/बिल में कर पृथक से दर्शाया जाना चाहिये।
32	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स माँ भवानी मोटर रिवाइडिंग एवं मशीनरी, धार 23571704330 507/12	2011-12 (स्वनिर्धारण)	716665	716665	716665	क्रय सूची तथा बिल, केस फाइल में नहीं लगाये गये।	स्वनिर्धारण प्रकरणों में क्रय सूची की आवश्यकता नहीं।	धारा 14 तथा नियम 9 के अनुसार पत्रक/बिल में कर पृथक से दर्शाया जाना चाहिये।
				207188986	208118505	207188975			

परिशिष्ट - V

कंडिका क्रमांक 2.4.9.5 के सन्दर्भ में

दावा किये गए आगत कर रिबेट के स्थान पर अतिरिक्त राशि के आगत कर रिबेट की अनुमति

स. क्र	इकाई का नाम	वितरण, टिन, प्रकरण संख्या	अवधि/निधिरण का माह	कुल आईटीआर राशि का दावा (₹)	कुल आईटीआर की आगम राशि (₹)	अधिक आईटीआर की आगम राशि (₹)	शास्ति की राशि (₹)	आईटीआर की प्रस्तावित अतिरिक्त मांग की राशि (₹)	लेखापरीक्षा आलेप	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सीटीओ मण्डल-III भोपाल	मेसर्स लक्ष्मी टेडर्स भोपाल 23853802092 सी.एस.00036363 सी.एस.00003051वैट	2010-11 2011-12 24.09.13	19663437	20226195	562758	0	562758	आई.टी.आर. दावे से अधिक आगम पर छूट प्रदान की गई।	प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच उपरान्त ही आई.टी.आर. स्वीकृत किया गया।	निरीक्षण प्राधिकारी ने स्वीकृत अधिक आई.टी.आर. के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया।
2	सीटीओ मण्डल-III भोपाल	मेसर्स बाम्बे एजेन्सीज रायल मार्केट भोपाल 23773802524 सी.एस.00000005788 वेट	2010-11 08.05.13	18713	48654	29941	89823	119764	5% के स्थान पर 13% आई.टी.आर. स्वीकृत किया गया। आक्षेपित आई.टी.आर. आधिक्य में 29941 का आई.टी.आर. एवं 89823 की शास्ति शामिल है।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही प्रतीक्षित है।
3	सीटीओ मण्डल-III जबलपुर	मेसर्स खिलवानी बद्रर्स जबलपुर 23055902388 156/10 वेट	2009-10 22/2011	693425	723833	30408	0	30408	आई.टी.आर. दावे से अधिक आगम पर छूट प्रदान की गई।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही प्रतीक्षित है।
4	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स हनुमान कोट ट्रेडिंग धार 23841604611 सी.एस. 000000003 9640 वेट	2010-11 1.2.2013	167635	175636	8001	24003	32004	आई.टी.आर. दावे से अधिक आगम पर छूट प्रदान की गई।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही प्रतीक्षित है।
5	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स एन. एस. इन्टरप्राइसेस, धार 23961601247 96/2010 वेट	2009-10 23.4.2012	6468962	6535482	66520	0	66520	आई.टी.आर. दावे से अधिक आगम पर छूट प्रदान की गई।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही प्रतीक्षित है।

6	डी सी मण्डल 1 इन्दौर	मेसर्स सिम्पलेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 23380103207, 268/11 वेट	2010-11 7.9.12	20878997	22036180	1157183	3471549	4628732	आई.टी.आर. दावे से अधिक आगम पर छूट प्रदान की गई।	वेट अधिनियम 14 (3) के अंतर्गत आई.टी.आर. स्वीकृत किया गया।	उत्तर म. प्र. वेट अधिनियम 14 (3) सहपठित नियम 9 के अनुरूप नहीं है।
7	सीटीओ मण्डल-11 इन्दौर	मेसर्स हाईटेक मेटल फार्मिन्स 23961100048, सी. एस.000078318 वेट	2010-11 30.09.11	7296904	8023863	726959	2180877	2907836	आई.टी.आर. दावे से अधिक आगम पर छूट प्रदान की गई।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही प्रतीक्षित है।
8	सीटीओ मण्डल बैड़न, सिंगरौली	मेसर्स गजेन्द्र ट्रेडर्स 23607305433, 141/11 (वेट)	2010-11 21.3.13	2492899	2701075	208176	624528	832704	आई.टी.आर. दावे से अधिक आगम पर छूट प्रदान की गई।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही प्रतीक्षित है।
9	सीटीओ मण्डल-10 इंदौर	मेसर्स विनायक टेलीकाम, 23461004390, 819/10 (वेट)	2009-10 14.5.12	4706745	5097668	390923	1172769	1563692	आई.टी.आर. दावे से अधिक आगम पर छूट प्रदान की गई।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही प्रतीक्षित है।
10	सीटीओ मण्डल-2 ग्वालियर	मेसर्स माहेश्वरी इन्टरप्राइसेस 23125202155	2010-11 स्व-निर्धारण	2719601	2827589	107988	323964	431952	आई.टी.आर. दावे से अधिक आगम पर छूट प्रदान की गई।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही प्रतीक्षित है।
11	सीटीओ मण्डल-2 ग्वालियर	मेसर्स प्रमोद एजेन्सी 23355205375, सी. एस.000053645 (वेट)	2010-11 26.4.13	3612628	3648755	36127	108381	144508	आई.टी.आर. दावे से अधिक आगम पर छूट प्रदान की गई।	निरीक्षण प्राधिकारी को बताया कि भाड़े पर देय मजदूरी पर भी टैक्स चुकाया गया है। चूंकि प्राप्त माल एफ.ओ.आर. आधार पर थ एवं इसमें भाड़ा इत्यादि शामिल था। कर सम्पूर्ण राशि पर चुकाया गया था।	कार्यवाही प्रतीक्षित है। नि. प्रा. ने अपने उत्तर में स्वयं ही स्वीकार किया कि आपत्ति ली गई आई टी आर सामग्री क्रय की मजदूरी पर स्वीकृत की गई थी। आई टी आर सिर्फ माल की लागत पर ही दिया जाता है।
12	सीटीओ मण्डल-5 भोपाल	मेसर्स सेम सिस्टम्स, 23594001182, 664/11 (वेट)	2010-11 28.9.13	3225789	3246224	20435	61305	81740	आई.टी.आर. दावे से अधिक आगम पर छूट प्रदान की गई।	निरीक्षण प्राधिकारी ने कहा कि 13 प्रतिशत आई. टी.आर. की अतिरिक्त सूची संलग्न है।	ऐसा कोई प्रकरण न तो पाया गया न ही विभाग ने उपलब्ध कराया।

13	सीटीओ मण्डल-11 इन्दौर	मेसर्स डिग अर्थ इक्यूपमेंट्स, 23041105113, सी. एस.000014859 (वेट)	2010-11 30.9.13	1513875	1688324	174449	523347	697796	आई.टी.आर. दावे से अधिक आगम पर छूट प्रदान की गई।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही प्रतीक्षित है।
			योग	73459610	76979478	3519868	8580546	12100414			

परिशिष्ट-VI

कंडिका क्रमांक 2.4.9.6 के सन्दर्भ में

प्रमाणित खरीद के परे खरीद पर अतिरिक्त आईटीआर का भुगतान

स. क्र	इकाई का नाम	वितरण, टिन, प्रकरण संख्या	अवधि/निर्धारण का माह	कुल आईटीआर राशि का दावा (₹)	कुल आईटीआर की आगम राशि (₹)	अधिक आईटीआर की आगम राशि (₹)	शस्ति की राशि (₹)	आईटीआर की प्रस्तावित अतिरिक्त मांग की राशि (₹)	लेखापरीक्षा आलेप	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8	9	10	11	12
1	सी.टी.ओ. मण्डल सागर	मेसर्स एस.आर. कम्प्यूटरर्स 23487502797 सी.एस. 347/194/11 चैट	2010-11 01.06.13	617413	603749	13664	40992	54656	जाँच में पाया गया कि क्रय रु. 11854763 के स्थान पर रु. 12128052 पर आईटीआर की छूट दी गई।	सत्यापन उपरांत कार्यवाही प्रतीक्षित	कार्यवाही प्रतीक्षित है
2	आर.ए.सी. खण्डवा	मेसर्स जितेन्द्र कुमार सुरेश चंद्र खण्डवा 23962002827 224/11 चैट	2010-11 25.06.13	78646	0	78646	235938	314584	जाँच में पाया गया कि रु. 1572924 के बारदाना क्रय पर आईटीआर दिया गया जो कि अंकेशित लेखाओं में प्रमाणित नहीं था।	सत्यापन उपरांत कार्यवाही प्रतीक्षित	कार्यवाही प्रतीक्षित है
3	आर.ए.सी. खण्डवा	मेसर्स आरती इंटरप्राइजेज खण्डवा 23672006751 209/11 चैट	2010-11 26.08.11	40719	0	40719	0	40719	जाँच में पाया गया कि रु. 814384 के बारदाना क्रय पर आईटीआर दिया गया जो कि अंकेशित लेखाओं में प्रमाणित नहीं था।	सत्यापन उपरांत कार्यवाही प्रतीक्षित	कार्यवाही प्रतीक्षित है
5	सी.टी.ओ. मण्डल नरसिंगपुर	मेसर्स कृषि मित्र 23386401708 29/2009 चैट	2008-09 20.6. 2011	394468	334568	59900	0	59900	क्रय सूची एवं अंकेशित लेखाओं में क्रय में अंतर था।	सत्यापन उपरांत कार्यवाही प्रतीक्षित	कार्यवाही प्रतीक्षित है
6	सी.टी.ओ. मण्डल-2 जबलपुर	मेसर्स अनुश्री मार्केटिंग जबलपुरए 23025904490	स्व-निर्धारण 2010-11	724932	717286	7646	22938	30584	क्रय से अधिक आईटीआर का दावा किया गया। दावा किये गये आईटीआर को निर्धारण प्राधिकारी द्वारा	स्वीकृत आई.टी. आर. सही है।	लेखापरीक्षा आपत्ति पर कोई उत्तर नहीं दिया गया।

		150/2011 वैट							स्वीकृत किया गया ।		
7	सी.टी.ओ. मण्डल-2 जबलपुर	मेसर्स आनंद ट्रेडर्स जबलपुरए 23205903421 232/10 वैट	2009-10 24.12. 2011	760978	733608	27370	0	27370	क्रय सूची से अधिक आईटीआर निर्धारण आदेश में स्वीकृत किये गये ।	सत्यापन उपरांत कार्यवाही प्रतीक्षित	कार्यवाही प्रतीक्षित है
8	सी.टी.ओ. मण्डल पीतमपुर	मेसर्स टीकमसा, डूलीचंद ऑयल उत्पाद, धार 23091602162 60/2011 वैट	2010-11 6.9.2013	3631008	2346697	1284311	3852933	5137244	निर्धारित आदेश में आईटीआर, व्यापार खाते से अधिक स्वीकृत किया गया ।	वापसी उचित थी ।	उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं है । आपत्ति अधिक आईटीआर की स्वीकृति से संबंधित है न, कि वापसी से संबंधित मूल आपत्ति अनुभारित रही ।
9	सी.टी.ओ. मण्डल 10 इंदौर	मेसर्स सानिया स्टील फ्रेब्रिकेटर प्रा. लि. 23681003978 708/10.11 वैट	2010-11 27.09.13	820390	736545	83845	251535	335380	आर्केशित लेखों के अनुसार क्रय रु. 16824714 था । लेकिन आईटीआर का निर्धारण रु. 18100454 के क्रय पर हुआ । इस के परिणामस्वरूप आईटीआर की अधिक स्वीकृति दी गई ।	सत्यापन उपरांत कार्यवाही प्रतीक्षित	कार्यवाही प्रतीक्षित है
10	सी.टी.ओ. मण्डल 10 इंदौर	मेसर्स रौशन सेल्स कॉरपोरेशन इंदौर 23471001814 346/11 वैट	2010-11 27.09.13	6210124	6130935	79189	237567	316756		शुद्ध क्रय पर छूट घटाकर ही आईटीआर स्वीकृत किया गया था । आईटीआर बिलो में पृथक में दर्शाये गये वैट पर दिया गया था ।	उत्तर प्रावधानों के अनुरूप नहीं है । सकल क्रय पर बिना नकद छूट घटाये आईटीआर स्वीकृत किया गया परिणाम स्वरूप आईटीआर स्वीकृत हुआ ।
			योग	25633336	23449754	2183582	6166779	8350361			

परिशिष्ट -VII

कंडिका क्रमांक 2.4.10.1 के सन्दर्भ में

गत वर्ष के आई टी आर को आगे लाये जाने हेतु अनियमित स्वीकृति तथा समायोजन

स. क्र	इकाई का नाम	वितरण, टिन, प्रकरण संख्या	अवधि/निर्धारण का माह	कुल आईटीआर राशि का दावा (₹)	कुल आईटीआर की आगम राशि (₹)	अधिक आईटीआर की आगम राशि (₹)	शक्ति की राशि (₹)	आईटीआर की प्रस्तावित अतिरिक्त मांग की राशि (₹)	लेखापरीक्षा आलेप	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सीटीओ मुरैना	मेसर्स कमल ऐजेन्सी मुरैना 23655601843 736/11 वैट	2010-11 26.12.12	0	552305	0	552305	डीलर द्वारा प्रथम विवरिणी में आईटीआर का शेष गत वर्ष से आगे नहीं लाया गया था ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
2	सीटीओ मुरैना	मेसर्स उमेश ट्रेडिंग कंपनी पोरसा, मुरैना 23845501877 1043/11 वैट	2010-11 14. 01.13	0	60320	0	60320	डीलर द्वारा प्रथम विवरिणी में आईटीआर का शेष गत वर्ष से आगे नहीं लाया गया था ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
3	सीटीओ 13 मुरैना	मसर्स एम.वी. इंटरप्राइजेज 23411302838 सी.एस. 3231/11 वैट	2010-11 20. 06.13	0	929530	0	929530	डीलर द्वारा प्रथम विवरिणी में आईटीआर का शेष गत वर्ष से आगे नहीं लाया गया था ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
4	डी.सी. संभाग-1 इंदौर	मेसर्स लौकेश इण्डिया सर्विस लि. / 23291401553/251. 2010	2009-10 02.04.12	0	95962	0	95962	डीलर द्वारा प्रथम विवरिणी में आईटीआर का शेष गत वर्ष से आगे नहीं लाया गया था ।	म.प्र. वैट अधिनियम नियम 14 (3) आईटीआर अग्रेषण के अनुसार	आईटीआर का आगे ले जाया जाना धारा 14 (3) एवं नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार नहीं था ।
5	डी.सी. संभाग-1 इंदौर	मेसर्स सिम्बोटिक फार्मा लेबए 23721503506, 183/10 (वैट)	2009-10 03.04.12	0	162673	0	162673	डीलर द्वारा प्रथम विवरिणी में आईटीआर का शेष गत वर्ष से आगे नहीं लाया गया था ।	म.प्र. वैट अधिनियम नियम 14 (3) आईटीआर अग्रेषण के अनुसार	म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 14 (3) नियम 9 के प्रावधानों के विरुद्ध था ।

6	ए.सी., देवास	अनिक इंड्रस्ट्रिस, 23192305842, सी.एस. 00006712 (वैट)	2010-11 30.09.13	0	1802151	5406453	7208604	डीलर द्वारा प्रथम विवरिणी में आईटीआर का शेष गत वर्ष से आगे नही लाया गया था । अस्वीकृत आईटीआर ₹ 1802151 एवं शास्ति ₹5406453 योग 7208604	आई टी आर अंकेक्षित लेखाओं के अनुसार स्वीकृत किया गया अतः अगले वर्ष आगे ले जाया गया ।	उत्तर प्रावधानों के अनुरूप नहीं है क्योंकि आपत्ति पिछले वर्ष से संबंधित है तथा आई टी आर अगले वर्ष के किये आगे ले जाया गया ।
7	सीटीओ वैढन, सिंगरौली	मेसर्स पूजा फर्नीचर, सीधी, 23797304795, 1401/10 (वैट)	2009-10 21.06.12	0	189713	569139	758852	डीलर द्वारा विवरणी दाखिल नहींकी गई अतः गत वर्ष का आई टी आर शेष नहीं दिया जा सकता । अस्वीकृत आई टी आर ₹189713 तथा शासित ₹ 569139 योग 758852	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
8	सीटीओ वैढन, सिंगरौली	मेसर्स प्रकाश स्टील ट्रेडर्स 23057304232, 01/2011 (वैट)	2010-11 18.1.2012	0	28177	84531	112708	डीलर द्वारा विवरणी दाखिल नही की गई ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
9	सीटीओ मण्डल-1 जबलपुर	मेसर्स पंचम ट्रेडर्स, 23595808971 , 295/10 (वैट)	2009-10 17.5.12	0	293065	0	293065	डीलर द्वारा विवरणी दाखिल नही की गई ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
10	डी.सी. खण्डवा	मेसर्स मनजीत कॉटन 23782204977, 4/09 (वैट)	2008-09 7 th 4 th 2011	0	62861	188583	251444	गत वर्ष का आईटीआर शेष योग नही लाया गया	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
11	सीटीओ मण्डल 14 इंदौर	मेसर्स मेट्रो ट्रेडर्स 23801403746, 585/10 (वैट)	2009-10 25.6.12	0	16888	50664	67552	डीलर द्वारा प्रथम विवरिणी में आईटीआर का शेष गत वर्ष से आगे नही लाया गया था ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
12	सीटीओ मण्डल 14, इंदौर	मेसर्स सन मार्केटिंग, 23461401896, 826/10 (वैट)	2009-10 23.4.12	0	65057	195171	260228	डीलर द्वारा प्रथम विवरिणी में आईटीआर का शेष गत वर्ष से आगे	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है

									नहीं लाया गया था ।	
13	डी.सी. खण्डवा	मेसर्स श्रीराम एग्रो इंस्टीट्यूट, 23062004292 , 26/10 (वैट)	2009-10 28.4.12	0	54856	166568	219424	डीलर द्वारा प्रथम विवरिणी में आईटीआर का शेष गत वर्ष से आगे नहीं लाया गया था ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
14	सीटीओ मण्डल 2 ग्वालियर	मेसर्स किरण इफ्टूवचर, 23335204416, सी. एस.000077540 (वैट)	2010-11 30.9.13	0	40000	120000	160000	डीलर द्वारा प्रथम विवरिणी में आईटीआर का शेष गत वर्ष से आगे नहीं लाया गया था ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
15	सीटीओ मण्डल-2 ग्वालियर	मेसर्स एस.के.अग्रवाल, 23075206014 सी.एस. 000056550 (वैट)	2010-11 23.5.13	0	36223	108669	144892	प्रथम विवरणी दाखिल नहीं की गई ।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि पूर्व वर्ष के निर्धारण आदेश के आधार पर रु. 36223 का समायोजन किया गया ।	विभाग पूर्व वर्ष के निर्धारण आदेश उपलब्ध नहीं कराये गये ।
16	सीटीओ मण्डल-5 भोपाल	आलोक ट्रेडिंग कं., 23974004562, 774/11 (वैट)	2010-11 6.8.13	119923	90449	0	90449	डीलर के प्रथम विवरणी के अनुसार आगे लाया गया आईटीआर रु. 119923 था जबकि समायोजित आईटीआर रु. 209972 था	नि.प्रा. ने कहा कि रु. 209972 का आईटीआर गत वर्ष के प्रकरण में इसी डीलर के प्रकरण में आगे लाया गया था ।	लेखापरीक्षा की आपत्ति यथावत् है क्योंकि गत वर्ष के आगे लाई गई राशि 1,19,923 थी जबकि समायोजित आईटीआर की राशि रु. 209972 भी इस प्रकार रु. 90449 का आईटीआर अधिक समयोवृद्धि किया गया ।
17	सीटीओ मण्डल-5 भोपाल	मेसर्स एम.पी. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक विभाग, 23154000745, 47/11 (वैट)	2010-11 27.9.13	376601	376601	1129803	1506404	डीलर द्वारा प्रथम विवरिणी में आईटीआर का शेष गत वर्ष से आगे नहीं लाया गया था ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है

18	सीटीओ मण्डल-5 भोपाल	मेसर्स पाथ इंटरप्राईजेज, 2324005035, 44/11 (वैट)	2010-11 8.7.13	0	763932	2291796	3055728	डीलर द्वारा प्रथम विवरणी दाखिल नहीं की गई थी अतः आगे लाये गये आईटीआर रू. 763932 का समायोजन अनियमित था ।	नि.प्रा. का कथन था कि रू. 763932 आईटीआर प्रकरण क्र.85/ 10-2009 -10 का आगे लाया गया था ।	लेखापरीक्षा आपत्ति यह थी कि विगत वर्षों के आईटीआर से संबंधित कोई दावा डीलर ने नहीं किया था फिर भी आगे लाये गये आईटीआर का समायोजन इस वर्ष किया गया ।
19	सीटीओ मण्डल-5 भोपाल	मेसर्स बालाजी डिस्ट्रीब्यूटर/2303400 5564 प्रकरण न. 727/11(वैट)	2010-11 06.08.13	0	535340	1606020	2141360	प्रथम विवरणी प्रस्तुत किये बिना आई टी आर आगे ले जाया गया ।	निप्रा ने कहा कि उसी डीलर का आई टी आर गत वर्ष से आगे ले जाया गया ।	उत्तर प्रावधानों के अनुरूप नहीं है यद्यपि डीलर ने प्रथम रिटर्न दाखिल नहीं किया था तो भी पिछले वर्ष को आगे लाया गया आईटीआर इस वर्ष की माँग से समायोजित किया गया । गत वर्ष की आईटीआर की जाँच की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखा गया ।
			योग		6156103	11917397	18071500			

परिशिष्ट-VIII

कंडिका क्रमांक 2.4.10.2 के सन्दर्भ में

विवरण के प्रतिकूल आईटीआर का अनियमित रूप से आगामी वर्ष के लिए ले जाना

स. क्र	इकाई का नाम	वितरण, टिन, प्रकरण संख्या	अवधि/निर्धारण का माह	कुल आईटीआर राशि का दावा (₹)	कुल आईटीआर की आगम राशि (₹)	अधिक आईटीआर की आगम राशि (₹)	शस्ति की राशि (₹)	आईटीआर की प्रस्तावित अतिरिक्त मांग की राशि (₹)	लेखापरीक्षा आलेप	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	डीसी सभाग-1 इंदौर	मेसर्स लोकेश इण्डिया सर्विस लि. 23291401553 /251/0	2009-10 02.04.2012	1248	95258	94010	0	94010	चौथी विवरणी में आईटीआर का कोई शेष, अगले वर्ष में आगे नहीं लाया गया था।	म.प्र. वैट अधिनियम 14 (3) आईटीआर अग्रेषण के अनुसार	म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 14 (3) नियम 9 के प्रावधानों के विरुद्ध था।
2	एसी, देवास	अनिक इंडस्ट्रीसए 23192305842, सी. एस.00006712 (वैट)	2010-11 30.09.2013	0	1644239	1644239	0	1644239	चौथी विवरणी में आईटीआर का कोई शेष, अगले वर्ष में आगे नहीं लाया गया था।	आई टी आर अंकेक्षित खातों के अनुसार दिया गया था तथा अगले वर्ष के लिये आगे ले जाया गया था	चौथे रिटर्न में कोई भी आईटीआर आगे नहीं लाया गया।
3	सीटीओ मण्डल-2 ग्वालियर	मेसर्स महेश कुमार एण्ड कंपनी 23745201232 /144/11 (वैट)	2010-11 26.04.2013	12313	53455	53455	0	53455	डीलर द्वारा प्रथम विवरणी में आईटीआर का शेष गत वर्ष से आगे नहीं लाया गया था।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
4	सीटीओ मण्डल-2 ग्वालियर	मेसर्स एस.के.अग्रवालए 23075206014 सी.एस. 000056550 (वैट)	2010-11 23.5.13	5834	5834	5834	0	5834	की गई थी अतः रु. 5834 डीलर द्वारा चौथी की आईटीआर विवरणी दाखिल नहीं आगे लाया जाना अनियमित था।	निर्धारण वर्ष 2009-10 में कोई समायोजन नहीं था अतः रु. 5834 की राशि को अगले वर्ष में आगे लाया गया।	डीलर द्वारा चतुर्थ रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया।
5	सीटीओ मण्डल- मण्डीदीप	मेसर्स मेकसन हेल्थकेयर प्रा.लि., 2365410641, 16/11 (वैट)	2010-11 16.9.13	66273	418960	352687	1058061	1410748	प्रथम विवरणी में डीलर रु. 66273 अगले वर्ष के लिए आगे लाये लेकिन नि.प्र. ने रु. 418960 आगे लाने की अनुमति थी।	नि.प्रा. का कथन था कि आईटीआर का समायोजन गत वर्ष के निर्धारण आदेश के अनुसार समायोजित किया गया।	म.प्र. वैट अधिनियम नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार प्रथम रिटर्न में आगे लाई गई आईटीआर की राशि ही लेना था न कि कर निर्धारण आदेश में आगे लाई गई राशि है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	सीटीओ मण्डल-3 ग्वालियर	मेसर्स सतीश सलूजा बेट्रीज, 23835307349, सी.एस.000085770 (वैट)	2011-12 17.1.14	0	60603	60603	0	60603	चौथी विवरणी में डीलर रु. 60603 अगले वर्ष के लिए आगे लाये लेकिन नि.प्र. ने रु. निरंक आगे लाने की अनुमति थी ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
7	सीटीओ मण्डल-3 ग्वालियर	मेसर्स वर्षा डिस्पोजल हारूस 23595305347, 707/2011 (वैट)	2010-11 24.5.13	0	490890	490890	0	490890	की गई थी अतः रु. 490890 डीलर द्वारा चौथी की आईटीआर विवरणी दाखिल नहीं आगे लाया जाना अनियमित था ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
8	सीटीओ मण्डल-11 इंदौर	मेसर्स हर्ट इलेक्ट्रॉनिकए 23961100242, सी.एस.000011991, 28/11(वैट)	2010-11 30.9.13	0	266818	266818	800454	1067272	चौथी विवरणी में आईटीआर का कोई शेष, अगले वर्ष में आगे नहीं लाया गया था ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
9	सीटीओ मण्डल-5 भोपाल	मेसर्स आलोक ट्रेडिंग कं. , 23974004562, 774/11 (वैट)	2010-11 6.8.13	129231	363555	234324	0	234324	चतुर्थ विवरणी में डीलर द्वारा रु. 129231 आगे लाया गया लेकिन निप्र द्वारा रु. 363555 आगे लाये गये । इस प्रकार रु. 234324 अनियमित आगे लाये गये ।	नि.प्र. ने कहा कि असमायोजित राशि रु. 363555 अगले वर्ष के लिए आगे ले जायी गई ।	लेखापरीक्षा आपत्ति यथावत् है चूंकि रु. 129391 ही डीलर द्वारा चतुर्थ रिटर्न में आगे लाये गये जबकि नि.प्र. आईटीआर की राशि रु. 363555 अगले वर्ष के लिए आगे ले गये ।
10	सीटीओ मण्डल-5 भोपाल	मेसर्स नियो पॉवर सिस्टम, 23774003314, 232/11 (वैट)	2010-11 28.9.13	516167	476778	39389	0	39389	चतुर्थ विवरणी में डीलर द्वारा रु. 516167 आगे लाया गया लेकिन निप्र द्वारा रु. 476778 आगे लाये गये । इस प्रकार रु. 39389 अनियमित आगे लाये गये ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
11	सीटीओ मण्डल-5 भोपाल	मेसर्स एम.पी. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, 23154000745, 47/11 (वैट)	2010-11 27.9.13	0	381822	381822	0	381822	No balance of ITR, in 4th return, was carried forward by the dealer in the next year.	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
			योग	731066	4258212	3624071	1858515	5482586			

परिशिष्ट-IX

कंडिका क्रमांक 2.4.11 के संदर्भ में
अपात्र माल की खरीद पर आगत कर रिबेट कि अनियमित स्वीकृति

(₹ लाख में)

स. क.	इकाई का नाम	डीलर, टिन, प्रकरण संख्या	वस्तु का नाम	निर्धारण की अवधि/माह	आई.टी.आर. का दावा/स्वीकृत राशि	आपत्ति ली गई कुल आई.टी.आर. की राशि	धारा 21 के प्रावधानों के तहत शास्ति	प्रस्तावित आई.टी.आर. मांग की अतिरिक्त राशि
1	वाकअ- III भोपाल	में. श्री जय इन्टरप्राइसेस, भोपाल 23833805692 सी.एस. 82558(1263) वैट	तेंदुपत्ता	2011-12 26.12.13	29.47	29.47	0	29.47
2	वाकअ- III भोपाल	जिया इन्टरप्राइसेस, भोपाल 23703806491 सी.एस.82555 वैट	तेंदुपत्ता	2011-12 26.12.13	48.32	48.32	0	48.32
3	वाकअ- III भोपाल	में. जय देव इन्टरप्राइसेस भोपाल 23789028774 सी.एस.82570 वैट	तेंदुपत्ता	2011-12 27.12.13	17.58	17.58	0	17.58
4	वाकअ- III भोपाल	में. जगदम्बा इन्टरप्राइसेस, भोपाल 23383806085 सी.एस. 82522 वैट	तेंदुपत्ता	2011-12 27.12.13	43.09	43.09	0	43.09
योग					138.46	138.46	0	138.46
1	वाकअ, खण्डवा	में. काका ट्रेडर्स, मण्डी खण्डवा 23672006118 264/10 वैट	सोयाबीन	2009-10 22.02.12	1.19	1.19	3.58	4.77
2	वाकअ-वृत्त बुरहानपुर	में. अब्दुल शेख ए रहमान गाइनिंग फैक्ट्री, बुरहानपुर 23901910031 286/2010 वैट	सोयाबीन	2009-10 24.10.12	2.91	2.89	8.67	11.56
3	वाकअ-वृत्त धार	में. हनुमान कॉट ट्रेडिंग धार 23841604611/ सी.एस.39640	सोयाबीन	2010-11 01.2.13	1.76	1.53	4.59	6.12
4	वाकअ-वृत्त 10 इन्दौर	में. रेड रोज कॉटन वेस्ट कंपनी 23921001227 247/11 वैट	सोयाबीन	2010-11 30.09.13	15.64	15.64	46.92	62.56
योग					21.5	21.25	63.76	85.01
1	डी.सी. डिवि. II भोपाल	में. विशाल निरमिति बनखेडी 23464302875 48/10 वैट	रेत एवं गिट्टी	2009-10 30.06.12	177.98	0.88	2.64	3.52
2	वाकअ मोरैना	में. गोयल कान्करीट एण्ड पाइपस् मोरैना 23545501072 880/10 वैट	रेत एवं गिट्टी	2009-10 23.04.12	0	0.12	0.37	0.49

3	वाकअ-वृत्त 12 इन्दौर	में. एसेन्ट इन्टरप्राइसेस इन्दौर 23206120348 418/10 वैट	कार्यालय उपकरण	2009-10 30.06.12	12.21	1.99	5.96	7.79
4	वाकअ-वृत्त मोरैना	में. एम.पी. स्टोन मोरैना 23965503654 28/10 वैट	भवन सामग्री	2009-10 11.06.12	0	0.86	2.59	3.46
5	आर.ए.सी. खण्डवा	में. फतेहगुरु गोविन्द सिंह एण्ड कंपनी 23271908001 323/11 वैट	भवन सामग्री	2010-11 14.08.13	0	0.39	1.18	1.57
योग					190.19	4.24	12.74	16.83

परिशिष्ट -X

कंडिका क्रमांक 2.4.11.4 के सन्दर्भ में

उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त कर मुक्त सह-उत्पाद पर आईटीआर का रिवर्सल नहीं किया जाना

स.क्र	इकाई का नाम	वितरण, टिन, प्रकरण संख्या	अवधि/निर्धारण का माह	आईटीआर राशि का दावा/स्वीकृत आईटीआर (₹)	आईटीआर का रिवर्सल नहीं किया जाना/कम रिवर्सल (₹)	धारा 21 के प्रावधानों के अधीन शास्ति की राशि (₹)	अतिरिक्त मांग की राशि (₹)	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सीटीओ खण्डवा	मेसर्स अशोक उद्योग, खण्डवा 23672003224 468/09 वैट	2008-09 27.6.11	300711	211870	635610	847480	डीलर ने उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त कर मुक्त सह-उत्पाद बेचा । निप्रा ने इसका रिवर्सल नहीं किया या धारा 14 (i)(a)(6)(i) के अंतर्गत कम आईटीआर का रिवर्सल किया ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
2	सीटीओ खण्डवा	मेसर्स वासुदेव इंटरप्राइजेज खण्डवा 23682004727 193/11 वैट	2010-11 30.08.13 08.10.13	1131246	180374	541122	721496	डीलर ने उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त कर मुक्त सह-उत्पाद बेचा । निप्रा ने इसका रिवर्सल नहीं किया या धारा 14 (i)(a)(6)(i) के अंतर्गत कम आईटीआर का रिवर्सल किया ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
3	आरएसी खण्डवा	मेसर्स फातेहगुरु गोविन्द सिंह व कंपनी 23271908001 323/11 वैट	2010-11 14.08.13	159697	9882	29646	39528	डीलर ने कर मुक्त माल के व्यापार हेतु बारदाना का पैकिंग सामग्री के रूप में प्रयोग किया निर्धारण के दौरान उपयोग किये गये बारदाना पर आनुपतिक आईटीआर पर रिवर्सल नहीं किया ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
4	सीटीओ मण्डल नरसिंगपुर	मेसर्स अमित पॉलीमर नरसिंगपुर 23266402326 66/2009 वैट, 122/2011ए90/2011	2008-09 16.8.2010 स्व निर्धारण 2009-10 वैट, स्व निर्धारण 2010.11 वैट	119686	111112	333336	444448	कर मुक्त माल के उत्पादन में प्रयुक्त माल पर आईटीआर का रिवर्सल नहीं किया गया ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	सीटीओ मण्डल नरसिंगपुर	मेसर्स आसरा पॉलीमर प्रा.लि. नरसिंगपुर 23766401693 48/2009 अंज 121/2010 अंज 65/2011 वैट	2008-09, 17.8.2010 स्व निर्धारण 2009-10 स्व निर्धारण 2010-11	114182	113454	344362	457816	कर मुक्त माल के उत्पादन में प्रयुक्त माल पर आईटीआर का रिवर्सल नहीं किया गया ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
6	सीटीओ नरसिंगपुर	मेसर्स बालाजी खंदसरी उद्योग सिंगपुर बढ़ाए 23616403958 281/2008 वैट	2007-08 23.4.2010	55316	55316	165948	221264	कर मुक्त माल के उत्पादन में प्रयुक्त माल पर आईटीआर का रिवर्सल नहीं किया गया ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
7	सीटीओ मण्डल-2 जबलपुर	मेसर्स जे.के. ट्रेडर्स जबलपुरए 23605901455 82/2010 वैट	स्व निर्धारण 2009-10	299697	22861	0	22861	कर मुक्त माल के उत्पादन में प्रयुक्त माल पर आईटीआर का रिवर्सल नहीं किया गया ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
8	सीटीओ बुरहानपुर	मेसर्स बालाजी प्रोसेसर, बुरहानपुर 23501908117 217/2009 वैट	2008-09 27.4.2011	462017	43264	129792	173056	कर मुक्त माल के उत्पादन में प्रयुक्त माल पर आईटीआर का रिवर्सल नहीं किया गया ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
9	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स श्रीराम जीनिंग एवं प्रोसेसिंग कम्पनी 23791703918 वैट सी.एस 000000043031	2010-11 19.2.2013	1989037	232640	0	232640	कर मुक्त माल के उत्पादन में प्रयुक्त माल पर आईटीआर का रिवर्सल नहीं किया गया ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
10	सीटीओ मण्डल धार	मेसर्स मुखाजी बाबूलाल 23481600056 349/2010 वैट	2009-10 9.4.2012	36542	30567	0	30567	कर मुक्त माल के उत्पादन में प्रयुक्त माल पर आईटीआर का रिवर्सल नहीं किया गया ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
11	सीटीओ मण्डल नीमच	मेसर्स गिरधर ट्रेडिंग 23883203343 339/2012 वैट	2011-12 स्व निर्धारण	6362	5090	0	5090	कर मुक्त माल के उत्पादन में प्रयुक्त माल पर आईटीआर का रिवर्सल नहीं किया गया ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
12	सीटीओ मण्डल-1 जबलपुर	मेसर्स दून अभियांत्रिकी, जबलपुर 23885800324 सी. एस 0000000011960 वैट	2010-11 23.9.2013	567454	22365	0	22365	कर मुक्त माल के उत्पादन में प्रयुक्त माल पर आईटीआर का रिवर्सल नहीं किया गया ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	सीटीओ देवास	मेसर्स श्रीराम ऑयल एण्ड ऐग्रो फ़ूडए 23862306104, सी.एस. 000019951 चैट	2010-11 26.9.13	1389974	161628	484884	646512	डीलर ने स्टॉक अंतरण के साथ कर मुक्त उत्पाद (खली) का विक्रय किया । कर निर्धारण के दौरान कर मुक्त सामान पर आईटीआर का अनुपातिक रिवर्सल नहीं किया गया ।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
			योग	6631921	1200423	2664700	3865123			

परिशिष्ट-XI

कंडिका क्रमांक 2.4.11.5 के संदर्भ में

राज्य के बाहर स्टॉक अंतरण की स्थिति में आई.टी.आर. का रिवर्सल नहीं किया जाना/कम रिवर्सल

स. क्र.	इकाई	डीलर टिन	प्रकरण संख्या /अवधि/निर्धारण का माह	राशि जिसका आई.टी.आर. दावा किया गया (₹)	अनियमित आई.टी.आर. की स्वीकृत राशि (₹)	धारा 21 के अधीन शास्ति (₹)	अतिरिक्त मांग की राशि (₹)	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सी.टी.ओ. मण्डल 13 इन्दौर	मेसर्स थीमीस डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि. 23851304064	86/11 2010-11 03.09.13	5912470	51695	155085	206780	विक्रय के द्वारा माल के अंतरण पर आई.टी. ए. का आनुपातिक अंतरण (7.33 के स्थान पर 5.89%) कर निर्धारण के समय नहीं किया गया।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
2	आर. ए. सी. सी.टी. सतना	मेसर्स यूको टोबोको प्र. लि. मैयर 23147101113	04/12 2011-12 22.10.2013	165014	107179	0	107179	स्टॉक के राज्य के बाहर अंतरण पर आई. टी.आर. को कम रिवर्सल	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
3	डी.सी. संभाग-1 इंदौर	मेसर्स लुकेश इंडियन सर्विसेस लिमिटेड 23291401553	251/2010 2009-10 02.04.2012	984781	27574	82722	110296	अन्य राज्यों स्टॉक अंतरण पर आई.टी.आर. का रिवर्सल नहीं किया गया।	इस बिन्दु हेतु उत्तर प्राप्त नहीं है।	कार्यवाही प्रतीक्षित है।
4	डी.सी. संभाग-1 इंदौर	मेसर्स मेथोडेक्स सिस्टम 23670201357	272/2010 2009-10 15.05.12	9545973	1779254	5337762	7117016	अन्य राज्यों स्टॉक अंतरण पर आई.टी.आर. का रिवर्सल नहीं किया गया।	निर्मित माल राज्य के बाहर नहीं बेचा गया अतः आई.टी. आर. रिवर्सल की आवश्यकता नहीं।	उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं है क्योंकि, निर्धारण आदेश में स्टॉक अंतरण की कटौती की अनुमति दी गई अतः कंडिका यथावत्।
5	आर. ए. सी. सागर	मेसर्स अशोक एजेन्सी छतरपुर , 23707700944	137/11 2010-11 30.1.13	9041371	466261	1398783	1865044	अभिलेखों की जाँच में पाया गाय कि अंकेक्षित खातो में छूट की राशि रु. 9325313 को कुल क्रय रु. 212112194 से घटाया गया एवं क्रय रु. 202786981	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही प्रतीक्षित है।

								दर्शाया गया। अतः अंतर की राशि रु. 93245213 पर 5% की दर से रिवर्सल रु. 466261।		
6	सी.टी.ओ. मण्डल 13 इन्दौर	मेसर्स विक्रान्त इंटरनेशनल 23795804011	301/10 2009-10 20.4.12	339535	58584	175752	234336	अन्य राज्यों स्टॉक अंतरण पर आई.टी.आर. का रिवर्सल नहीं किया गया।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही प्रतीक्षित है।
7	डी.सी. खण्डवा	मेसर्स अग्रवाल इन्डोटेक्स लिमिटेडए 23122003871	18/2010 2009-10 30.6.12	10048154	864493	2593479	3457972	अन्य राज्यों स्टॉक अंतरण पर आई.टी.आर. का रिवर्सल नहीं किया गया।	जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
8	सी.टी.ओ. मण्डल मंडीदीप भोपाल	मेसर्स मापरा लेब प्रा. लि. 23254101667	19/11 2010-11 16.9.13	75011	44183	132549	176732	अन्य राज्यों स्टॉक अंतरण पर आई.टी.आर. का रिवर्सल नहीं किया गया।	प्रकरण में रिवर्सल त्रुटिपूर्ण संगठित किया गया। जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
9	सी.टी.ओ. खंडवा	मेसर्स अशोक उद्योग खंडवा 23672004393 468/09 वैट	2008-09 27.6.11	300711	47854	143562	191416		जांच उपरान्त कार्यवाही की जायेगी	कार्यवाही अपेक्षित है
			योग	36112309	3447077	10019694	13466771			

परिशिष्ट -XII
कंडिका क्रमांक 2.12 के संदर्भ में
ब्याज का अनारोपण

स. क्र.	ईकाइ/डीलर का नाम	निर्धारण अवधि/निर्धारण का माह	कर की अदेय राशि (₹)	विलम्ब की अवधि	1.5 % प्रतिमाह की दर से ब्याज की राशि का अनारोपण (₹)	ब्याज जमा करने में विलम्ब की अवधि	शास्ति (1.5% प्रतिमाह (₹))
1	आर.ए.सी. छिन्दवाड़ा/मेसर्स निकेत उद्योग लिमिटेड	2003-04 डिसम्बर 2006 जुलाई 2010 (रिमाण्ड)	12,35,798	75 महीने 20 दिन	14,02,633	-	-
2	आर.ए.सी. छिन्दवाड़ा/मेसर्स निकेत उद्योग लिमिटेड	2005-06 मार्च 2009	2869899	12 महीने	516564	-	-
3	आर.ए.सी. छिन्दवाड़ा/मेसर्स उमिया मिनिंग, सोनसर	2006-07 जून 2009	7,72,354	32 महीने 04 दिन	3,79,988	-	-
4	आर. ए. सी. छिन्दवाड़ा मेसर्स आई.सी.आई. लिमिटेड	2005-06 मार्च 2009	20,390.46	35 महीने 04 दिन	10,74,577	-	-
5	एसीसीटी-II सतना मेसर्स गजराज केमिकल	2008-09 जून 2011	37,69,408	13 दिन	24,501	-	-
			37,57,107	17 दिन	31,935		
			6,66,994	09 दिन	3,001		
			9,10,191	10 दिन	4,551		
			20,74,782	99 दिन	1,02,702	30 महीने 28 दिन	3,366 (से 7262)
			23,00,530	03 दिन	3451		
			24,07,946	03 दिन	3,612	36 महीने	1,956 (से 3612)
		योग	1,58,86,958		1,73,753		5,322
	कुल योग	2,28,04,095		35,47,515		5,322	

परिशिष्ट -XIII
कंडिका क्रमांक 5.8 के संदर्भ में
व्यपवर्तन लगान, प्रीमियम एवं उपकर का अवनिर्धारण

1. कलेक्टर (व्यपवर्तन), भोपाल

(राशि ₹ में)				
प्रकरण संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	प्रीमियम		
		वसूली योग्य	वसूली गई	कर आरोपण
127/ए2/2012-13 दिनांक 16.08.2013 गोविंदपुरा मण्डल	13,300	1,33,000 दर ₹ 10 प्रति वर्ग मीटर	14,000	1,19,000

2. कलेक्टरेट (व्यपवर्तन), बुरहानपुर

स. क्र.	प्रकरण संख्या एवं दिनांक	स्थान	क्षेत्रफल वर्गमी. /उद्देश्य	वसूली योग्य				वसूला गया	
				व्यपवर्तन लगान/उपकर		प्रीमियम		व्यपवर्तन लगान/उपकर (₹)	प्रीमियम ₹
				दर प्रति 10 वर्ग मी.	राशि ₹	दर	राशि ₹.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<u>102(ए)/ए2/2011-12</u> 09.05.12	जेनाबाद, एमा खुर्द के पास, नगरीय सीमा के 4 कि.मी. के भीतर	18200 वर्ग मी. वाणिज्यिक	68.65	1,24,943 62472	10	1,82,000	13,517 निरंक	90,990
2	<u>101(बी)/ ए2/2011.12</u> 09.05.12	जेनाबाद, एमा खुर्द के पास, नगरीय सीमा के 4 कि.मी. के भीतर	28000 वर्ग मी. वाणिज्यिक	68.65	1,92,220 96110	10	2,80,000	20,786 निरंक	1,39,991
3	<u>152/ए2/2011.12</u> 12.07.12	शाहपुरा नगर पंचायत	46840 वर्ग मी. आवासीय	64.60	3,02,587		1,40,511	3023	1,40,511
4	<u>129/ए2/2011.12</u> 14.06.12	लाल बाग महल नगरीय सीमा	1.24 हेक्टेयर						
			8644 आवासीय 2596 वाणिज्यिक	58	50,135	7.50	64,830	25,073	95,070
				87	22,585	15	38,940	22,626	
टिप्पणी :- (विभाग द्वारा आवासीय क्षेत्रफल 4315 वर्ग मी. लिया गया।)									
5	<u>130/ए2/2011.12</u> 30.06.12	मोहम्मदपुरा, नगरीय सीमा के 4 कि.मी. के भीतर	85,900 वर्ग मी. आवासीय	15.10	1,29,709 64,855	...	6,51,274	96,240 निरंक	6,51,274

स. क्र.	प्रकरण संख्या एवं दिनांक	स्थान	क्षेत्रफल वर्गमी. /उद्देश्य	वसूली योग्य				वसूला गया	
				व्यपवर्तन लगान/उपकर		प्रीमियम		व्यपवर्तन लगान/उपकर (₹)	प्रीमियम ₹
				दर प्रति 10 वर्ग मी.	राशि ₹	दर	राशि ₹.		
6	128/ए2/2011.12 13.06.12	लाल बाग महल नगरीय सीमा	3 में से 2 हेक्टेयर. हेक्टेयर 20,000 वर्ग मी. आवासीय	58	1,16,000	7.5	1,50,000	69,742	1,20,030
टिप्पणी:- विभाग ने 20,000 वर्ग मी. के विरुद्ध 12,003 वर्ग मी. पर निर्धारण किया।									
योग		आवासीय व्यावसायिक उपकर	1,61,384 48,796		5,98,431 3,39,748 2,23,437		15,07,555	2,51,007	12,37,866

व्यपवर्तन लगान का अवनिर्धारण = 6,87,172 (9,38,179-2,51,007)

प्रीमियम = 2,69,689 (15,07,555-12,37,866)

उपकर का अवनिर्धारण = 2,23,437

योग = ₹ 9,56,861+2,23,437= ₹ 11,80,298

(अर्थात = ₹ 11.80 लाख)

3. कलेक्टरेट (व्यपवर्तन), देवास

स. क्र.	प्रकरण आदेश दिनांक	व्यपवर्तन वर्ष स्थान का नाम	विभाग द्वारा लिया गया क्षेत्र वर्ग मीटर	टी.एण्ड सी.पी. द्वारा स्वीकृत क्षेत्र वर्ग मी.	वसूली योग्य व्यपवर्तन लगान/प्रीमियम (₹)	वसूल किया गया व्यपवर्तन लगान/प्रीमियम (₹)	व्यपवर्तन लगान की कम वसूली (₹)		प्रीमियम	प्रीमियम एवं व्यपवर्तन लगान की कम वसूली 2012-13 तक (09+10)
							प्रति वर्ष	2012-13		
1	56/ 1-2/2009-10	2009-10	1457.25	4970	40,257 @ ₹ 81 प्रति 10 वर्ग मी.	11,810	28,447	1,13,788	52,680	1,66,468
	25-10-2010	देवास			74550 @ ₹ 15 प्रति वर्ग मी..	21,870				
2	82/ 1-2/2010-11	2010-11	1850	7000	38,500 @ ₹ 55 प्रति 10 वर्ग मी	10,175	28,325	84,975	77,250	1,62,225
	23-09-11	नागदा			1,05,000 @ ₹ 15 प्रति वर्ग मी	27,750				
3	2/ 1-2/2011-12	2011-12	3220	9777	35,197 @ ₹ 36 प्रति 10 वर्ग मी	11,592	23,605	47,210	98,355	1,45,565
	11-11-2011	बिलावली			1,46,665 @ ₹ 15 प्रति वर्ग मी.	48,300				
कुल									4,74,258	

4. तहसीलदार बदरवास (शिवपुरी)

स. क्र.	प्रकरण आदेश दिनांक	व्यपवर्तन वर्ष क्षेत्र स्कवायर फीट	व्यपवर्तन का किराया			पंचायत उपकर 50 प्रतिशत व्यपवर्तन के किराये की राशि (₹)
			(₹) प्रति वर्ष	अवधि 2012-13	राशि (₹)	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>28/2010-11</u> 30-05-2011	<u>2010-11</u> 1500	570	3 वर्ष	1,710	855
2	<u>29/2010-11</u> 31-05-2011	<u>2010-11</u> 2,32,875	16,302	3 वर्ष	48,906	24,453
3	<u>32/2010-11</u> 25-06-2011	<u>2010-11</u> 2700	1,026	3 वर्ष	3,078	1,539
4	<u>33/2010-11</u> 25-06-2011	<u>2010.11</u> 22,500	7,223	3 वर्ष	21,669	10,835
5	<u>34/2010-11</u> 28-06-2011	<u>2010.11</u> 68,576	49,581	3 वर्ष	1,48,743	74,372
6	<u>62/2011-12</u> 27-02-2012	<u>2011.12</u> 1,80,370	84,413	2 वर्ष	1,68,826	84,413
7	<u>65/2011-12</u> 29-02-2012	<u>2011.12</u> 22,500	3,150	2 वर्ष	6,300	3,150
8	<u>69/2011-12</u> 22-03-2012	<u>2011-12</u> 2,400	912	2 वर्ष	1,824	912

स. क्र.	प्रकरण आदेश दिनांक	व्यपवर्तन वर्ष क्षेत्र स्कवायर फीट	व्यपवर्तन का किराया			पंचायत उपकर 50 प्रतिशत व्यपवर्तन के किराये की राशि (₹)
			(₹) प्रति वर्ष	अवधि 2012-13	राशि (₹)	
9	<u>70/2011-12</u> 22-03-2012	<u>2010-11</u> 510	291	3 वर्ष	873	437
10	<u>76/2011-12</u> 11-04-2012	<u>2011-12</u> 1600	912	2 वर्ष	1,824	912
कुल 10 प्रकरण	मई 2011 और अप्रैल 2012 में हुए निर्णय के अनुसार	2010-11 (06)	74,993	2,24,979	2,01,878 (₹) 2.02 लाख
		2011-12 (04)	89,387	1,78,774	
		5,35,531 (10)	1,64,380	4,03,753	

महायोग (1+2+3+4) = 1,19,000 + 11,80,298 + 4,74,258 + 2,01,878 = 19,75,434 (₹) 19.75 लाख

परिशिष्ट -XIV

कंडिका क्रमांक 6.2.10.1 के सन्दर्भ में

खनन पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण औसत वार्षिक राज्यांश का गलत निर्धारण

स.क्र	इकाई का नाम	पट्टा धारकों की संख्या/ पट्टा अवधि	गांव/खनिज/ क्षेत्र	अनुबंध के निष्पादन की तिथि	खनन योजना में दिखाई गई मात्रा	मुद्रांक शुल्क की गणना के लिये आधारभूत राज्यांश राशि (₹)	मुद्रांक शुल्क की दर	देय मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹)	भुगतान की गई मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹)	शेष राशि मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	एस.आर./ डी.एम.ओ. सिंगरौली	मेसर्स सासन पॉवर लि. (30 वर्ष)	मुहर/कॉल 1586.05 हेक्ट.	16.09.2011	1149266.666 टन @ ₹ 107 प्रति टन	614857665 (1149266.666 x 107 x 5) 5 गुना 30 वर्ष के पट्टे हेतु	5 प्रतिशत	307428833 15371442 230571625	195007500 9750375 146256125	112421333 5621067 84315500 = 202357900
2	एस.आर./ डी.एम.ओ. सिंगरौली	मेसर्स एम.पी.एस.एम. सी.एल. (30 वर्ष)	डोगरी, डीगव कोल 1138.99 हेक्ट.	17.05.2013	2234705.882 टन @ ₹ 262 प्रति टन	2927464706 (2234705.882 x 262x 5) 5 गुना 30 वर्ष के पट्टे हेतु	5 प्रतिशत	146373235 7318662 109779926	87823946 निरंक 65867959	5849289 7318662 43911967 = 109779918
3	एस.आर., सतना	मेसर्स तालावड़ी सीमेंट (20 वर्ष)	भूमकाहर लिमिटेड स्टोर 2130.015 हेक्ट.	6.3.2014	2591018.40 टन @ ₹ 63 प्रति टन	489702480 (2591018.40 x 63x 3) 3 गुना 30 वर्ष के पट्टे हेतु	5 प्रतिशत	24485124 लागू नहीं 18363843	21484160 लागू नहीं 16113120	3000964 लागू नहीं 2250723 = 5251687

स.क्र	इकाई का नाम	पट्टा धारकों की संख्या/ पट्टा अवधि	गांव/खनिज/ क्षेत्र	अनुबंध के निष्पादन की तिथि	खनन योजना में दिखाई गई मात्रा	मुद्रांक शुल्क की गणना के लिये आधारभूत राज्यांश राशि (₹)	मुद्रांक शुल्क की दर	देय मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹)	भुगतान की गई मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹)	शेष राशि मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹)
4	एस.आर. सोहागपुर	मेसर्स एम.पी.एस.एम.सी. एल. (30 वर्ष)	विचारपुर 389.189 हेक्टर	1.2.2004	700000 टन @ ₹ 183. 40 प्रति टन	<u>641900000</u> (700000 x 183.40 x 5) 5 गुना 30 वर्ष के पट्टे हेतु	5 प्रतिशत	<u>32095000</u> <u>1604750</u>	<u>32095000</u> <u>निरंक</u>	1604750
कुल								893393440	574398185	318994255
अर्थात् ₹								89.34 करोड़	57.44 करोड़	31.90 करोड़

परिशिष्ट -XV

कंडिका क्रमांक 6-2-10-2 के सन्दर्भ में
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली

स.क्र	इकाई का नाम	पट्टा धारकों की संख्या/ पट्टा अवधि	उप पट्टा धारकों की संख्या/ पट्टा अवधि	खनिज का नाम	संविदा राशि / मुद्रांक शुल्क की दर (₹)	देय मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹)	भुगतान की गई मुद्रांक शुल्क /पंजीयन फीस (₹)	शेष राशि मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	एस.आर./डी.एम. ओ., ग्वालियर	एम.पी.एस.एम.सी.एल. , डबरा ग्रुप	स्टार मिनिरल रिसोर्स प्रा.लि. (1.3.2013 से 28.2.2015)	रेत	233087400/5%	<u>11654370</u> 8740778	<u>100</u> --	<u>11654270</u> 8740778
		एम.पी.एस.एम.सी.एल. भीतरवार ग्रुप	शिवा कॉरपोरेशन (1.3.2013 से 28.2.2015)	रेत	22995000/5%	<u>1149750</u> 862313	<u>100</u> --	<u>1149650</u> 862313
2.	एस.आर./डी.एम. ओ., होशंगाबाद	एम.पी.एस.एम.सी.एल. , होशंगाबाद ग्रुप	एस.आर.ट्रेडर्स (1.3.2013 से 28.2.2015)	रेत	378000000/5%	<u>18900000</u> 14175000	<u>100</u> --	<u>18899900</u> 14175000
		एम.पी.एस.एम.सी.एल. , बबई ग्रुप	आर.एस.आई. स्टोन वर्ड प्रा. लि.(1.3.2013 से 28.2.2015)	रेत	241709895/5%	<u>12085495</u> 9064121	<u>100</u> --	<u>12085395</u> 9064121
		एम.पी.एस.एम.सी.एल. , पिपरिया ग्रुप	शिवा कॉरपोरेशन (1.3.2013 से 28.2.2015)	रेत	20999790/5%	<u>1049990</u> 787492	<u>100</u> --	<u>1049890</u> 787492
		एम.पी.एस.एम.सी.एल. ईटारसी ग्रुप	शिवा कॉरपोरेशन (1.3.2013 से 28.2.2015)	रेत	44100000/5%	<u>2205000</u> 1653750	<u>100</u> --	<u>2204900</u> 1653750
योग					मुद्रांक शुल्क/ पंजीयन फीस	<u>47044605</u> 35283452	<u>600</u> --	<u>47044005</u> 35283452
कुल योग					मुद्रांक शुल्क + पंजीयन फीस	82328057	600	82327457

(अर्थात् ₹ 8.23 करोड़)

परिशिष्ट -XVI

कंडिका क्रमांक 7.5 के सन्दर्भ में

उत्खनि मर्दों में अनिवार्य किराये की वसूली न होना/कम वसूली

क्र.सं.	इकाई का नाम	पट्टो की संख्या	देय राशि (₹ लाख में)	भुगतान की राशि (₹ लाख में)	शेष राशि (₹ लाख में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	डी.एम.ओ., बड़वानी	10	10.78	0.87	9.91
2	डी.एम.ओ., भिण्ड	12	10.10	—	10.10
3	डी.एम.ओ., भोपाल	9	12.92	2.37	10.55
4	डी.एम.ओ., छिंदवाड़ा	10	5.05	—	5.05
5	डी.एम.ओ., दतिया	5	7.95	2.88	5.07
6	डी.एम.ओ., धार	5	4.63	0.13	4.50
7	डी.एम.ओ., ग्वालियर	7	8.70	2.80	5.90
8	डी.एम.ओ., होशंगाबाद	1	219.37	3.83	215.54
9	डी.एम.ओ., झाबुआ	10	11.26	1.25	10.01
10	डी.एम.ओ., खरगौन	7	16.14	8.11	8.03
11	डी.एम.ओ., मण्डला	8	5.80	0.60	5.20
12	डी.एम.ओ., नीमच	4	5.10	0.72	4.38
13	डी.एम.ओ., रीवा	11	9.43	1.87	7.56
14	डी.एम.ओ., सिंगरौली	4	3.05	1.10	1.95
15	डी.एम.ओ., शिवपुरी	1	0.90	—	0.90
16	डी.एम.ओ., उमरिया	3	0.73	—	0.73
कुल		107	331.91	26.53	305.38

(अर्थात् ₹ 3.05 करोड़)

परिशिष्ट -XVII
कंडिका क्रमांक 7.7 के सन्दर्भ में
संविदा राशि की वसूली न होना/कम होना

(₹ लाख में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	पट्टों की संख्या	देय राशि	भुगतान की गई राशि	शेष राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	डी.एम.ओ., बड़वानी	03	8.23	1.19	7.04
2	डी.एम.ओ., भोपाल	05	11.88	8.41	3.47
3	डी.एम.ओ., छिंदवाड़ा	01	4.59	—	4.59
4	डी.एम.ओ., दतिया	05	12.87	6.04	6.83
5	डी.एम.ओ., धार	02	45.92	38.17	7.75
6	डी.एम.ओ., ग्वालियर	01	2.50	1.00	1.50
7	डी.एम.ओ., खरगौन	05	10.70	3.82	6.88
8	डी.एम.ओ., मण्डला	05	294.07	45.38	248.69
9	डी.एम.ओ., नरसिंगपुर	01	0.52	—	0.52
10	डी.एम.ओ., रीवा	09	8.10	—	8.10
11	डी.एम.ओ., शिवपुरी	06	8.57	3.43	5.14
योग		107	407.95	107.44	300.51

(अर्थात ₹ 3.01 करोड़)

परिशिष्ट -XVIII
कंडिका क्रमांक 7.8.2 के सन्दर्भ में
उत्खनि पट्टा राज्यांश की कम वसूली

स.क्र	इकाई का नाम	पट्टा की संख्या	अवधि	उत्पादन की मात्रा/खनिज	रायल्टी की दर घन.मी.	देय राशि	भुगतान की गई राशि	शेष राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	डी.एम.ओ., बड़वानी	01	06/2011 से 06/2012	11401 घ.मी. गिट्टी	44	5.02	3.41	1.61
2	डी.एम.ओ., भिण्ड	01	2006.16	216000 घ.मी. गिट्टी	44	95.04	89.60	5.44
3	डी.एम.ओ., दतिया	01	01/2009 से 12/2012	438445 घ.मी. रेत	33 और 53	199.88	150.80	49.08
4	डी.एम.ओ., ग्वालियर	01	1/11 से 12/1	3475 घ.मी. फ्लेग स्टोन	70	2.41	1.56	0.85
5	डी.एम.ओ., होशंगाबाद	01	7/11 से 12/11	20564.9 रेत	53	10.90	5.82	5.08
6	डी.एम.ओ., नरसिंगपुर	02	1/12 से 12/12	26881 घ.मी. स्टोन	44	11.83	10.34	1.49
7	डी.एम.ओ., नीमच	02	7/12 से 6/13	49327 घ.मी. स्टोन	44	21.70	19.14	2.56
8	डी.एम.ओ., शिवपुरी	01	1/2012 से 12/2012	5089 घ.मी. स्टोन गिट्टी	44	2.24	1.76	0.48
9	डी.एम.ओ., सिंगरौली	03	1/12 से 12/13	13707 घ.मी. स्टोन गिट्टी	44	6.03	4.78	1.25
कुल		13				355.05	287.21	67.84

(अर्थात ₹ 67.84 करोड़)

परिशिष्ट -XIX

कंडिका क्रमांक 7.10 के सन्दर्भ में

अनधिकृत उत्खनन पर खनिजों के मूल्य का अनारोपण/वसूली न होना

क्र. सं.	इकाई का नाम	खनिज का नाम	उत्पाद का वर्ष	खनन योजना के अनुसार मात्रा (टन में)	वास्तविक उत्खनित मात्रा (टन में)	उत्पादन आधिक्य (टन में)	खनिज का मूल्य प्रति टन (₹ लाख में)	वसूली योग्य राशि (₹ लाख में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	डी.एम.ओ., झाबुआ	मैगनीज	2010	945	2149.220	1204.22	3255	3919671
			2011	737	2037.010	1300.01	2537	3298125
2	डी.एम.ओ., मण्डला	डोलोमाइट	2010	2000	17361	15361.00	63	967743
			2011	2000	17316	15316.00	63	964908
			2012	2000	14017	12017	63	757071
कुल								9907518

(अर्थात ₹ 99.08 करोड़)

टिप्पणी:— खनिज की लागत की गणना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित खनिजों की तात्कालिक दरों के आधार पर की जाती है। चूंकि डोलोमाइट की दर, भारतीय खान ब्यूरो की सूची में नहीं है अतः डोलोमाइट की रायल्टी की दर को ही खनिज की लागत माना गया है।

परिशिष्ट -XX

कंडिका क्रमांक 7.11.1 के सन्दर्भ में

ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर कर वसूल न किया जाना

स. क्र.	इकाई का नाम	पट्टा धारकों की संख्या	खनिज	वर्ष जिसके लिये कर देय है	उत्पादन मात्रा (मिलियन टन में)	सड़क विकास कर की गणना (औसत उत्पादन प्रति वर्ष वाजार मूल्य पांच प्रतिशत)	देय राशि (₹ लाख में)	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	शेष राशि (₹ लाख में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	डी.एम.ओ., शिवपुरी	ईश्वर माईनिंग एण्ड इंड्रस्टीज कॉरपोरेशन प्रा.लि.	ढायास्चोर फायरोलाईट	2011-12	2009-10 - 2117 2010-11 - <u>1264</u> कुल 3381 2009-10 27789 2010-11 <u>20726</u> कुल 48515	1690.5 X 2000 X 5 <i>प्रतिशत</i> 24257.5 X 550 X 5 <i>प्रतिशत</i>	1.69 6.67 8.36	2.29	6.07
कुल							8.36	2.29	6.07

(अर्थात् ₹ 0.06 करोड़)

परिशिष्ट -XXI

कंडिका क्रमांक 7.11.2 के सन्दर्भ में

शिथिल खदानों पर ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर का भुगतान न किया जाना

स.क्र	इकाई का नाम/लेखापरीक्षा अवधि	पट्टा धारकों की संख्या	पट्टे का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वर्ष जिसके लिये कर देय है	प्रति हेक्टेयर दर (₹)	देय राशि (₹ लाख में)	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	शेष राशि (₹ लाख में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	डी.एम.ओ., बड़वानी (2011-13)	3	11.545	2011-12 और 2012-13	4000	0.92	—	0.92
2.	डी.एम.ओ., छिंदवाड़ा (2012-13)	4	18.945	अक्टूबर 2005 से 2012-13	4000	2.05	—	2.05
3.	डी.एम.ओ., दतिया (2011-13)	2	14.099	2011-12 और 2012-13	4000	1.13	—	1.13
4.	डी.एम.ओ., मण्डला (2011-13)	5	13.300	2011-12 और 2012-13	4000	1.06	—	1.06
कुल		14				5.16	—	5.16

(अर्थात् ₹ 5.16 करोड़)

परिशिष्ट -XXII

कंडिका क्रमांक 7.12.1 के सन्दर्भ में

औसत वार्षिक राज्यांश के गलत निर्धारण के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का व्यय आरोपण

क्र. सं.	इकाई का नाम	पट्टेदार का नाम/पट्टा अवधि	ग्राम/खनिज/क्षेत्र	अनुबंध किये जाने का दिनांक	खनन योजना के अनुसार मात्रा	मुद्रांक शुल्क की गणना के लिये मूल रायल्टी की राशि (₹)	मुद्रांक शुल्क की दर	देय मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस (₹)	भुगतान की गई मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस (₹)	शेष मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस (₹)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	डी.एम.ओ., मण्डला	मेसर्स हनुमान माईन्स एण्ड मिनिरलर्स प्रा.लि. (30.06.2011 से 29.06.2041)	बतियातोला / डोलोमाईट 4.70 हेक्टर	30.06.2011	21532 एम.टी.	<u>6782580</u> (21532 x 63 x 5) 5 गुना 30 वर्ष के पट्टे हेतु	5 प्रतिशत	<u>339129</u> 254346	<u>66050</u> 49537	<u>273079</u> 204809
2	डी.एम.ओ., नीमच	मेसर्स विक्रम सीमेंट (01.12.2010 से 30.11.2040)	नयागावं खोर लाईमस्टोन 564.106 हेक्ट.	13.12.2010	1683333.33 टन	<u>530250000</u> (1683333.33 x 63 x 5) 5 गुना 30 वर्ष के पट्टे हेतु	5 प्रतिशत	<u>39768750</u> 29826562	<u>2646000</u> 1986000	<u>37122750</u> 27840562
कुल								<u>40107879</u> 30080908	<u>2712050</u> 2035537	<u>37385829</u> 28045371
महायोग (मुद्रांक शुल्क + पंजीयन फीस)								70188787	4747587	65431200

(अर्थात ₹ 6.54 करोड़)

परिशिष्ट -XXIII

कंडिका क्रमांक 7.12.2 के सन्दर्भ में

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली

स.क्र	इकाई का नाम	पट्टा धारकों की संख्या/ पट्टा अवधि	उप पट्टा धारकों की संख्या/ पट्टा अवधि	खनिज का नाम	संविदा राशि / मुद्रांक शुल्क की दर (₹)	देय मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹ में)	भुगतान की गई मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹ में)	शेष राशि मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस (₹ में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	डी.एम.ओ., भिण्ड	एम.पी.एस.एम.सी.एल., तहसील भिण्ड	स्टार मिलिरलर्स रिसोर्सेस प्रा.लि. (1.3.2013 से 28.2.2015)	रेत	43312500 5%	2165625 1624218	100 —	2165525 1624218
		एम.पी.एस.एम.सी.एल., तहसील लहर	आर.एस.आई. स्टोन वर्ड (1.3.2013 से 28.2.2015)	रेत	84735000 5%	4236750 3177562	100 —	4236650 3177562
		एम.पी.एस.एम.सी.एल., तहसील रऊन	स्टार मिलिरलर्स रिसोर्सेस प्रा.लि. (1.3.2013 से 28.2.2015)	रेत	241949550 5%	12097478 9073108	100 —	12097378 9073108
		एम.पी.एस.एम.सी.एल., तहसील मिहोरा	कुबैर कामना प्रा.लि. (1.3.2013से 28.2.2015)	रेत	83475000 5%	4173750 3130312	100 —	4173650 3130312
		एम.पी.एस.एम.सी.एल., तहसील मिहगांव	मेसर्स शिवा कॉरपोरेशन (1.3.2013 से 28.2.2015)	रेत	441000000 5%	2200000 1650000	100 —	21999900 1650000
2.	डी.एम.ओ., दतिया	एम.पी.एस.एम.सी.एल., तहसील सेवह	मेसर्स शिवा कॉरपोरेशन (23.3.2013 से 22.3.2015)	रेत	209999850 5%	10499993 7874995	100 —	10499893 7874995
		एम.पी.एस.एम.सी.एल., तहसील दतिया	मेसर्स शिवा कॉरपोरेशन (23.3.2013 से 22.3.2015)	रेत	133245000 5%	6662250 4996688	100 —	6662150 4996688
					मुद्रांक शुल्क/ पंजीयन फीस	61835846 46376884	700 —	61835146 46376884
महायोग					मुद्रांक शुल्क + पंजीयन फीस	108212730	700	108212030

(अर्थात ₹ 10.82 करोड़)